1. भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप

क्राउथर के शब्दों में जो महत्त्व यंत्र शास्त्र में पहिये का है, विज्ञान में अग्नि की खोज का है, राजनीति में मत का है मनुष्य के आर्थिक जीवन में वही महत्त्व मुद्रा के आविष्कार का हैं।

An equiry into the nature and causes of the wealth of nation.

(अर्थशास्त्र धन क विज्ञान है): **A DAM SMITH (1771)**

विकास के पड़ाव: बर्बर युग, कबिलाई संस्कृति, संसाधनों पर किसी का अधिकार नहीं, समस्याओं का निराकरण परंपरा व सुविधा अनुकूल, वस्तु विनिमय प्रणाली।

विनियम प्रणाली।

↓ – प्रथम पड़ाव

: संघर्षो का युग, धन का धर्म से जुड़ाव।

↓ – द्वितीय पड़ाव

- धन का राजनीतिक (सामंतवादी अर्थशास्त्र) इन्हीं दिनों मार्शल की पुस्तक Principle of economics में अर्थशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार दी गयी- Political economics (अर्थशास्त्र की गति राजनीति से ही प्रभावित होती है।)

↓ – तृतीय पड़ाव

- अर्थशास्त्र का धर्म व राजनीति से विच्छेद, अर्थशास्त्र स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता प्राप्त, सामंतवाद की समाप्ति, व्यापारवाद व वाणिज्यवाद की शुरूआत, (Laises fair) की तर्ज पर निर्बाधवादी अर्थव्यवस्था की तर्ज पर अर्थव्यवस्था देशकाल की सीमा पार की, उपनिवेशवाद

↓ – चतुर्थ पड़ाव

- अर्थशास्त्र का वैज्ञानिक अध्ययन शुरू, कौटिल्य, प्लेटों, डिस्कार्ट, काण्ट, लॉक के प्राकृतिक सारगर्भित की वैज्ञानिक विचार की वैज्ञानिक व्याख्या शुरू, इस विचारध ारा के सूत्रधार वने रिचर्ड कैंटीलार्न, फ्रैंकोइस कोयैसी, विलियम पेट्टी। सबसे वैज्ञानिक व सारगर्भित व्याख्या एडम स्मिथ ने दी।

– पंचम पड़ाव

एडम स्मिथ की इस पुस्तक का शीर्षक ही स्वयं में अर्थशास्त्र की एक परिभाषा है इसके अनुसार अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जो राष्ट्रों के धन के स्वाभाव एवं उसके कारण की जाँच करता है। एडम स्मिथ के अनुसार **अर्थशास्त्र धन का विज्ञान** है।

विकास के पड़ाव: वैसे तो अर्थ (धन) की बातें मनुष्य के उद्‌भव काल से हैं। परंतु उसका स्वभाव आज जैसा नहीं है। यह तो अर्थशास्त्र की दुनियाँ में हुए श्रृंखलाबद्ध विकास का परिणाम है वस्तु विनिमय प्रणाली से लेकर कागज की करेंसी एवं नित नये-2 सिक्कों का प्रचलन स्वाभावता संतोषी से येन-केन प्रकारेण धन कमाने में प्रवृत्त मानवीय संस्कृति तक थी। हम और हमारी पीढ़ियाँ समर्थ एवं सक्षम साक्षी हैं। अस्तु अर्थव्यवस्था के सम्यक रूप को समझ लेना समझदारी पूर्ण तो होगा ही न्यायोचित एवं तर्कसंगत भी।

एडम स्मिथ की पुस्तक 'वेल्थ ऑफ नेशन' के प्रकाशन के साथ ही अर्थशास्त्र की वैज्ञानिक व्याख्या होनी शुरू हो गयी थी। कद्‌चित इन्हीं कारणों से एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है यद्यपि अर्थशास्त्र से मानव समाज का संबंध चोली-दामन जैसा प्राचीन काल से ही रहा है। परंतु इन विखरे-विखरे संबंधों की सुलझी एवं वैज्ञानिक व्याख्या एडम स्मिथ के प्रयास से ही संभव हो सकी। अत: 1776 को अर्थशास्त्र का जन्म वर्ष माना जाता है।

प्राचीनकाल में मानव भले ही आज के समान व्यवस्थित नहीं था परंतु तत्कालीन समाज की अपनी कुछ मान्यताएँ एवं समस्याएँ जरूर थी उन तमाम समस्याओं में एक थी आर्थिक विकास समस्या। उस समय का समाज इन समस्याओं को अपने ही ढंग से सुलझा रहा था। आर्थिक विकास के इतिहास को देखने से यह पता चलता है कि ज्यों-ज्यों समाज की मान्यताएँ बदलती गयी त्यों-त्यों आर्थिक मान्यताओं व आर्थिक आवश्यकताओं ने आर्थिक विचारों में भी परिवर्तन लाना शुरू किया। इस प्रकार प्राचीन अर्थशास्त्र को एडम स्मिथ के युग तक पहुँचने में एक लंबा सफर तय करना पड़ा जिसके क्रमागत 5 पड़ाव हैं-

प्रथम चरण: बर्बर युग, जंगली मानव, भूख की संवेदना का अर्थशास्त्र इस चरण की विशेषता थी। पत्थर के औजार एवं शिकार वृक्ष की छाल एवं पत्तों के वस्त्र उनकी पहिचान थे। समस्याएँ थी किन्तु आज जितनी चक्रीय नहीं थी। तत्कालीन समाज समस्याओं का निराकरण सुविधा व परंपरानुकूल कर रहा था। कबिलाई संस्कृति कबीले का मुखिया ही समस्या निर्धारण एवं निवारण का प्रधान समझा जाता था। सुरक्षा एवं शांति की जिम्मेदारी उसी पर थी। तत्कालीन अर्थशास्त्र का उद्देश्य आज के अर्थशास्त्र से विलग नहीं था। अलग बात है कि इतना व्यवस्थित नहीं हो पा रहा था।

द्वितीय चरण: इसे संघर्षो का काल कहते हैं संघर्षो से

चेतना को गति प्रदान की। अर्थशास्त्र का धर्म से जुड़ाव हो गया। धर्म की नियोजना में अर्थ संचय उचित माना जाने लगा। आर्थिक क्रियाएँ धर्म से जोड़ी जाने लगी। इस युग की मान्यता थी- "अर्थ स्रंगह का आधार धर्म सम्मत हो धर्म की रक्षा हेतु ही धन का संग्रह हो।"

तृतीय चरण: अर्थशास्त्र का राजनीतिकरण हो गया इसी को सामंतवादी अर्थशास्त्र कहा गया। प्लेटो, अरस्तु और कौटिल्य के आर्थिक विचार समयानुकूल माने जाने लगे। भारी परिवर्तन का युग आया। मध्यकालीन युग के लगभग सभी देशों का विकास हुआ। यूनानियों और रोमन दास समाजों का स्थान सामंतवादीय समाज ने ले लिया। नये राज्यों का जन्म एवं पुराने राज्य विकसित होने शुरू हो गये अब अर्थव्यवस्था राज्य की नीति के अनुरूप चलायी जाने लगी।

कुल मिलाकर इस युग में अर्थशास्त्र एक स्वतंत्र विषय होने के बावजूद अपने को राजनीति से ही सिमटाये रहा। जैसा कि मार्शल (1890) की पुस्तक में अर्थशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार देने से स्पष्ट है- (अर्थशास्त्र की गति राजनीति से ही अनुप्रमाणित है।)

चतुर्थ चरण: अब धर्मशास्त्र ने धर्म व राजनीति से अपना संबंध विच्छेद कर लिया स्वतंत्र विषय के रूप में अर्थशास्त्र में प्रतिष्ठा प्राप्त हो गयी। स्वतंत्र चिंतन शुरू हो गया। सामंतवाद (fedualism) एवं रोमन कैथोलिक चर्चो की सत्ता टूटने लगी, नये-नये देशों की खोज हुई। दिशा सूचक यंत्रों का प्रयोग एवं समुद्र पार की यात्रा जो पहले निषेधात्मक थी अब स्वीकार्य हो गयी। कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवहार की जड़े गहरी हो गयी।

इस चरण के अर्थिक विचारों के इतिहास के अध्ययन से इस तथ्य को भी बल मिला कि इस युग में विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने वाली आर्थिक नीतियों का ही बोलबाला रहा। आर्थिक राष्ट्रीय शक्ति हेतु सोने चाँदी के व्यापार को बढ़ावा मिला। विदेशो से इसका आयात बढ़ा। उपनिवेशवाद बढ़ा। 15वीं से 17वीं सदी का काल व्यापार बाद या वाणिकवाद के रूप में स्थापित हुआ। इसे यूरोपीय भौतिक विकास का स्वर्णिम काल कहा गया। व्यापार की चरम सीमा में परिणति हुई। Laises fair (निर्बाधवादी) की तर्ज पर मुक्त व्यापार व्यवहार की शुरूआत हुई। अस्तु यह अवस्था व्यापार या प्रकृतिवाद के जन्म के रूप में उपलब्ध मूलक सिद्ध हुआ। आर्थिक चिंतन सीमित निर्देशों एवं नीतियों तक ही बने रहे।

पाँचवा चरण: अर्थशास्त्र में वैज्ञानिक विचारों का काल डिस्कार्टे, काण्ट, ह्‌यूम एवं लॉक के प्राकृतिक सारगर्भित विचारों की वैज्ञानिक व्याख्या होनी शुरू हो गयी फलत: दर्शन विज्ञान की ओर चल पड़ा। अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिली। वैज्ञानिक विचारों के धरातल पर आर्थिक विकास के धरातल पुष्ट होने लगे।

उपरोक्त विचारधाराओं की वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय रिचर्ड कैटीलान, विलियम केट्टी, फ्रौकोइस को जाता है। सारे संघर्षो एवं प्रयत्नों के बावजूद 1776 अर्थशास्त्र में नवीनता के रूप में आया। एडम स्मिथ की पुस्तक अस्तित्व में आयी अर्थशास्त्र वैज्ञानिक हो गया और 1776 को अर्थशास्त्र के जन्म वर्ष के रूप में मान्यता मिली।

एडम स्मिथ के युग के बाद अर्थशास्त्र उत्तरोत्तर प्रगति की ओर है। अर्थशास्त्र अभी भी शायद पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं हो पाया जो है वह सामने है भविष्य की बात गतिशील संसार में उचित नहीं है।

अर्थशास्त्र: परिभाषाओं के संदर्भ में दो विचारधाराएं हैं प्रथम में प्रो. लांयनल राबिन्स के समर्थक आते हैं जिन्होंने सीमित संसाधनों तथा चयन की परिभाषा को उचित माना है। अत: हम कह सकते हैं कि आधार भूत रूप से अर्थशास्त्र सीमितता का तथा सीमितता जिन समुदाओं को जन्म देती है, का अध्ययन है।

दूसरी विचारधारा के समर्थक प्रो. मार्शल की कल्याणपरक विचारधारा को महत्त्व देते हैं। यह विचारधारा मानव व्यवहार की समस्याओं को हल करने का उद्देश्य रखती है। ध्यातव्य है कि सैद्धान्तिक रूप में प्रो. राबिन्स की परिभाषात उचित है लेकिन मानवीय रूप में प्रो. मार्शल की।

अर्थशास्त्रियों का एक संवर्ग ऐसा भी है जो अर्थशास्त्र की परिभाषा देने के पक्ष में नहीं है इनके अनुसार अर्थशास्त्रियों का कृत्य ही अर्थशास्त्र है (Economic is what economist do) इस वर्ग के समर्थक हैं- प्रो. Mauris Daub, Jacob viener, Gurmar Mirdal (एशियन ड्रामा)

"नियोजन किसी देश के विकास का नियोजित प्रयास है"- जैकोब व्हीनर।

अर्थशास्त्र:

1. धन संबंधी: एडम स्मिथ, जे. एस. मिल, से (sey)
2. कल्याण संबंधी: मार्शल, कीनन, पीगू।
3. दुलर्भता संबधी परिभाषा: प्रो. लॉयनल राबिन्स
4. विकास संबधी परिभाषा: प्रो. सैमुअल्सन।
5. इच्छा के लोप संबंधी परिभाषा: प्रो. जे. के. मेहता।

"पूंजीवाद की जमीन पर ही समाजवाद या साम्यवाद का उदय होता है।" - कार्ल मार्क्स।

आदिम समाज: साधन पर किसी का अधिकार नहीं।

↓

कबिलाई समाज:(वैदिक काल)- साधन पर धीरे-धीरे स्वामित्व बढ़ा।

↓

सामंतवादी समाज: भूमि पर पूर्ण अधिकार सामंतों का (राजनीतिक अर्थशास्त्र या शोषण का अर्थशास्त्र)- पूंजीवाद।

↓

पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में शोषण की पराकाष्ठा, सर्वहारा वर्ग का उदय शोषण की पराकाष्ठा पर खूनी क्रांति - समाजवाद का अभ्युदय।

अर्थशास्त्री अध्ययन के महत्त्वपूर्ण प्रत्यय: सीमित संसाधन असीमित इच्छाएं : दुर्लभता का सिद्धांत, आर्थिक चयन, क्या उत्पादित करें, कैसें उत्पादित करें, किसके लिए उत्पादित करें संसाधनों का विकास तथा बँटवारा तथा उपयोग।

तथ्य है कि समाज की इच्छायें असीमित हैं जो पूर्ण हो इस अर्थ की नहीं हैं। एक के बाद दूसरी इच्छा फिर निरंतर इच्छा क्षितिज का विस्तार, अब प्रश्न है कि इनकी पूर्ति कैसे हो जबकि पूर्ति के संसाधन सीमित हैं। ये संसाधन हैं-

1. भूमि (Land): भूमि का अर्थ जमीन या मिट्टी से नहीं है अपितु सभी प्राकृतिक संसाधनों से है जो हमे मुफ्त भेंट मिले।
2. श्रम (Labour): श्रम से अभिप्राय मानवीय संसाधन से है चाहे व शारीरिक हो या मानसिक।
3. पूंजी (Capital): उत्पादन में सहायक वस्तुएं।
4. उद्यम: प्रवीणता व कुशलता

वस्तुत: इन्हीं उपलब्ध न्यूनतम संसाधनों के बेहतर उपयोग द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति ही अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है।

प्रो. लायनल रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानवीय व्यवहार के उद्देश्यों व उन दुर्लभ साधनों के संबंधों का अध्ययन करता है जिनका कि वैकल्पिक उपयोग किया जा सके।

प्रो. एरिक रोल के अनुसार आर्थिक समस्या मूलत: चयन की आवश्यकता से पैदा होने वाली समस्या है इस तरह का चयन जिससे वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित संसाधनों का प्रयोग किया जाता है यह संसाधनों का उपर्युक्त उपयोग की समस्या है।

मर्यादावादी और प्रतिष्ठापरक जीवन जीने के लिए मनुष्य की कुछ मूलभूत आवश्यकताएँ हैं इन्हीं की प्राप्ति करना उसका उद्देश्य है। प्रमुख आवश्यताएं और उद्देश्य है-रोटी, कपड़ा और मकान। मनुष्य इन्हीं की प्राप्ति में सतत् लगा हुआ है इन आवश्यकताओं की पूति हम अपने प्राकृतिक, मानवीय व भौतिक संसाधनों से करते हैं, वस्तुत: यह संसाधन सीमित हैं अत: उत्पादन भी सीमित होगा। हमारे हक के सुनिश्चित भूखंड पर जो हमारी नैसर्गिक व मानवीय संपदायें हैं इन्हीं को हम प्राकृतिक व मानवीय संसाधन कहेंगे। जो संपदा व संसाधन प्रकृति के साथ मिलकर विकसित करेंगे उसे हम भौतिक संपदा कहेंगे। उदाहरण के लिए-

1. संसाधनों के हिसाब से दुनिया के देश

संसाधनों (प्राकृतिक, मानवीय व भौतिक) की उपस्थिति के आधार पर सम्पूर्ण विश्व तीन क्षेत्रों में बँटा हुआ हैं-

(i) **अविकसित (प्राथमिक):** जब उपरोक्त में से कोई या एक या सभी संसाधन पर्याप्त मात्रा में न हो तो स्वाभावत: वहाँ पर उत्पादन नहीं होगा। जैसे- रेगिस्तान व ध्रुवीय क्षेत्र।

(ii) **अल्पविकसित (द्वितीयक):** जहाँ संसाधन संपन्नता तो हो लेकिन कतिपय कारणों से संसाधनों का पूर्ण उपयोग न हो पा रहा हो।

(iii) **विकसित (तृतीयक):** प्रभूत संसाधन, पूर्ण उपयोग।

2. विकासात्मक लहजे में विश्व के देश:

1. अविकसित देश

- न्यून विकास।
- विकासशील अर्थव्यवस्था जो कृषि पर आधारित हो।
- संसार की गन्दी गलियों वाले देश।
- अति पिछड़े देश, तृतीय विश्व के देश।
- इन देशों की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी समाजवादी या मिश्रित कुछ भी हो सकती है।

2. अल्पविकसित देश:

- उपरोक्त से ऊपर उठी हुई स्थिति।
- व्यापक व स्थायी निर्धनता का वातावरण।
- प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग न हो पाना।
- 1950 से अब तक प्रतिव्यक्ति आय में न्यूनतम वृद्धि।
- भारत, बंग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे देश।

3. विकसित देश:

- प्रभावशाली विकास सभी क्षेत्रों में।
- स्पष्ट एवं व्यापक विकास।
- 1950 से अब तक प्रतिव्यक्ति आय में अधिकतम वृद्धि जैसे- USA, फ्रांस व जापान।

आर्थिक प्रणालियां (Economic Systems)

1. पूंजीवादी अर्थव्यवस्था (Capitalist Economy)
2. समाजवादी अर्थव्यवस्था (Socialist Economy)
3. मिश्रित अर्थव्यवस्था (Mixed Economy)

पूंजीवादी अर्थव्यवस्था (Capitalist Economy)

पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के समस्त महत्वपूर्ण संसाधनों का स्वामित्व, संचालन एवं नियंत्रण निजी उद्योगपतियों के अधिकार में होता है। इसे बाजार प्रणाली (Market System) अथवा स्वतंत्र व्यापार प्रणाली (Laissez Faire System) भी कहा जाता है। यह व्यवस्था इस सोच पर आधारित है कि उत्पादन अथवा बाजार की समस्त शक्तियां अपने लाभ को अधिकतम बढ़ाने का प्रयास करें तो सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था उच्चतम् को प्राप्त कर लेगी।

इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों में निजी उद्यम पाया जाता है और बाजारी शक्तियों द्वारा ही इस बात का निर्धारण होता है कि बाजार में किन-किन कीमतों पर बेचा और खरीदा जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, जापान और यूनाइटेड किंगडम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण है।

पूंजीवाद की विशेषताएं-

1. निजी संपत्ति का अधिकार
2. मुक्त व्यापार एवं हस्तक्षेप न करने की नीति
3. व्यक्तिगत हित सर्वोपरि
4. केंद्रीय नियोजन का अभाव
5. उपभोक्ता की प्रभुसत्ता
6. व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता
7. बचत एवं विनियोग संबंधी फैसलों की स्वतंत्रता
8. प्रतियोगिता की उपस्थिति

समाजवादी अर्थव्यवस्था

(Socialist Economy)

समाजवादी, साम्यवादी समाज में पहुंचने की पूर्व अवस्था है। समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों में सार्वजनिक उद्यम पाया जाता है अथवा उत्पादक क्रियाओं के लगभग सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पूंजी पर राज्य का स्वामित्व और नियंत्रण रहता है। इस प्रकार से समाजवादी अर्थव्यवस्था मे उत्पादन के साधनों में निजी संपत्ति नहीं होती और ये अर्थव्यवस्थाएं उत्पादन और वितरण के सरकारी नियोजन निर्भर करती है।

समाजवाद की विशेषताएं-

1. उत्पत्ति के साधनों पर सामूहिक एवं सामाजिक स्वामित्व
2. उत्पादन एवं वितरण क्रियाएं राज्य द्वारा सम्पादित
3. निजी संपत्ति का अति सीमित अथवा नगण्य अधिकार
4. एक केंद्रीयकृत नियोजन सत्ता
5. आर्थिक नियोजन एक अनिवार्यता
6. कीमत संयंत्र की गौण भूमिका
7. आर्थिक समानता (समान काम के लिए समान मजदूरी)
8. शोषण का अंत
9. प्रतियोगिता का अंत
10. अनार्जित आय का अंत

मिश्रित अर्थव्यवस्था

(Mixed Economy)

मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ एक ऐसी अर्थव्यवस्था से है, जिसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व होता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था मे इस महत्वपूर्ण उद्यमों, अर्थात् फर्मों व व्यवसायों पर समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरह ही राज्य का स्वामित्व होता है। जबकि अन्य उद्यमों पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरह निजी स्वामित्व ही होता है।

इस तरह से मिश्रित अर्थव्यवस्था मे आर्थिक क्रियाओं का संचालन, सार्वजनिक क्षेत्र (च्नइसपब ैमबजवत) और निजी क्षेत्र (च्तप. अंजम ैमबजवत) के अंतर्गत होता है। सार्वजनिक क्षेत्र का अर्थ उस क्षेत्र से है जहां संसाधनों का स्वामित्व सरकार के हाथों में होता है और उनको प्रयोग में लाने के लिए आवश्यक प्रबंध कार्य सरकार स्वयं करती है। इस क्षेत्र मे मूलतः सार्वजनिक हित या कल्याण को ध्यान मे रखकर आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है जबकि निजी क्षेत्र के हाथों में अथवा अंशधारियों के रूप में व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। इस क्षेत्र में आर्थिक क्रियाओं का संचालन मुख्य रूप में निजी क्षेत्र के लिए बाजार तंत्र के आधार पर होता है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था मे क्या, कैसे और किसके लिए के बारे में फैसला आंशिक रूप से बाजार द्वारा और आंशिक रूप से राज्य या अन्य प्राधिकरण द्वारा किये जाते है।

मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं-

1. निजी एवं सामाजिक क्षेत्र का सह-अस्तित्व
2. लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था
3. आर्थिक नियोजन
4. आर्थिक स्वतंत्रता
5. कीमत संयंत्र संचालन पर नियंत्रण एवं इसका संचालन सरकार द्वारा सामाजिक हित की दृष्टि से
6. साधनों का आवंटन लाभ उद्देश्य के आधार पर
7. आर्थिक समानता एवं सामाजिक न्याय
8. सामाजिक सुरक्षा

अर्थव्यवस्था के प्रकार

विकास की विभिन्न अवस्था के आधार पर विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को निम्नलिखित तीन श्रेणी में विभक्त किया जाता है-

1. विकसित अर्थव्यवस्था
2. विकासशील अर्थव्यवस्था
3. अल्प विकसित अर्थव्यवस्था

विकसित अर्थव्यवस्था

(Developed Economy)

वह अर्थव्यवस्था जहां प्राकृतिक, मानवीय एवं भौतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा मे मौजूद हो, साथ ही अपने बूते पर संबंधित क्षेत्र मे उनका समुचित दोहन हो रहा हो। स्पष्ट है, विकसित देशों में राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय अधिक और निर्धनता कम होती है। इसके अतिरिक्त मानव विकास सूचकांक (HDI) एवं निर्यात में भी अधिकता आवश्यक है। इस प्रकार की, अर्थव्यवस्था वाले देश आर्थिक रूप से संपन्न है जिनमें एक आधुनिक औद्योगिक समाज की सामान्य विशेषताएं पाई जाती है। विकसित अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण है- जनसंख्या में न्यून या शून्य वृद्धि दर, उच्च जीवन स्तर, सकल घरेलू उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान सुदृढ़ औद्योगिक ढांचा, उच्च जीवन स्तर, पूंजी की पर्याप्तता आदि।

इस अर्थव्यवस्था वाले प्रमुख देश है- संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, जापान, इटली आदि।

विकासशील अर्थव्यवस्था

(Developing Economy)

ऐसी अर्थव्यवस्था जहां प्राकृतिक, मानवीय एवं भौतिक संसाधन तो पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध हो किंतु संबंधित क्षेत्र अथवा देश अपने बूते पर उनका दोहन करने मे सक्षम न हो। इस तरह के क्षेत्र अथवा देश में प्रति व्यक्ति आय कम और निर्धनता अधिक होती है। एक विकासशील अर्थव्यवस्था में आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र यद्यपि छोटा होता है किंतु उसका आकार लगातार विस्तृत होता रहता है और परंपरागत कृषि अथवा ग्रामीण क्षेत्र लगातार संकुचित होता जाता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था मे आर्थिक परिवर्तनों से इस बात का अवश्य संकेत मिलने लगता है कि देश में विकास हो रहा है। एक विकासशील अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं है- प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि, बचत और निवेश का ऊपर, वर्धमान उत्पादन और उत्पादिता, आधार भूत ढांचे में सुधार, जन्मदर व मृत्युदर में गिरावट आदि।

इस श्रेणी के देशों को 'तीसरी दुनिया का देश' भी कहा गया है। दुनिया मे इस तरह के प्रमुख देश है- भारत, चीन, ब्राजील, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका आदि।

अल्पविकसित अर्थव्यवस्था

(Under-Developed Economy)

आमतौर पर अल्पविकसित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए अथवा गरीब देश की अर्थव्यवस्था से है। अल्पविकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो अथवा कृषि क्षेत्र, आधुनिक तकनीक के बारे में काफी कम जानकारी पाई जाती है। बायर तथा यामे के अनुसार अल्पविकसित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य उन देशों तथा क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था से है जिनमें प्रतिव्यक्ति आय और पूंजी का स्तर उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया के स्तर की तुलना में नीचा है। इस प्रकार के अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण है- निम्न प्रति व्यक्ति आय, निम्न जीवन स्तर, कृषि की प्रधानता, पूंजी का अभाव, अल्प प्रयुक्त प्राकृतिक संसाधन, कमजोर औद्योगिक ढांचा, सेवा क्षेत्र का पिछड़ापन, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर, अल्प रोजगार, प्रच्छन्न बेरोजगारी तथा पिछड़ा आर्थिक और सामाजिक ढांचा आदि।

अल्पविकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं-

1. प्रतिव्यक्ति निम्न आय
2. बचत और निवेश का निम्न आकार
3. कृषि जीविका का मुख्य स्रोत
4. व्यापक स्तर पर बेरोजगारी
5. पिछड़ी हुई तकनीक का उपयोग
6. कृषि वस्तुओं के निर्यात के प्रति भेदभाव
7. उत्पादन के आदिम और आधुनिक तकनीकों का सह-अस्तित्व
8. वितरण मे असमानता
9. औद्योगिक पिछड़ापन
10. जनसंख्या का बढ़ता बोझ

भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था

भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसी विशेषताएं है जिनसे यह बोध होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। ये विशेषताएं निम्नलिखित है-

गरीबी व सकल राष्ट्रीय आय में कमी :

विश्व विकास रिपोर्ट 2012 के अनुसार वर्ष 2010 में भारत की सकल राष्ट्रीय आय 1566 विलियन डॉलर थी इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2010 में भारत के प्रति व्यक्ति आय 1340 डालर थी। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान आदि विकसित देशों की तुलना में यह काफी कम है। सकल राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय की यह कमी देश में व्यापक गरीबी और निम्न जीवन स्तर की वाहक है।

विकासशील देशों में व्यय की दिशा भी पूंजीगत न होकर ज्यादातर खाद्यान्न एवं नाशवीन वस्तुओं की ओर होती है। भारत में लगभग यही स्थिति पायी जाती है। उपभोग की इस दिशा में भी

जनसंख्या का एक बहुत छोटा स्तर ही पोषणायुक्त उपभोग का वहन करता है। इसके सूचकांक के रूप में हम निम्न तथ्यों को देख सकते है-

- खाद्यान्न एवं इनके विकल्पों की ओर अधिक झुकाव।
- पिछले पांच दशकों में दूध तथा इसके उत्पाद, मांस, अंडे एवं मछली जैसी पोषणयुक्त खाद्यों के उपभोग में कमी।
- फल एवं सब्जियों पर व्यय का बेहद छोटा हिस्सा रखना।

प्रति व्यक्ति तेल उपभोग भी भारतीय जीवन स्तर को स्पष्ट करने का सूचक है। हाल के एक सर्वेक्षण में पता चला है भारत ऐसे देशों मे नीचे के स्थानों पर है जहां कोई विदेशी निवास करने को प्राथमिकता देता है।

बावजूद इसके हाल के दिनों में भारत ने विकास मे जो तेजी अपनायी है उसे काफी शुभ लक्षण माना जा रहा है। शायद यही कारण है कि भारत को अल्पविकसित देश की संज्ञा देने वाले भी अब स्वीकार करने लगे है कि भारत तेजी से विकसित हो रहा है। यहां 80 के दशक में तीव्र आर्थिक विकास हुआ जो विश्व के तमाम विकसित देशों से भी अधिक दर्ज किया गया। 1980 से 2010 के मध्य भारत में 6.2% की विकास दर प्राप्त की जबकि इस दौरान विश्व में समग्र रूप से मात्र 3.3% विकास दर दर्ज की गयी। इस विकास दर के कारण ही वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में भारत की भागीदारी 2010 में 5.5% हो गयी।

आय का असमान वितरण :

भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना में 'समाजवादी समाज' की स्थापना का लक्ष्य स्वीकार करने के बाद भी आय और संपत्ति का वितरण असमान और अन्यायपूर्ण है। विश्व बैंक की रिपोर्ट से पता चलता है कि 20% धनी व्यक्तियों के हाथ मे कुल आय का 42.6% नियंत्रण है, जबकि नीचे से गरीब 20% लोगों के हाथ मे सिर्फ 8.5%।

कृषि पर अधिक निर्भरता :

भारतीय कृषि अपने क्षेत्र में कुल जनसंख्या के 52% से अधिक हिस्से को रोजगार प्रदान करती है। दूसरी तरफ भारत में सकल घरेलू उत्पाद (ळक्च्) में 2012-13 कृषि का योगदान सिर्फ 13.68% है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के गैर औद्योगीकृत होने का प्रमाण है। औद्योगिक एवं तृतीयक क्षेत्र के विकास के उपरांत भी यह अनुपात अधिक नहीं बढ़ा।

जनाधिक्य की स्थिति :

भारतीय अर्थव्यवस्था जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में प्रवेश कर चुकी है। भारत का क्षेत्रफल विश्व में जहां 2.4% है, वहीं इसकी जनसंख्या वैश्विक जनसंख्या की 17.5 फीसदी है। भारत में 1941-71 की अवधि मे जन्मदर लगभग स्थिर रही, जैसे 1941-51 में 41.2 प्रति हजार। 70 के दशक के अंत में जन्म दर में परिवर्तन होने लगा जो कि आज 22.1 प्रति हजार तक गिर चुका है। दूसरी ओर वार्षिक मृत्यु दर में लगातार गिरावट आयी है। 1941-51 के दौरान यह 27.4 प्रति हजार थी किंतु 2010 तक आते-आते यह दर 7.2 प्रति हजार जनसंख्या हो चुकी है। इसका परिणाम भारतीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के रूप में सामने है। वर्ष 2001-2011 के बीच भारतीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि 17.64 प्रतिशत रही है। शून्य प्रतिशत की वृद्धि रखने वाले देशों जैसे-पुर्तगाल, जर्मनी तथा इंग्लैंड के अलावा अन्य औद्योगिक देशों जिनकी वृद्धि दर 0-1 प्रतिशत है, इनकी अपेक्षा भारतीय जनसंख्या वृद्धि काफी अधिक है।

पूंजी का अभाव : आर्थिक विकास की गति तीव्र करने मे पूंजी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अन्य विकासशील देशों की भांति भारत में पूंजी निर्माण की दर काफी नीची है। गरीबी के कारण बहुत से लोगों में बचत करने की लगभग कोई शक्ति नहीं है। भारत जैसे देश को मूल्य ह्रास की पूर्ति और पूर्ववत जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए 15 प्रतिशत तक पूंजी निर्माण की आवश्यकता है, जबकि आज भारत के सकल पूंजी निर्माण में 11.5 प्रतिशत की ही वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है।

बेरोजगारी तथा अल्परोजगार : विकासशील देशों में पूंजी के अभाव के कारण बेरोजगारी का स्वरूप संरचनात्मक होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र मे कार्यरत जनसंख्या वास्तविक आवश्यकता से बहुत अधिक है जिसके कारण कृषि में श्रम का सीमांत उत्पादन नगण्य शून्य अथवा नकारात्मक है। अत: कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी पायी जाती है। वित्त वर्ष 2009-10 के वार्षिक सर्वे के मुताबिक भारत में बेरोजगारी की दर 9.4 फीसदी थी, जबकि 2004-05 के राष्ट्रीय सैम्पल सर्वे मे यह आंकड़ा सिर्फ 28 फीसदी मौजूद था। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में रोजगार के 58 मिलियन लोगों को अवसर के सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। राष्ट्रीय सैम्पल सर्वे संगठन के पंचवार्षिक सर्वेक्षण में 2004-05 और 2009-10 के बीच चालू दैनिक प्रास्थिति (सीडीएस) के अंतर्गत रोजगार के 18 मिलियन अवसरों के बढ़ोत्तरी होने की खबर है। बावजूद इसके, समग्र श्रम शक्ति में केवल 11.7 मिलियन की ही वृद्धि हुई।

प्रौद्योगिक पिछड़ापन : प्रौद्योगिक पिछड़ापन या उत्पादन तकनीक का निम्न स्तर भी अल्प विकास की महत्वपूर्ण विशेषता है। वैसे तो भारत में भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में आधुनिक उत्पादन तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन समग्र रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था के उत्पादन प्रणाली में अभी भी तकनीकी पिछड़ापन बना हुआ है।

पुरानी सामाजिक संस्थाएं : भारतीय अर्थ व्यवस्था में पुरानी एवं असामयिक सामाजिक संस्थाओं का स्पष्ट प्रभाव है। जाति प्रथा, संयुक्त परिवार उत्तराधिकार के नियम आदि से भारतीयों के आर्थिक विकास में वाधाएं उत्पन्न हुई है। जाति प्रथा और संयुक्त परिवार ने श्रमिकों की गतिशीलता को कम किया है। आर्थिक शक्तियों के केंद्रीकरण तथा भूमियों के विभाजन एवं अपखंडन में उत्तराधिकार के नियम का भी महत्वपूर्ण भूमिका है।

बचत और निवेश का ऊपर उठना- बचत और निवेश अर्थात् पूंजी निर्माण में वृद्धि भी विकास का महत्वपूर्ण सूचक है। इस दृष्टि से भी भारतीय अर्थव्यवस्था में, वर्तमान समय में विकासशील स्वरूप की झलक मिलती है। आयोजन-काल के प्रारंभ से पूंजी-निर्माण की दर बढ़ रही है। उदाहरण के लिए, योजना काल में शुद्ध घरेलू बचत एवं शुद्ध विनियोजन दोनों में निरंतर वृद्धि हुई है। 1950-51 में भारत में चालू कीमतों पर सकल घरेलू पूंजी निर्माण दर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 10.2 प्रतिशत थी जो 1999-2000 में बढ़कर 23.3 प्रतिशत हो गई।

उत्पादन एवं उत्पादिता में सुधार- उत्पादन एवं उत्पादिता में उत्तरोत्तर वृद्धि भी विकास का एक अन्य सूचक है। भारत के नियोतित विकास काल मे अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र के उत्पादन में पर्याप्त विकास हुआ है। इस अवधि मे कृषि का उत्पादन भी वृद्धि लोहा, इस्पात, भारी इन्जीनियरिंग आदि आधारभूत उद्योगों का तीव्र विकास हुआ है।

विकसित राष्ट्र की ओर भारत

भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2011 में क्रय शक्ति तुल्यता यानी परचेजिंग पावर पैरिटी (Purchasing Power Parity - PPP) के मामले में भारत, जापान से आगे निकल गया है। आलोच्य वर्ष में भारत का जीडीपी, पीपीपी के आधार पर 4.46 ट्रिलियन डॉलर था जबकि जापान का 4.4 ट्रिलियन डॉलर था। इस आधार पर भारत अमेरिका व चीन के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई।

- पीपीपी के आधार पर, जो कि विभिन्न देशों में उपभोक्ता मूल्यों का सापेक्षित मापन है, विश्व सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2011 में भारत की हिस्सेदारी जापान की 5.63 प्रतिशत की तुलना में 5.65 प्रतिशत हो गई और वर्ष 2017 तक इस अंतराल में व्यापक बढ़ोत्तरी का अनुमान आईएमएफ ने लगाया है।
- आईएमएफ के अनुसार अगले पांच वर्षों में विश्व जीडीपी में पीपीपी के आधार पर भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 8.09 प्रतिशत ही जायेगी जबकि जापान की हिस्सेदारी घटकर 4.8 प्रतिशत ही रह जायेगी।
- हालांकि प्रतिव्यक्ति जीडीपी के मामले में भारत, जापान से अभी भी काफी पीछे है। जापान का प्रतिव्यक्ति जीडीपी (पीपीपी के आधार पर) 34740 डॉलर है जबकि पीपीपी पर आधारित भारत का प्रतिव्यति जीडीपी महज 3694 रूपये है।
- पीपीपी प्रणाली के तहत विभिन्न देशों में समान वस्तुओं व सेवाओं की खरीद के लिए आवश्यक मुद्रा की तुलना की जाती है और फिर इसका प्रयोग करते हुए प्रत्यक्ष विनिमय दर की गणना की जाती है।

धन प्रेषण में भारत सबसे आगे

विश्व बैंक द्वारा जारी 'प्रवास व विकास' (Migration and Development) नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011 में भारत ने अपने प्रवासियों से कुल 63.66 अरब डॉलर का धन प्राप्त (Remittance) किया। वर्ष 2010 में यह राशि 54.03 अरब डॉलर थी जो कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत था। रेमिटैंस के मामले में भारत विश्व में पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर चीन है जिसने विश्व भर मे फैले अपने डायस्पोरा से 62.5 अरब डॉलर की राशि प्राप्त की।

विश्व बैंक के अनुसार कमजोर रूपया, खाड़ी सहयोग परिषद् के देशों, जोकि हाल में भारतीय प्रवासियों के लिए मुख्य आकर्षक देशों में रहा है, में समृद्ध आर्थिक गतिविधियां भारत में रेमिटैंस की बढ़ोत्तरी के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है।

विश्व बैंक के मुताबिक वर्ष 2012 में विकासशील देशों में रेमिटैंस 372 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है जो कि वर्ष 2011 में 351 अरब डॉलर का था।

बढ़ता विदेशी व्यापार

31 मार्च का समाप्त वित्त वर्ष 2011-12 में देश का निर्यात कारोबार एक सरल पहले के मुकाबले 21 प्रतिशत बढ़कर 300 अरब डॉलर के पार निकलकर 303.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया। आयात कारोबार में इससे भी ज्यादा 32.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और यह 488.6 अरब डॉलर हो गया है।

विकसित राष्ट्र बनाने की योजनाः

आधारभूत ढांचे का विकास : स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत ढांचे का पर्याप्त रूप से विकास हो रहा है। बैंक एवं बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, सड़क एवं रेल परिवहन का विस्तार, कृषि का यंत्रीकरण एवं हरित क्रांति, ग्रामीण विद्युतीकरण, औद्योगिक विकास एवं सामाजिक सेवाओं का विस्तार, आदि अनेक विकासोन्मुखी घटक है जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था विकास की ओर उन्मुख है।

सामाजिक उपरिव्यय पूंजी का विस्तार : सामाजिक उपरिव्यय पूंजी में परिवहन के साधन, सिंचाई सुविधाएं, ऊर्जा का उत्पादन करने वाली इकाइयां, शिक्षण संस्थाएं तथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाएं आती है। इनके विकास से संवृद्धि और मुनष्य के अच्छे ढंग से रहन-सहन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनती है। आयोजना काल के पिछले 51 वर्षों में परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा तथा सिंचाई आदि क्षेत्रों में विकास हो रहा है।

बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं का विस्तार : आयोजना काल में भारत के बैंकिंग एवं वित्तीय ढांचे में अनेक प्रगतिशील परिवर्तन हुए है। देश के मुद्रा एवं पूंजी बाजार के संगठन में सुध ार हुआ है, औद्योगिक वित्त की विशिष्ट संस्थाओं की स्थापना हुई है, बैंकिंग सेवाओं का विस्तार हुआ है और आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था के गांवों में पहुंचने से ग्रामीण बचत और निवेश को बढ़ावा मिला है।

विकासशील अर्थव्यवस्था के सूचक माने जाने वाले इन उल्लेखित तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यद्यपि भारतीय अर्थव्यवस्था आज भी पिछड़ी है लेकिन यह एक विकासशील अर्थव्यवस्था है जहां आर्थिक विकास के समन्वित एवं योजनाबद्ध प्रयास जारी है।

इंडिया विजन-2020

.आने वाले दो दशकों में अर्थव्यवस्था की प्रगति का पूर्वाकलन करने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज 'इंडिया विजन-2020' योजना आयोग ने 23 जनवरी, 2003 को जारी किया। दस्तावेज के अनुसार वर्ष 2020 तक 9 प्रतिशत की वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने के साथ-साथ बेरोजगारी, निरक्षरता व निर्धनता उन्मूलन तथा प्रति व्यक्ति आय के चार गुना हो जाने की आशा है।

वर्ष 2020 तक देश की 1.35 अरब जनसंख्या बेहतर पोषित, अच्छे रहन-सहन के स्तर वाली, अधिक शिक्षित व स्वस्थ तथा अधिक औसत आयु वाली होगी। निरक्षरता व प्रमुख संक्रामक रोगों का तब तक अंत हो चुका होगा तथा 6-14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का स्कूली पंजीकरण लगभग शत-प्रतिशत होगा। योजना आयोग के सदस्य श्यामा प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में विशेषज्ञों द्वारा तैयार 97 पृष्ठों के इस इस्तावेज में यह बताने का प्रयास किया गया है कि दो दशक बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या हो सकती है।

इंडिया विजन-2020 के महत्वपूर्ण लक्ष्य

क्र. सं.	विकास के सूचक	2000-2001 की स्थिति	2020 की संभावना
1.	गरीबी रेखा से नीचे की आबादी (प्रतिशत में)	26 प्रतिशत	13 प्रतिशत
2.	बेरोजगारी की दर	7.3 प्रतिशत	6.8 प्रतिशत
3.	कृषि में रोजगार	56 प्रतिशत	40 प्रतिशत
4.	वयस्क पुरूष साक्षरता	68 प्रतिशत	96 प्रतिशत
5.	वयस्क महिला साक्षरता	44 प्रतिशत	94 प्रतिशत
6.	प्राथमिक विद्यालयों में दाखिला	77.2 प्रतिशत	99.9 प्रतिशत
7.	शिक्षा पर खर्च (सकल राष्ट्रीय उत्पाद का प्रतिशत)	3.2 प्रतिशत	4.9 प्रतिशत
8.	जीवन प्रत्याशा (जन्म के समय)	64 वर्ष	69 वर्ष
9.	5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में कुपोषण	45 प्रतिशत	8 प्रतिशत
10.	स्वास्थ्य पर खर्च (सकल राष्ट्रीय उत्पाद का प्रतिशत)	0.8	3.4
11.	प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत (किलोग्राम तेल के समतुल्य)	486.0	2002.0
12.	बिजली खपत (किलोवाट प्रति घंटे)	384.0	2460.0
13.	टेलीफोन (प्रति हजार आबादी पर)	34.0	203.0
14.	व्यक्तिगत कम्प्यूटर (प्रति हजार पर)	3.3	52.3
15.	अनुसंधान व विकास मे लगे वैज्ञानिक व इंजीनियरों की संख्या (प्रति एक लाख आबादी में)	149.0	590.0
16.	वार्षिक दर (जीडीपी का प्रतिशत)	4.4 प्रतिशत	9.0 प्रतिशत

Add. 41-42A, Ashok Park Main, New Rohtak Road, New Delhi-110035
+91-9350679141

17.	सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिशत		
	हिस्सा - v - कृषि	28.0 प्रतिशत	6.0 प्रतिशत
	- c - उद्योग	26.0 प्रतिशत	34.0 प्रतिशत
	- l - सेवा क्षेत्र	46.0 प्रतिशत	60.0 प्रतिशत
18.	कुल पूंजी निर्माण मे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का हिस्सा	2.1 प्रतिशत	24.5 प्रतिशत
19.	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म)	71.0 प्रतिशत	22.5 प्रतिशत
20.	कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत	25.5 प्रतिशत	40.0 प्रतिशत

भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था : मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण उद्यमों, अर्थात् फर्मों व व्यवसायों पर समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं की तरह ही राज्य का स्वामित्व होता है। जबकि अन्य उद्यमों पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरह ही निजी स्वामित्व होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का संचालन मुख्य रूप से दो क्षेत्रों के अंतर्गत होता है- सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र का आशय उस क्षेत्र से है, जहां संसाधनों का स्वामित्व राज्य के हाथ में होता है और उसके प्रबंध कार्य सरकार स्वयं करती है। इस क्षेत्र में मूलतः सार्वजनिक हित या कल्याण को ध्यान में रखकर आर्थिक क्रियाओं का संचालन होता है। इसके विपरीत निजी क्षेत्र में संसाधन लोगों के निजी स्वामित्व में होते है और संसाधनों का प्रयोग उनके निजी प्रबंध अथवा देख-रेख में होता है और आर्थिक क्रियाओं का संचालन मुख्य रूप से निजी लाभ के लिए बाजार तंत्र के आधार पर होता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की मौजूदगी और आर्थिक नियोजन की व्यवस्था के कारण ही यहां की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। भारत में रेल, जहाज, डाक-तार, टेलीफोन, ऊर्जा, बैंक, बीमा, अनेक आधार भूत उद्योग से संबंधित आर्थिक क्रियायें सार्वजनिक क्षेत्र मे चलाई जा रही है। आर्थिक नियोजन भी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में प्राय उन अनेक क्षेत्र के लिए लक्ष्य निर्धारित किये जाते है जिन पर सरकार का विशेष नियंत्रण नहीं होता। जैसे संपूर्ण कृषि निजी क्षेत्र में है। सरकार अधिक से अधिक सिंचाई के साधन, उर्वरक, अच्छी किस्म के बीज तथा साख की व्यवस्था कर और कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमतें निर्धारित कर कृषि उत्पादन को प्रोत्साहन दे सकती है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में दूसरी ओर खेती, लघु और कुटीर उद्योग, अधिकांश व्यापार, अनेक बड़े पैमाने के उद्योग, विशेष रूप से उपभोग-वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित उद्यम आदि निजी क्षेत्र मे शामिल है। भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था की एक विशेषता यह भी है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ उद्यम ठीक वैसी ही वस्तुओं को उत्पादन करती है जिनका उत्पादन निजी क्षेत्र की कुछ उद्यम द्वारा भी किया जाता है। उदाहरण के लिए, भारतीय इस्पात उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र की फर्में (जैसे- हिन्दुस्तान स्टील) और निजी उद्यम (जैसे-टाटा स्टील) साथ-साथ पाये जाते है।

भारत के मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नही है। देश की सुरक्षा एवं समुचित आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए निजी क्षेत्र पर सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न प्रकार के नियंत्रण लगाये जाते है और बाजार तंत्र का नियमन किया जाता है। वर्तमान में उदारीकरण एवं भूमंडलीकरण नीति के अंतर्गत निजी क्षेत्र पर लगे नियंत्रण और उसके नियमन के नियम को काफी उदार कर दिया गया है, ताकि निजी क्षेत्र अनेपक्षाकृत स्वतंत्र बाजार तंत्र के सहारे अपना कार्य भली प्रकार चला सके।

अर्थव्यवस्था की गति

क्षेत्र	**2011-12**	**2012-13**
कृषि	2.8	0.5
खनन	-0.9	4.4
मैन्यूफक्चरिंग	2.5	4.5
बिजली	7.9	8.0
कंस्ट्रक्शन	5.3	6.5
व्यापार/होटल	9.9	9.3
वित्तीय सेवाएं	5.8	7.0
सामुदायिक सेवा	5.8	7.0
जीडीपी	6.5	6.7

(नोटः दर प्रतिशत में है। 2012-13 की दर अनुमानित)

पीएमईएसी के अनुमान

वित्त दर	2011-12	2012-13
विकास की दर	7.1	7.5-8.0
महंगाई की दर	6.5'	5.0-6.0
कृषि वृद्धि दर	3.0	3.6

सभी आंकड़े प्रतिशत में ' मार्च के अंत तक

वर्ष 2050 में भारत होगा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश : एक रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक भारत, चीन को पीछे छोड़ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। नाइट फ्रेंक एंड सिटर प्राइवेट बैंक की रिपोर्ट 'वेल्थ रिपोर्ट 2012' में यह निष्कर्ष निकाला गया है। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2020 तक अमेरिका को पीछे छोड़ कर चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा जबकि 2050 तक भारत चीन को पीछे छोड़ कर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

रिपोर्ट में कहा गया है कि क्रय शक्ति अनुपात के हिसाब से 2050 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 85,970 अरब डॉलर की हो जाएगी। इस अवधि में चीन की जीडीपी 80020 अरब डॉलर की होगी। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी इस समय दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसकी जीडीपी 2050 तक 39,070 अरब डॉलर की होगी। इसमें कहा गया है कि दुनिया की दस शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में इन तीनों के बाद क्रमवार इंडोनेशिया, ब्राजील, नाइजीरिया, रूस, मेक्सिकों, जापान एवं मिस्र होंगें।

तीसरी तिमाही मे जीडीपी वृद्धि पर घटकर 6.1 प्रतिशत पर आई : रिजर्व बैंक की सख्ती और दुनिया के खराब हालात के बीच तीसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की दर घटकर 6.1 प्रतिशत पर आ गई। हालांकि वार्षिक आधार पर अभी भी यह दर सात प्रतिशत के आस-पास रहने का ही अनुमान है।

29 फरवरी, 2012 को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीने (अप्रैल-दिसंबर 2011-12) के दौरान जीडीपी वृद्धि दर 6.9 प्रतिशत रही है, जबकि बीते वित्त वर्ष की इसी अवधि मे यह 8.1 प्रतिशत थी।

31 दिसंबर, 2011 को समाप्त तिमाही के दौरान विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर घटकर मात्र 0.4 प्रतिशत रह गई जो बीते वर्ष की इसी तिमाही में 7.8 प्रतिशत थी। इसी तरह, समीक्षाधीन तिमाही मे कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर मात्र 2.7 प्रतिशत रही जो बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में 11 प्रतिशत थी। चालू वित्त वर्ष की तिमाही के दौरान खनन उत्पादन की वृद्धि दर घटकर 3.1 प्रतिशत पर आ गई जो बीते वित्त वर्ष की इसी अवधि में 6.1 प्रतिशत की थी। वहीं निर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर समीक्षाधीन तिमाही मे घटकर 7.2 प्रतिशत पर आ गई जो बीते वित्त वर्ष की इसी अवधि में 8.7 प्रतिशत थी। इसके अलावा, व्यापार, होटल, परिवहन और संचार खंड में वृद्धि दर 9.2 प्रतिश रही जो बीते वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 9.8 प्रतिशत थी।

हालांकि, बिजली, गैस और जलापूर्ति खंड की वृद्धि दर समीक्षाधीन तिमाही में बढ़कर 9 प्रतिशत रही जो बीते वित्त वर्ष की इसी अवधि में 3.8 प्रतिशत थी। बीमा और रीयल एस्टेट सहित सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर तीसरी तिमाही में घटकर 9.9 प्रतिशत पर आ गई जो बीते वित्त वर्ष की इसी अवधि में 11.2 प्रतिशत थी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) ने वर्ष 2011-12 के लिए 6.9 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान व्यक्त किया है। जबकि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने इस दौरान जीडीपी वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है।

चालू वित्त वर्ष 2011-12 मे विकास की दर 6.9 प्रतिशत रहने का अनुमान : सरकार ने 7 फरवरी, 2012 को चालू वित्त वर्ष के जीडीपी अनुमाान जारी किये। इनके अनुसार, इस वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था की रफ्तार 6.9 प्रतिशत रहने का अनुमान लगया गया है। बीते वित्त वर्ष में ये 84 प्रतिशत रही थी। वर्ष 2009-10 के बाद पहली बार जीडीपी की दर सात प्रतिशत के नीचे आई है। ग्लोबल अर्थव्यवस्था की नरमी और ऊंची ब्याज दरों के चलते वर्ष 2011-12 में विनिर्माण क्षेत्र विकास की दौड़ में बुरी तरह पिछड़ा। इसी तरह खनन क्षेत्र की रफ्तार तो शून्य से भी नीचे चली गई है। कृषि क्षेत्र की विकास दर पिछले साल के मुकाबले आधी से भी कम रह गयी है।

केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) के आंकड़ों के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की वृद्धि चालू वित्त वर्ष में घटकर 2.5 प्रतिशत रहेगी। इससे पूर्व वित्त वर्ष में यह सात प्रतिशत थी। विनिर्माण क्षेत्र की आर्थिक समीक्षा में सरकार ने विकास दर के अनुमान को घटाकर 7.5 प्रतिशत के करीब कर दिया था। वर्तमान अनुमान वर्ष 2011-12 के लिए 9 प्रतिशत के लक्ष्य से काफी कम है। सरकार ने पिछले वर्ष फरवरी में बजट से पूर्व समीक्षा में आर्थिक वृद्धि दर 9 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया था। सरकार ने माना है कि वर्तमान वित्त वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान विकास दर 7.3 प्रतिशत थी। खनन क्षेत्र के उत्पादन में 2. 2 प्रतिशत की गिरावट आने की आंशका है। पिछले वित्त वर्ष में इस क्षेत्र में पांच प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी थी। निर्माण क्षेत्र में वृद्धि दर भी घटकर 4.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वित्त, बीमा, रीयल स्टेट और व्यापार सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर कम रहेगी।

भारतीयों की औसत वार्षिक आय 60 हजार रूपये : चालू वर्ष वित्त वर्ष के दौरान हर भारतीय को औसतन पांच हजार रूपये की मासिक आमदनी हो रही है। दूसरे शब्दों में कहें तो देशवासियों की औसत वार्षिक आय 1200 डॉलर (लगभग 60 हजार रूपये) होगी। अगर सिर्फ सरकार के आंकडॠों पर ही भरोसा करें तो दिसंबर, 2010 के बाद से प्रति व्यक्ति आय में लगभग 45 प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के चालू वित्त वर्ष 2011-12 के लिए विकास दर वृद्धि दर भी इस वित्त में घटकर 3.9 प्रतिशत रहेन का अनुमान है। इससे

पिछले वित्त वर्ष 2010-11 में 7.6 प्रतिशत थी। रिजर्व बैंक ने पिछले महीने मौद्रिक नीति की तिमाही समीक्षा में विकास दर 7 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया था। वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने इस बात के संकेत दिये थे कि वृद्धि दर सात प्रतिशत से नीचे भी जा सकती है। मध्यावधि अनुमानों के अनुसार इस वर्ष प्रति व्यक्ति आय 60,972 रूपये वार्षिक हो सकती है। पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले यह 14.3 प्रतिशत अधिक है। इसमें वृद्धि की रफ्तार पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले कम है। ये आंकड़े स्पष्ट करते है कि जिस दर से अर्थव्यवस्था बढ़ती है, उससे दोगुनी रफ्तार से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। इस वर्ष विकास की दर से सुस्त होने से प्रति व्यक्ति आय पर भी सीधा असर पड़ेगा। अगर पूर्व लक्ष्य के अनुसार नौ प्रतिशत की विकास दर प्राप्त की जाती तो इस वर्ष भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय वार्षिक आय को किसी देश की सम्पन्नता का पैमाना माना जाता है। इस हिसाब से भारतीयों की आमदनी पिछले एक दशक में लगभग ढाई गुना बढ़ चुकी है। वर्ष 2002 में यह 469 डॉलर वार्षिक थी। बहरहाल, हाल के वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में काफी तेजी से वृद्धि होने के बावजूद दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले भारत का स्थान काफी नीचे है। वर्ष 2011 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत का स्थान 127वां था। भारतीय अर्थव्यवस्था की तुलना हमेशा में चीन से की जाती है, लेकिन औसत आय के मामले में चीन का हर व्यक्ति भारतीयों के मुकाबले लगभग सात गुना अधिक (7,518 डॉलर) वार्षिक कमाता है।

सेक्टर (तिमाही)	**2002-03 (तिमाही)**				**2011-12 (तिमाही)**				**2012-13**	
	पहली	**दूसरी**	**तीसरी**	**चौथी**	**पहली**	**दूसरी**	**तीसरी**	**चौथी**	**पहली**	**दूसरी**
कृषि एवं संबद्ध	2.7	-3.5	-7.6	-2.8	3.7	3.1	2.8	1.7	2.9	1.2
खनन	7.6	6.0	3.8	3.2	-0.2	-5.4	-2.8	4.3	0.1	1.9
मैन्युफैक्चरिंग	3.8	6.5	6.7	7.1	7.3	2.9	0.6	-0.3	0.2	0.8
बिजली, गैस एवं जलापूर्ति	4.4	4.0	5.0	2.4	8.0	9.8	9.0	4.9	6.3	3.4
कंस्ट्रक्शन	6.2	8.6	6.7	7.5	3.5	6.3	8.6	4.8	10.9	6.3
ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्यु.	6.9	8.1	7.2	8.8	13.8	9.5	10.0	7.0	4.0	5.5
फाइनेन्स, बीमा, रियल एस्टेट	6.7	7.0	6.3	4.4	9.4	9.9	9.1	10.0	10.8	9.4
सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं	6.9	7.8	4.6	7.2	3.2	6.1	6.4	7.1	7.9	7.5

वर्ष 2021 तक 2500 अरब डॉलर की होगी भारतीय अर्थव्यवस्था : देश का वास्तविक वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2021 तक बढ़कर 2500 अरब डॉलर पर पहुंच जायेगा। 8 फरवरी, 2012 को जारी एक अध्ययन में कहा गया है। कि बचत, निवेश और प्रति व्यक्ति आय काफी तेजी से बढ़ रही है। जिससे वास्तवित जीडीपी में वृद्धि होगी।

वर्तमान में देश का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 1000 अरब डॉलर है। उद्योग मंडल पीएचडीसीसीआई ने अपने अध्ययन 'भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि संभावनाएं: विजन-2012, ट्रिलियन डॉलर वृद्धि के अवसर, में कहा है कि देश की वास्तविक प्रति व्यक्ति के 2012 तक वर्तमान स्तर 900 डॉलर प्रति वर्ष से दोगुना होकर 1800 डॉलर पर पहुंचने का अनुमान है।'

इसमें कहा गया है कि अगले कुछ वर्षों में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की रफ्तार बढ़ने की संभावना है। पीएचडी की रिपोर्ट में कहा गया है कि वास्तविक जीडीपी की वृद्धि दर 2021 तक अलग दस वर्ष के दौरान 9.3 प्रतिशत होगी।

पीएजडी चैंबर के अध्यक्ष संदीप सोमानी ने कहा कि कुछ विकसित अर्थव्यवस्थाओं की रफ्तार घटने के अलावा घरेलू चुनौतियों जैसे ऊंची मुद्रास्फीति और ऊंची उधारी लागत से निकट भविष्य की रफ्तार प्रभावित होगी, इसके बावजूद विश्व आर्थिक तंत्र में भारत एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में होगा। अध्ययन में कहा गया है कि 2021 तक थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रा स्फीति की औसत दर 5 से 6 प्रतिशत के बीच रहेगी और वहीं सकल राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3 से 4 प्रतिशत रहेगी।

अंतिम तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर 5.3 प्रतिशत : वित्त वर्ष 2011-12 की चौथी तिमाही की आर्थिक विकास दर मात्र 5.3 प्रतिशत रही है और 2011-12 के पूरे वित्त वर्ष में भी देश की जीडीपी वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत ही रही है, जो पिछले नौ वर्ष में भारत की न्यूनतम आर्थिक विकास दर है। 31 मई, 2012 को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, समाप्त वित्त वर्ष (31 वर्ष, 2012) की आखिरी तिमाही में कारखाना क्षेत्र का उत्पादन एक

Add. 41-42A, Ashok Park Main, New Rohtak Road, New Delhi-110035
+91-9350679141

वर्ष पहले की तुलना में 0.3 प्रतिशत संकुचित हो गया।

आर्थिक विकास दर में गिरावट से ने सिर्फ रोजगार के अवसरों में कमी आएगी, बल्कि इससे महंगाई और बढ़ेगी, साथ ही, निवेश पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

रिपोर्ट / सर्वेक्षण / अनुमान

भारतीय अर्थव्यवस्था: वर्ष 2012-13 में 6.7 प्रतिशत विकास दर का अनुमान

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (पीएमईएसी) ने चालू वित्त वर्ष मे सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर कहीं ऊंची यानी 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। हालांकि इसके साथ ही पीएमईएसी का मानना है कि सरकार को कुछ कड़े सुधार मसलन डीजल कीमतों में वृद्धि खाद और एलपीजी सब्सिडी में कटौती तथा बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को लागू करने के अलावा कर नीतियों को भी ज्यादा स्पष्ट बनाना होगा।

पीएमईएसी का यह अनुमान अन्य शोध संस्थानों के अनुमानों से काफी अच्छा है और अर्थव्यवस्था की बेहतर तस्वीर पेश करता है। पीएमईएसी ने 2012-13 के लिए आर्थिक परिदृश्य मे कहा है कि मानसूनी बारिश की कमी से कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर घटकर 0.5 प्रतिशत रह जायेगी, जिससे महंगाई पर दबाव बनेगा। महंगाई की दर 6.5 से 7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। पिछले वित्त वर्ष मे कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 2.8 प्रतिशत थी।

परिषद के अध्यक्ष सी रंगराजन ने 17 अगस्त, 2012 'आर्थिक परिदृश्य 2012-13 जारी करते हुए कहा' 2012-13 में आर्थिक वृद्धि दर 6.7 प्रतिशत रहेगी।

रिपोर्ट की खास बातें : मुद्रास्फीति के 6.5 से 7 प्रतिशत रहने का अनुमान, कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर घटकर 0.5 प्रतिशत रहेगी, विनिर्माण क्षेत्र 4.5 प्रतिशत की दर से बढ़ेगा, खनन क्षेत्र की वृद्धि दर 44 प्रतिशत रहेगी, बिजली उत्पादन की औसत वृद्धि 8 प्रतिशत रहेगी, निर्माण और सेवा क्षेत्रों में होगा सुधार, अमेरिका यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था मे सुस्ती का असर भारत पर भी पड़ेगा, चालू खो का घाटा जीडीपी का 3.6 प्रतिशत यानी 67.1 अरब डॉलर रहेगा, पूजी का प्रवाह 73.2 अरब डॉलर यानी जीडीपी का 3.9 प्रतिशत रहेगा, कर सुधारों के क्षेत्र मे वस्तु एवं सेवा कर काफी महत्वपूर्ण, बहुत ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई की मंजूरी मिले, विदेशी एयरलाइंस को घरेलू विमानन कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति मिले, डीजल के दाम में वृद्धि को प्राथमिकता दी जायें।

मूडीज ने वृद्धि दर का अनुमान घटाया : साख निर्धारण करने वाली संस्था मूडीज ने वर्ष 2012 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का अनुमान घटाकर 5.5 प्रतिशत कर दिया है।

मूडीज ने अगस्त, 2012 में जारी अपने रिपोर्ट में कहा है कि चौतरफा मंदी के बावजूद सरकार अथवा रिजर्व बैंक कदम नहीं उठा रहा है। इसके अलावा कमजोर मानसून भी असर डालेगा। साख निर्धारण करने वाली एक अन्य संस्था पहले ही जीडीपी अनुमान को एक प्रतिशत घटाकर 5.5 प्रतिशत कर चुकी है। सिटीग्रुप और सीएलएसए ने भी भारत का चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी अनुमान घटाकर क्रमश: 5.4 और 5.5 प्रतिशत कर दिया है। इसका असर अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर गहरा रहा है। मूडीज ने 2013 के लिए भी जीडीपी का अनुमान 6.2 प्रतिशत से घटाकर छ: प्रतिशत कर दिया है।

क्रिसिल ने वृद्धि दर का अनुमान घटाया : अगस्त, 2012 में रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने चालू वित्त वर्ष के लिए देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 5.5 प्रतिशत कर दिया है। वारिश की कमी तथा खराब होते वैश्विक हालात के मद्देनजर रेटिंग एजेंसी ने आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाया है। जून, 2012 में क्रिसिल ने वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था।

सिटी और सीएलएसए ने भी वृद्धि दर का अनुमान घटाया : विभिन्न संस्थानों के बाद अब अमेरिका के प्रमुख बैंक सिटी तथा वैश्विक ब्रोकरेज इकाई सीएलएसए ने भी अगस्त, 2012 में जारी अपने रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को कम कर दिया। सिटी ने आर्थिक वृद्धि दर 5.4 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है वहीं सीएलएसए ने जीडीपी वृद्धि दर 5.5 प्रतिशत रहने की बात कही है।

सिटी की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार को आर्थिक वृद्धि में गिरावट रोकने के लिए और कदम उठाने की जरूरत है। बैंक ने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए वह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि करके अनुमान को 6.4 से घटाकर 5.4 कर रहा है। रिपोर्ट तैयार करने वाली सिटी इंडिया की मुख्य अर्थशास्त्री रोहिनी मल्कानी ने कहा कि गर सूखे की स्थिति बदतर हुई तो आर्थिक वृद्धि घटाकर 4.9 तक जा सकती है।

इस बीच वैश्विक ब्रोकरेज कंपनी सीएलएसए ने भी जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को 6 से घटाकर 5.5 कर दिया है। कंपनी ने कहा कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की खराब स्थिति को देखते हुए आर्थिक वृद्धि दर के अुनमान को कम किया गया है।

आई एम एफ ने भारत के वृद्धि दर का अनुमान घटाया : अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 2012 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 0.7 प्रतिशत घटाकर 6.1 प्रतिशत कर दिया है। वैश्विक आर्थिक स्थिति खराब होने के

मद्देनजर आईएमएफ ने वृद्धि दर का अनुमान घटाया है। आईएमएफ द्वारा किसी देश की वृद्धि दर के अनुमान में यह सबसे बड़ी कटौती है।

आईएमएफ ने विश्व आर्थिक परिदृश्य के अपडेट में 2013 के लिए भी भारत की वृद्धि दर के अनुमान को इसी अंतर से घटाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया है। आईएमएफ ने 2012 के लिए वैश्विक वृद्धि दर के अनुमान को 3.6 से घटाकर 3.5 प्रतिशत कर दिया है। वहीं 2013 के लिए वैश्विक वृद्धि दर के अनुमान को 4.1 से घटाकर 3.9 प्रतिशत किया गया है। जहां तक उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का सवाल है अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ने इनकी वृद्धि दर के अनुमान को तीन माह पूर्व के अनुमान से 0.1 प्रतिशत घटाकर 2012 के लिए 5.6 प्रतिशत किया है। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने इससे पहले पिछले सप्ताह चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को 7 से घटाकर 6.5 प्रतिशत किया था। अधिकारिक अनुमानों के अनुसार चालू वित्त वर्ष में देश की वृद्धि दर 7.6 प्रतिशत (चौथाई प्रतिशत ऊपर या नीचे) रहेगी।

सबसे तेज विकास लीबिया में

- पूरी दुनिया मे सर्वाधिक तेजी से आर्थिक विकास कर रहा है लीबिया
- 2012 के लिए उत्तर अफ्रीकी देश लीबिया की अनुमानित आर्थिक विकास दर है 76.3 प्रतिशत
- पूर्व शासक मुअम्मर गद्दाफी के खिलाफ वर्ष 2011 मे हुए विद्रोह के बाद देश मे क्रूड ऑयल का बंपर उत्पादन बहाल होने से यहां इतनी ऊंची जीडीपी वृद्धि दर संभव हो पा रही है।
- जहां तक भारत का सवाल है, रिजर्व बैंक का मानना है कि 2012-13 मे भारत की आर्थिक विकास दर रहेगी 6.5 प्रतिशत

सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी लक्जमबर्ग में

- पूरे विश्व में प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में सबसे आगे है लक्जमबर्ग
- इस साल लक्जमबर्ग में प्रति व्यक्ति जीडीपी 1, 06, 958 डॉलर रहने का है अनुमान
- अत्यंत छोटे यूरोपीय देश लक्जमबर्ग की आबादी भी बहुत कम है, इस देश में महंगाई दर है मामूली और लोगों का जीवन स्तर है काफी ऊंचा
- जहां तक भारत का प्रश्न है, विश्व बैंक के मुताबिक वर्ष 2011 में भारत में प्रति व्यक्ति जीडीपी था मात्र 838 डॉलर

अमेरिकी अर्थव्यवस्था है सबसे बड़ी

- अमेरिकी अर्थव्यवस्था को दुनिया भर में सबसे बड़ी इकोनॉमी माना जाता है।
- 2012 में अमेरिका का जीडीपी 15.6 लाख करोड़ डॉलर रहने का है अनुमान
- दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन इस मामले में अमेरिका से है काफी पीछे
- चीन का जीडीपी वर्ष 2012 में 7.9 लाख करोड़ डॉलर रहने का अनुमान
- जहां तक भारत का सवाल है, इस देश का जीडीपी वर्ष 2011-12 में था अनुमानित 1.7 लाख करोड डॉलर

सबसे ज्यादा निवेश मंगोलिया में

- पूरी दूनिया में सर्वाधिक निवेश जुटाने मे सफल है मंगोलिया
- वर्ष 2012 के दौरान मंगोलिया मे कुल निवेश जीडीपी का 64 प्रतिशत रहने का है, अनुमान
- चीन और रूस के बीच स्थित मंगोलिया में लंबे समय से देखा जा रहा है आर्थिक बूम, इस देश में जोर-शोर से जारी है माइनिंग
- अगर भारत की बात करें, तो इस देश मे वर्ष 2011-12 के दौरान कुल निवेश जीडीपी का लगभग 38 प्रतिशत ही रहा था

सीएमआईई ने भी जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान घटाया : सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) ने चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी अनुमान मामूली रूप से घटाकर 7.2 प्रतिशत कर दिया। सीएमआईई ने एक रिपोर्ट में कहा है कि हमें वर्ष 2012-13 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। इससे पहले इसके 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया था।

वर्ष 2013 में आर्थिक विकास की गति धीमी रहेगी : प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (पीएमईएसी) ने अगले वित्त वर्ष में 7.5 से प्रतिशत आर्थिक वृद्धि का अनुमान व्यक्त करते हुए कहा है कि सरकार की राजकोषीय स्थिति मजबूत बनाने और पेट्रोलियम पदार्थों की सब्सिडी पर अंकुश लगाने के कदम उठाने चाहियें।

विश्व बैंक ने भी घटाया भारत का विकास अनुमान : भारत के विकास अनुमान को घटाने का सिलसिला लगातार जारी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के बाद अब विश्व बैंक ने भी चालू वित्त वर्ष के लिए भारत का विकास अनुमान घटा दिया है। विश्व बैंक ने 16 सितम्बर 2013 को कहा चालू वित्त

वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर अब महज 4.7 फीसदी ही रहने का अनुमान है, जबकि इससे पहले 6.1 फीसदी विकास दर का आकलन था।

विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री (दक्षिण एशिया) मार्टिन रामा ने कहा, 'चालू वित्त वर्ष के दौरान फैक्टर कॉस्ट पर देश की आर्थिक विकास दर सिर्फ 4.7 फीसदी ही रहने की संभावना नजर आ रही है। हालांकि अगले वित्त यानी 2014-15 में भारत की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि दर बढ़कर 6.2 फीसदी के स्तर पर पहुंच जाएगी।' वैसे, अगले वित्त वर्ष के लिए भी विश्व बैंक का विकास अनुमान अब घट गया है। गत अप्रैल महीने में विश्व बैंक ने अनुमान व्यक्त किया था कि वित्त वर्ष 2014-15 में भारत की आर्थिक विकास दर 6.7 फीसदी रहेगी। विश्व बैंक का कहना है कि पहली तिमाही में विकास के मोर्चे पर प्रदर्शन कमजोर रहा था, जो 2013-14 के समूचे वित्त वर्ष के दौरान आर्थिक गतिविधियों पर असर डाले बिना नहीं रहेगा। इसके अलावा लगातार दो महीने (जुलाई-अगस्त) घरेलू स्तर पर व्यावसायिक माहौल प्रतिकूल रहा था। विश्व बैंक के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान ऊंची ब्याज दरों का भी असर आर्थिक विकास पर नजर आएगा।

विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में स्वास्थ्य पर व्यय

(सघठ के प्रतिशतता के रूप में) स्वास्थ्य पर व्यय (2010 अथवा अद्यतन उपलब्ध वर्ष)

देश	**सरकारी**	**निजी**	**कुल**
आस्ट्रेलिया	6.2	2.9	9.1
नॉर्वे	8.1	1.4	9.4
यूनाइटेड किंगडम	8.0	1.6	9.6
यूएसए	8.5	9.1	17.6
मैक्सिको	2.9	3.3	6.2
इंडोनेशिया	1.3	1.3	2.6
ब्राजील	4.2	4.8	9.0
रूसी फेडरेशन	3.2	1.9	5.1
भारत	1.2	2.9	4.1
चीन	2.7	2.4	5.1
दक्षिण अफ्रीका	3.9	5.0	8.9

विश्व की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं

	मुद्रा की विनिमय दर के आधार पर		**क्रयशक्ति समता के आधार पर**	
रैंकिंग	**2011-12 में**	**2050 में सम्भावित****	**2011-12 में***	**2050 में सम्भावित****
1.	अमरीका	चीन	अमरीका	चीन
2.	चीनी	अमरीका	चीन	भारत
3.	जापान	भारत	भारत	अमरीका
4.	जर्मनी	ब्राजील	जापान	ब्राजील
5.	फ्रांस	जापान	रूस	जापान
6.	ब्राजील	रूप	जर्मनी	रूस
7.	यू.के.	मेक्सिको	फ्रांस	मेक्सिको
8.	इटली	जर्मनी	ब्राजील	इण्डोनेशिया
9.	रूस	यू.के.	यू.के.	यू.के.

10.	भारत	इण्डोनेशिया	इटली	जर्मनी
11.	कनाडा	फ्रांस	मेक्सिको	फ्रांस
12.	स्पेन	टर्की	द. कोरिया	टर्की
13.	आस्ट्रेलिया	इटली	स्पेन	नाइजीरिया
14.	मेक्सिको	नाइजीरिया	कनाडा	वियतनाम
15.	द. कोरिया	कनाडा	टर्की	इटली
16.	इण्डोनेशिया	स्पेन	इण्डोनेशिया	कनाडा
17.	नीदरलैण्ड्स	द. कोरिया	आस्ट्रेलिया	द. कोरिया
18.	टर्की	वियतनाम	ईरान	स्पेन
19.	स्विट्जरलैण्ड	सऊदी अरब	पोलैण्ड	सऊदी अरब
20.	सऊदी अरब	आस्ट्रेलिया	अर्जेन्टीना	अर्जेन्टीना

2. राष्ट्रीय आय

- राष्ट्रीय आय लेखांकन का सर्वप्रथम प्रयास 1665 ई. में सर विलियम थेटी ने किया था।
- एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक 'Wealth of Nation' में राष्ट्रीय आय को शुद्ध राजस्व से जोड़ा है।
- साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय के लेखांकन का जनक कहा जाता है। इसके लिए इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी मिला।
- भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय और प्रतिव्यक्ति आय की गणना का कार्य दादा भाई नौरोजी ने 1868 ई. में अपनी पुस्तक 'पावर्टी एण्ड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया' में किया था। इनके अनुसार भारत की प्रतिव्यक्ति आय 20 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष थी।
- डॉ. वी.के.आर.वी. राव ने 1925 में प्रथम वैज्ञानिक ढंग से राष्ट्रीय आय की गणना की।
- स्वतंत्रता के पश्चात् राष्ट्रीय आय के आकलन हेतु, अगस्त 1949 ई. में प्रो. पी.सी. महालनोविस की अध्यक्षता में एक 'राष्ट्रीय आय समिति' का गठन किया गया। इस समिति ने 1948-49 को आधार वर्ष मानकर राष्ट्रीय आय की गणना की और 1951 और 1954 के बीच दो रिपोर्ट पेश कीं।
- 1955 से वर्तमान तक राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य सी. एस. ओ. (केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन) द्वारा किया जाता है। इस संगठन की स्थापना मई 1951 में की गई थी। यह सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय का एक भाग है।

CSO द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना के क्षेत्रक-

- **प्राथमिक क्षेत्र:** कृषि और संबंध क्रियाएं, वानिकी और लट्ठा, मछली पालन, खनन तथा उत्खनन
- **द्वितीयक क्षेत्र:** निर्माण, विद्युत, गैस और जलापूर्ति।

विनिर्माण क्षेत्र → पंजीकृत
विनिर्माण क्षेत्र → गैर-पंजीकृत

- **तृतीयक क्षेत्र:** परिवहन, बीमा, संचार बैंक, सार्वजनिक सेवाएँ इत्यादि।
- **कोर क्षेत्र:** डॉ. सुविमल दत्ता कमेटी (1967) ने अपनी लाइसेंसिंग नीति 1970 को घोषित की। भारत सरकार ने 9 उद्योगों की पहचान की जिसे कोर क्षेत्र की संज्ञा दी गई है। ये निम्नलिखित हैं-
  - कृषि आधारित उद्योग
  - लौह और स्टील उद्योग
  - अलौह उद्योग
  - पेट्रोलियम
  - कोकिंग कोल
  - भारी औद्योगिक मशीन
  - शिप निर्माण
  - समाचार-मुद्रण
  - इलेक्ट्रॉनिक्स

नोट: *कोर क्षेत्र को प्राय: द्वितीयक क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र में रखा जाता है।*

- **सकल घरेलू उत्पाद** (GDP)– किसी देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष से उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। इसमें विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय को शामिल किया जाता है, किन्तु विदेशों से भारतीयों द्वारा भेजी गई आय सम्मिलित नहीं की जाती है।
- **सकल राष्ट्रीय उत्पाद** (GNP)– किसी देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल उत्पाद कहते हैं। इसमें विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय को सम्मिलित नहीं किया जाता है। लेकिन भारतीयों द्वारा विदेश से भेजी गई आय को सम्मिलित किया जाता है।
- **शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद** (NNP)– सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से जब उत्पादन में प्रयुक्त मशीनों तथा पूँजी की घिसाट को घटा दिया जाता है, तब उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं।

[NNP = GNP – Depriciation]

- **राष्ट्रीय आय** (NI)– साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहते हैं। NNP में से अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाता है तथा सब्सिडी को जोड़ दिया जाता है।

[NI = NNP – Indirect Tax + Subsidy]

- **प्रति व्यक्ति आय** (PCI)– कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है।
- **सकल घरेलू उत्पाद** (GDP)– किसी देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष से उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। इसमें विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय को शामिल किया जाता है, किन्तु विदेशों से भारतीयों द्वारा भेजी

Add. 41-42A, Ashok Park Main, New Rohtak Road, New Delhi-110035
+91-9350679141

गई आय सम्मिलित नहीं की जाती है।

- **सकल राष्ट्रीय उत्पाद** (GNP)– किसी देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल उत्पाद कहते हैं। इसमें विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय को सम्मिलित नहीं किया जाता है। लेकिन भारतीयों द्वारा विदेश से भेजी गई आय को सम्मिलित किया जाता है।
- **शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद** (NNP)– सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से जब उत्पादन में प्रयुक्त मशीनों तथा पूँजी की घिसाट को घटा दिया जाता है, तब उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं।

[NNP = GNP – Depriciation]

- **राष्ट्रीय आय** (NI)– साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहते हैं। NNP में से अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाता है तथा सब्सिडी को जोड़ दिया जाता है।

[NI = NNP – Indirect Tax + Subsidy]

- **प्रति व्यक्ति आय** (PCI)– कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है।
- CSO के अनुसार, प्रति व्यक्ति आय 2010-11 में 52835 रुपए हो गई है।
- 2010-11 के दौरान देश की प्रति व्यक्ति आय में 17.9% वृद्धि दर्ज की गई।
- **वास्तविक राष्ट्रीय आय** (RNI)– किसी भी देश की मुद्रा की क्रय शक्ति में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इसलिए वास्तविक राष्ट्रीय आय की जानकारी हेतु किसी आधार वर्ष के सापेक्ष राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है।
- **वास्तविक राष्ट्रीय आय** (RNI)– किसी भी देश की मुद्रा की क्रय शक्ति में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इसलिए वास्तविक राष्ट्रीय आय की जानकारी हेतु किसी आधार वर्ष के सापेक्ष राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है।

$$\text{वास्तविक राष्ट्रीय आय} = \frac{\text{प्रचलित कीमतों पर राष्ट्रीय आय}}{\text{चालू वर्ष का मूल्य सूचकांक}} \times 100$$

- **मुक्त व्यापार**- मुक्त व्यापार विश्व बाजार की वह व्यवस्था है जिसके आयात-निर्यात में कोई प्रतिबन्ध नहीं होता है।
- **हीनार्थ प्रबंधन (Budget deficit):** जब सरकार का बजट घाटे का होता है, अर्थात आय कम होती है और व्यय अधिक होता है व्यय के इस आधिक्य को केन्द्रीय बैंक से ऋण लेकर अथवा अतिरिक्त पत्र मुद्रा द्वारा पूरा किया जाता है। तो यह व्यवस्था हीनार्थ प्रबन्धन कहलाती है।

3. आर्थिक नियोजन

अर्थ (Meaning of Economic Planning): आर्थिक नियोजन का अर्थ है कि एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजित समन्वय एवं उपयोग करना।

भारत में आर्थिक नियोजन के जनक पं. जवाहर लाल नेहरू थे। भारत में आर्थिक विकास हेतु लोकतंत्री आर्थिक नियोजन पद्धति को अपनाया गया है। भारत में आर्थिक आयोजन की चर्चा स्वतंत्रता के पूर्व ही आरंभ हो गयी थी।

योजना आयोग (Planning Commission)

ब्रिटिश शासन की समाप्ति के बाद देश के आर्थिक विकास को एक मजबूत आधार प्रदान करने के उद्देश्य से दो महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना की गई। एक संस्था 'केंद्रीय सांख्यिकी संगठन' (Central Statistical Organisation, CSO) और दूसरी 'योजना आयोग' (Planning Commission)। योजना आयोग की स्थापना मार्च, 1950 में की गयी। योजना आयोग को संवैधानिक संविधान में इसके संदर्भ में कोई उल्लेख अथवा प्रावधान नही है। बावजूद इसके यह संविधान द्वारा राज्यों के लिए निर्धारित नीति निर्देशक नीतियों के अंतर्गत कार्य करता है। यह एक स्वायत्त सलाहकारी संस्था (Autonomous Advisory Body) है जिसका कार्य क्षेत्र देश के भौतिक, पूंजीगत एवं मानवीय साधनों की जांच करना और इनके सर्वाधिक प्रभावपूर्ण और संतुलित उपयोग के लिए योजनाएं तैयार करना है। देश का प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है तथा वित्तमंत्री, रक्षामंत्री तथा कृषि मंत्री इसके पदेन सदस्य होते है। इन सदस्यों के अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों-अर्थशास्त्र, विज्ञान, उद्योग आदि से 4 मनोनीत सदस्य होते है। अध्यक्ष के अतिरिक्त एक उपाध्यक्ष होता है, जिसे केंद्रीय मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। योजना आयोग का प्रारूप तैयार करके राष्ट्रीय विकास परिषद (National Development Council, NDC) के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष, राज्यों के मुख्यमंत्री, संघीय क्षेत्रों के मुख्य पार्षद (Chief Councellors) तथा सभी सदस्य सम्मिलित होते है जो योजना के प्रारूप व योजना संबंधी नीतियों पर विचार-विमर्श करते है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्वीकृति के बाद योजना भारतीय संसद में विचारार्थ पेश की जाती है। वहां से स्वीकृति होने पर योजना देश में लागू हो जाती है। विभिन्न राज्य सरकारें केंद्रीय योजना के ढांचे के अंतर्गत अपने-अपने राज्यों के लिए योजनाएं बनाती है जिनके आकार व वित्तीय व्यवस्था आदि के बारे में उन्हें योजना आयोग के अधिकारियों से आवश्यक विचार-विमर्श करना होता है।

अनेक राज्यों में राज्य योजना कमीशन (State Planning Commission) भी है। जिनका अध्यक्ष पदेन मुख्यमंत्री होता है तथा वित्तमंत्री एवं योजना मंत्री इसके पदेन सदस्य होते है।

योजना आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्यों की कोई निर्धारित योग्यता तथा कोई निश्चित न्यूनतम कार्यकाल नहीं होता है।

योजना आयोग देश की प्राथमिकता निर्धारित करता है, तथा उपलब्ध संसाधनों व प्राथमिकताओं के आधार पर योजनाएं बनाता है।

योजना आयोग की योजनाओं का राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदन किया जाता है।

योजना आयोग, योजना लागू करने, उनका मध्यकालीन मूल्यांकन करने, आवश्यक संसोधन करने तथा योजना के मार्ग के अवरोधों को दूर करने का कार्य करता है।

योजना आयोग के प्रमुख कार्य है- देश के भौतिक, पूंजीगत एवं मानवीय संसाधनों का अनुमान लगाना, राष्ट्रीय संसाधनों के अधिक से अधिक प्रभावी व संतुलित उपयोग की योजना तैयार करना, योजना के विभिन्न चरणों का निर्धारण करना एवं प्राथमिकता के आधार पर संसाधनों का आवंटन करना, योजना के प्रत्येक चरण की प्रगति की समीक्षा करना तथा सुधार हेतु सुझाव देना।

राष्ट्रीय विकास परिषद

(National Development Council - NDC)

राष्ट्रीय विकास परिषद एक संविधानेतर निकाय है। इसका गठन 6 अगस्त, 1952 को किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य आर्थिक आयोजन के लिए राज्यों व योजना आयोग के मध्य सहयोग स्थापित करना है।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। योजना आयोग का सचिव, राष्ट्रीय विकास परिषद का भी सचिव होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासक तथा योजना आयोग के सदस्य इसके सदस्य होते है।

राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रमुख कार्य

योजना के संचालन का समय-समय पर मूल्यांकन करना, विकास को प्रभावित करने वाली नीतियों की समीक्षा करना, योजना आयोग द्वारा तैयार कीगयी योजनाओं को अंतिम रूप देना।

राष्ट्रीय विकास परिषद के स्वीकृत होने के बाद योजना प्रस्ताव को संसद के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। संसद में अनुमोदन के बाद योजना को कार्यान्वित किया जाता है।

Add. 41-42A, Ashok Park Main, New Rohtak Road, New Delhi-110035
+91-9350679141

- राष्ट्रीय विकास परिषद के वृहद स्वरूप एवं व्यापक शक्तियों को देखते हुए के संथानम ने इसे 'सुपर कैबिनेट' का दर्जा दिया।
- परिषद 'सहकारी संघवाद' का सर्वोत्तम उदाहरण है।

भारतीय नियोजन की पृष्ठभूमि

(Background of Indian Planning)

सदियों की गुलामी से जर्जर अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए योजना को एक प्रमुख यंत्र के रूप में स्वीकार किया गया। सर्वप्रथम श्री एम. विश्वेशरैया ने 1934 में 'प्लांड इकॉनोमी फॉर इंडिया (Planned Economy for India) नाम पुस्तक प्रकाशित की, जो भारत के आर्थिक विकास के संबंध में योजना की प्रथम रूपरेखा थी। यह दस वर्षीय योजना का लक्ष्य निर्धारण किया गया था। कांग्रेस पार्टी ने 1938 में पं. जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में नेशनल प्लानिंग कमेटी (National Planning Committee) की स्थापना की। इस राष्ट्रीय समिति की अनेक उपसमितियां बनाई गयी जो ठीक उसी प्रकार कार्य करती थी, जैसे वर्तमान समय में योजना आयोग के विभिन्न कार्यकारी दल (Working Groups) कार्य करते है। योजना के प्रति कांग्रेस पार्टी की रूचि और दिलचस्पी का प्रभाव अन्य पार्टियों और वर्गों पर भी पड़ा। यहां तक कि उद्योगपति भी इससे अछूते नहीं रहे। 1944 में आठ उद्योगपतियों ने मिलकर 'बम्बई योजना' (Bombay Plan) तैयार किया। इन उद्योगपतियों में जी.आर. टाटा, जी.डी. बिरला तथा श्रीराम के नाम उल्लेखनीय थें। इन उद्योगपतियों को औद्योगीकरण के क्षेत्र में सरकार की केंद्रीय भूमिका के प्रति कोई ऐतराज नही था। इसी समय श्रमिक नेता एम.एन. राय द्वारा 'जन योजना' (People Plan) तथा श्री श्रीमन्नारायण द्वारा 'गांधी योजना' (Gandhi Plan) तैयार की गयी, परंतु अनेक कठिनाइयों के कारण इनमें से किसी को भी व्यावहारिक रूप तो नहीं दिया जा सका, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह अवश्य स्पष्ट हो गया कि देश के औद्योगीकरण के लिए सदियों से व्यक्ति आर्थिक एवं सामाजिक विषमता को दूर करने लोगों का जीवनस्तर बढ़ाने तथा आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए एक व्यापक योजना आवश्यक है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आर्थिक नियोजन

15 अगस्त, 1947 को भारत को आजादी मिली और पं. जवाहर लाल नेहरू इसके प्रथम प्रधानमंत्री बने। पं. जवाहर लाल नेहरू के समक्ष देश की जर्जर अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण की समस्या थी। विश्व के अन्य देशों में पुनर्निर्माण के दो उदाहरण पंडित जी के सम्मुख थे। एक था जापान का 'मेजो पुनर्निर्माण और दूसरा था सोवियत संघ का नियोजित आर्थिक विकास'। पंडित जी ने जब 1927 मे तत्कालीन सोवियत संघ (यूएसएसआर) का दौरा किया, वहां जो कुछ देखा उससे बहुत प्रभावित हुये थे, संयोग से भारत की आजादी के समय सोवियत संघ में छह वर्षीया योजना चल रही थी। पंडित जी के नेतृत्व में देश में तीव्र गति से आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को चलाने का निर्णय किया गया।

प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल, 1951 को प्रारंभ की गयी जिसका अंतिम प्रारूप सितंबर, 1952 को तैयार किया गया। 1951 से 31 माच्र 2012 तक ग्यारह पंचवर्षीय योजनाएं पूरी की जा चुकी है और बारहवीं योजना 1 अप्रैल, 2012 से चल रही है। इस अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था ने व्यापक स्तर पर विकास के स्तर को छुआ है।

भारतीय में आयोजन की प्रमुख विशेषताएं

- भारतीय आर्थिक आयोजन का चरित्र निर्देशात्मक है। योजना आयोग मात्र परामर्शदात्री संस्था है और यह योजना की रूपरेखा निश्चित करता है।
- भारतीय आर्थिक आयोजन आदेशात्मक नहीं है आर्थिक क्रियाओं के संपादन में आदेश के स्थान पर प्रोत्साहन से कार्य किया जाता है। निजी क्षेत्र को विकास की दिशा और गति का संकेत दिया जाता है, परंतु उसे बाध्य नहीं किया जाता है।
- भारतीय आर्थिक नियोजन का स्वरूप केंद्रीकृत न होकर विकेंद्रीकृत है। राष्ट्रीय महत्व के कुछ महत्वपूर्ण विषयों को छोड़कर अन्य सभी विषयों पर निर्णय का स्वरूप विकेंद्रीकृत है।
- भारतीय आर्थिक आयोजन समाजवादी और पूंजीवादी तत्वों का मिलाजुला रूप है।
- भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है और इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है।
- भारतीय आर्थिक आयोजन में ढांचागत और आधारभूत भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया।
- भारतीय आर्थिक नियोजन की प्रकृति मूलत: वित्तीय न होकर भौतिक है, अर्थात् पहले भौतिक लक्ष्यों को निर्धारित किया जाता है और फिर उसके वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था की जाती है।
- भारतीय आर्थिक नियोजन सामाजिक भी है, अर्थात् यह विशुद्ध आर्थिक लक्ष्यों तक सीमित न होकर सामाजिक लक्ष्यों से भी प्रेरित होता है।

नियोजन उद्देश्य बनाम योजना उद्देश्य

(Planning Objectives Vs Plan Objectives)

नियोजन उद्देश्य (Planning Objectives) : नियोजन उद्देश्य

से अभिप्राय बीस वर्षों की अवधि में प्राप्त होने वाले दीर्घ कालीन उद्देश्यों से है। इन्हें परिपक्ष्य योजना (Prospective Plan) भी कहते हैं। परिप्रेक्ष्य नियोजन का आधार पंचवर्षीय योजना होती है।

योजना उद्देश्य (Plan Objectives): योजना उद्देश्य से अभिप्राय पाँच वर्ष की अवधि में पूरे किये जाने वाले अल्पकालीन उद्देश्यों से है। योजना उद्देश्य विशेष क्षेत्र से संबंधित होते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना में केवल कृषि के विकास पर बल डाला गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी एवं आधारभूत उद्योंगों के विकास पर ध्यान दिया गया था। अत: भारत में चलाए जाने वाली विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में अलग-अलग उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। परंतु इन सभी का मुख्य उद्देश्य **संवृद्धि** तथा **समानता** को प्राप्त करना है।

परिस्थितियों एवं समानताओं में अन्तर पाया जाता है। अत: तत्कालीन परिस्थितियों एवं समस्याओं को ध्यान में रखकर अलग-अलग उद्देश्य निर्धारित किए जाते रहे हैं। भारतीय नियोजन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

1. संवृद्धि
2. समानता
3. आत्मनिर्भता
4. आधुनिकीकरण

1. **आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth) :** जी०डी०पी० एवं प्रतिव्यक्ति जी०डी०पी० में वृद्धि करके विकास की ऊँची दर प्राप्त करना हमारी सभी योजनाओं का सबसे प्रमुख उद्देश्य रहा है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र, जैसे-कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, और सेवा क्षेत्र देश की जी०डी०पी० में अपना अंशदान देते हैं विकास की प्रक्रिया के साथ-साथ सेवा क्षेत्र का अंशदान बढ़ता जा रहा है तथा कृषि क्षेत्र का अंशदान घटता जा रहा है। इस प्रकार स्वतंत्र भारत में भारतीय अर्थव्यवस्था की क्षेत्रवार संरचना में परिवर्तन हुआ है। क्षेत्रवार संरचना का यह परिवर्तन बताता है भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्थाकी ओर अग्रसर है। आर्थिक संवृद्धि का उद्देश्य देश की उत्पादक क्षमता में वृद्धि को भी बताता है।

2. **समानता (Equlity) :** भारत की पंचवर्षीय योजनाओं ने सामाजिक एवं आर्थिक न्याय को भी अपने एक मूलभूत उद्देश्यों के रूप में स्वीकार किया है। भारत के योजना निर्माताओं ने हमारे देश के संविधान की नीति निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान में रखकर ही इस उद्देश्य का निर्धारण किया है। इनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित बातें शामिल हैं-

   (i) **आर्थिक विषमताओं में कमी करना:** सामान्य तौर पर विभिन्न वयक्तियों के बीच आर्थिक विषमताएं दो रूपों में पाई जाती हैं- आय की असमानताएं तथा धन व संपत्ति के वितरण की असमानताएं। भारत में दोनों ही प्रकार की असमानताएं पाई जाती है। लोगों के बीच आर्थिक विषमताओं को कम करने के लिए अनेक उपाय किये गये हैं। जैसे- कर प्रणाली, लाइसेंस नीति, एकाधिकारी प्रवृत्तियों पर रोक, गांवों में भूमि का पुनर्वितरण इत्यादि।

   (ii) **आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण पर रोक :** पंचवर्षीय योजनाओं तथा वार्षिक योजना (बजट) में इस बात पर जोर दिया गया है कि आर्थिक शक्ति का केन्द्र देश के कुछ पूंजीपतियों के हाथ में न हो। साथ ही साथ देश के विकास का लाभ समाज के सभी लोगों तक पहुंचे। अर्थात् समावेशी विकास।

   (iii) **कमजोर वर्गों के लोगों पर विशेष ध्यान :** देश के पंचवर्षीय योजनाओं में सामाजिक न्याय के साथ विकास पर बल दिया गया है। इस दृष्टि से समाज के कमजोर वर्ग के लोगों, महिलाओं, बच्चों अपंगों, बुजुर्गों आदि के उत्थान पर विशेष बल दिया गया है तथा इनको देश के विकास में भागीदारी बनाने के लिए तथा इनके उत्थान के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलायी गई है। विकास की ऊंची दर और समाजिक न्याय भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य उद्देश्य रहे हैं। समावेशी विकास भारतीय नियोजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

3. **आत्मनिर्भरता (Self-reliance) :** स्वावलंबन से आशय उन वस्तुओं पर निर्भरता को कम करना है जिन्हें देश में ही उत्पादित किया जा सकता है। विशेषकर खाद्यान्नों के लिए ही आरंभ के पंचवर्षीय योजनाओं में स्वावलंबन पर जोर दिया गया। आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के उद्देश्य के कई पहलु हैं, जैसे- आयात प्रतिस्थापन, निर्यात में वृद्धि, रक्षा उपकरणों, पूंजी वस्तुओं एवं अन्य अनिवार्य साज-सामानों में स्वावलंबन।

4. **आधुनिकीकरण (Modernisation) :** आधुनिकीकरण का सामान्य अर्थ है नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग तथा सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है। इसके दो पहलु हैं :

   (i) **नवीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग :** टेक्नोलॉजी के उपयोग से कार्यकुशलता एवं उत्पादकता में वृद्धि होती है। इससे अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उन्नति होती है तथा उच्च गुणवत्ता की वस्तुओं का उत्पादन होता है।

   (ii) **सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन :** सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जैसे- परिवार नियोजन, लड़का-लड़की

में समानता, महिलाओं के समान अधिकार तथा समान मजदूरी आदि।

ऊपर उल्लेखित मुख्य चार उद्देश्यों के अलावा रोजगार अवसरों में वृद्धि, गरीबी-उन्मूलन, क्षेत्रीय असमानताओं में कमी लाना भी शुरू से भारत की योजनाओं के प्रमुख उद्देश्य रहे हैं।

भारत में पंचवर्षीय योजनाएं

(Five Year Plans)

प्रथम पंचवर्षीय योजना (First Five Year Plan)

अवधि 1 अप्रैल, 1951 से 31 मार्च, 1956 तक

सैद्धांतिक मॉडल:- हेरॉड्-डोमर मॉडल पर आधारित

प्रमुख लक्ष्य:- कृषि क्षेत्र का विकास

प्रमुख तथ्य

- कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता
- 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आंरभ
- कृषि, सिंचाई और सामुदायिक विकास कार्यों में विशेष सफलता।
- राष्ट्रीय आय में 2.1 प्रतिशत प्रतिवर्ष के लक्ष्य के विरूद्ध 3. 6 प्रतिशत की वृद्धि-दर प्राप्त की गयी।
- प्रति व्यक्ति आय में 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक की वृद्धि दर प्राप्त की गयी।

दूसरी योजना (Second Plan)

अवधि : 1 अप्रैल, 1956 से 31 मार्च, 1961 तक

सैद्धांतिक मॉडल : पी.सी. महानलोबिस के असंतुलित विकास के मॉडल पर आधारित

लक्ष्य : तीव्र औद्योगीकरण

प्रमुख विशेषताएं

- आधारभूत और भारी उद्योगों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता।
- सार्वजनिक क्षेत्र में दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना।
- मुद्रास्फीति, खाद्यान्न संकट और विदेशी मुद्रा की समस्याएं।
- राष्ट्रीय आय में 4.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष के लक्ष्य के विरूद्ध केवल 4.2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि-दर।
- सार्वजनिक क्षेत्र ने औद्योगीकरण के क्षेत्र में उत्प्रेरक का स्थान प्राप्त किया।

तीसरी योजना (Third Plan)

अवधि : 1 अप्रैल, 1961 से 31 मार्च, 1966

सैद्धांति मॉडल : महालनोविस सहित जॉन सैन्डी व एस. चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित।

लक्ष्य : अर्थव्यवस्था को स्वावलम्बी व स्वस्फूर्ति बनाना।

प्रमुख तथ्य

- सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 5 प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक वृद्धि दर प्राप्त करना।
- खाद्यान्न उत्पादन के मामले में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करना।
- आधारभूत उद्योगों को बढ़ावा देकर अगले दशक तक एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार तैयार करना ताकि स्वजीवी औद्योगिक संरचना का विकास हो सके।
- देश में उपलब्ध जनशक्ति का पूर्ण उपयोग करना और रोजगार के अवसरों का पर्याप्त सृजन करना।
- 'स्वयं स्फूर्ति' की स्थिति प्राप्त करना।

पमुख विशेषताएं :

- चीन व पाकिस्तान से युद्ध के कारण प्राथमिकताओं का झुकाव रक्षा की ओर।
- देश के कुछ हिस्सों में सूखा- खाद्यान्न उत्पादन प्रभावित, खाद्यान्न संकट।
- राष्ट्रीय आय में 6.5 प्रतिशत लक्ष्य के विरूद्ध केवल 2.3 प्रतिशत की वृद्धि दर।
- प्रति व्यक्ति आय की वार्षिक वृद्धि दर 0.1 प्रतिशत रही।
- पूर्णत: असफल योजना

तीन वार्षिक योजनाएं

(Three Annual Plans)

तीसरी पंचवर्षीय योजना विभिन्न कारणों से पूर्णत: असफल रही और भारत- पाकिस्तान युद्ध (1965), दो वर्षों तक चले, भयंकर सूखे तथा मुद्रा अवमूल्यन से अर्थव्यवस्था में गतिहीनता की स्थिति आ गयी थी इसलिए चौथी योजना को स्थगित कर दिया गया और तीन वर्षों तक वार्षिक योजनाएं चलायी गयी। इससे बदली हुई परिस्थिति में चौथी योजना से देश में महत्वपूर्ण व आवश्यक परिवर्तन किए जा सके। इस अवधि को योजनावकाश (Plan Holiday) कहा जाता है।

अवधि- 1 अप्रैल, 1966 से 31 मार्च, 1969 तक

उद्देश्य / लक्ष्य-

- युद्ध से उत्पन्न स्थितियों का निराकरण
- खाद्यान्न संकट का समाधान
- मुद्रास्फीति पर नियंत्रण
- चौथी योजना के लिए आधार तैयार करना

प्रमुख विशेषताएं

- सभी तीन वर्षों के लिए अलग-अलग योजनाएं बनाई गयी।
- बेरोजगारी और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण में असफल।
- 1966 में भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन (निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से)
- 1966-67 में हरित क्रांति का आरंभ खाद्यान्न के लिए बफर स्टॉक की योजना।
- चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए परिस्थिति मे कुल अनुकूलता।

चौथी योजना (Fourth Plan)

अवधि : 1 अप्रैल, 1969 से 31 मार्च, 1974

सैद्धांतिक मॉडल : ऐलन एस. मात्रे और अशोक रूद्र मॉडल

लक्ष्य : स्थिरता के साथ आर्थिक विकास (Growth With Stability) और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-74) के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे-

- राष्ट्रीय आय में प्रति वर्ष 5.7 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त करना।
- कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना।
- विदेशी सहायता पर निर्भरता में कमी।
- समाज के अपेक्षाकृत निर्धन व पिछड़े हुए व्यक्तियों जैसे-अनुसूचित जातियों, जन-जातियों, भूमिहीन श्रमिको व छोटे-कृषकों को आर्थिक कल्याण के लिए विशेष कार्यक्रम चलाना।
- विदेशी भुगतान के खाते में संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से निर्यात में 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि का लक्ष्य।
- प्रादेशिक असंतुलन कम करने के लिए समुचित उपाय काम में लेने के लिए प्रस्ताव।
- सुरक्षा संबंधी एवं बुनियादी उद्योगों की स्थापना करना।

प्रमुख विशेषताए :

- 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण
- 1969 में एकाधिकार एवं प्रतिबंधक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 लागू किया गया।
- 1971 में भारत पाक युद्ध का शरणार्थी समस्या।
- 1972 में तेल संकट।
- शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में 5.7 प्रतिशत लक्ष्य के विरूद्ध केवल 3.3 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त हुई।

पांचवी योजना (Fifth Plan)

अवधि : 1 अप्रैल, 1974 से 31 मार्च, 1979

लक्ष्य : गरीबी उन्मूलन एंव त्वरित विकास

सैद्धांतिक मॉडल : योजना आयोग द्वारा तैयार प्रारूप में तीन मॉडलों को शामिल किया गया था-

- समविष्ट भावी मॉडल
- आगत-निर्गत मॉडल
- उपयोग मॉडल

योजना के मुख्य उद्देश्य :

- राष्ट्रीय आय में वार्षिक विकास की दर 5.5 प्रतिशत प्रति वर्ष प्राप्त करना
- उत्पादन रोजगार के अवसरों का विस्तार
- निम्नतम आवश्यकताओं का राष्ट्रीय कार्यक्रम जिसमें शिक्षा, जल आदि की व्यवस्था के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया गया
- कृषि व आधारभूत उद्योगों व आम जनता के उपयोग का माल बनाने वाले उद्योगों पर बल
- आवश्यक उपभोग योग्य वस्तुओं को उचित व स्थिर भावों पर निर्धन वर्ग को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराना
- निर्यात प्रोत्साहन व आयात प्रतिस्थापना
- गैर आवश्यक उपभोग पर कठोर नियंत्रण
- कीमत, मजदूरी व आय में न्यायपूर्ण संतुलन
- सामाजिक व आर्थिक असमानताओं को कम करने के लिए संस्थागत, राजकोषीय व अन्य उपाय करना।

जनता पार्टी सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल एक वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया था। इस दौरान चार वर्षों (1974-78) में सामान्य कीमत स्तर में 34.5 प्रतिशत तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 35.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। न गरीबों की आय बढ़ी और न ही गरीबी में कमी आयी।

प्रमुख तत्व :

- यह योजना केवल 4 वर्ष तक चली। 31 मार्च, 1978 को जनता पार्टी की सरकार ने इसे समय से पहले ही समाप्त कर दिया।
- चौथी योजना के अनुभव के आधार पर आर्थिक वृद्धि दर की लक्ष्य मे कमी की गयी।
- अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र इन घटे हुए लक्ष्यों को भी प्राप्त नहीं कर सके।
- खाद्यान्न और सूती वस्त्रों के उत्पादन में संतोषजनक वृद्धि दर्ज की गयी।

- सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 4.4 प्रतिशत लक्ष्य के विरूद्ध 4.8 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त की गयी।
- प्रति व्यक्ति आय में 3.1 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त की गयी।

पांचवी पंचवर्षीय योजना को जनता पार्टी की सरकार द्वारा अपने निर्धारित समय से एक वर्ष पूर्व ही समाप्त घोषित करके छठीं योजना 1978-83 लागू की गयी जिसे अनवरत योजना का नाम दिया गया था।

छठी योजना (Six Plan)

अवधि : 1 अप्रैल, 1980 से 31 मार्च, 1985 तक जनता पार्टी सरकार ने 1 अप्रैल, 1978 को छठी योजना आरंभ की थी। 1980 मे कांग्रेस ने सत्ता मे आने के बाद 1 अप्रैल, 1980 को नई छठी योजना आरंभ की। 1 अप्रैल, 1979 से 31 मार्च, 1980 तक की अवधि की योजनावकाश माना गया।

सैद्धांतिक मॉडल : कई विकास युक्तियों को ध्यान में रखकर संरचनात्मक परिवर्तन एवं संमृद्धि पर बल।

लक्ष्य : रोजगार सृजन

प्रमुख उद्देश्य :

- अर्थव्यवस्था की विकास दर में सार्थक वृद्धि, संसाधनों के प्रयोग में कुशलता को बढ़ाना और उत्पादकता में वृद्धि करना।
- आर्थिक व तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु आधुनिकीकरण को बढ़ावा को प्राथमिकता दी गयी।
- ऊर्जा के घरेलू संसाधनों का तेजी से विकास करना।
- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम द्वारा आर्थिक व समाजिक दृष्टि से कमजोर लोगों के जीवन स्तर में पर्याप्त सुधार करना।
- सार्वजनिक नीतियों व वितरण प्रणाली को गरीबों के अनुकूल बनाना।
- स्वैच्छिक रूप से जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाली नीतियों को बढ़ावा देना।
- उपयुक्त शिक्षा, संचार व संस्थागत कार्यनीतियों के द्वारा विकास प्रक्रिया में जनता के सभी वर्गों के सक्रिय सहयोग को बढ़ावा देना।
- पारिस्थितिक व पर्यावरण परिसंपत्तियों के संरक्षण व सुधार पर बल देना।

प्रमुख विशेषताएं :

- यह योजना 15 वर्ष (1980-95) की दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर बनाई। इसे दृष्टि नियोजन कहा जाता है।
- सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि दर लक्ष्य 5.2 के विरूद्ध 5.5 प्रतिशत प्राप्त किया गया।
- प्रति व्यक्ति आय में 3.0 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त की गयी।
- आर्थिक संवृद्धि दर आत्म निर्भरता और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में विशेष सफलता।
- गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण सफलता।

छठी योजना के दौरान चार महत्वपूर्ण कार्यक्रम आरंभ किये गये :

- समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP)
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (NREP)
- ग्रामीण खेतिहार मजदूर रोजगार गारंटी योजना (RLEGP)
- ग्रामीण युवाओं के स्वरोजगार हेतु प्रतिशक्षण कार्यक्रम (TRYSEM)

सातवीं योजना (Seventh Plan)

अवधि : 1 अप्रैल, 1985 से 31 मार्च, 1990

सैद्धांतिक मॉडल : दीर्घकालीन विकास युक्तियों पर जोर देते हुए उदारीकरण पर बल।

लक्ष्य : आधुनिकीकरण

प्रमुख उद्देश्य :

- कृषिगत उत्पादन, विशेषतया खाद्यान्नों के उत्पादन में तीव्रगति से वृद्धि
- सिंचाई की सुविधाओं में विस्तार करनेका निर्णय लिया गया। कृषि गत उत्पादन बढ़ानों के लिए जरूरी औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने मे पूंजी लगायी जायेगी।
- रोजगार सृजन के वृद्धि में औद्योगिक प्रक्रिया को तेज करना।
- उत्पादन की वर्तमान क्षमता का गहनता से प्रयोग करना।
- निर्धनता दूर करने व रोजगार बढ़ाने पर विशेष बल।
- देशीय टेक्नोलोजी के विकास के लिए एक सुदृढ़ आधार तैयार करने का निर्णय लिया गया।
- समानता एवं न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली को कायम करना।
- लघु परिवार के मानक को स्वेच्छा से स्वीकार करना तथा आर्थिक और सामाजिक क्रिया में महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान देना।

इस प्रकार सातवीं योजना को अधिक व्यावहारिक, उपयोगी व लचीला बनाने का प्रयास किया गया।

मुख्य विशेषताएं :

- सातवीं योजना 15 वर्ष (1985-2000) की दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई। इसे दृष्टि नियोजन (Perspective Planning) कहा जाता है।
- उत्पादक रोजगार की प्रमुखता
- ऊर्जा के क्षेत्र में रोजगार
- आर्थिक संवृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय की प्रधानता
- गरीबी, बेरोजगारी और क्षेत्रीय असंतुलन की समस्याओं पर सीधे प्रहार
- इस योजना मे पहली बार विनियोजन में निजी क्षेत्र को वरीयता दी गयी। कुल विनियोजन में से 48 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र में तथा 52 प्रतिशत निजी क्षेत्र में किया गया।
- सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 5 प्रतिशत वृद्धि दर का लक्ष्य प्राप्त किया गया। इस योजना में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की वृद्धि दर 6.0 प्रतिशत थी।
- प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर 3.8 प्रतिशत थी जो पहली बार हिन्दू वृद्धि दर (3.5 प्रतिशत) से अधिक थी।

  औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर (7 प्रतिशत) से अधिक (8.6 प्रतिशत) थी।

आठवीं योजना (Eighth Plan)

अवधि : 1 अप्रैल, 1992 से 31 मार्च, 1997 तक

सातवीं योजना 31 मार्च, 1990 को पूरी हो गयी थी और आठवीं योजना को 1 अप्रैल, 1990 को प्रारंभ होना था। किंतु राजनैतिक अस्थिरता के कारण आठवीं योजना पूर्ण निर्धारित समय पर आरंभ नहीं की सकी और इसे दो वर्ष के लिए स्थगित करना पड़ा। इन दो वर्षों (1990-91 तथा 1991-92) में वार्षिक योजनाएं लागू की गयी। इन दो वर्षों को योजना विहीन वर्ष कहा गया।

सैद्धांतिक मॉडल : उदारीकरण अर्थव्यवस्था के रूप में वरिणित जॉडब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित।

लक्ष्य : मानव संसाधन विकास उल्लिखित परिस्थितियों में तैयार की गयी आठवीं योजना निम्नलिखित चार लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समर्पित होगी।

- ऐसे क्षेत्रों एंव परियोजनाओं को प्राथमिकता देना जिनमें वित्त, व्यापार, उद्योग एवं मानव संसाधन के विकास के संबंध में अपनायी गई नवीन नीतियों का ठीक से क्रियान्वयन हो सके।
- इन प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं के लिए आवश्यक संसाधन जुटाना और उनका प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना ताकि क्रियान्वयन में विलम्ब के कारण होने वाली लागत मे होने वाली वृद्धि को रोजा जा सके।
- पूरे देश में रोजगार-सृजन, स्वास्थ्य रक्षा और व्यापक शिक्षा सुविधाओं द्वारा सामाजिक सुरक्षा जाल स्थापित करना।
- सामाजिक क्षेत्रों में किये जाने वाले निवेश का लाभ वांछित व्यक्तियों तक पहुंच सके, इसके लिए उपयुक्त संगठनों एवं वितरण प्रणाली का गठन करना।

प्रमुख उद्देश्य :

उपरोक्त दृष्टिकोणों पर आधारित निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राथमिकता प्रदान की गयी है-

- रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन करना ताकि 20वीं शदी के अंत तक लगभग पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त की जा सके।
- जनता के सहयोग एवं प्रभावशाली प्रोत्साहनों तथा गैर-प्रोत्साहनों द्वारा जनसंख्या की वृद्धि पर नियंत्रण किया जा सके।
- प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना और 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों में निरक्षरता को पूर्णरूपेण समाप्त करना।
- सभी गांवों एवं संपूर्ण जनसंख्या को पीने का स्वच्छ जल और प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना और मेहतर प्रथा (Scavanging) को पूर्णरूपेण समाप्त करना।
- कृषि का तीव्र विविधिकरण एवं तीव्र विकास करना ताकि खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्म निर्भरता प्राप्त हो सके और निर्यात के लिए अतिरेक मिल सके।
- विकास प्रक्रिया को आत्मपोषित व स्वजीवी बनाने के लिए आधारभूत संरचना (Infrasucture) जैसे ऊर्जा, परिवहन, संचार, सिंचाई को सुदृढ़ करना।

प्रमुख विशेषताएं :

- इस योजना का आधार वर्ष बदलकर 1991-92 रखा गया।
- घरेलू संसाधनों की निर्भरता पर बल दिया गया।
- उद्योगों मे आधुनिकीकरण, विविधीकरण और प्रतिस्पधात्मकता पर बल।
- निर्यात प्रोत्साहन पर विशेष बल।
- शिक्षा, साक्षरता, पेयजल, जनसंख्या नियंत्रण, स्वास्थ्य आदि के द्वारा मानव संसाधन विकास पर बल दिया गया।
- निर्देशात्मक नियोजन के स्थान पर प्रोत्साहन नियोजन पर आधारित।

- सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि-दर 5.6 प्रतिशत के लक्ष्य से अधिक 6.7 प्रतिशत प्राप्त की गयी।
- कृषि क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर लक्ष्य (3.5 प्रतिशत) से अधिक (3.6 प्रतिशत) प्राप्त की गयी।
- औद्योगिक विकास की वार्षिक दर 8.5 प्रतिशत से कम 8.10 प्रतिशत रही।

नवीं योजना (Ninth Plan)

अवधि : 1 अप्रैल, 1997 से 31 मार्च, 2002

लक्ष्य : न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास

मुख्य उद्देश्य :

- पर्याप्त उत्पादक रोजगार पैदा करना और गरीबी उन्मूलन की दृष्टि से कृषि और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देना।
- मूल्यों में स्थायित्व लाना और आर्थिक विकास की गति को तेज करना।
- सभी के लिए भोजन एवं पोषण एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना, लेकिन समाज के कमजोर वर्ग पर विशेष ध्यान देना।
- समाज को मूलभूत न्यूनतम सेवाएं प्रदान करना: तथा समयबद्ध तरीके से उनकी आपूर्ति सुनिश्चित करना विशेष रूप से स्वच्छ पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा व आसान सुविधा के संबंध में।
- सभी लोगों की भागीदारी के माध्यम से विकास प्रक्रिया की पर्यावरणीय क्षमता सुनिश्चित करना।
- जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना।
- महिलाओं तथा सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़ी जातियों एंव अल्पसंख्यकों को शक्तियां प्रदान करना जिससे कि सामाजिक परिवर्तन लाया जा सके।
- पंचायतीराज संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं एवं स्वयंसेवी संस्थाओं को बढ़ावा देना और उनका विकास करना।
- आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के प्रयासों को मजबूत करना।

इस प्रकार नौवीं योजना का प्रमुख उद्देश्य 'न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास' (Growth with Equity and Distributive Justice) करना था। इस उद्देश्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्न चार बातें चिह्नित की गयी।

- गुणवत्ता युक्त जीवन (Qualitative Life)
- रोजगार संवर्द्धन (Employment Promotion)
- संतुलन (Regional Balance)
- आत्मनिर्भरता (Self- Dependence)

परिणाम :

- 1991 में आरंभ की गयी उदारीकरण प्रक्रियाओं के अनुरूप तथा आठवीं योजना में विकास के निजी क्षेत्र की ओर झुकाव के अनुरूप, नौवीं योजना में कहा गया कि 'हमारी विकास युक्ति इस प्रकार की होनी चाहिए जो हमारे व्यापक और फैले हुए निजी क्षेत्र को इतना सक्षम बना सके कि वह उत्पादन में वृद्धि, रोजगार-अवसरों के सृजन तथा समाज के आय स्तर में वृद्धि कर पाने की अपनी पूरी संभावनाओं को प्राप्त कर सके। आर्थिक प्रतिस्पर्धा और मुक्त बाजारों के अनुशासन में कार्यरत शक्तिशाली निजी क्षेत्र दुर्लभ संसाधनों के कुशल प्रयोग को प्रोत्साहित करेगा जिसमें न्यूनतम लागत पर तेज आर्थिक विकास हो सकेगा। इसलिए हमारी नीतियों से ऐसा माहौल बनना चाहिए जिससे यह परिणाम पा सकने में सहायता मिले।'
- इस प्रकार, नौवीं योजना में सरकार की विकास युक्ति का उद्देश्य ऐसी आर्थिक व सामाजिक आधारित संरचना का निर्माण करना था जिसमें निजी क्षेत्र बिना किसी कठिनाई व रूकावट के अपने कार्य-कलाप को कर सके। अर्थात् सरकार को बिजली व ऊर्जा की उचित व्यवस्था, म्युनिसिपल सेवाओं (Municipal Services) इत्यादि के विकास व विस्तार पर विशिष्ट ध्यान देना था। ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक आधारित संरचना के अंतर्गत सिंचाई, ग्रामीण सड़के, संगठित ग्रामीण बाजार इत्यादि आएंगें।
- औद्योगिक क्षेत्र में विकास युक्त का प्रयास यह था कि निजी क्षेत्र पर लगे प्रतिबंधों को कम से कम किया जाए तथा निजी क्षेत्र की उत्पादन गतिविधियों में नौकरशाही तंत्र व सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम हो।
- जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का संबंध है अंतत: उनके निजीकरण के उद्देश्य से विनिवेश (Disinvestment) की नीति जारी रखी गयी और विनिवेश से जो संसाधन प्राप्त होने थे, उनको सामाजिक क्षेत्रों (विशेष तौर पर स्वास्थ्य व शिक्षा) की योजनाओं पर खर्च करने का वादा किया गया।
- जहां तक विदेशी क्षेत्र का संबंध है, इसमें युक्ति इस प्रकार की रही कि आयात प्रशुल्क दरों को कम किया गया एवं मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त किया गया, निर्यातों के प्रयास में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए उचित कदम उठाए गये तथा निर्यात प्रोत्साहन में सहायता देने के लिए विदेशी विनिमय दर नीति का प्रयोग किया गया और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उचित कदम उठाए गये।
- भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो 1990-91 में 0.1 बिलियन डॉलर था, 1997-08 में बढ़कर 3.2 बिलियन डॉलर हो गया।

- जहां तक पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता (Capital Account Convertibility) का प्रश्न है, नौंवी योजना में इस विषय पर सर्तकता अपनाने पर जोर दिया गया क्योंकि अल्पकालीन पूंजी प्रवाह देश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखते है जैसा कि 1990 के दशक के उत्तरार्द्ध में पूर्वी एशियाई देशों के अनुभव से स्पष्ट होता है।
- वित्तीय क्षेत्र में नौवीं पंचवर्षीय योजना का जोर वित्तीय सुधारों पर खास तौर पर बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों पर तथा पूंजीबाजार में सुधारों पर रहा। योजना में बीमा और पेंशन फंडों से संबंधित सुधारों पर भी जोर दिया गया। योजना आयोग का विचार है कि ये दीर्घकालीन पूंजी के स्वाभाविक स्रोत है और इसलिए इनका प्रयोग आधारित संरचना के वित्तीय के लिए किया जा सकता है।
- योजना में साल दर साल भारी राजकोषीय घाटों (Fiscal Deficits) पर निर्भर रहने के खतरों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया। इस योजना में एक ऐसी दीर्घकालीन राजकोषीय नीति अपनाए जाने की बात की गयी जिसका उद्देश्य एक निश्चित समयावधि में राजकोषीय घाटे को एक सहनीय (Sustainable) स्तर पर लाने की व्यवस्था हो। विशेष रूप से राजस्व घाटे (Revenue Deficit) को कम करने पर जोर दिया गया। जहां एक गैर-योजना व्यय को कम करने का प्रश्न है इसके लिए आवश्यक होगा कि आर्थिक सहायता (Subsidy) का बोझ कम किया जाए। समय के साथ कई प्रकार की प्रत्यक्ष व छिपी हुई आर्थिक सहायता का भार बढ़ता गया।
- कई बार आर्थिक सहायता का लाभ ऐसे लोगों को हुआ है जिन्हें आर्थिक आवश्यकता नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि आर्थिक सहायता का दायरा सीमित किया जाये और उसे केवल उन वर्गों तक केंद्रित किया जाये जिन्हें वास्तव में उसकी आवश्यकता है।

दसवीं योजना (Tenth Plan)

राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित दसवी पंचवर्षीय योजना (2002-07) में 8 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर की परिकल्पना की गयी थी। दसवीं योजना में 8 प्रतिशत वृद्धि लक्ष्य के अतिरिक्त मानव विकास के कुछ मुख्य संकेतकों के लिए भी लक्ष्य निर्धारित किये गये। इनमे वर्ष 2007 तक गरीबी अनुपात को 8 प्रतिशांक बिन्दु कम करना, योजना अवधि में श्रमिक बल में वृद्धि करने के लिए लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराना, सभी बच्चों को विद्यालय भेजना और योजना अवधि के भी साक्षरता दर को बढ़ाकर 75 प्रतिशत करना शामिल थे।

दसवीं योजना के प्रमुख लक्ष्य :

- दसवीं योजना में सकल घरेलू उत्पाद में वार्षिक 8 प्रतिशत की वृद्धि।
- प्रतिवर्ष 7.5 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)
- पांच वर्ष में 78,000 करोड़ रूपये का विनिवेश।
- पांच वर्ष में पांच करोड़ रोजगार के अवसरों का सृजन।
- सार्वजनिक क्षेत्र का कुल परिव्यय 15,92,300 करोड़ रू।
- केंद्रीय योजना परिव्यय 9,21,291 करोड़ रू।
- राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का परिव्यय 6,71,009 करोड़ रू।
- केंद्रीय बजटीय सहायता 7,06,000 करोड़ रू।
- 2007 तक साक्षरता दर 75 प्रतिशत करना।
- 2007 तक शिशु मृत्यु दर घटाकर 45 प्रति हजार करना।
- 2007 तक वनाच्छादन बढ़ाकर 25 प्रतिशत करना।
- सकल घरेलू निवेश की दर GDP को 28.41 प्रतिशत करना।
- सकल घरेलू बचत की दर GDP का 26.84 प्रतिशत करना।
- विदेशी पूंजी पर निर्भरता GDP का 1.6 प्रतिशत करना।
- कर- GDP अनुपात बढ़ाकर 2007 तक 10.5 प्रतिशत करना।
- केंद्र और राज्यों का सामूहिक कर GDP अनुपात 16.5 प्रतिशत करना।
- गैर योजना व्यय को घटाकर GDP का 9 प्रतिशत करना।
- निर्धनता अनुपात को 2007 तक 19.34 प्रतिशत तथा 2012 तक 11 प्रतिशत के स्तर पर लाना।
- 2007 तक श्रम बल में हुई अतिरिक्त वृद्धि को उच्चगुणवत्तायुक्त रोजगार उपलब्ध कराना।
- सन् 2003 तक सभी बच्चों को विद्यालय भेजना और सन् 2007 तक उन्हें 5 वर्ष की स्कूली शिक्षा सुनिश्चित करना।
- साक्षरता तथा मजदूरी में लिंगात्मक अंतर को सन् 2007 तक 50 प्रतिशत कम करना।
- 2001-11 के दशक में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर को 16.2 प्रतिशत के स्तर पर लाना।
- शिशु मृत्यु दर को सन् 2007 तक 45 प्रति हजार तथा 2012 तक 28 प्रति हजार जीवित जन्म के स्तर पर लाना।
- मातृत्व मृत्यु दर को सन् 2007 तक 2 प्रति हजार तथा 2012 तक 1 प्रति हजार जीवित जन्म के स्तर पर लाना।
- वनाच्छादन को 2007 तक 25 प्रतिशत तथा 2012 तक 33 प्रतिशत तक करना।

- सन् 2007 तक सभी बड़ी नदियों के प्रदूषण की सफाई करना तथा 2012 तक अन्य अधिसूचित प्रदूषित जल स्रोतों की सफाई करना।

परिणाम :

दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों का परिणाम कुल मिलाकर अपने लक्ष्यों से कम रहे है, विशेषकर कृषि क्षेत्र चिंता का विषय बनकर उभरा है। सकल घरेलू उत्पाद की औसतन वृद्धि 7.3 प्रतिशत ही रही जबकि लक्ष्य 8.1 प्रतिशत प्रति वर्ष निर्धारित किया गया था। वर्ष 2002-03 में मानसून में अनियमितताओं के कारण कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर ऋणात्मक (-6.9 प्रतिशत) रही। हालांकि वर्ष 2003-04 से 2005-06 के बीच स्थिति मे तेजी से सुधार हुआ। वर्तमान आंकड़ें इसके साक्ष्य है वर्ष 2005-06 में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 8.7 प्रतिशत की रही जिसमें वृद्धि दर 3.9 प्रतिशत उद्योग 8.7 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी। इस प्रकार चार वर्षों (2002-06) के औसत के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.3 प्रतिशत और उसके तीन मुख्य क्षेत्रों यथा कृषि, उद्योग और सेवा की वृद्धि दर क्रमशः 1.8 प्रतिशत, 8 प्रतिशत और 8.9 प्रतिशत रही। योजना काल का अंतिम वर्ष (2006-07) की आर्थिक उपलब्धियां उत्साहवर्द्धक रहीं क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 9. 1 प्रतिशत दर्ज की गयी, जबकि वर्ष 1999-2000 के मूल्य के आधार पर कृषि वृद्धि दर 2.6 प्रतिशत रही तथा उद्योग व सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर क्रमशः 10 प्रतिशत एवं 10.7 प्रतिशत रही।

11वीं योजना (Eleventh Plan)

11वीं योजनावधि में क्षेत्रवार विकास लक्ष्य रखे गये है इस दौरान कृषि क्षेत्र में 4.1 प्रतिशत, उद्योग के क्षेत्र में 10.5 और सेवा क्षेत्र 9.9 प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य रखा गया, जबकि दसवी योजनावधि मे इन क्षेत्रों के लिए क्रमशः 1.7 प्रतिशत, 8.3 प्रतिशत और 9.0 प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। योजना आयोग ने अपने दृष्टिकोण पत्र में कहा कि तीव्र आर्थिक प्रगति के बगैर न तो गरीबों के जीवन स्तर में किसी प्रकार का सुधार हो सकता है। न ही उन्हें हासिल होने वाली बुनियादी सुविधाओं के प्रावधानों में किसी प्रकार का सुधार संभव है। इसलिए इसने 1960 के उत्तराद्ध से उदार अर्थव्यवस्थाओं की इस राय का खंडन किया है कि विकास और समता में परस्पर विरोध अंतर्निहित है और इन दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने अर्थात् समता का स्तर बढ़ाने के लिए विकास का किंचित त्याग करना पड़ेगा।

उद्देश्य :

विकास और रोजगार को तेज करने के लिए आवश्यकता है:

- 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उपभोक्ताओं के लिए सुलभ तथा प्रतियोगी लागत पर समुचित तथा कुशल आधारभूत संरचना। इसमें 16,00,000 करोड रूपये के निवेश का अनुमान।
- सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा अकेले वित्तीय जरूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता।
- अतएवं सार्वजनिक क्षेत्र के प्रयास को बल देने के लिए सार्वजनिक निजी साझेदारियों (पीपीपी) पर भरोसा आवश्यक है।
- सफल होने के लिए पीपीपी को एक उचित माहौल प्राप्त हो।
- प्रलेखों एवं प्रक्रियाओं को मानकीकृत किया जाना यानि एमसीए।
- पीपीपी संतुलित प्रतियोगी निविदा को शामिल करें।
- नियामक ढांचा को उपभोक्ता तथा उत्पादक के हितों के बीच एक संतुलन स्थापित करना चाहिए।

आधारभूत संरचना वाले अन्य क्षेत्र

उच्च पथ :

- 2012 तक 40,000 किमी मार्ग का विकास 2,20,000 करोड रू (50 अरब डॉलर)
- अब तक अनुमोदित पीपीपी कार्यक्रमः 19,600 किमी
- भारासप्रा (एनएचएआई) की पुनर्सरचना का कार्य आरंभ किया जा रहा है।

हवाई अड्डे :

- 2012 तक संभावित निवेशः 40,000 करोड रूपये (93 अरब डॉलर)
- बंगलुरू, हैदराबाद, दिल्ली एवं मुंबई में पीपीपी परियोजनाएं प्रगति पर।
- पीपीपी के माध्यम से 5 हरित क्षेत्र हवाई अड्डे का विकास किया जायेगा।
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा उपस्करों का उन्नयन एवं 35 अन्य हवाई अड्डों का विकास किया जायेगा।

बंदरगाह :

- 2012 तक 64 करोड टन क्षमता का विस्तार करने हेतु 54 नई गोदियों के लिए पीपीपी।
- तलछट को हटाने के लिए पोर्ट ट्रस्टों द्वारा तलमार्जन।
- 20 वर्षों की संदर्श योजना तथा 7 वर्षों के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
- रेल / सड़क संपर्क की परियोजनाएं प्रगति पर है।
- सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरलीकृत किया गया है।

रेलवे :

- समर्पित फ्रंट कॉरीडोर के लिए एसपीवी स्थापित की गयी। संभावित निवेश: 22,000 करोड रूपये।
- कंटेनर गाड़ी खंड में प्रतिस्पर्धा लागू की गयी।
- नये रूटों पर रेलवे स्टेशनों, लौजास्टिक पार्कों, कार्गो एकत्रीकरण तथा वेयरहाउसों आदि में पीपीपी का इरादा है।

समस्या :

समस्या का मुख्य क्षेत्र ऊर्जा क्षेत्र है।

- 10वीं योजना में क्षमता वृद्धि निर्धारित 41,000 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में 30,000 मेगावाट से अधिक नहीं होगी।
- 11वीं योजना योजना के लिए लक्ष्य 40-70,000 मेगावाट के आसपास होना चाहिए। इसमें संचारण तथा वितरण सहित 500,000 करोड रूपये के निवेश की आवश्यकता है।
- यह क्षेत्र इस पैमाने पर संसाधनों की व्यवस्था के लिए पर्याप्त रूप से व्यवहार्य नहीं है। यदि क्रय उपयोगिता की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार नहीं होता है तो उसमें पीपीपी मदद नहीं कर सकता है।
- अतएवं टी एंड डी के नुकसान को उच्च प्राथमिकता देनी है। उसे 11वीं योजना के अंत तक 40 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से घटाकर 15 प्रतिशत पर लाना है।
- राज्य सरकारें इस उद्देश्य को उच्चतम प्राथमिकता दें।

ग्यारहवीं योजना के दृष्टिकोणपत्र के प्रमुख बिन्दु :

- तीव्रतर विकास के साथ अधिक संहित (Inclusive) संवृद्धि की दुतरफा रणनीति।
- निर्धनता अनुपात में सन् 2007 तक 5 प्रतिशतांक की तथा सन् 2012 तक 15 प्रतिशतांक की कमी लाना।
- कम से कम ग्यारहवीं योजना में होने वाली श्रम बल बुद्धि को उच्च गुणवत्ता युक्त रोजगार मुहैया कराना।
- 2001 से 2011 तक के दशक में जनसंख्या संवृद्धि की दशकीय वृद्धि दर को घटाकर 16.2 प्रतिशत के स्तर पर लाना।
- ग्यारहवीं योजना अवधि में साक्षरता दर को बढ़ाकर 75 प्रतिशत करना।
- सन् 2012 तक देश के सभी गांवों में स्वच्छ पेयजल की अविरत पहुंच सुनिश्चित करना।
- योजनावधि में रोजगार के 7 करोड नए अवसर सृजित करना।

बजटीय संसाधन :

ग्यारहवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र के अनुसार 2007-12 की पंचवर्षीय अवधि में केंद्र और राज्यों की सम्मिलित सकल बजटीय सहायता राशि दसवीं योजना के स्तर से 2.5 प्रतिशतांक (सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में) अधिक होगी इसे राजकोषीय विवेकशीलता जैसी सीमाओं (राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3.5 प्रतिशत तक सीमित रखना) के साथ बेहतर कर संग्रह एवं गैर-योजना व्यय के विवेकीकरण द्वारा पूरा किया जायेगा।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अनुश्रवणनीय सामाजिक-आर्थिक लक्ष्य

आय एवं निर्धनता :

- वर्ष 2016-17 तक प्रति व्यक्ति आय को दोगुना तक लाने के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वार्षिक संवृद्धि दर को 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करना तथा इसे 10 प्रतिशत से 12 प्रतिशत के बीच बनाए रखना।
- उच्च विकास दर के लाभों को व्यापक स्तर पर लाने के लिए कृषि जीडीपी की वार्षिक संवृद्धि दर को 4 प्रतिशत तक बढ़ाना।
- रोजगार के 70 मिलियन नये अवसर पर सृजित करना।
- शैक्षिक बेरोजगारी को 5 प्रतिशत से नीचे लाना।
- अकुशल श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी दर में 20 प्रतिशत तक की वृद्धि करना।
- उपयोग निर्धनता के हेडकाउण्ट अनुपात में 10 प्रतिशत तक की कमी लाना।

शिक्षा :

- प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर विद्यालय छोड़कर घर बैठ जाने वाले बालकों की दर (ड्राप आउट रेट) को वर्ष 2003-04 में 52.2 प्रतिशत से घटाकर वर्ष 2011-12 तक 20 प्रतिशत के स्तर पर लाना।
- प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षणिक ज्ञान प्राप्त करने के न्यूनतम मानक स्तरों को प्राप्त करना एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा की प्रभावशीलता के मूल्यांकन हेतु नियमित रूप से जांच करते रहना।
- 7 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में साक्षरता दर को बढ़ाकर 85 प्रतिशत करना।
- साक्षरता में लिंग अंतराल (जेण्डर गैप) को 10 प्रतिशतांक तक नीचे लाना।
- प्रत्येक आयु वर्ग में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों के अनुपात को वर्तमान में 10 प्रतिशत से बढ़ाकर ग्यारहवीं योजना के अंत तक 15 प्रतिशत करना।

स्वास्थ्य :

- शिशु मृत्यु दर को घटाकर 28 तथा मातृत्व मृत्यु दर को घटाकर प्रति एक हजार जीवित जन्म के स्तर पर लाना।
- कुल प्रजननता दर को 2-1 तक नीचे लाना।
- सन् 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराना तथा ग्यारहवीं योजना के अंत 2012 तक यह सुनिश्चित करना कि इसमें कमी न आए।
- 0-3 वर्ष आयु में बालकों में कुपोषण को वर्तमान के स्तर से आधा करना।
- महिलाओं एवं लड़कियों में रक्ताल्पता को ग्यारहवीं योजना के अंत तक 50 प्रतिशत तक घटाना।

महिलाएं एवं बालिकाएं :

- 06 आयु वर्ग में लिंगानुपात को वर्ष 2011-12 तक बढ़ाकर 935 तथा 2016-17 तक 950 करना।
- यह सुनिश्चित करना कि सभी सरकारी योजनाओं के कुल प्रत्यक्ष एवं परोक्ष लाभार्थियों में महिलाओं एवं बालिकाओं का हिस्सा कम से कम 33 प्रतिशत हो।
- यह सुनिश्चित करना कि काम करने की किसी बाध्यता के बिना सभी बच्चे सुरक्षित बाल्यकाल का आनंद उठाते है।

आधारित अवसंरचना :

- सभी गांवों एंव निर्धनता रेखा से नीचे के सभी परिवारों ने सन् 2009 तक विद्युत संयोजन सुनिश्चित करना तथा ग्यारहवीं योजना के अंत 2012 तक इनमें 24 घंटे विद्युत आपूर्ति प्रवाहित करना।
- सन् 2009 तक 1000 जनसंख्या वाले सभी गांवों (पर्वतीय एवं जनजातियों क्षेत्रों में 500 जनसंख्या) तक सभी मौसमों के लिए उपयुक्त पक्की सड़के सुनिश्चित करना तथा सन् 2015 के सभी महत्वपूर्ण अधिवासों तक पक्की सड़कें बनवाना।
- नवंबर 2007 तक देश के सभी गांवों तक टेलीफोन पहुंचाना तथा 2012 तक सभी गांवों में ब्राडबैंड सुविधा मुहैया कराना।
- सन् 2012 तक सभी को घर बनाने के लिए भूमि उपलब्ध कराना तथा सन् 2016-17 तक सभी ग्रामीण निर्धनों को आवास मुहैया कराने के लिए आवास निर्माण की गति में तेजी लाना।

पर्यावरण :

- वनों एंव पेडों के अंतर्गत क्षेत्रफल में 5 प्रतिशतांक की वृद्धि करना।
- वर्ष 2011-12 तक देश के सभी बड़े शहरों में वायु गुणवत्ता के विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक प्राप्त करना।
- नदियों के जल को स्वच्छ बनाने के लिए समस्त शहरी तरल कचरे को उपचारित करना।
- वर्ष 2016-17 तक ऊर्जा क्षमता को 20 प्रतिशतांक बढ़ाना।

उपलब्धियाँ :

ग्यारहवीं योजना (2007-12) में 9 प्रतिशत औसत वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था जिसे बाद में संशोधित करके 8.1 प्रतिशत कर दिया गया। किंतु अब 7.9 प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है। कृषि क्षेत्र में विकास दर 4 प्रतिशत निर्धारित की गयी थी किंतु इस योजना के पहले 4 वर्षो (2007-2011) के दौरान इस क्षेत्र में हासिल की गयी विकास दर लगभग 3.2 प्रतिशत रही। कृषि क्षेत्र का देश की (GDP) में योगदान (2004-05 की कीमतों पर) लगभग 15.7 प्रतिशत और निर्यात में 10.23 प्रतिशत रहा है। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में लगभग 58.2 प्रतिशत लोगों को रोजगार भी मिला। 11वीं योजना के अंत तक खाद्यान्नों के उत्पादन में कम से कम 2 करोड टन की वृद्धि के मिशन के अंदाज में राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य मिशन प्रारंभ किया गया। वर्ष 2011-12 में खाद्यान्न उत्पादन लगभग 250.4 मिलियन टन अनुमानित किया गया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रारंभ की गयी है। 11वीं योजना के दौरान इसके लिए रूपये 25 हजार करोड आवंटित किये गये है।

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा उद्योग देश की अर्थव्यवस्था में निरंतर विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रह है। वर्ष 2010-11 में साफ्टवेयर और सेवाओं का अनुमानित निर्यात 59 अरब डॉलर का रहा।

भारत का दूरसंचार नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ता हुआ नेटवर्क है। 30 जून, 2011 को देश में दूरसंचार उपभोक्ताओं की संख्या 88 करोड, 59 लाख, 60 हजार थी। मार्च, 2011 में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 1 करोड, 96 लाख, 70 हजार हो गयी थी।

मई, 2011 में CSO द्वारा जारी संशोधित अनुमानों के अनुसार उद्योग क्षेत्र ने 7.9 प्रतिशत की विकास दर हासिल की। वर्ष 2010-11 में घरेलू सकल पूंजी निर्माण 29.5 प्रतिशत रही। लघु उद्योग क्षेत्र के लिए वर्तमान में 21 उत्पाद आरक्षित किये गये है। हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने विकास और कल्याण स्कीमों को लागू करना जारी रखा है।

भारत अपनी यूरिया जरूरतों का 85 प्रतिशत देशी उत्पादन से पूरा कर रहा है। लेकिन फॉस्फोरस तथा पोटेशियम उर्वरक जरूरतों के लिए अभी भी आयात पर निर्भर है। विश्व इस्पात संघ के

अनुसार जनवरी, नवंबर, 2010 की अवधि में चीन, जापान एवं अमरीका के बाद भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा कच्चे इस्पात का उत्पादक था।

विशेष आर्थिक क्षेत्रों ने 4.9 लाख लोगों को सीधे रोजगार उपलब्ध कराए है। 11वीं योजना में समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए उत्पादक और लाभकारी रोजगार पर विशेष ध्यान दिया गया है। 11वीं योजना (2007-12) के दौरान 5 करोड 80 लाख रोजगार के अवसरों का लक्ष्य रखा गया था। वर्ष 2010-20 के दशक को नवप्रवर्तन का दशक घोषित किया गया है।

बारहवीं योजना (Twelth Plan)

12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल, 2012 से आरंभ होकर 31 मार्च, 2017 को समाप्त होगी। इस योजना के दृष्टिपत्र के अंतिम रूप से स्वीकार करने से पहले राष्ट्रीय विकास परिषद ने योजना के लक्ष्यों, चुनौतियों, प्रायोजित कार्यक्रमों, विभिन्न समस्याओं और उनके समाधानों पर विचार-विमर्श किया। इसमें अनेक मुद्दों पर सहमति देखने को मिली।

दृष्टिपत्र में व्यक्त किए गए अनुमानों के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना की समयवधि के अंत तक योजना निधि में राज्यों का हिस्सा केंद्र की तुलना में अधिक होगा, अगर राज्यों को आवंटित सीएसएस भी शामिल कर लिया जाए। यह महसूस किया गया कि राज्यों को अपने संसाधन बढ़ाकर समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करना चाहिए।

12वीं पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य: तीव्र, धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास।

उपराष्ट्रपति डॉ. हामिद अंसारी के अनुसार "12वीं पंचवर्षीय योजना जन स्वास्थ्य के नाम समर्पित है।"

योजनाओं में सदैव ही विकास को लेकर चिंता जताई जाती रही है क्योंकि विकास से ही निर्धनता को दूर किया जा सकता है। विकास ही समृद्धि लाने का औजार है। भारत की निर्धनता और उसकी विशाल विविध जन संख्याओं को देखते हुए विकास की यह भूमिका और निर्णायक हो जाती है।

12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दृष्टिकोण का प्रारूप राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। दृष्टिकोण की विषयवस्तु है- त्वरित, सतत तथा अधिक समावेशी विकास।

दृष्टिकोण में 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख लक्ष्यों, उनको हासिल करने मे आने वाली प्रमुख चुनौतियों और घोषित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपनाए जाने वाले तौर-तरीकों का विवरण दिया गया है। इसमें 9 प्रतिशत की विकास दर का लक्ष्य रखा गया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था मे छाई अनिश्चितताओं और घरेलू अर्थव्यवस्था की चुनौतियों को देखते हुए यदि कुछ कठिन निर्णय नहीं लिए गए तो संभव है कि नौ प्रतिशत की विकास दर हासिल न हो सके।

कृषि के मोर्चे पर दृष्टिकोण में 12वीं पंचवर्षीय योजना में 4 प्रतिशत की औसत विकास दर हासिल करने हेतु सघन प्रयास करने की बात कही गई है। ग्यारहवीं योजना के प्रथम चार वर्षों में कृषि की विकास दर 3.2 प्रतिशत रही है। कृषि के विकास से न केवल ग्रामीणों की आय मे सुधार होगा, बल्कि मुद्रास्फीति पर दबाव भी कम होगा। दृष्टिकोण मे जल संरक्षण को और कारगर बनाने का लक्ष्य लेकर समग्र जल प्रबंधन नीति विकसित करने और विशेषकर कृषि के क्षेत्र मे जल के किफायती उपयोग पर ध्यान आकर्षित किया गया है।

समावेश का संवर्द्धन करने वाले जो प्रमुख कार्यक्रम ग्यारहवीं योजना में प्रारंभ किए गए थे, वे 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी जारी रहेंगें; परंतु उनकी प्रभाविकता में सुधार लाने के लिए क्रियान्वयन और प्रशासन पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।

स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास पर 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी ध्यान दिया जाना जारी रहेगा। सबके लिए स्वास्थ्य पर उच्चस्तरीय विशेष समूह ने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 1.2 प्रतिशत के मौजूदा स्तर के बजाय 12वीं पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य पर जीडीपी के 2.5 प्रतिशत के व्यय की संतुति की है। जिसे देखते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र का आवंटन दोगुना हो सकता है।

महत्वकांक्षी विकास दर को हासिल करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करना एक बड़ी चुनौती होगी। चूंकि घरेलू ऊर्जा आपूर्ति सीमित है, इसलिए इस मद में आयात पर निर्भरता बढ़ जाएगी। अत: ऊर्जा की घरेलू आपूर्ति में वृद्धि के लिए दोगुना अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। विद्युत उत्पादन प्रक्रिया में ऊर्जा-क्षरण को भी कम करना होगा।

दृष्टिकोण में यह बात स्वीकार की है कि 9 प्रतिशत की विकास दर हासिल करने के लिए बुनियादी संरचना क्षेत्र में अधिक निवेश की आवश्यकता होगी। ढांचागत अभावों के मुद्दों के समाधान के लिए सार्वजनिक निवेश पर अधिक जोर देने के साथ-साथ सरकारी और निजी क्षेत्र की भागीदारियों (पीपीपी) की और प्रोत्साहन देना होगा।

दृष्टिकोण में स्पष्ट किया गया है कि संसाधनों के सीमित होने के कारण प्राथमिकताएं निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी संरचना जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अन्यों से अधिक निवेश करना होगा। उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किफायत और कुशलतापूर्वक करना होगा। दृष्टिकोण में क्रियान्वयन एजेंसियों को अधिक स्वतंत्रता, लचीलापन और

जवाबदेही देने का सुझाव दिया गया है। साथ ही क्षमता निर्माण की आवश्यकता और विभिन्न योजना कार्यक्रमों के संसाधनों के बीच समायोजन की बात भी कही गई है।

निश्चय ही विकास ही हमारा एकमात्र उद्देश्य नहीं रहा है। हमारा उद्देश्य है समावेशी विकास जिससे हमारा अर्थ है पिछड़े वर्गों को लाभ पहुंचाना सुनिश्चित कर सके और साथ ही पर्यावरण की रक्षा भी कर सके।

समावेश के लिए प्रासंगिक हमारे काम-काज का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि दसवीं योजनावधि में 2.2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की औसत दर से घट रही कृषि की विकास दर के 11वीं पंचवर्षीय योजना मे औसतन 3.5 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है। यह सुस्पष्ट सुधार इस बात का प्रमाण है कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा इस दिशा में उठाए गए, अनेक कदम सफल रहे है। त्वरित कृषि विकास के साथ-साथ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों की मजदूरी मे वास्तविक वृद्धि हुई है।

समावेशन की हमारी रणनीति मे शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और इस क्षेत्र के समाचार उत्साहवध र्क है। प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की भर्ती की स्थिति उत्साहजनक है। प्राय: सभी बच्चों के नाम लिखे जा रहे है। बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों (ड्रॉप आउट्स) की संख्या काफी है, परंतु उसमें कमी आ रही है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा शेष जनसंख्या के बीच दूरी (अंतर) बनी हुई है, जिसे समाप्त करना आवश्यक है। परंतु यह अंतर निरंतर कम होता जा रहा है। लड़कों और लड़कियों के बीच अंतर में भी कमी आ रही हैं इन अंतरों मे और कमी लाने के लिए अपने प्रयासों के साथ-साथ हमें शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने की चुनौती का सामना करना होगा। शिक्षा ऐसी हो जिससे रोगजार मिलने में आसानी हो।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2007 मे ही शुरू हुआ है, परंतु इसमें स्वास्थ्य अधोसंरचना में भारी अंतर को पाटने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। अभी बहुत काम बाकी है, परंतु प्रगति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। संस्थागत प्रसवों की संख्या का प्रतिशत 2006 के 54 से बढ़कर 2009 में 73 तक पहुंच चुका है। इसी अवधि में शिशु मृत्युदर 57 से गिरकर 50 पर आ गई है। निर्धनों के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तौर पर एक बड़ी पहल की गई है। इसके अंतर्गत इस समय इलाज के लिए भर्ती 10 करोड से अधिक मरीजों को बीमा की सुविधा मिली है। इसी प्रयोग के आधार पर हमें बारहवीं योजना के सार्वभौमिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की प्रणाली को अपनाना होगा।

ग्रामीण और शहरी, दोनों ही क्षेत्रों में अधोसंरचना से सुधार समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ग्रामीण अधोसंरचना विकास पर केंद्रीय भारत निर्माण कार्यक्रम ने ग्रामीण सड़कों, ग्रामीण विद्युतीकरण, सिंचाई, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण आवास के क्षेत्र में भारी संसाधन मुहैया कराए है।

बुनियादी ढांचा विकास अर्थव्यवस्था के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र, दोनों की ही इसमें प्रमुख भूमिका है।

केंद्र और राज्य सरकारों ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी मे अनेक परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी की है। एक हालिया अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में पीपीपी (सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी) परियोजनाओं की संख्या के मामले में भारत को दूसरा स्थान मिला है।

ग्यारहवीं योजना में, पहली बार, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अध ोसंरचना योजना प्रस्तुत की गई है। इसकी शुरूआत अच्छी हुई है और हमें यहीं गति बारहवीं पंचवर्षीय योजना में भी बनाए रखना चाहिए।

भारत का विकास निष्पादन (विकास दर)

इसमें कोई संदेह नहीं कि विकास दर के मोर्चे पर अर्थव्यवस्था का निष्पादन बहुत अच्छा रहा और अगर दीर्घावधि परिदृश्य पर ध्यान दें, तो यह और भी प्रभावशाली लगेगा। 1960-70 के दो दशकों के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी विकास दर औसतन 3.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष रही थी, वह भी ऐसे वक्त जब अन्य विकासशील देशों में विकास दर काफी तेज थी। 1980 से शुरू होने वाले दशक के दौरान नीतियां अनुकूल बनाई गई ताकि उच्च विकास दर की गति बढ़ाकर इस दशक के दौरान 5.6 प्रतिशत की जा सके। 1991 में एक बड़ा प्रयास किया गया जिसका आधार बाजार की ताकतों को सक्रिय होने के अधिक अवसर देना और वित्तीय क्षेत्र का क्रमश: उदारीकरण तथा दुनियाभर के देशों के साथ व्यापार और पूंजी प्रवाह के लिए अर्थव्यवस्था को खोलना था। इसके चलते देश की अर्थव्यवस्था विकासदर में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। 1990 के दशक के पूर्वाद्ध मे यह काफी तेज रही, लेकिन उत्तराद्ध मे इसकी रफ्तार कम हो गई जिसके कारण पूरे दशक की औसत विकास दर 5.7 प्रतिशत ही रही जो 1980 के दशक के दौरान रही विकास दर से अलग नहीं थी।

दसवीं योजनावधि (2002-03 से 2006-07) में 8 प्रतिशत विकासदर का लक्ष्य रखा गया और औसतन 7.8 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त की गई। 11वीं योजनावधि (2007-08 से 2011-12) 9 प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य रखा गया। इस अवधि मे आर्थिक विकास दर पहले साल के दौरान 9.3 प्रतिशत रही लेकिन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट के चलते 2008 में यह

रफ्तार तब तक हो गई जब जीडीपी की विकासदर 6.8 प्रतिशत से कम हो गई।

भारत में आर्थिक निष्पादन में आए सुधार ने विश्व के अन्य देशों की भारत के प्रति धारणा को बदलकर रख दिया है। शुरू-शुरू में इसे तब मान्यता मिली जब नवंबर, 2002 में गोल्डमैन साच्य ने अपनी एक रिपोर्ट में भारत, ब्राजील, रूस और चीन के बारे मे कहा कि चार देशों का यह ब्रिक ग्रुप अपनी कुल जीडीपी में वृद्धि के चलते 2035 तक जी-8 देशों पर छा जाएगा। वर्ष 2000 में शुरू होने वाले दशक के दौरान अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ निष्पादन और वैश्विक मंदी के चलते लचीलेपन को देखते हुए भारत के लिए यह मूल्यांकन और भी सकारात्मक हो गया है।

समावेश

तीन कारणों के अलावा विकास दर समावेशी निष्पादन का मूल्यांकन करना मुश्किल है। पहला तो यह है कि समावेशी विकास एक बहुकोणीय धारणा है और इसकी प्रगति के अनेक पक्षों के मूल्यांकन की जरूरत है। दूसरे, सर्वसमावेशी विकास के विभिन्न पक्षों से संबंधित आंकड़े तभी उपलब्ध हो पाते है जब काफी समय बीत जाता है और 11वीं योजनावधि के बारे में सूचना अभी तब नहीं मिली। तीसरी, सर्वसमावेशी लक्ष्य को लेकर बनाई गई नीतियों का प्रभाव सिर्फ लंबी अवधि के बाद दिखाई देता है। इसका मतलब है कि अगर नीतियां सही दिशा में चल रही है तो भी उसका परिणाम काफी देर से सामने आएगा। उदारहण के लिए गरीबों के लिए शिक्षा मे सुधार के उपाय करने से यह माना गया कि भविष्य में इससे उनकी अर्जन क्षमता में सुधार आएगा। लेकिन अधिक आय अर्जन के रूप में इसका परिणाम काफी समय बाद दिखाई देगा।

औसत सकल घरेलू बचत दर 2007-08 के चरम बिन्दु 36. 9 प्रतिशत तब बढ़ गई और उसके बाद 2008-09 के संकट वर्ष के दौरान इसमें गिरावट आई और 32.2 प्रतिशत पर पहुंच गई। जीडीपी में 4.7 प्रतिशत अंकों की गिरावट का प्रमुख कारण 3. 8 प्रतिशत अंक की दर से सरकारी बचत में गिरावट है।

श्रम निवेश

भारतीय कार्यशील जनसंख्या अगले 20 वर्ष में बढ़ेगी जबकि औद्योगिक देशों, चीन में भी, यह कम हो रही है। इसे कभी-कभी जनसंख्या वृद्धि का लाभप्रद पहलू माना जाता है लेकिन ध्यान देने की बात है कि बढ़ता हुआ कार्यबल तभी लाभप्रद हो सकता है जब (a) जीडीपी विकास मे तेजी लाने के लिए पर्याप्त निवेश किया जाए ताकि श्रम शक्ति की उत्पादकता से लाभ उठाया जा सके, और (b) अगर नये युवाओं को शिक्षा और दक्षता का प्रशिक्षण दिया जाता है, तो श्रम शक्ति में नये युवा वर्ग के प्रवेश से बेरोजगारी बढ़ सकती है जिसके परिणामस्वरूप अशांति फैल सकती है।

भारत में स्कूल में पढ़ने की औसत वर्षों की संख्या 1990 में जहां 3.45 थी वहीं यह 2000 में 4.20 हो गई और 2010 में 5.12 पर पहुंच गई। यह चीन की1990 में 5.621 और 2000 में 7.11 तथा 2010 में 8.17 के साथ तुलनीय है। इस मामले में भारत महत्वपूर्ण ढंग से चीन से पिछड़ा हुआ है और श्रम शक्ति की शिक्षा के मामले में भारत की स्थिति 1985 में चीन के साथ इस मामले में तुलनीय थी। उस समय चीन ने पिछले 30 वर्षों में जीडीपी के वार्षिक विकास की 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक की दर प्राप्त की थी।

11वीं योजनावधि मे कई प्रकार के महत्वपूर्ण उपाय किए गए जिसमें सबके लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाना शामिल है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम पास किया गया और माध्यमिक शिक्षण संस्थानों का विस्तार बड़े पैमाने पर हुआ। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनेक उपाय भी किए गए। 11वीं योजना अवधि मे सबको शिक्षा की पहुंच में लाने के उद्देश्य से मात्रात्मक विस्तार पर बल दिया गया।

दक्षता विकास

ग्यारहवीं योजना मे लक्ष्य रखा गया था कि करीब 50 करोड व्यक्तियों को 2020 तक कोई न कोई औपचारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कई उपाय किए गए है जिनमें राष्ट्रीय दक्षता विकास परिषद की स्थापना शामिल है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष है और राज्य स्तर के परिषदों को अध्यक्षता वहां के मुख्यमंत्री करते है। सरकारी खर्च पर एक दक्षता विकास निगम की स्थापना भी की गई है। जो निजी क्षेत्र की अगुवाई में दक्षता विकास के उपाय करता है। दक्षता विकास के काम में निजी क्षेत्र को शामिल करना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा करने से उत्पन्न की गई दक्षता को काम मिलने की संभावना बढ़ जाती है।

कृषि

खाद्य मांग और खाद्य सुरक्षा

दृष्टिपत्र कहता है कि मांग पक्ष मे अर्थव्यवस्था मे कुल मिलाकर व प्रतिशत की वृद्धि से, कृषि में 4 प्रतिशत की वृद्धि की मांग पैदा होने की आशा है, जिसमें खाद्यान्न की मांग में प्रतिवर्ष दो प्रतिशत की वृद्धि होगा और गैर-खाद्यान्न (मुख्यत: उद्यानिकी, पशुधन, दुग्धोत्पादन, कुक्कुटपालन एवं मत्स्यपालन) में 5 से 6 प्रतिशत की वृद्धि होगी। दृष्टिपत्र के अनुसार हमारे सामने चुनौती यह है कि बढ़ती आय के साथ बढ़ रही भारत की जनसंख्या का पेट कैसे भरा जाए, जबकि, भूमि और जल संसाध न सीमित है। बारहवीं योजना में अर्थव्यवस्था में अच्छी बढ़त होने की संभावना है और भोजन की मांग में भी पर्याप्त वृद्धि होगी।

परंतु उपभोग में काफी विविधता रहने की संभावना है, क्योंकि वर्तमान में खाद्य पदार्थों के उपभोग पर जो राशि व्यय की जाती है, उसका केवल 15 प्रतिशत ही खाद्यान्नों पर खर्च होता है।

खाद्य पदार्थों के उपभोग की सामग्रियों में लगातार विविधता आ रही है। यद्यपि अभी भी खाद्यान्नों की प्रधानता बनी हुई है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के आंकड़े भी बताते है कि 1993-94 और 2004-05 के बीच प्रतिव्यक्ति अनाज की खपत 5 प्रतिशत अति निर्धता में बढ़ गई है, जबकि शेष 95 प्रतिशत से कम हो गई है।

दृष्टिपत्र में कहा गया है कि कृषि के लिए जल-प्रबंधन की भूमिका निर्णायक होती है। पानी पंचायत और इसी प्रकार की पंचायती राज संस्थाओं पर आधारित अन्य संस्थाओं, जैसे-जल उपयोगकर्ता संघों के माध्यम से जल प्रबंधन में सुधार लाया जा सकता है। क्षेत्र विकास और मौजूदा बढ़ी सिंचाई प्रणालियों के पुनर्गठन और भौतिक आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वर्षा जल संचय की योनजाओं को व्यापक स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए। वर्तमान में सिंचित भूमि का रकबा 42 प्रतिशत है, उससे बड़े क्षेत्र मे भरोसेमंद सिंचाई की व्यवस्था की जानी चाहिए। पेयजल संसाधनों को सुदृढ़ बनाना होगा। इन सभी गतिविधियों का मौजूदा सतही जलाशय-आधारित नहर सिंचाई प्रणाली से एकीकरण करना होगा।

भारत में कृषि के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 21 प्रतिशत की उच्च दर से पूंजी के निवेश के बावजूद उसी अनुपात में कृषि नहीं हो रही है। चूंकि कृषि योग्य भूमि घटती जा रही है। उत्पादकता वृद्धि पर जोर देना जरूरी होगा। भारतीय सांख्यिकी संस्थान ने एक अध्ययन में बताया है कि 1981-90 के दशक में कृषि की उत्पादकता में 1.62 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हो रही थी, जबकि 1991-2000 के दशक में यह वृद्धि केवल 1.55 प्रतिशत ही रही। यदि 2001-20 की अवधि में कृषि का विकास प्रतिवर्ष 3.5 से 4 प्रतिशत की दर से होता है तो कृषि उत्पादकता में 1.72 से 2.08 प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी और यदि कृषि उत्पादन में 3.8 से 4.8 प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए। इस प्रकार कृषि में उच्च विकास दर प्राप्त करने के लिए उत्पादकता में कम से कम एक तिहाई की बढ़ोतरी जरूरी है क्योंकि कृषि में थोड़ा मुश्किल है।

ग्रामीण शहरी श्रृंखला में लुप्त कड़ी

दृष्टिकोण में ग्रामीण रूपांतरण के अध्ययन के प्रारंभ में कहा गया है कि जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार 83 करोड 30 लाख ग्रामीण भारत में निवास करते रहेंगें। परंतु योजना आयोग हाल तक यह अनुमान लगा रहा था कि 2011 में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या 87 करोड रहेगी। योजना आयोग इस बात की ठीक से अनुमान नहीं लगा सका कि ग्रामीण क्षेत्रों के करीब 3 करोड 70 लाख लोग गांवों से निकलकर छोटे-छोटे शहरों की ओर जा चुके होंगे। यह काफी बड़ी संख्या है और समावेशी विकास जैसे दृष्टिकोण के लिहाज से इतने लोगों का गायब होना एक समस्या है। इसके अतिरिक्त योजना आयोग ने भविष्य के पूर्वानुमानों में कोई बदलाव नहीं किया है और इसके कारण वारहवीं योजना तैयार करते समय कई समस्याएं खड़ी हो सकती है। इन अनुमानों के अनुसार 2030 में ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या का 60 प्रतिशत रह जाएगी।

कृषि विकास दर

दृष्टिपत्र मे इस बात पर जोर दिया गया है कि 12वीं योजना में कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत के औसत विकास, खाद्यान्नों के उत्पादन में लगभग 2 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि और गैर-खाद्यान्नों, खासकर बागवानी, पशुधन, डेयरी, मुर्गीपालन और मछलीपालन उद्योग की 5 से 6 प्रतिशत की वृद्धि दर पाने के प्रयत्नों में तेजी लानी होगी। कृषि में उच्चतर विकास से न सिर्फ ग्रामीण आबादी की आय में व्यापक वृद्धि होगी बल्कि मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने में भी सहायता मिलेगी। यह दबाव तब बढ़ जाता है जब आंतरिक खाद्य उत्पादन की क्षमता में बढ़ोतरी के बिना विकास दर को बढ़ाने का प्रयास किया जाए।

खाद्यान्नों का उत्पादन

ग्यारहवीं योजना में कृषि विकास की रफ्तार में उस कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया है जो नौवीं योजना में देखने को मिली। गिरावट का यह दौर दसवीं योजना के दौरान भी जारी रहा। लेकिन वक्त ने करवट ली और कृषि खिलाड़ियों की दिन-रात की मेहनत रंग लाई। 2010-11 में खाद्यान्नों का उत्पादन 24 करोड 16 लाख टन के शिखर तक पहुंच गया। गेंहू के साथ-साथ दलहनों, तिलहनों और कपास के उत्पादन में भी कीर्तिमान स्थापित किए गए है। साथ ही वर्तमान में कृषि की विकास दर 3.2 प्रतिशत हो गई। दसवीं योजना के दौरान तो कृषि की वृद्धि दर घटकर 2.2 प्रतिशत रह गई। अब 12वीं योजना के दौरान अधिक नहीं तो कम से कम चार प्रतिशत की विकास दर सुनिश्चित करने के लिए हमें अपने प्रयास दोगुनी रफ्तार और पूरे उत्साह से करने की जरूरत है।

कृषि का बागवानी, पशुपालन और गैर-खाद्य फसलों के क्षेत्र में विस्तार तो हुआ लेकिन 1997-98 से 2004-05 के दौरान स्वयं कृषि के जीडीपी में औसत से सिर्फ 1.9 प्रतिशत की वृद्धि ही हुई। कृषि से आय वृद्धि दर तो और भी घट गई। क्योंकि इस अवधि में व्यापक शर्तें कृषि के प्रतिकूल थी। यह सब कुछ अपर्याप्त मांग और ग्रामीणों की क्रय शक्ति में कमी का सूचक था। कृषि आय की तुलना में कृषि कर्ज बढ़ जाने से आशा की किरण

Add. 41-42A, Ashok Park Main, New Rohtak Road, New Delhi-110035
+91-9350679141

धूमिल पड़ने लगी। इसकी परिणति किसानों की आत्महत्याओं की संख्या में वृद्धि के रूप में देखने को मिली।

वर्षा सिंचित क्षेत्र

देश में खासकर वर्षा पोषित क्षेत्रों में कृषि संकट की पुष्टि, 2003 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा किए गए किसानों के स्थिति के आकलन से और 2004 में दसवीं योजना की मध्यावधि मूल्यांकन से भी हो गई। राष्ट्रीय विकास परिषद ने 2005 में कृषि की स्थिति पर विचार के लिए एक उपसमिति बनाई तथा राष्ट्रीय किसान आयोग और योजना आयोग ने जो सूचना सामग्री दी उसके आधार पर 11वीं योजना बनाई गई। राष्ट्रीय विकास परिषद ने पहली बार 2007 में अकेले कृषि क्षेत्र पर विचार के लिए विशेष बैठक बुलाई। इसमें इस क्षेत्र के लिए 11वीं योजना की कार्य नीति पर विचार किया गया और इस विषय पर प्रस्ताव पारित किया गया। इस विचार-विमर्श से यह तथ्य उभरकर सामने आया कि प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव तथ ग्रामीण बुनियादी ढांचे के अभाव के अलावा, कमजोर प्रौद्योगिकी, कर्ज के लिए रूपये पैसे की उपलब्धता में देरी तथा विस्तार और विपणन सेवाओं में ढीलापन साफ दिखाई देता है।

11वीं योजना से पहले ही ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के उद्देश्य से महत्वकांक्षी भारत निर्माण कार्यक्रम आरंभ कर दिया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम 2 फरवरी, 2006 को आरंभ किया गया। इसके जरिये रोजगार सुरक्षा का भूमि और जल संरक्षण के साथ तालमेल बिठाया गया है। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष से अत्यंत गरीब क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं को अपनी योजनाएं स्वयं बनाने के लिए आर्थिक सहायता का विस्तार किया गया।

खाद्य सुरक्षा

1990 के बाद अधिकतर वर्षा में हम अनाजों का निर्यात करते रहे है। 2010-11 में तो भारत ने 50 लाख टन से अधिक अनाज का निर्यात किया। इसमें 20 लाख टन बासमती चावल और तीन लाख टन मक्का था।

12वीं योजना के दौरान अनाजों के उत्पादन में 1.8 से 2 प्रतिशत, चावल के उत्पादन में लगभग 2 प्रतिशत और दालों में लगभग 4 प्रतिशत के उत्पादन का अनुमान लगाया गया है। इस तरह कुल मिलाकर अनाज का उत्पादन 2 प्रतिशत या कुल अधिक होने की अपेक्षा है। बागवानी और पशुपालन क्षेत्र के उत्पाद 4.5 से 5 प्रतिशत होने की उम्मीद है। तिलहन का उत्पादन 2.5 प्रतिशत से अधिक होने की अपेक्षा है। इस तरह कह सकते है कि कृषि के उत्पादन मे कुल मिलाकर 4 से 4.5 प्रतिशत के बीच वृद्धि होगी।

2007 से 2012 तक की 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिशत वाली वृद्धि दर हासिल करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना शुरू की गई थी।

जनवितरण प्रणाली

इसमें यह भी सुझाव दिया गया है कि केंद्र सरकार राज्यों को खाद्यान्न के बजाय आटा की आपूर्ति करे। इसके अलावा 12वीं योजना के प्रस्ताव में राष्ट्रीय खाद्य आयोग और अग्रिम खाद्य सुरक्षा का भी प्रावधान करने को कहा गया है।

12वीं योजना के लक्ष्य

सरकार ने 12वीं योजना में स्वास्थ्य पर जीडीपी का 2.5 प्रतिशत खर्च करने एवं औसत स्वास्थ्य संकेत के नजदीक पहुंचने की इच्छा रखी है। सरकार ने व्यापक स्वास्थ्य सुविधा, व्यापक स्वास्थ्य ढांचा, स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त मानव संसाधन, स्वास्थ्य सेवाओं में जनभागीदारी, बच्चों के पोषण एवं इससे संबंधित कार्यक्रमों को मजबूत करने का संकल्प है।

12वीं योजना में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) पर भी जोर दिया जा रहा है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें 75 : 25 के अनुपात में 30 रूपये के वार्षिक प्रीमियम पर 30,000 रूपये तक के ऑपरेशन या उपचार की सुविधा देगी। यह योजना 29 राज्यों के सभी प्रमुख जिलों में लागू करना है। हालांकि 12वीं योजना का दृष्टिकोण यह उम्मीद करता है कि सरकार द्वारा पोषित यह स्वास्थ्य बीमा योजना देश के सभी नागरिकों को मिले, ऐसी कोशिश की जाएगी।

12वीं योजना मे बच्चों के पोषण, स्कूल स्वास्थ्य तथा समेकित बाल विकास कार्यक्रमों पर भी जोर दिया गया है। इसमें 3 वर्ष तक के बच्चों को विशेष टीकाकरण एवं पोषण आपूर्ति कार्यक्रम में आवश्यक रूप से शामिल करने की बात है।

12वीं योजना में 100 गीगावाट की अतिरिक्त क्षमता के निर्माण का लक्ष्य है। क्षमता वृद्धि में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ कर 50 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है। 11वीं योजना में निजी क्षेत्र का योगदान 33 प्रतिशत था। क्षमता में वृद्धि का अधिकांश दारोमदार तापीय विद्युत पर निर्भर है। इसलिए कोयले की उपलब्धता से जुड़े मुद्दों को हल करना, 12वीं योजना में महत्वपूर्ण होगा।

दूरसंचार

इस योजनावधि में दूरसंचार क्षेत्र में वास्तव में विकास हुआ है। ट्राई (भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण) की रिपोर्ट के अनुसार कुल फोन कनेक्शनों की संख्या 89 करोड 90 लाख हो गई है। मल्टीपुल कनेक्शनों (एक ही व्यक्ति द्वारा लिए गए, अनेक कनेक्शन) की चिंताओं के बावजूद यह संख्या काफी बड़ी है। इस क्षेत्र का 11वीं योजना की उपलब्धि माना जा सकता है।

तेल एवं गैस पाइपलाइन

निवेश आकर्षित करने के मामले मे इस क्षेत्र ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। इसे रू. 16,855 करोड रू. के लक्ष्य की तुलना में रू. 1.27 लाख करोड का निवेश मिलने की आशा है। भारी वृद्धि का मुख्य कारण इस क्षेत्र में पाइपलाइनों को शामिल किया जाना है, जबकि पहले इन्हें शामिल नहीं किया गया था। अकेले पाइपलाइनों मे ही रू. 1.08 लाख करोड का निवेश किया गया है। 12वीं योजना मे भी वृद्धि की इस प्रवृत्ति के जारी रहने की संभावना है, क्योंकि तेल और गैस की मांग में वृद्धि होना निश्चित है। घरेलू तेल खपत में आयातित तेल की मात्रा 11वीं योजना के 76 प्रतिशत से बढ़कर 12वीं योजना में 80 प्रतिशत तक पहुंच जाने की संभावना है। प्राकृतिक गैस की मांग में भी वृद्धि 19 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत हो जाने की आशा है। तेल पाइपलाइन के जरिए तेल का परिवहन सतह परिवहन (सड़क / नौवहन) की तुलना में सस्ता पड़ता है और इसके कई अन्य लाभ भी है।

सिंचाई

सिंचाई और जलग्रहण क्षेत्र (वाटरशेड) प्रबंधन में निवेश ग्रामीण बुनियादी ढांचे का महत्वपूर्ण अंग है। यह सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में आता है। सिंचाई जल परियोजनाओं की परिचालन लागत का केवल 20 प्रतिशत ही जल-प्रभार के रूप में प्राप्त होता है। घाटे का सौदा होने के कारण निजी क्षेत्र इसमें निवेश नहीं करता।

ग्रामीण बुनियादी ढांचा

1,25,000 गांवों के 2 करोड, 30 लाख घरों में बिजली पहुंचाना, शेष 66,802 ग्रामीण बस्तियों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना, 55,067 वंचित बस्तियों में पेयजल मुहैया कराना, एक करोड हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना और बाकी बचे 66,822 गांवों में टेलीफोन कनेक्शन देना है।

रेलवे

11वीं योजना में बजटीय सहयोग अंश 38 प्रतिशत हो गया है। जबकि प्रारंभ से 27 प्रतिशत का ही अनुमोदन किया गया था। इस प्रकार 11वीं योजना में जीबीएस (आम बजट समर्थन) और आईआरएफसी (भारतीय रेल वित्त विभाग) के जरिये बाजार ऋण पर निर्भरता की प्रवृत्ति बढ़ी है। आंतरिक संसाधनों और पीपीपी के जरिये अपेक्षित निवेश नहीं हो सका, जिसके कारण रेल क्षेत्र में निवेश कम हुआ है। रेलवे के लिए 12वीं योजना का निर्माण 2020 की परिकल्पना की पृष्टभूमि में किया जा रहा है।

12वीं योजना के लिए रेलवे की 7.19 लाख करोड रूपये के निवेश का अनुमान लगाया है, जिसमें से 50 प्रतिशत से अधिक बजट से प्राप्त होगा और निजी क्षेत्र से 10 प्रतिशत का समर्थन मिलेगा। परिवहन क्षेत्रों में रेलवे को प्राथमिकता देनी होगी। ऊर्जा, भूमि और पर्यावरण के लिहाज से ऐसा जरूर भी है।

ग्रामीण सड़के

निर्धनता अपशमन की महत्वपूर्ण रणनीति के तौर पर वर्ष 2000 मे शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़कें योजना (पीएमजीएसवाई) एक केंद्र प्रायोजित योजना है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 या उससे अधिक की आबादी वाले गांवों को 2003 तक बारहमासी सड़कों से जोड़ना था। 500 से अधिक की जनसंख्या वाले गांवों को 2007 तक जोड़ना था। पर्वतीय, मरूस्थली, और जनजातिय इलाकों में 250 या उससे अधिक की आबादी वाले गांवों को जोड़ने का लक्ष्य है। चुनिंदा ग्रामीण सड़कों को सुधारकर कृषि उत्पादों को बाजार मुहैया कराना भी इस योजना का एक लक्ष्य है। इस कार्यक्रम पर अमल की जिम्मेदारी भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की है। कार्यक्रम को पूरा करने के लिए 2007 तक की समय सीमा निधरित की गई थी, परंतु कुछ राज्यों में क्रियान्वयन की क्षमता और धन के अभाव के करण कार्यक्रम के लक्ष्य अभी तक पूरे नहीं हो सके।

11वीं योजना में इस कार्यक्रम के अमल पर 59,751 करोड रूपये व्यय होने का अनुमान है। कार्यकारी समूह ने बारहवीं योजना में 2 लाख करोड रूपये के निवेश का अनुमान लगाया है। चूंकि इस क्षेत्र मे पीपीपी आकर्षित करने का कोई अवसर नहीं है, कार्यकारी समूह ने पूरी मांग बजटीय से पूरा करने का अनुमान लगाया है।

केंद्रीय सड़कें

11वीं योजना में, एनएचडीपी (राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम) के विभिन्न चरणों में 9,044 किमी सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा, पूर्वोत्तर पैकेज के तहत 1,012 किमी और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 1,051 किमी सड़कों का निर्माण किया जाएगा। वर्तमान में 71,772 किमी लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का लगभग 24 प्रतिशत लंबा मात्र 4 लेन और उससे ऊंचे स्तर का है, 52 प्रतिशत सड़के 2 लेन की है और 24 प्रतिशत सड़के एकल लेन वाली है। बारहवीं योजना के लिए केंद्रीय सड़कों पर कार्यकारी समूह ने 4.83 लाख करोड रूपये के निवेश की आवश्यकता बताई है, जिसमें से निजी क्षेत्र का घटक 1.78 लाख करोड रूपये या 37 प्रतिशत है। शेष राशि बजट और बजटेतर स्रोतों से प्राप्त होने की आशा है। इसमें पेट्रोल और डीजल पर उपकर शामिल है। बारहवीं योजना में 30 हजार किमी के राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ-साथ पूर्वोत्तर में 7 हजार किमी और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में करीब 13 हजार लंबी सड़को

के निर्माण का लक्ष्य रहने की संभावना है। एक्सप्रेस वेज (उच्चस्तरीय राजमार्गों) पर भी निवेश की योजना है: हालांकि वे अधिक किफायती नही होती। नागरिक विमानन: पिछले पांच वर्षों में भारत विश्व का नौवा सबसे बड़ा नागरिक विमानन बाजार बन चुका है। वित्त वर्ष 2006 में 7 करोड 20 लाख यात्रियों ने विमानों से यात्राएं की जो वित्त वर्ष 2011 मे तीन गुना बढ़कर 22 करोड तक पहुंच गई। माल परिवहन प्रबंधन क्षमता 5 लाख मीट्रिक टन वित्त वर्ष 2011 हो गई। पूर्वोत्तर क्षेत्र मे हवाई संपर्क की सुविधाओं में विस्तार हुआ है।

पीपीपी के माध्यम से चार अंतर्राष्ट्रीय विमानतल परियोजनाओं का काम, सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। ये परियोजनाएं है: हैदराबाद और बंगलुरू अंतर्राष्ट्रीय विमान तलों का हरित क्षेत्र विकास और मुंबई तथा दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय विमान तलों का आधुनिकीकरण। विमान तल आर्थिक नियामक प्राधिकरण (एईआरए) का निर्माण भारतीय विमान तलों पर उपयोगकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं के हितों की रक्षा के लिए किया गया है। बारहवीं योजना में विमानतलों के लिए रू. 75,000 करोड के निवेश की आवश्यकता होगी, जिसमें से 75 प्रतिशत निजी क्षेत्र से प्राप्त होने की आशा है।

बंदरगाह

जहाजरानी मंत्रालय ने योजना के पहले दो वर्षों में एक भी पीपीपी परियोजना को मंजूरी नही दी थी। बारहवीं योजना में बंदरगाहों की क्षमता के विस्तार पर काफी जोर दिया जा रहा है। बारहवीं योजना में कुल 4,338 करोड रूपये (निजी क्षेत्र के बगैर) के निवेश का प्रस्ताव है। आशा है कि निजी क्षेत्र द्वारा बंदरगाह क्षेत्र के विस्तार की रणनीति बारहवीं योजना में भी जारी रहेगी।

निष्कर्षत:

बुनियादी ढांचा क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों का प्रदर्शन अलग-अलग रहा है। दूरसंचार और गैस एवं तेल पाइपलाइन में अच्छा निवेश हुआ है, जबकि अन्य क्षेत्रों में उतना निवेश नहीं हो सका है। बारहवीं योजना में बुनियादी ढांचे के सभी क्षेत्रों मे भारी धनराशि के निवेश की आवश्यकता होगी ताकि न केवल प्रगति की गति बनी रहे बल्कि लंबित परियोजनाओं को पूरा किया जा सके।

पंचवर्षीय योजनाओं में परिवहन क्षेत्र का विकास

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ होना और परिवहन प्रणाली का दक्ष होना बेहद जरूरी है। इसमें उतार-चढ़ाव आता रहा है। जब देश आजाद हुआ तो राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 21,440 किमी थी। पहली योजनावधि (1951-1956) में इसमें 815 किमी. की दूसरी योजनावधि में 1,514 किमी. की वृद्धि हुई तो तीसरी योजना के पांच वर्षों के दौरान मात्र 179 किमी. की वृद्धि हुई। जब तीसरी योजना के बाद 1966 से 1969 तक योजनागत विकास की छुट्टी रही तो राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में मात्र 52 किमी. की वृद्धि दर्ज की गई। चौथी पंचवर्षीय योजना मे इसमें तेजी आई और 4,819 किमी. का इजाफा दर्ज किया गया। पंचवीं योजना (1974-1978) के दौरान एक बार फिर उपेक्षा का दौर चला और राष्ट्रीय राजमार्गों में मात्र 46 किमी. राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हुआ। छठीं पंचवर्षीय योजना (1980-1985) के दौरान 2,687 किमी. और सातवीं योजना के दौरान 1,902 किमी. राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हुआ। इसके बाद फिर 1990-92 की विराम अवधि में मात्र 77 किमी. राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हुआ। आठवीं योजना काल (1992-97) मे स्थिति में मामूली सुधार हुआ और 609 किमी. राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया। नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि (1997-2002) अवश्य उल्लेखनीय है जब राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण को उचित प्राथमिकता मिली और इसके कुल 23,814 किमी. की वृद्धि कर राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई को 58,112 किमी. के स्तर तक पहुंचाया जा सका। दसवीं पंचवर्षीय योजना में फिर शिथिलता का दौर चला और 9,008 किमी. नये राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया। यह नौवीं योजना की तुलना में कम होते हुए भी पहले की किसी भी योजनावधि मे हांसिल की गई प्रगति से बेहतर था। दसवीं योजना में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास के अंतर्गत स्वर्णिम चतुर्भुज कॉरिडोर के काम को पूरा करने पर जोर दिया गया।

रेल परिवहन

भारतीय रेलवे विश्व के बहुत बड़े रेलवे तंत्र में से एक है जो प्रतिदिन 2.2 करोड़ लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाता है और हर साल 92.3 करोड टन माल की ढुलाई करता है।

भारत में वायु परिवहन प्रणाली में गुणात्मक सुधार की बहुत गुंजाइश है। इस दिशा मे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के सहयोग से आरंभ की गई 'गगन' परियोजना से काफी उम्मीद है।

निष्कर्षत: 12वीं योजना के दृष्टिकोण में 11वीं योजना के लक्ष्यों को ही बढ़ाया गया है। उदाहरण के लिए समावेशी विकास, साथ ही कृषि को महत्व देने की कोशिश की गई थी। बारहवीं योजना के दृष्टिकोण मे कृषि पर जो अध्याय तैयार किया गया है उसकी सराहना की जानी चाहिए। इन क्षेत्रों में सुधार सक्रिय समावेश के मूल तत्व है। लोक सेवाओं मे बेहतरी लाना महत्वपूर्ण है। संपन्न लोग तो इन सेवाओं की खामियों की भरपाई महंगी निजी संस्थानों में कर सकते है लेकिन गरीब ऐसा नहीं कर सकते। बारहवीं योजना इस अर्थ में दूरदर्शी कही जा सकती है कि उसमें बेहतर लोक सेवा के लिए विकेंद्रीकृत व्यवस्था कायम करने के

विभिन्न रास्ते तलाश करने की बात की गई है।

इसलिए इस योजना में वे सभी तत्व शामिल किए गए है, जो भविष्य में महत्वपूर्ण हो सकते है। परंतु सक्रिय समावेशन के लिए उन सभी तत्वों में बेहतर तालमेल की आवश्यकता है। इस प्रकार के समायोजन में कृषि की उत्पादकता में वृद्धि करने वाले कार्यक्रमों को शामिल करना जरूरी होगा। ये भी सक्रिय समावेशन के महत्वपूर्ण तथ्य है।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (NSS) की स्थापना सन् 1950 में हुई थी। यह भारत जैसे विशाल देश मे होने वाला सतत सर्वेक्षण है जो लगातार कई दौरों में (Rounds) किया जा रहा है। इस संगठन की स्थापना प्रोफेसर पी.सी. मलनोवीस के प्रस्ताव के आधार पर सामाजिक आर्थिक योजना तथा नीति निर्धारण में आवश्यक आंकडों की कमी को प्रतिदर्श सर्वेक्षण द्वारा पूरा करने के लिए की गई थी। मार्च, 1970 में एनएसएस को मान्यता प्राप्त हुई तथा इसके द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यो को एक सरकारी संगठन के अंतर्गत शामिल किया गया जिसका नाम राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन है। इसका कार्य एक संचालन समिति के निर्देशन में आंकडों का संकलन, संसाधन तथा प्रकाशन का कार्य स्वतंत्र रूप में करना है।

सरकारी परिव्यय की प्राथमिकताओं को कडाई से लागू करना, इन तत्वों का महत्वपूर्ण अंग है। इसके लिए दो मानदंड अपनाने होंगें, वे जो भावी क्षमता का निर्माण करेंगें और जो प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाए जा सकेंगें। इससे निवेश के लिए सरकारी परिव्यय की संरचना मे बदलाव आ सकेगा। इसकी सफलता के लिए करोडों निर्धनों को अपना जीवन सुधारने के लिए प्रोत्साहन अवसर देने होंगें।

योजना उद्देश्य

योजना	**उद्देश्य**
पहली	कृषि विस्तार
दूसरी	आयात प्रति स्थापित दर तथा भारी एवं आधारभूत उद्योग
तीसरी	आर्थिक आत्मनिर्भरता
चौथी	कृषि में प्रौद्योगिकी सुधार, स्थिरता के साथ संवृद्धि
पांचवीं	गरीबी को हटाना
छठीं	खाद तथा ईंधन योजना
सातवीं	मानवीय संसाधनों का विकास
आठवीं	निजीकरण, उदारीकरण तथा वैश्वीकरण
नौवीं	समानता एवं सामाजिक न्याय के साथ संवृद्धि
दसवीं	समानता एवं सामाजिक न्याय के साथ संवृद्धि
ग्यारहवीं	तेज, विस्तृत आधार दर, लगातार संवृद्धि, समावेशी विकास

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के कार्य

(Functions of NSSO)

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के कार्य निम्न प्रकार है:

1. देश की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों तथा घरेलू लघु-उद्योगों के उत्पादन के उपयोग इत्यादि से संबंधित आंकडों का संकलन लगातार तथा विस्तृत रूप से करना। राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए प्राप्त आंकडों की कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक सूचना प्रदान करना संगठन का प्रमुख कार्य है।
2. देश के संगठित औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित आंकडो का संकलन करना।
3. राज्य सरकारों द्वारा चलाए गए सर्वेक्षणों के संचालन में तकनीकी परामर्श तथा उनके परिणामों में समन्वय करना। एनएसएसओ नियोजकों तथा अन्वेषकों को आवश्यक आंकडों की पूर्ति करते है तथा एक दीर्घकालीन कार्यक्रम बनाते है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत समय-समय पर सर्वेक्षण संचालित किए जाते है। ये सर्वेक्षण निम्न विषयों पर होते है।
   (i) जनसांख्यिकी, स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन
   (ii) संपत्ति, ऋण तथा विनियोजन
   (iii) भूमि-स्वामित्व तथा पशुधन उपक्रम
   (iv) रोजगार तथा बेरोजगार, ग्रामीण श्रमिक तथा उपभोक्ता व्यय, तथा
   (v) स्वरोजगार तथा गैर-कृषि उपक्रम

Add. 41-42A, Ashok Park Main, New Rohtak Road, New Delhi-110035
+91-9350679141

4. भारत में बैंकिंग

भारतीय बैंकिंग का इतिहास

आधुनिक बैंकों का आरंभ सन् 1157 में इटली में 'बैंक ऑफ वेनिस' की स्थापना के साथ माना जाता है। आगे चलकर 1401 में बैंक ऑफ वार्सिलोना, 1407 में बैक ऑफ जेनेवा तथा 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई। 18वीं शताब्दी में सार्वजनिक पूंजी वाली कंपनियों के प्रवेश के साथ ही बैंकिंग क्षेत्र के विकास में तेजी आई।

भारत में बैंकिंग विकास

प्रथम चरण

भारत का प्रथम बैंक सन् 1770 में 'बैंक ऑफ हिन्दुस्तान' नाम से कलकत्ता (वर्तमान कोलकाता) में स्थापित हुआ। पूर्णतः यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पर आधारित इस बैंक की स्थापना एलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा किया गया था। यह बैंक शीघ्र ही बंद हो गया।

द्वितीय चरण

ईस्ट इंडिया कंपनी के हितों को ध्यान में रखते हुए निजी अंशधारियों द्वारा भारत मे तीन प्रेसीडेंसी बैंकों की स्थापना की गई। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बाम्बे तथा 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई। तीनों बैंक सरकार के नियंत्रण में थे और 1862 तक इन्हें नोट निर्गमन का अधिकार भी प्राप्त था।

मूल रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ही कार्य करने के कारण तीनों प्रेसीडेंसी बैंक असफल हो गये और 1921 में उनका एक दूसरे मे विलय कर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। आगे चलकर 1 जुलाई, 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर इसका नाम भारतीय स्टेट बैंक (SBI) रख दिया गया।

तृतीय चरण

1865 में इलाहाबाद बैंक, 1881 मे ही एलाइंस बैंक ऑफ शिमला, तथा अवध कॉमर्शियल बैंक, 1894 में पंजाब नेशनल बैंक तथा 1901 में पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। सीमित देयता के आधार पर 1881 में स्थापित अवध कॉमर्शियल बैंक भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था। पूर्णरूपेण भारतीयों का पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक था। जिसकी स्थापना 1894 में की गई थी। 1906 मे बैंक ऑफ इंडिया, 1908 में बैंक ऑफ बडौदा, 1911 मे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तथा 1913 मे बैंक ऑफ मैसूर की स्थापना की गई।

चतुर्थ चरण

प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत में बैंकिंग विकास की दर त्वरित हुई। 1921 मे तीनों प्रेसीडेंसी बैंकों का आपस में विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1930 में ही केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति का गठन किया गया। समिति ने अपने प्रतिवेदन मे सुझाव दिया था कि देश मे एक सुदृढ़, सुव्यवस्थित एंव सुसंगठित बैंकिंग व्यवस्था की स्थापना के लिए एक केंद्रीय बैंक की स्थापना तथा व्यापक बैंकिंग अधिनियम बनाने पर बल दिया जाये। 1934 मे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम पारित किया गया। फलतः 1 अप्रैल, 1935 से भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्य करना शुरू कर दिया।

पंचम चरण

इस अवधि को बैंकिंग विस्तार की अवधि कहा जाता है। सभी बैंकों के मांग निक्षेप की मात्रा में वृद्धि हुई। नये बैंकों की स्थापना के साथ-साथ पुराने बैंकों द्वारा नई-नई शाखायें खोली गई। यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक तथा हिन्दुस्तान कॉमर्शियल बैंक आदि की स्थापना हुई।

षष्टम चरण

भारतीय रिजर्व बैंक का 1 जनवरी, 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया। मार्च 1949 मे भारतीय बैंकिंग अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित बैंकों का निरीक्षण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को अधिक व्यापक अधिकार प्रदान किया गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का 1 जुलाई, 1955 को राष्ट्रीयकरण किया गया तथा इसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रख दिया गया।

19 जुलाई, 1969 तथा 15 अप्रैल, 1980 को क्रमशः 14 तथा 6 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके पूर्व 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना करने की प्रक्रिया शुरू की गई जिससे ग्रामीण क्षेत्र को वित्तीय संसाधन अधिक मात्रा में उपलब्ध कराया जा सके।

सप्तम चरण (1991 से अब तक)

1991 मे नई आर्थिक नीति लागू होने के बाद 1993-94 में निजी क्षेत्र में पुनः बैंक खोलने की अनुमति दे दी गयी। इसके साथ ही विदेशी बैंकों को भी भारत में अपना विस्तार करने तथा नई शाखायें खोलने की अनुमति दे दी गयी।

सीमित देयता के आधार पर 1881 मे अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना की गयी जो भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक

था। पूर्णरूप से पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank - PNB) था। इसकी स्थापना 1894 में की गयी।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण

बैंकों को अधिक समाजोपयोगी बनाने के उद्देश्य से देश के ऐसे 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का 19 जुलाई, 1969 को सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण कर दिया गया जिनकी जमा राशियों 50 करोड रूपये से अधिक थी। जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वे निम्नलिखित है:

- पंजाब नेशनल बैंक
- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
- बैंक ऑफ बडौदा
- बैंक ऑफ इंडिया
- केनरा बैंक
- इलाहाबाद बैंक
- बैंक ऑफ इंडिया
- सिंडीकेट बैंक
- यूनाइटेड ऑफ इंडिया
- इंडियन ओवरसीज बैंक
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
- यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक
- इंडियन बैंक
- बैंक ऑफ महाराष्ट्र

सरकार ने 15 अप्रैल, 1980 को 6 निजी बैंकों का पुन: राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिनकी जमा राशियां 200 करोड रूपये से अधिक थी ये बैंक है:

- विजया बैंक
- पंजाब एंड सिंध बैंक
- न्यू बैंक ऑफ इंडिया
- आंध्रा बैंक
- ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
- कॉर्पोरेशन बैंक
- सितंबर, 1993 मे सरकार ने न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया।

भारतीय रिजर्व बैंक

भारतीय रिजर्व बैं देश का केंद्रीय बैंक है। देश में केंद्रीय बैंक की स्थापना के लिए अगस्त, 1925 मे हिल्टन यंग कमेटी का गठन किया गया। यंग हिल्टन कमेटी की अनुशंसा पर 1 अप्रैल, 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। शुरू में RBI निजी अंशधारियों का बैंक था। 1 जनवरी, 1949 मे इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।

भारतीय रिजर्व बैंक का प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक का प्रबंध संचालन एक 20 सदस्यीय बोर्ड द्वारा किया जाता है, जिसका चेयरमैन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर होता है। प्रबंधन संचालन मंडल में गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर तथा डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होती है। इनकी पुन: नियुक्ति की जा सकती है।

भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। इसके 4 स्थानीय कार्यालय, नयी दिल्ली, कोलकाता, मद्रास तथा मुंबई में है, जबकि 17 क्षेत्रीय कार्यालय है।

भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य

भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य कार्य निम्नवत् है:

- मौद्रिक एंव ऋण नीति का सृजन
- नोटों के निर्गमन का एकाधिकार
- सरकार का बैंकर, अभिकर्ता एवं सलाहकार
- बैंकों का बैंक अंतिम ऋणदाता
- समाशोधन कार्य
- विदेशी विनिमय नियंत्रण
- बैंकिंग प्रणाली का नियमन
- साख नियंत्रण

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति

मौद्रिक नीति से आशय एक ऐसी नीति से है, जिसके द्वारा मुद्रा के मूल्य मे स्थायित्व हेतु एवं साख की पूर्ति का नियमन किया जाता है। मौद्रिक नीति में निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मुद्रा एवं साख की मात्रा को नियमित एंव नियंत्रित किया जाता है। मौद्रिक नीति के निम्नवत् उद्देश्य होते है:

- मूल्यों में स्थायित्व
- विनिमय दरों में स्थायित्व
- आर्थिक विकास
- मुद्रा की स्थापना
- बचत एवं विनियोग में साम्य
- आय में स्थिरता
- आर्थिक स्थिरता
- विकास के लिए संसाधन उपलब्ध कराना
- कुशल भुगतान तंत्र

भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा वर्ष भर में 2 बार सामान्यत: अप्रैल और अक्टूबर मे अपनी मौद्रिक नीति की घोषणा की जाती

है।

भारतीय रिजर्व बैंक का फायनेंशियल इयर (वित्तीय वर्ष) 1 जुलाई से आरंभ होकर 30 जून को समाप्त होती है।

रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण की विधियां

बैंक दर (Bank Rate)

बैंक दर वह विशेष ब्याज दर है, जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंको को ऋण उपलब्ध कराती है। बैंक दर को बट्टा दर भी कहा जाता है। बट्टा दर से आशय उस दर से है, जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को प्रथम श्रेणी के बिलों की पुन: कटौती करता है। भारतीय रिजर्व बैंक दर में परिवर्तन करके साख नियंत्रण करता है। बैंक दर मे कमी साख की मात्रा को बढ़ा देती है। बैंक दर में वृद्धि साख को कम कर देती है इसके माध्यम से मुद्रा की आपूर्ति में परिवर्तन करके मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करती है। बैंक दर जुलाई 2013 से 10.25 प्रतिशत है।

नकद आरक्षित अनुपात (Cash Reserve Ratio)

सभी वाणिज्यिक बैंकों को अपनी समग्र नकद जमा का एक निश्चित प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैंक के पास अनिवार्यत: रखना पड़ता है। इसका निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। नकद आरक्षित अनुपात के अधिक होने पर बैंकों के पास नकदी की कमी होती है। फलत: उनके द्वारा कम साख उपलब्ध कराया जाता है। इसके विपरीत नकद आरक्षित अनुपात के कम होने पर बैंकों के पास नकदी अधिक होती है। फलत: साख सृजन अधिक होता है। अत: भारतीय रिजर्व बैंक नकद आरक्षित अनुपात मे परिवर्तन करके साख सृजन की मात्रा को बढ़ाकर या घटाकर मुद्रा प्रसार को नियंत्रित करता है। जनवरी, 2007 में RBI Act - 1934, 1934 में संशोधन करके उसे अधिकार दे दिया गया कि वह CRR की न्यूनतम सीमा 3 प्रतिशत तथा अधिकतम 15 प्रतिशत की सीमा को चाहे तो समाप्त कर सकती है। CRR सितम्बर 2013 में 4 प्रतिशत था।

रिवर्स रेपो दर

यह भारतीय रिजर्व बैंक तथा वाणिज्यिक बैंकों के मध्य सम्पन्न समझौता है। भारतीय रिजर्व बैंक प्रतिभूतियां बेचकर वाणिज्यिक बैंकों से संसाधन प्राप्त करता है तथा भविष्य मे उन प्रतिभूतियों को पुन: वापस क्रय करने का समझौता भी करता है। इस समझौते के अंतर्गत प्राप्त देय ब्याज की दर रिवर्स रेपो दर कहलाती है। रिवर्स रेपोदर सितम्बर 2013 से 6.25 प्रतिशत रहा।

वैधानिक तरलता अनुपात (Statuary Liquidity Ratio)

सभी वाणिज्यिक बैंकों को अपनी सम्पत्ति का एक निश्चित प्रतिशत CRR के अंतर्गत रखे गये नकद के अतिरिक्त नकद, स्वर्ण, विदेशी मुद्रा की स्वीकृति प्रतिभूतियों मे रखना पड़ता है। इसकी न्यूनतम सीमा 25 प्रतिशत तथा अधिकतम 40 प्रतिशत है। जनवरी 2007 में RBI Act- 1934, 1934 में संशोधन करके उसे अधिकार दे दिया गया कि वह SLR को न्यूतनम और अधिकतम सीमा वह समाप्त कर सकता है।

खुले बाजार की क्रियाएं (Open Market Operations)

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जब सरकारी हुंडियों और प्रतिभूतियों को बेचकर मुद्रा बाजार तथा वाणिज्यिक बैंकों पर नियंत्रण करता है, तो इसे खुले बाजार की क्रियाएं कहा जाता है। जब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिभूतियों का क्रय किया जाता है, तब बाजार में तरलता में वृद्धि हो जाती है। इसके विपरीत तब भारतीय रिजर्व बैंक प्रतिभूतियों को बेचती है, तब बाजार में तरलता में कमी हो जाती है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है, कि भारतीय रिजर्व बैंक प्रतिभूतियों को बेचकर तरलता को बढ़ाता है तथा प्रतिभूतियों को क्रय करके तरलता को कम करता है।

रेपो दर (Repurchasing Option Rate)

यह अल्पकालीन तरलता उपलब्ध कराने की व्यवस्था / समझौता है। जब भारतीय रिजर्व बैंक को अपनी प्रतिभूतियों को पुन: क्रय करने के समझौते के साथ बेचकर वाणिज्यिक बैंक ऋण प्राप्त करते है, तो देय ब्याज की दर रेपो रेट कहलाती है। रेपो रेट के अंतर्गत केवल 1 वर्ष के लिए ऋण प्राप्त किया जा सकता है। रेपोदर सितम्बर 2013 से 7.25 प्रतिशत थी।

अनुसूचित बैंक (Schedule Bank)

ऐसे बैंकों को अनुसूचित बैंक की संज्ञा दी जाती है, जिसको भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची मे सम्मिलित किया गया है। अनुसूचित बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से निम्नवत् सुविधा प्राप्त होती है।

- अनुसूचित बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक से बैंक दर पर ऋण प्राप्त करने के लिए अधिकृत हो जाता है।
- प्रत्येक अनुसूचित बैंक स्वत: समाशोधन गृह की सदस्यता प्राप्त कर लेता है।
- भारतीय रिजर्व बैंक से अनुसूचित बैंकों को प्रथम श्रेणी के विनिमय पत्रों की पुनर्कटौती की सुविधा प्राप्त हो जाती है।
- अनुसूचित बैंकों को उदार शर्तो पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

गैर-अनुसूचित बैंक (Non-Schedule Bank)

ऐसे बैंकों को गैर-अनुसूचित बैंक कहा जाता है, जिनका उल्लेख भारतीय रिजर्व बैंक की अनुसूची - 2 में नहीं किया गया है। इन बैंकों को वह सुविधाएं नहीं प्राप्त होती है, जो भारतीय रिजर्व बैंक से अनुसूचित बैंकों को प्राप्त होती है।

भारतीय स्टेट बैंक (STATE BANK OF INDIA)

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ग्रामीण साख व्यवस्था की जांच-परख के लिए अगस्त, 1951 मे गोरवाला समिति (Gorwaka Committee) का गठन किया गया। समिति ने 1954 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में इम्पीरियल बैंक के कार्यों की आलोचना करते हुए उसके राष्ट्रीयकरण की मांग की। इसके परिणाम स्वरूप 1 जुलाई, 1955 को इम्पीरियल बैंक को राष्ट्रीयकरण कर उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक (STATE BANK OF INDIA) कर दिया गया। भारतीय स्टेट बैंक की अधिकृत पूंजी 200 करोड रूपये है। वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक की कुल अंशपूंजी में भारत सरकार की हिस्सेदारी 59.41 प्रतिशत है।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (RBI) का केंद्रीय कार्यालय मुम्बई में स्थित है। इसके 13 प्रधान कार्यालय मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, अहमदाबाद, भोपाल, भुवनेश्वर, चण्डीगढ़, पटना, गुवाहाटी तथा बंगलौर में है। भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंधन 20 सदस्यीय एक केंद्रीय संचालक मंडल द्वारा किया जाता है। इसके केंद्रीय संचालक मंडल में एक अध्यक्ष तथा दो प्रबंध निदेशक होते है। इसके अतिरिक्त 17 संचालक होते है, जिनकी नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह पर केंद्र सरकार करती है। केंद्रीय संचालक मंडल के 6 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा तथा 6 सदस्य रिजर्व बैंक के अतिरिक्त अंशधारियों द्वारा मनोनीत किये जाते है। इसके अतिरिक्त एक संचालक भारतीय रिजर्व बैंक तथा 2 संचालक सहकारिता एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े होते है। केंद्रीय संचालक मंडल के अध्यक्ष एंव प्रबंध संचालक का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं होता है।

भारतीय स्टेट बैंक की पंचलाइन (सूक्त वाक्य) है: 'With you all the way' यानि 'हर कदम आपके साथ'। इसके अतिरिक्त भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई) द्वारा प्रयोग किये जा रहे कुछ अन्य पंच लाइन है: 'Only Banking, Nothing Else' तथा 'हर भारतीय का बैंक' आदि।

भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक सबसे बड़ा बैंक है। वर्तमान में भारती स्टेट बैंक समूह की 17979 शाखाएं कार्य कर रही है। RBI के राष्ट्रीय के समय इसके साथ अन्य 7 बैंकों (वर्तमान में केवल 5) को RBI के सहायक बैंक के (Associate Bank) के रूप में बदल दिया गया था और इसे स्टेट बैंक समूह (State Bank Group) का नाम दिया गया। RBI के उक्त सहायक बैंक थे:

- स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर (1955 में बीकानेर और जयपुर के अलग-अलग स्टेट बैंक थे जिन्हें बाद में मिलाकर एक कर दिया गया)
- स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
- स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
- स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर
- स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
- स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र
- स्टेट बैंक ऑफ त्रावणनकोर

आगे चलकर उक्त सहयोगी बैंकों का भारतीय स्टेट बैक मे विलय करने का निर्णय लिया गया। हाल में स्टेट बैक ऑफ सौराष्ट्र और स्टेट बैक ऑफ इन्दौर का भारतीय स्टेट बैक मे विलय कर दिया गया। वर्तमान में स्टेट बैक के सहयोगी बैंकों की संख्या 5 रह गयी है।

वर्तमान में भारतीय स्टेट बैक की विश्व के 32 देशों में लगभग 90 शाखायें है। विदेश मे इसकी प्रथम शाखा श्रीलंका की राजधानी कोलम्बों में स्थापित हुई। हाल में भारतीय स्टेट बैक चीन में अपनी शाखा खोली और चीन में शाखा खोलने वाला प्रथम भारतीय बैंक बन गया।

भारतीय स्टेट बैक की विदेशी अनुषंगियां

- एसबीआई इंटरनेशनल (मॉरिशस) लि.
- स्टेट बैक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया)
- स्टेट बैक ऑफ इंडिया (कनाडा)
- आईएनएमबी बैंक लि. लाओस

भारतीय स्टेट बैक की गैर-बैंकिंग अनुषंगियां

- एसबीआई कैपिटल मार्केट्स (एसबीआई कैप)
- एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि. (एसबीआई फंड)
- एसबीआईडीएफएचआई लि. (एसबीआईडीएफएचआई)
- एसबीआई फैक्टर्स एंड कॉमर्शियल सर्विसेज प्रा. लि. (एसबीआई फैक्टर्स)
- एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स सर्विसेज प्राइवेट लि. (एसबीआई सीपीएसएल)

बैंक में सरकार की शेयरधारिता

बैंक	**सरकार की शेयरधारिता (प्रतिशत में)**
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	100.20
पंजाब एंड सिंध बैंक	100.20
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	80.20
इंडियन बैंक	80.00
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	76.77
यूको बैंक	63.60
केनरा बैंक	73.17

सिंडीकेट बैंक	66.47
बैंक ऑफ इंडिया	64.50
इंडियन ओवरसीज बैंक	61.25
भारतीय स्टेट बैंक	59.41
पंजाब नेशनल बैंक	57.80
कॉर्पोरेशन बैंक	57.17
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	55.43
इलाहाबाद बैंक	55.23
विजया बैंक	53.87
बैंक ऑफ बडौदा	53.41
आईडीबीआई लिमि.	52.71
आंध्रा बैंक	51.55
देना बैंक	51.19
ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	51.09

भारत में बैंकिंग संस्थाएं

कुल वाणिज्यिक बैंक	96
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	26
निजी क्षेत्र के बैंक	22
विदेशी बैंक	31
लोकल एरिया बैंक	04
स्टेट को-आपरेटिव बैंक	31
अर्बन को-आपरेटिव बैंक	1721
जिला सहकारी बैंक	371
देश मे कुल बैंक शाखाएं	54000
कार्यरत एटीएम मशीनें	18000
देश का केंद्रीय बैंक	आरबीआई
सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक	एसबीआई

बीमा क्षेत्र मे स्टेट बैंक

भारतीय स्टेट बैंक जीवन बीमा क्षेत्र में एसबीआई लाइफ नाम से वर्ष 2001 से काम कर रहा है। इसके लिये एसबीआई ने फ्रांस की कार्डिफ एस.ए. के साथ गठबंधन कर रखा है। जीवन बीमा क्षेत्र में काम करने वाला भारत का यह प्रथम वाणिज्यिक बैंक है।

भारतीय स्टेट बैंक ने अब साधारण बीमा (General Insurance) के क्षेत्र मे प्रवेश करने को तैयार ह। एसबीआई ने इसके लिए आस्ट्रेलिया के विख्यात इंश्योरेंस आस्ट्रेलिया ग्रुप (IAG) के साथ अनुबंध किया है। इस संयुक्त उपक्रम में भारतीय स्टेट बैंक की हिस्सेदारी 74 प्रतिशत तथा आईएजी की हिस्सेदारी 26 प्रतिशत होगी।

सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक

भारतीय स्टेट बैंक भारत मे सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। दूसरे स्थान पर पंजाब नेशनल बैंक तथा तीसरे पायदान पर बैंक ऑफ बडौदा स्थित है। केनरा बैंक चौथे स्थान पर मौजूद है।

वाणिज्यिक बैंक (Commercial Banks)

वाणिज्यिक बैंक वे है जो लोगों की अतिरिक्त धनराशि को जमाओं (डिपोजिट्स) के रूप में स्वीकार करते है, आवश्यकता पड़ने पर उन्हें ब्याज पर ऋण देते और अन्य राशि को लाभ के लिए निवेश करते है।

भारत में वर्तमान में वाणिज्यिक बैंकों की संख्या 26 है। ये है:

- राष्ट्रीयकृत बैंक - 19
- भारतीय स्टेट बैंक - 1
- एसबीआई के सहयोगी बैंक - 5
- आई डी बी आई - 1

शेयर जारी कर बाजार से पूंजी उगाहने वाला भारत का प्रथम बैंक ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है।

देश के वाणिज्यिक बैंकिंग संस्थानों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है:

- अनुसूचित बैंक (Schedules Bank)
- गैर अनुसूचित बैंक (Non-Schedules Bank)

अनुसूचित बैंक: अनुसूचित बैंक वह बैंक है जिसका नाम रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की अनुसूची - द्वितीय मे सम्मिलित किया गया है।

इस अनुसूची में उन्हीं बैंकों को सम्मिलित किया जाता है जो कि निम्नलिखित शर्तें पूरी करते है:

(i) बैंक की प्रदत्त पूंजी और संचित कोष मे कम से कम 5 लाख रूपया हो।

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक को गारंटी कि बैंक का कोई भी कार्यकलाप जमाकर्ताओं के हित के विरूद्ध न हो।

गैर अनुसूचित बैंक : जो बैंक अनुसूचित नहीं होते है, वे गैर अनुसूचित कहलाते है। इस प्रकार के बैंकों की संख्या मे निरंतर कमी हो रही है।

राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) (National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना भारत सरकार द्वारा 12 जुलाई, 1982 को भारतीय रिजर्व

बैंक के कृषि ऋण विभाग, कृषि पुनर्वित और विकास निगम, राष्ट्रीय कृषि ऋण निधि (दीर्घकालीन परिचालन) और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि को विलय करके की गयी थी।

नाबार्ड के उद्देश्य (Objectives of NABARD)

नाबार्ड एक शीर्ष विकास बैंक है जो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए सहायता प्रदान करता है। इस बैंक की स्थापना निम्न उद्देश्यों से की गई:

- एकीकृत ग्रामीण विकास को उद्देश्यपूर्ण दिशा प्रदान करना और इस पर सारा ध्यान केंद्रित करना।
- सम्पूर्ण ग्रामीण ऋण व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक केंद्रबिन्दु के रूप में कार्य करना।
- ग्रामीण ऋण संस्थाओं के लिए अनुपूरक निधिकरण हेतु उपलब्धक के रूप में कार्य करना।
- छोटे उद्योगों, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों, हस्तकारों तथा अन्य ग्रामीण शिल्पकारों और किसानों के लिए निवेश ऋण की व्यवस्था करना।
- बैंक कर्मियों को प्रशिक्षण, ऋण संस्थाओं का पुर्नस्थापना और अन्य संस्थाओं की स्थापना करके ऋण वितरण व्यवस्था सुधार करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों मे विकास उद्देश्यों के लिए राज्य भूमि विकास बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान करना।
- क्षेत्रीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों में लगी विभिन्न एजेंसियों की कार्य-प्रणाली में समन्वय करना तथा राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार रिजर्व बैंक, राज्य सरकारों और अन्य नीति-निर्धारक संस्थाओं से संपर्क बनाए रखना।
- नाबार्ड से पुनर्वित्त प्राप्त करने वाली परियोजनाओं का निरीक्षण, निगरानी और मूल्यांकन करना।

कार्य: नाबार्ड के प्रमुख कार्य इस प्रकार है:

(i) यह राज्यीय सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, भूमि विकास बैंकों एवं रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थानों को अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन उधार उपलब्ध कराता है।

(ii) यह राज्यीय सरकारों को दीर्घकालीन उधार देता है, ताकि वे सहकारी उधार समितियों की हिस्सा-पूंजी में योगदान करें।

(iii) इसे यह दायित्व सौंपा गया है कि यह केंद्र एवं राज्यीय सरकारों, योजना आयोग और अन्य अखिल-भारतीय एवं राज्यीय स्तर के संस्थानों की उन क्रियाओं का समन्वय करे जो लघु स्तर, कुटीर तथा ग्राम उद्योगों, ग्रामीण दस्तकारियों एंव विकेंद्रीकृत क्षेत्रों में उद्योगों आदि के विकास से संबंधित है।

(iv) यह केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान को दीर्घकालीन उधार दे सकता है या कृषि एवं ग्राम विकास से संबंधित, किसी भी संस्थान की हिस्सा-पूंजी या प्रतिभूतियों में विनियोग में योगदान दे सकता है।

(v) समन्वित ग्राम विकास को प्रोन्नत करने के लिए नाबार्ड, छोटे उद्योगों, कुटीर तथा ग्राम उद्योगों, हस्तशिल्पों और ग्रामीण दस्तकारियों और संबंधित क्रियाओं के सभी प्रकार के उत्पादन एवं विनियोग के लिए पुनर्वित्त संस्थान के रूप में कार्य करता है।

रिजर्व बैंक ने नाबार्ड में पूरी हिस्सेदारी सरकार को बेची

रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास (नाबार्ड) में अपनी लगभग पूरी हिस्सेदारी सरकार को बेच दी है। नाबार्ड कृषि एंव ग्रामीण विकास के लिए कर्ज मुहैया कराता है। आरबीआई ने 13 अक्टूबर को नाबार्ड में अपनी रु. 1,450 करोड मूल्य की हिस्सेदारी बेच दी। इसके साथ ही नाबार्ड मे रिजर्व बैंक की हिस्सेदारी घटकर करीब 1 प्रतिशत रह गई है।

इससे पहले आरबीआई के पास नाबार्ड की 72.5 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। इसका मूल्य रू. 1,450 करोड था। जबकि शेष रू. 550 करोड मूल्य की हिस्सेदारी सरकार के पास थी। नाबार्ड मे अब भारत सरकार की 99 प्रतिशत हिस्सेदारी हो गई है।

उल्लेखनीय है कि तीन साल पहले रिजर्व बैंक ने देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई में भी अपने पूरी हिस्सेदारी सरकार को बेची थी। रिजर्व बैंक का यह कदम उस चर्चा के बीच उठाया गया है, जिसमें कहा जा रहा था, कि केंद्रीय बैंक को किसी कर्ज संस्थान में हिस्सेदारी रखनी चाहिये या फिर उसे केवल नियामक ही रहना चाहिए।

केंद्रीय कैबिनेट ने मई, 2008 में रिजर्व बैंक द्वारा नाबार्ड में उसकी हिस्सेदारी सरकार की स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। अब आरबीआई के पूर्ण स्वामित्व वाला केवल एक संस्थान नेशनल हाउसिंग बैंक बचा है।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (Industrial Finance Corporation of India Ltd.)

इसकी स्थापना 1948 में हुई। इसका उद्देश्य देश के औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन साख की व्यवस्था करना है। निगम की अधिकृत पूंजी 10 करोड रूपये की थी, जो 5,000 रूपये के अंशों में बढ़ी हुई थी। बाद में यह बढ़ाकर 20 करोड रूपये कर दी गयी। 1 जुलाई, 1993 से इस निगम की प्रकृति में परिवर्तन करके इसे एक कंपनी का रूप दे

दिया गया। इसका पंजीकरण कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत किया जा चुका है। इसके द्वारा प्रदान दीर्घकालीन ऋण की अवधि 25 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती।

उद्देश्य: सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों को दीर्घकालीन एवं मध्यकालीन ऋण उपलब्ध कराना।

कार्य: इसके कार्य निम्नलिखित है:

(i) औद्योगिक संस्थाओं को अग्रिम ऋण उपलब्ध कराना।

(ii) अग्रिम ऋण की गारंटी देना

(iii) औद्योगिक फार्मों द्वारा जारी किये गये हिस्सों, ऋण पत्रों एवं बांडों की हामीदारी करना।

राज्यीय वित्त निगम (State Financial Corporation)

1951 के राज्यीय वित्त निगम अधिनियम के अधीन प्रत्येक राज्य में निगम स्थापित किये गये है। जिनका उद्देश्य छोटे, मध्यम तथा कुटीर उद्योगों की सहायता करना है। किसी राज्यीय वित्त निगम की अधिकृत पूंजी राज्यीय सरकार द्वारा 50 लाख और 5 करोड रूपये की न्यूनतम और अधिकतम सीमा के बीच निर्धारित की जाती है। निगम के हिस्से राज्यीय सरकार, रिजर्व बैंक, अनुसूचित बैंकों, सरकारी बैंकों, अन्य वित्तीय संस्थानों अर्थात् बीमा कंपनियों और विनियोग न्यासों तथा गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा क्रय किये जाते है। राज्यीय वित्त निगम भी अपने वित्तीय साध न बढ़ाने के लिए बांडों तथा ऋणपत्रों का विक्रय कर सकता है।

कार्य: यह निगम निम्नलिखित कार्य कर सकता है:

- औद्योगिक फर्मो को 20 वर्षों तक के लिए देय ऋणों तथा पूंजी बाजार में जारी किये गये ऋणों की गारंटी करना
- औद्योगिक फर्मोके हिस्सों बांडों या ऋण-पत्रों का, निम्नांकन करना,
- औद्योगिक फमों की स्वीकृति प्रदान करना, और
- औद्यागिक फमों द्वारा जारी किय गये ऋण-पत्रों को क्रय करना।

राज्यीय वित्त निगमों को अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था से छोटी तथा लघु स्तर को औद्योगिक इकाइयों के लिए प्राप्त सहायता के वितरण का कार्य भी सौपा गया है।

भारतीय औद्योगिक ऋण तथा विनियोग निगम

(Industrial Cradit and Investment Corporation of India-ICICI)

इसकी स्थापना 1955 में सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में हुई थी। इस निगम के वित्तीय स्रोत है: अंश पूंजी, संचित कोष, भारत सरकार के ऋण, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से ऋण एवं विदेशी मुद्राओं में ऋण। इस निगम के प्रमुख उद्देश्य है।

- औद्योगिक उद्यमों की स्थापना, विस्तार और उनके आधुनिकीकरण में सहायता करना,
- ऐसे उद्यमों में देशी और विदेशी दोनों प्रकार की निजी पूंजी की भागीदारी को बढ़ावा और प्रोत्साहन देना,
- औद्योगिक विकास से बढ़ावा देना और प्रोत्साहन देना,
- पूंजी बाजार के विकास में सहायता देना एवं
- औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन और सहायता देना।

कार्य : इसके कार्य निम्नलिखित है :• निजी क्षेत्र की औद्योगिक कंपनियों में अंशों और ऋणपत्रों का अभिदान करना,

- तकनीकी प्रबंधीय व प्रशासनिक परामर्श देना एवं ऋणों की गारंटी देना,
- औद्योगिक संस्थाओं को मध्यावधि और दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

(Industrial Development Bank of India I.D.B.I.)

इसकी स्थापना 1964 में की गयी। यह औद्योगिक क्षेत्र में दीर्घकालिक ऋण देने वाले बैंकों की श्रृंखला में अंतिम स्थापित बैंक हैं इसकी स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य यह कि उद्योगों की स्थापना तथा विकास की परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा आधारभूत उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करना। इस बैंक के वित्तीय स्रोत है-अंश पूंजी, भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक से ऋण, बांडों तथा ऋण पत्रों का निर्गमन, विदेशी मुद्रा में ऋण तथा अनुदान एवं सहायता।

कार्य : इसके कार्य निम्नलिखित है।

- सभी प्रकार के औद्योगिक इकाइयों को दीर्घकालिक ऋण देना,
- औद्योगिक उपक्रमों में स्थगित भुगतानों अथवा उनके द्वारा पूंजी बाजार के लिए जाने वाले ऋण की गारंटी देना,
- औद्योगिक इकाइयों द्वारा निर्गमित अंशों, बांडों तथा ऋणपत्रों का अभिगोपन करना,
- अनुसूचित बैंको तथा राज्य सरकारी बैंको द्वारा उसे 10 वर्ष के लिए दिये गये ऋणों के पुनर्वित का कार्य।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

(Small Industries Development Bank of India SIDBI)

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अप्रैल 1990 में संसद द्वारा पारित अधिनिमय के अधीन भारत सरकार द्वारा भारतीय औद्योगिक विकास के स्वामित्वर्धन अनुषंगी के रूप में स्थापित किया गया। इस बैंक की अधिकृत पूंजी 250 करोड़ रुपये हैं जिसे 2,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। उद्योगों की स्थापना तथा

विकास की परियोजनाओं के लिये वित्तीय सहायता प्राप्त करना तथा आधारभूत उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करना।

कार्य : इसके कार्य निम्नलिखित है :

- औद्योगिक उपक्रमों के स्थगित भुगतानों अथवा उनके द्वारा पूंजी बाजार के लिए जाने वाले ऋण की गारंटी देना।
- सभी प्रकार की औद्योगिक इकाइयों को दीर्घकालिक ऋण देना।
- औद्योगिक इकाइयों द्वारा निर्गमित अंशों, बांडों तथा ऋणपत्रों का अभिगोपन करना एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा जारी किये जाने वाले ऋण पत्रों को खरीदना।

भारतीय निर्यात-आयात बैंक
(The Export Import Bank of India)

इसकी स्थापना 1 जनवरी, 1982 को भारत के विदेश व्यापार को वित्त सुविधायें और प्रोत्साहन देने के लिए की गयी। इसके प्रमुख कार्य इस प्रकार है:

- न केवल भारत अपितु तृतीय विश्व के देशों के लिए भी इन वस्तुओं तथा सेवाओं के निर्यात एवं आयात के लिए वित्त का प्रबंध करना,
- विदेशों में साझे, उद्यमों के लिए वित्त प्रबंध,
- भारतीय पार्टियों को उधार उपलब्ध कराना ताकि वे विदेशों में साझे उद्यमों की हिस्सा-पूंजी में योगदान दे सकें,
- सीमित रूप में व्यापारिक बैंकिंग के कार्यों को करना।

प्रमुख वित्तीय संस्थाओं की स्थापना वर्ष

संस्थान	स्थापना
इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया	1921
भारतीय रिजर्व बैंक	1 अप्रैल, 1935
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	1948
भारतीय औद्योगिक ऋण व निवेश निगम	जनवरी 1955
भारतीय स्टेट बैंक	1 जुलाई, 1955
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	जुलाई 1964
कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)	12 जुलाई, 1982
भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक	20 मार्च, 1985
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिड्बी)	1990
भारतीय निर्यात-आयात बैंक	1 जनवरी, 1982
राष्ट्रीय आवास बैंक	जुलाई 1988
भारतीय जीवन बीमा निगम	सितंबर 1956
भारतीय साधारण बीमा निगम	नवंबर 1972
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रारम्भ	2 अक्टूबर, 1975
गृह विकास वित्त निगम लि.	1977

राष्ट्रीय आवास बैंक
(National Housing Bank)

यह देश में आवास वित्त की अग्रणी संस्था है। इसके जुलाई, 1988 से कार्य प्रारंभ किया। इसके प्रमुख कार्य है:

(i) सार्वजनिक एजेंसियों को भूमि विकास एवं बसेरा परियोजनाओं, मलिन बस्ती विकास परियोजनाओं के लिए सीधे वित्तीय सुविधाएं प्रदान करना।

(ii) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको, आवास वित्त कंपनियों और सहकारी क्षेत्र की संस्थाओं जैसी पात्र प्राथमिक कर्जदाताओं संस्थाओं को पुनर्वित की सुविधा प्रदान करना।

विदेशों में भारतीय बैंक

वर्ष 2010 तक 52 देशों में भारतीय बैंक कार्य कर रहे हैं। इनमें सार्वजनिक क्षेत्र के 16 तथा निजी क्षेत्र के 6 बैंक शामिल है। विदेशों में काम कर रहे सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ोदा, केनरा बैंक, बैंक आफ

इंडिया, इण्डियन ओरसीज बैंक, इण्डियन बैंक, सिण्डीकेट बैंक तथा यूको बैंक। ब्रिटेन में भारतीय बैंकों की सर्वाधिक 18 शाखाएं मौजूद हैं। विदेश में सर्वाधिक 59 शाखाएं भारतीय स्टेट बैंक की कार्यरत है। 58 शाखाओं के साथ बैंक आफ बड़ौदा दूसरे पायदान पर है।

भारत में विदेशी बैंक

भारत सरकार द्वारा जारी एक सूचना के अनुसार अगस्त 2011 तक 38 विदेशी बैंक भारत में कार्यरत थे। देश में इनकी कुल शाखाएं 321 है। ब्रिटेन के स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक की भारत में सर्वाधिक शाखाएं है। विश्व व्यापर संगठन के साथ हुए समझौते मुताबिक रिजर्व बैंक प्रतिवर्ष विदेशी बैंकों की न्यूनतम 12 शाखाओं की स्थापना की अनुमति देता है। इस प्रावधान के अनुसार किसी भी विदेशी बैंक को भारत में अपनी प्रथम शाखा खोलते समय मात्र 10 मिलियन डालर की पूंजी लानी होती है। दूसरी और तीसरी शाखा के लिये क्रमशः 10 मिलियन तथा 5 मिलियन डालर लाने होते हैं।

निजी क्षेत्र के बैंक

वर्तमान में भारत में निजी क्षेत्र के 22 बैंक कार्यरत है। नये प्रावधान के अनुसार देश में नया निजी बैंक की स्थापना के लिये न्यूनतम 500 करोड़ रुपये का निवेश आवश्यक है। निजी नये बैंक में प्रथम 5 वर्षों तक विदेशी हिस्सेदारी 49 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। नये निजी बैंक सिर्फ पूर्ण स्वामित्व की गैर संचालित होल्डिंक कम्पनी (NOHC) द्वारा स्थापित किये जा सकते है। ऐसी कम्पनियों को न्यूनतम 5 वर्ष तक सम्बन्धित बैंक की कम सेकम 40 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी अपने पास रखनी होगी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिग सुविधाओं के विस्तार तथा आम आदमी को रियायती दर पर ऋण आदि उपलब्ध कराने के लिए अक्टूबर 1975 को देश में 5 ग्रामीण बैंको की स्थापना की गयी। ये ग्रामीण बैंक उत्तर प्रदेश में गोरखपुर एवं मुरादाबाद राजस्थान में जयपुर, हरियाणा में भिवानी तथा पश्चिम बंगाल में मालदा। इस प्रयोग के सफलता के बाद देश के अन्य हिस्सों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तेजी से स्थापना हुई। वर्तमान में सिक्किम एवं गोवा के अतिरिक्त देश के सभी प्रदेशों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत है।

प्रत्येक ग्रामीण बैंक का एक प्रयोजन (Sponsor) बैंक होता है जो मैन पावर एवं गुणवत्ता से सम्बन्धित सहयोग एवं नियंत्रण करता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शेयर पूंजी में केन्द्र सरकार राज्य सरकार तथा प्रायोजक बैंक का 50:15:35 हिस्सा होता है।

सहकारी बैंक

देश के मध्यम एवं निम्न आय वर्ग से जुड़े लोगों को बैंकिग व्यवस्था का लाभ पहुंचाने एवं उन्हें इससे जुड़ने के लिए सहकारी ऋण प्रणाली की शुरूआत की गयी है। इस व्यवस्था की शुरूआत 1904 में सहकारी साख अधिनियम से हुई। शुरू में सहकारी बैंक सिर्फ कृषि ऋण से सम्बन्धित रहे किन्तु आगे चलकर इन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी प्रवेश किया। सहकारी बैंकों का ढांचा तीन वर्गों में विभक्त है।

- राज्य सहकारी बैंक
- जिला सहाकरी बैंक
- प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां (पैक्स)

सहाकारी बैंकों को पूंजी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सन् 1992-93 में नाबार्ड ने सहकारिता विकास निधि की स्थापना की। इस निधि से सहकारी बैंकों को अनुदान अथवा ऋण उपलब्ध कराकर उनकी सहायता की जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में आधारित सहकारी साख आन्दोलन कई स्थानों पर शहरी क्षेत्र भी विस्तार लेते दिखाई दे रहे हैं जिसका परिणाम है शहरी सहकारी बैंकों की स्थापना।

अग्रणी बैंक (LEAD BANK)

बैंकों को कृषि क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त नरीमन समिति के सुझाव पर 1969 में लीड बैंकों की स्थापना शुरू हुई इस योजना के तहत देश के सभी जिलों में प्रमुख अनुसूचित बैंकों को जिम्मेदारी निर्धारित की गयी और प्रत्येक जिले में एक बैंक को लीड बैंक घोषित किया गया। प्रत्येक लीड बैंक पर उसके आवंटित जिले में बैंकिग विकास की पूर्ण जिम्मेदारी होती है। लीड बैंक का मुख्य कार्य बैंकों और विकास सम्बन्धी एजेंसियों के मध्य सामंजस्य स्थापित कर योजनाओं के क्रियान्वयन को आगे बढ़ाना है। लीड बैंक के मुख्य कार्य है।

1. साधनों का सर्वेक्षण एवं बैंकिग विकास की संभावनाओं का पता लगाना।
2. कृषि उपज एवं व्यवसायिक उत्पादन के लिए मार्केटिंग की सुविधायें व कृषि उपज के संसाधन की सुविधायें ज्ञात करना।

माइक्रो फाइनेन्स (MICRO FINANCE)

देश में बड़ा बैंकिंग नेटवर्क होने के बावजूद तमाम गांवों में अभी भी बैंकों की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस हकीकत को स्वीकार करते हुए देश में सूक्ष्म ऋण व्यवस्था अथवा माइक्रो फायनेन्स की जरूरत हुई। इस तरह के ऋण स्वयं सहायता समूह और लघू वित्त संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराये जाते है। विश्व स्तर पर माइक्रो फायनेन्स के जनक बांग्लादेश अर्थशास्त्री मो. यूनूस को

माना जाता है। जिन्हें 2006 में इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया।

भारत में स्वयं सहायता समूह-बैंक सम्पर्क नाबार्ड की पहल पर 1986 में अस्तित्व में आया। देश का प्रथम सूक्ष्म वित्त संस्थान (माइक्रो फायनेन्स) 1996 में स्थापित बेसिक्स था।

भारत में माइक्रो फायनेन्स की स्थिति उम्मीद और अनुमान के अनुसार अभी तक सामने नहीं आ सकी है। सूक्ष्म वित्त अथवा माइक्रो फायनेन्स वित्तीय सुविधायें छोटे ऋण उपलब्ध कराना है। किन्तु व्यापक लेबल पर यह अभी तक धरातल पर उत्तर नहीं सका है। भारत में सूक्ष्म ऋण उपलब्ध कराने वाली प्रमुख संस्थायें है।

- एसकेएस माइक्रको फायनेन्स लिमिटेड
- स्पंदन स्फूर्ति फाइनेंसियल लिमिटेड
- अस्मिता माइक्रोफिन लिमिटेड
- श्री क्षेत्र धर्मस्थल रूरल डवलपमेंट प्रोजेक्ट
- भारतीय समृद्धि फाइनेंस लिमिटेड
- बंधन सोसाइटी
- कैशपर माइक्रो क्रेडिट
- ग्राम विद्यालय माइकों फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
- ग्रामीण फाइनेंसियल प्राइवेट लिमिटेड

माइक्रो फायनेन्स पर मालेगाम समिति की रिपोर्ट

माइक्रों फायनेन्स से सम्बन्धित संस्थानों की कार्यप्रणाली में सुधार तथा उससे सम्बन्धित विवादों पर विचार करने के लिए अक्टूबर 2010 में भारतीय रिजर्व बैंक ने वाईएच मालेगाम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। जनवरी 2011 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में मालेगाम समिति ने ऊंची ब्याज दर वसूलने वाली माइक्रो फायनेन्स कम्पनियों पर नियंत्रण लगाने की सिफारिश की है। समिति ने इस तरह के ऋण पर ब्याज दर को अधिकतम 24 प्रतिशत तक रखने का सुझाव दिया है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगतं कर्जो की अधिकतम सीमा 25000 तक रखने तथा माइक्रों फायनेन्स कम्पनियों के लिये गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की एक अलग श्रेणी बनाने की भी सिफारिश की है। समिति ने यह कहा है कि माइक्रो फायनेन्स कम्पनियों को ब्याज दर के अतिरिक्त सिर्फ दो तरह के शुल्क ही ग्राहकों से लेने की अनुमति मिलनी चाहिये, जो है। प्रोसेसिंग फीस तथा बीमा शुल्क। माइक्रो फायनेन्स कम्पनियों को न्यूनतम 75 प्रतिशत ऋण कारोबार व आय आदि बढ़ाने के मद में देने चाहिये। कर्ज लेने वाला ग्राहक सिर्फ एक स्वयं सहायता समूह या ज्वाइन्ट लाइबिल्टी समूह होना चाहिये। इस तरह का व्यक्ति अधिकतम दो माइक्रो फायनेन्स से ऋण ले सकता हे।

बैंकिंग सुधार से सम्बन्धित समितियां

1. **नरसिंहम समिति (1991 और 1998) :** भारतीय अर्थव्यवस्था में आये आर्थिक संकट को दूर करने के लिए भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर एम नरसिंहम की अध्यक्षता में जून, 1991 में नरसिंहम समिति (Narasimham Committee) का गठन किया। इसे बैंकिंग क्षेत्रीय सुधार समिति का नाम भी दिया गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर 1991 में प्रस्तुत की। नरसिंहम समिति की लगभग सभी संस्तुतियों को बैंकिंग क्षेत्र में सुधार की दृष्टि से लागू किया जा चुका है। आगे चलकर एम. नरसिंहम की अध्यक्षता में बैंकिंग सुधार के लिए द्वितीय समिति गठित की गयी, जिसने 23 अप्रैल 1998 को अपनी रिपोर्ट तत्कालीन केन्द्रीय वित्त मंत्री यशवन्त सिन्हा को सौंप दी। अपनी रिपोर्ट में नरसिंहम कमेटी ने पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) में बढ़ोत्तरी करने, गैर निस्पादन परिसम्पत्तियों (NPAS) में कमी करने के साथ ही बैंकों की खराब परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिये एक सम्पत्ति पुनर्निर्माण कोष Asset Reconstruction Fund) की स्थापना की सिफारिश की। समिति ने कमजोर बैंकों के लिए सीमित व्यवसाय (Narrow Banking) के तरीके अपनाने की सलाह, दी किन्तु यह भी कहा कि यह प्रशास सफल होने पर उसे बन्द कर दिया जाना चाहिए। समिति ने बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए तिस्तरीय बैंकिंग ढांचा खड़ा करने का सुझाव दिया-दो से तीन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के बैंक, आठ से दस राष्ट्रीय स्तर के बैंक तथा शेष स्थानीय बैंक। नरसिंहम समिति ने इस बात पर जोर दिया कि बैंकों को राजनीति और इससे प्रेरित योजनाओं से पूरी तरह मुक्त रखा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त बैंकों पर भार कम करने के लिए कर्मचारियों के लिये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू की जानी चाहिए। बैंकों का व्यापक कम्प्यूटरीकरण कर ग्राहक सेवा सुधारने तथा त्वरित कार्य व समस्या समाधान को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

2. **गोइपोरिया समिति (GOIPORIA COMMITTEE) :** बैंकों में ग्राहक सुविधा सुधारने के लिए 1990 में श्री एम.एन. गोइपोरिया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ जिसने 1991 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति के सुझावों पर ध्यान देते हुए बैंकिंग लोकपाल योजना (Banking Omudsman Scheme) की शुरुआत 15 जून, 1995 में की गयी।

   गोइपोरिया समिति ने बैंकों में सुधार के लिए अपनी रिपोर्ट में निम्न सिफारिशों को प्रस्तुत किया

- बैंक जमा राशियों पर कर लाभ देने तथा बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दर में वृद्धि करने का सुझाव।
- गांवों में सक्रियता बढ़ाने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित करना और ऐसा न करने का सुझाव।
- गांवों में सक्रियता बढ़ाने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित करना और ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कठोर निर्णय लेने की सिफारिश।
- नकद भुगतान कार्य को छोड़ अन्य कार्यों के लिए बैंकिंग सेवा घण्टों में वृद्धि की जानी चाहिये
- कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि के उपाय करने तथा कार्य के प्रति उनके उदासीनता पूर्ण दृष्टिकोण में सुधार के लिये कठोर कदम उठाने के प्रयास होने चाहिये।
- बैंकों में कम्प्यूटर में तेजी अपनाकर आधुनिकीकरण प्रक्रिया को व्यापक बनाने की सिफारिश।
- विशेष ग्राहक समूहों के लिए विशिष्ट शाखायें खोलने का सुझाव।
- चालू खाते में 5000 रुपया तक के बाहरी केन्द्र चेक जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराने का सुझाव।

3. वर्मा समिति (Verma Committee)

सार्वजनिक क्षेत्र के कमजोर बैंकों में सुधार के लिए भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष एम.एम.वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी, जिसने 4 अक्टूबर 1999 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। समिति ने अपेक्षाकृत कमजोर बैंकों (इंडियन बैंक, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया) के पुनर्गठन एवं पुनर्सरचना के लिए महत्वपूर्ण उपाय सुझाये। समिति ने कमजोर बैंकों को पुनर्जिवित करने के लिए लागत में कमी करने के साथ ही बैंकों की लाभप्रदता बढ़ाने के उपायों पर बल दिया। कमजोर बैंकों के 50 लाख रुपये तक की गैर निष्पादन परिसम्पत्तियों को सम्पत्ति पुनर्निर्माण कोष (Asset Reconstructions Found) के नाम हस्तान्तरित किये जाने का सुझाव।

बैंकिंग क्षेत्र के सुधार हेतु गठित समितियां

गठन	समितियां	सम्बन्धित क्षेत्र
1991	गोइपोरिया समिति	ग्राहक सेवा में सुधार।
1991	नरसिम्हम समिति (प्रथम)	बैंकिंग आर्थिक सुधार।
1993	घोष समिति	बैंकों में धोखाधड़ी रोकने के उपाय।
1993	नायक समिति	लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋणउपलब्ध कराना।
1995	पद्मनाभम समिति	बैंकों का पर्यवेक्षक निर्धारण।
1997	तारापोर समिति	विदेशी विनियम में पूंजी खाता परिवर्तनीयता।
1998	आर.वी. गुप्ता समिति	कृषि के लिए ऋण प्रणाली में सुधार।
1998	नरसिम्हम समिति (द्वितीय)	बैंकिंग के कोरम।
1998	कपूर समिति	लघु एवं मध्यम उद्योगों में सुधार।
1998	खान समिति	यूनिवर्सल बैंकिंग के कोरम।
1999	वर्मा समिति	कमजोर बैंकों की समस्यायें और उपाय।
2001	रेड्डी समिति	छोटी बचतों से जुड़ी व्यवस्था में सुधार।
2001	कोहली समिति	विलफुल डिफाल्टर की परिभाषा और बीमार लघु व मध्यम उद्योगों का पुनर्स्थापन।
2001	खन्न समिति	गैर-निष्पादक आस्तियों की रूपरेखा में परिवर्तन।
2006	बेसल समिति	पूंजी पर्याप्तता अनुपात।

4. दामोदर समिति (Damodarn Committee) :

बैंकिंग सेवाओं में सुधार के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) के पूर्व अध्यक्ष एम. दामोदरन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। समिति ने अगस्त 2011 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। समिति ने अपने सुझाव में बचत खातों में चेकबुक व एटीएम कार्ड आदि सुविधाओं के लिए न्यूनतम शेष की शर्त खत्म करने का सुझाव दिया। न्यूनतम शेष की अवस्था में बैंको द्वारा लिया जाने वाला दण्डात्मक शुल्क आनुपातिक रूप

से कम करने के साथ ही सावधि जमा को सम्बन्धित खातेदार के आग्रह के वगैर रिन्यू न करने का समिति ने सुझाव दिया। समिति ने सुझाव दिये कि गृह ऋण के चुकता हो जाने के बाद सम्बन्धिता ग्राहक को 15 दिनों के भीतर सम्पत्ति संबंधी समस्त कागजात सौंप दिये जाने चाहिये। इसके अतिरिक्त ग्राहकों की शिकायतों को सुनने और उन्हें दूर करने के लिए सभी बैंकों को सम्मिलिति रूप से एक काल सेन्टर नम्बर शुरू करना चाहिए।

बैंकिंग लोकपाल योजना

(Banking Ombudsman Scheme)

भारतीय रिजर्व बैंक ने 15 जून, 1995 से देश में इस योजना को शुरू किया है जिसमें बैंकों के ग्राहको की शिकायतों का समाधान करने के लिए ग्राहक प्रहरी (Consumer Ombudsman) नियुक्त करने की व्यवस्था है। अब तक 15 अलग-अलग क्षेत्रों के लिए बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति की जा चुकी है। इनकी नियुक्ति नयी दिल्ली, भोपाल, बैंगलोर, कोलकाता, चण्डीगढ़ हैदराबाद, मुंबई, पटना, जयपुर, कानपुर, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, चेन्नई, अहमदाबाद और तिरुवनंतपुरम में की गयी है।

इस योजना में सभी अनुसूचित सहकारी बैंक तथा व्यावसायिक बैंक सम्मिलित है। किन्तु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को इस योजना के दायरे से बाहर रखा गया है।

बेसल-III

अन्तर्राष्ट्रीय सेटलमेंट बैंक (Bank for internationalo Settements-BIS) : ने 1988 में स्विट्जरलैंड स्थित अपने बेसल मुख्यालय पर बैंकों के सफल संचालन के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया, जिसे बेसल समिति अथवा बेसल संधि कहा जाता है। समिति ने 1988 में बेसल-I तथा 2009 में बेसल-II संधि लागू करने की घोषणा की। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) की घोषणा के अनुसार समस्त भारतीय बैंकों में 31 मार्च 2009 तक बेसन-II के मानक पूरे कर लिये गये है। देश में कार्यरत सभी विदेशी बैंकों तथा विदेश में शाखाएं रखने वाले भारतीय बैंकों में 31 मार्च 2008 तक बेसल-II की शर्ते लागू हो जानी थी। ऐसे बैंक जिनकी शाखाएं विदेशी में नहीं है। उनके लिए यह समय सीमा 31 मार्च 2009 तय की गयी थी।

बेसन समिति की नयी घोषणा के अनुसार अब समस्त बैंकों में बेसल-III के मानदण्ड लागू किये जाने हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 मई, 2012 को नया वैश्विक पूंजी पर्याप्तता अनुपात (Capital Adequacy Ration-CAR) से संबंधित बेसल के दिशा-निर्देश बैंकों को जारी कर दिये। इन निर्देशों का 1 जनवरी, 2013 से 31 मार्च 2018 तक क्रियान्वयन किया जाना है।

- नये निर्देशों के मुताबिक बैंकों को पूंजी पर्याप्तता अनुपात 9 प्रतिशत (पूर्ण जोखिम भारांश संपदा की न्यूनतम कुल पूंजी) बनाए रखना है जो कि पहले 8 प्रतिशत रखना था। इसके अलावा कैपिटल कंजर्वेशन नम्बर बफर 2.50 प्रशित का रखना होगा।
- कैपिटल बफर का मतलब यह है कि वर्ष 2008 की मन्दी जैसे संकट से बचने के लिए बैंकों को 9 प्रतिशत की पूंजी पर्याप्तता अनुपात के अलावा 2.50 प्रतिशत की बफर राशि सुरक्षित रखना अनिवार्य है। यदि बैंक इसे रखने में असफल होते है। तो वे बोनस वितरित नहीं कर सकते।
- बेसल-3 के निर्देशों के अनुसार बैंक को 1.5 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त रखना होगा, ताकि वित्तीय समस्याओं से बचा जा सके और निवेशकों के हितों की सुरक्षा हो सके। पीएसयू बैंकों के लिए इस अतिरिक्त पूंजी का प्रावधान करने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सरकार ने पीएसयू बैंकों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 58 फीसदी तक करने की योजना बनाई है। जिससे इस अतिरिक्त पूंजी का इंतजाम हो सकता है।
- बेसल नियम का मकसद बैंकों को वित्तीय रूप से मजबूत बनाना है। आरबीआई द्वारा बेसल-3 के निर्देशों के बाद बैंकों पर अतिरिक्त पूंजी जुटाने का दबाव देखा जा सकता है, पीएसयू बैंकों पर इसका ज्यादा असर पड़ने का अनुमान है।
- बेसल-3 से बैंकिंग सेक्टर में मॉर्जिन में बढ़त की उम्मीद है, वहीं इससे निजी बैंकों को अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी।

ग्रामीण व सहकारी बैंकों को 'ऑनलाइन फण्ड ट्रांसफर' सुविधा

धनराशियों ऑनलाइन ट्रांसफर को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों व सहकारी बैकों को भी अब केन्द्रीयकृत भुगतान प्रणालियों में भाग लेने की अनुमति 9 अप्रैल, 2012 को प्रदान कर दी। इससे ये बैंक भी अब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम (RTGS) व नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फण्ड ट्रांसफर (NEFT) के माध्यम से धनराशियों को एक खाते से दूसरे खाते में ट्रसंफर कर सकेंगे।

चेक-ड्राफ्ट की वैधता केवल तीन महीने

भारतीय रिजर्व बैंक ने 23 मार्च, 2012 को निर्देश जारी करते हुए कहा कि ड्राफ्ट, चेक, पे-आर्डर या बैंकर्स चेक 1 अप्रैल, 2012 से केवल तीन महीने के लिए ही वैध होंगे। इससे आर्थिक क्षेत्र में होने वाली धोखाधड़ी पर एक सीमा तक नियंत्रण लगाया जा सकता है।

एक्सिस बैंक का बहरीन के बैंक से समझौता

एक्सिस बैंक ने 28 मई, 2012 के बहरीन के अहली

यूनाइटेड बैंक बीएससी के साथ गठबन्धन हेतु एक समझौता किया जिसके तहत बहरीन से किसी भी व्यक्ति द्वारा भारत में धन भेजना सरल हो जायेगां बैंक के उपभोक्ताओं के अलावा देश भर में 100 से अधिक अन्य बैंकों की 83000 से अधिक एनईएफटी-सक्षम शाखाओं उपभोक्ता भी लाभान्वित होंगे।

स्टेट बैंक को सरकारी सहायता

सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक में प्रिफरेंशियल अर्थात् तरजीही शेयर के बदले 7900 करोड़ रुपये की पूंजी लगाने की घोषणा की हैं इससे देश के सबसे बड़े बैंक को कारोबार में विस्तार मिलेगा इस पूंजी से स्टेट बैंक का चुकता शेयर पूंजी बढ़ जायेगा। सरकार की तरफ से यह पूंजी मिलने के बाद बैंक में मरकार भी भागीदारी बढकर 65 प्रतिशत तक पहुंच जायेगी।

पाकिस्तानी बैंक भारत में

पाकिस्तान के केन्द्रीय बैंक ने अपने दो बैंकों को भारत में शाखा खोलने की अनुमति दी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (SBP) के गवर्नर यासिन अनवर ने 3 अगस्त 2012 को बताया कि नेशनल बैंक आफ पाकिस्तान और यूनाइटेड बैंक लिमिटेड को भारत में परिचालन की अनुमति प्रदान की है।

अब बैंक बदलिए बिना खाता नम्बर बदले

अब मोबाइल नंबर की तरह आपका बैंक खात नंबर स्थायी हो जायेगा और बैंक ग्राहक किसी भी बैंक में अपना अकाउंट उसी नंबर के साथ ट्रांसफर कर सकेगा। सरकार बैंक खाता नंबर पोर्टेबिलिटी पर विचार कर रही है।

इसके पीछे मकसद यह है कि हर बार ग्राहकों को नए नंबर मिलने की जहमत से छुटकारा मिले। कई लोग अपने बैंक को इसलिए छोड़ देते है। कि उसकी सर्विस अच्छी नहीं है। लेकिन जब वह दूसरे बैंक में जाते है। तो उन्हें नया नम्बर मिल जाता है। इससे उन्हें काफी परेशानी होती है। बैंक खातों के नंबर इन दिनों 13-14 अंकों के होते हे। और उन्हें याद रखना टेढ़ी खीर है। इसलिये सरकार चाहती है कि खाता नंबर वही रहे। इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गयी है जो इस पर अपनी राय देगी।

भारत में मुद्रा पूर्ति की अवधारा

- भारत में मुद्रा पूर्ति की चार अवधारणायें प्रचलित हैं

M_1, M_2, M_3, और M_4। इसमें से M_3 को व्यापक मुद्रा तथा M_1 को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है।

(i) M_1 = जनता के पास मुद्रा (करेंसी (संकीर्ण मुद्रा) नोट व सिक्के) +बैंकों की मांग जमा + रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं

(ii) M_2 = M^1 + डाकघरों के पास बचत बैंक जमाएं

(iii) M_3 (व्यापक मुद्रा) = M1 + बैंको की सावधि जमाएं

(iv) M_4 = M3 + डाकघरों की समस्त जमाएं

भारतीय वित्तीय प्रणाली

(Indian Financial System)

भारतीय वित्तीय प्रणाली दो दो भागों में बांटा जा सकता है।

1. भारतीय मुद्रा बाजार, और
2. भारतीय पूंजी बाजार

मुद्रा बाजार के अन्तर्गत अल्पकालीन स्वभाव की मौद्रिक सम्पत्तियों या प्रतिभूतियों का सामान्यतया एक वर्ष से कम अवधि का लेन-देन होता है, जबकि पूंजी बाजार मध्यम ताकि दीर्घकालीन फण्ड बाजार है जहां लम्बी अवधि की आवश्यकताओं के लिए उधार लिये जाते हैं।

- भारतीय मुद्रा बाजार को दो भागों में बांटा जा सकता है-संगठित और असंगठित। संगठित मुद्रा बाजार के अन्तर्गत रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक आदि आते है। असंगठित मुद्रा बाजार के अन्तर्गत देशी बैंकर्स, ग्रामीण साहूकार, महाजन आदि आते है।
- मुद्रा बजार छोटे-छोटे उप-बाजारों में बंटा होता है, जिसमें प्रत्येक उप-बाजार एक विशेष प्रकार की प्रतिभूति का उप-बाजार होता है। ये उप-बाजार निम्नलिखित है।

1. **कॉल मानी मार्केट (Call Money Market) :** अत्यल्प अवधि में ऋणों के लेन-देन को कॉल मनी मार्केट कहते है। इस मुद्रा बाजार में ऋण लेने के लिए किसी प्रतिभूमि की आवश्यकता नहीं होती है।
2. **ट्रेजरी बिल बाजार :** ट्रेजरी बिल दो तरह के होते है-तदर्थ तथा सामान्य। तदर्थ ट्रेजरी बिलों की बिक्री केवल राज्य सरकारें, अर्द्ध शासकीय विभाग तथा विदेशों के केन्द्रीय बैंकों को ही की जाती है। जबकि सामान्य ट्रेजरी बिल किसी को भी बेचा जा सकता है। ट्रेजरी बिल सरकार के लिए अल्प अवधि के ऋण के साधन होते है।
3. **वाणिज्यिक प्रपत्र (Commercial Paper) :** भारत में वाणिज्यिक प्रपत्रों के चलन की अनुमति 27 मार्च, 1989 से प्रदान की गयी। ये प्रपत्र एक प्रकार के प्रॉमिसरी नोट है, जिसकी परिपक्वता 7 से 90 दिन के बीच होती है।
4. **जमा प्रमाण-पत्र बाजार (Certigicate of Deposit Matket)**

: जमा प्रमाण-पत्रों का प्रचलन 1989 से हुआ है। ये प्रमाण-पत्र प्रारम्भ में 25 लाख के गुणक में कम से कम 1 करोड़ की राशि के लिए जारी किये जाते थे। लेकिन नई मुद्रा नीति के तहत जमा प्रमाण-पत्र 1 लाख रुपये गुणक में से कम से कम 5 लाख रुपये की राशि के लिए जारी किये जा सकते हैं 1993 से पहले इन प्रमाण-पत्रों को केवल व्यापारिक बैंक ही जारी कर सकते थे, लेकिन उसके बाद से (IDBI, ICICI, IRBI, IFCI, SIDBI, EXIM बैंक भी जारी कर सकते है।

5. **पुनर्क्रय विकल्प (रेपो) (Repurchase Options : REPO)** : पुनर्क्रय विकल्प या रेपों खुले बाजार की एक ऐसी क्रिया है, जिसके अन्तर्गत प्रतिभूतियों को इस शर्त के साथ बेचा जाता है। कि एक निश्चित तिथि पर एक निश्चित मूल्य पर उन्हें खरीद लिया जाये। रिजर्व बैंक जब प्रतिभूतियों को बेचता है तो उसे सामन्य रेपों कहते है। और जब वह प्रतिभूतियों को खरीदता है तो उसे रिवर्स या उल्टा रेपो कहते है।

2013 में रिवर्स रेपो	:	6.25%
2013 में रेपो	:	7.25%
वैकदर	:	10.25%

बैंको का स्वास्थ्य व उनकी रूग्णता

राष्ट्रीयकरण के उपरान्त बैंक में ऋण वसूली की प्रवृत्ति घटिया बनती चली गयी इसी समस्या से निजात पाने के लिये RBI ने 1985 में निकृष्टतम घोषित किये गये।

नरसिंहम समिति ने मूलधन ऋणों की वसूली तथा उस पर मिलने वाले ब्याज की प्राप्तता के आधार पर बैंक परिसंपतियों को दो भागों में बांटा

1. मानक संपत्तियां (निष्पादित संपत्तियां) Standasd Assets
2. गैर मानक संपतियां (गैर-निष्पादित संपत्तियां) (Non performing Assets)

नरसिंहम समिति ने आगे गैर मानक अथवा गैर निष्पादित संपति को तीन वर्गों में बांटा

1. उप मानक या उप गैर-निष्पादित संपत्तियां Sub standard assets.
2. दुविधापूर्ण परिसंपतियां (Doubtful assets)
3. जोखिमप्रद/हानिप्रद परिसंपत्तियां (Loss assets)

RBI के वर्तमान नियमानुसार यदि किसी भी ऋण पर देय ब्याज देय तिथि से 180 दिन आगे तक (जो पहले 30 दिन था) अथवा जिसका मूलधन देय तिथि से 365 दिनों तक न चुकाया गया हो उसे गैर निष्पादित संपत्तियां कहेंगे। यही गैर मानक संपत्ति भी है।

भारत में मानक संपत्तियां उसे कहा जाता है जहां ऋण सुविधाओं के बदले मूलधन और ब्याज निश्चित देय तिथि पर भुगतान कर दिया गया।

उपमानक परिसंपत्तियां वह है जो गैर मानक संपत्तियों के रूप में तो हों किन्तु उनकी समयावधि 2 वर्ष से अधिक न हुई हो।

दुविधापूर्ण परिसंपत्तियां वस्तुत बीमार औधोगिक प्रष्ठिानों से सम्बंध रखती है जिनकी वसूली लगभग संदिग्ध हो। हानिप्रद परिसंपत्तियां वे हैं जिन्हे RBI ने चिन्हित तो कर लिया हो परन्तु इस राशि को बैंक के खाते से पूर्णत: या अंशत: निकाला न गया हो ऐसी परिसंपत्तियों की वसूली सर्वथा संदिग्ध होगी इसे अप्राप्य या असंग्राही संपत्ति भी कहा जाता है।

जोखिमप्रद या हानिप्रद संपत्तियों के गणना के लिये बैंकों की प्रत्येक परिसंपति को कुछ अधिमान (भार) दिया जाता है जो शून्य से एक के बीच बदलता रहता है। यहां पर प्रत्येक परिसंपत्ति को उसके जोखिम पदभार से गुणा कर दिया जाता है। और इस प्रकार प्राप्त प्रतिफलों को एक साथ जोड़ देने से कुल जोखिम प्रद परिसंपत्तियों का भाग निकल आता है।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात (Capital adequacy ratio) वस्तुत: यह जोखिम प्रद परिसंपत्तियो से पूंजी का अनुपात बताता है इसे ज्ञात करने का सूत्र अद्योलिखित है:

Capital to risk waighted asset

ratio = CRAR

संकीर्ण बैंक : वे बैंक जो अपने कोषों को केवल अल्पकालिक जोखिम रहित परिसंपत्तियों में लगाते हैं सकीर्ण बैंक कहलाते हैं इस कोटि में ऐसे बैंक भी आते हैं जिनकी मांग जमाएं सुरक्षित, तरल परिसंपत्तियों के बराबर हो कुल मामलों में इन बैंको की जमाओं तथा भुगतान पर बीमा की व्यवस्था रहती है। ऐसे बैंक अपने असफल होने के जोखिमं के कम करके चलते है परिणाम स्वरूप जमाकर्त्ताओं के हित भी सुरक्षित बने रहते हैं इस प्रकार के बैंक जमा पर बीमा योजना अन्य सुरक्षा कवच आदि धारण किये होते हैं जहां तक कि ये बैंक निगरानी प्रणाली से भी मुक्त होते हैं।

नरसिंहम समिति ने अनुशंसा की है कि भारत में दुर्बल बैंकों की पुर्नस्थापना के लिये Narrow Bank प्रणाली अपनायी जानी चाहिये। तारापोर समिति ने भी दुर्बल बैंको को Narrow Bank के रूप में परिवर्तित करने की अनुशंसा की है।

दुर्बल बैंको के संबध में वर्मा समिति को सिफारिशें : RBI द्वारा SBI के पूर्व अध्यक्ष श्री एंम.एस. वर्मा की अध्यक्षता में दुर्बल बैंको से संबधित एक समिति का गठन किया था जिसके अधोलिखित विचारणीय बिन्दु है:

1. दुर्बल बैंको की पहचान के लिये मानको का निर्धारण।

2. ऐसे दुर्बल बैंकों का अध्ययन और उनकी समस्याओं की जांच।
3. इनके चिन्हन के लिये बैंक दर बैंक अध्ययन तथा पुर्नस्थापित किये जाने योग्य बैंको का पता लगाना।
4. ऐसे बैंको के लिये वित्तीय संगठनात्मक तथा क्रियात्मक रणनीति सुझांव।

वर्मा समिति ने बैंको के मूल्यांकन के लिये सात मानक सुनिश्चित किये :

1. पूंजी पर्याप्तत्ता,
2. विस्तार अनुपात,
3. परिसंपत्तियों पर प्रतिफल,
4. क्रियाशील पूंजी से लाभ का अनुपात,
5. लागत तथा आय का अनुपात,
6. निबल ब्याज तथा अन्य समस्त आय से कर्मचारियां की लागत का अनुपात)
7. निबल ब्याज मार्जिन।

जो बैंक इन मानको पर निर्धारित स्तर प्राप्त करने में असफल रहे उन्हें दुर्बल बैंक माना गया। यहां पर विस्तार अनुपात से तात्पर्य यह है कि जब किसी बैंक की कुल परिसंपत्तियों की तुलना में उसकी अपनी पूंजी ऋणगत हानियों की व्यवस्था सहित व्यय से, गैर निष्पादित संपत्तियां घटाने पर 0.5% से ज्यादा शेष बचता है।

उपरोक्त मानकों के धरातल पर वर्मा समिति ने तीन बैंकों को दुर्बलतम श्रेणी में माना।

(i) इंडियन बैंक
(ii) यूनाईटेड बैंक आंफ इंडिया
(iii) यूको बैंक।

समिति ने 5 महत्वपूर्ण संस्तुतियां जारी की है।

(i) बैंको के NPA's का बोझ कम करने के लिये एक ARE (Asset reconstruction fund) की स्थापना।
(ii) बैंको के कर्मचारियों की संख्या में 25% की कटौती करना जिसके लिये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS) Golden Hand shake' लागू की जाये। 5 वर्षो के लिये वेतन वृद्धि पर रोक लगे।
(iii) बैंकों के निदेशक मंडल स्तर तथा शीर्षस्थ प्रबन्धन स्तर पर एक उत्तरदायी तथा प्रभावशाली संचालन का मांडल स्थापित किया जाये।
(iv) प्रत्येक बैंक के प्रमुख क्रियाकलापों का पुनरावलोकन करना तथा उसमें परिवर्तन करना मुख्यत: तकनीक, मानव संसाधन, ग्राहक सेवा।
(v) एक वित्तीय पुनर्गठन तथा यदि आगे और दुर्बल होते हैं तो बैंक के पुनंगठन की प्रक्रिया की निगरानी का अधिकार प्राप्त हो।

कुछ तथ्य :

- वर्मा समिति ने दो या दो से अधिक शाखाओं को मिलाकर एक करने का प्रबन्ध किया है।
- विदेशी शाखाओं की बिक्री बन्द करने की कड़ी सिफारिश की गयी है।
- समिति ने यह भी सिफारिश की है कि दुर्बल बैंको को प्राथमिकता के क्षेत्रों में ऋण देने की छूट मिलनी चाहिये।
- समिति ने कुशलता के हस्तानान्तरण हेतु कानून को सरल बनाने की सिफारिश की है। ताकि बेहतर व्यवसायिक रणनीतियां या बेहतर विपणन का प्रयास हो सके।
- समिति ने बैंको के पुर्नगठन की प्रक्रिया को दो चरणों में लागू करने की बात कही है।
  (i) प्रथम चरण में संबधित ईकाईयों के क्रियात्मक संगठनात्मक तथा वित्तीय पुर्नगठन का कार्य किया जाना चाहिये जिसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धत्मकता को पुर्नस्थापित करना चाहिये।
  (ii) पुर्नगठन के द्वितीय चरण में जब बैंक स्वावलंबी हो जाये तथा निवेशकों को आकर्षित करने लगे तब इनके निजीकरण होने चाहिये।

समिति ने यह भी स्पष्ट किया है कि भारतीय संदर्भ में दुर्बल बैंको के पुर्नगठन के लिये निजीकरण एक विकल्प तो है किन्तु यह दीर्घकाल के लिये उचित है अत: निकट भविष्ट में निजीकरण उंचित नहीं रहेगा।

समिति ने उपरोक्त तीनों बैंको के बन्द किये जाने के विकल्प को अस्वीकार कर दिया संक्षेप में यह सकते हैं कि वर्मा समिति ने दुर्बल बैंको के निजीकरण तथा तालाबन्दी दोनों पर भी रोक लगा दिया।

बैंको में क्रेडिट रेटिंग व्यवस्था : (साख निर्धारण) किसी व्यक्ति, कंपनी अथवा देश द्वारा अपने दिये गये ऋणों को लौटाने की इच्छा व क्षमता का मूल्यांकन साख निर्धारण कहलाता है।

इस प्रकार का मूल्याकंन संबधित व्यक्ति, कंपनी अथवा देश की कुल संपत्तियां व देनदारियों जोखिमों तथा देय तिथि पर मूलधन तथा ब्याज लौटाने के विगत रिकार्ड संबधी सभी उपलब्ध सूचनाओं पर आधारित होता है।

यदि किसी बैंक की क्रेडिट रेंटिग अच्छी हो तो वह सरलता से व सस्ती कीमत पर अधिक उधार प्राप्त कर सकती है। किन्तु यदि यह घटिया हो तो ऐसा संभव नहीं हो पायेगा।

साख निर्धारण की अवधारणा सर्वप्रथम जांन मूडी ने 1909 में USA में दिया।

मुद्रा बाजार पर बनी एन बाबुल समिति की रिपोर्ट ने भारत में सबसे पहले साख निर्धारण की अवधारणा पर बल दिया।

- साख निर्धारण किसी हानि के प्रति कोई गारंटी नहीं प्रदान

करती सिर्फ धन चुकाने संबधी जोखिमों के सावधानीपूर्वक विश्लेषण का आधार पैदा करती है।

- यह साख निर्धारण प्रतिभूतियों को खरीदने अथवा बेचने की संस्तृतियां नहीं है ये केवल ऐसे निर्णयों के लिये एक सहायक उपकरण मात्र हैं कह सकते हैं कि प्राथमिक रूप से यह एक तरह की निवेशक सेवा है।
- क्रेडिट रेटिंग अनिवार्य रूप से जोखिम तथा प्रतिफल के बीच संबध स्थापित करता है।
- यह एक ऐसा मापक प्रदान करता है जिससे कि किसी भी वित्तीय यंत्र के जोखिम को नापा जा सकता है।
- वर्तमान में निम्न ऋण यन्त्रों का भारत में रेटिंग अनिवार्य है
  (i) 18 माह से अधिक की अवधि के लिये सार्वजनिक रूप से जारी किये जाने वाले डिबेन्चर/बाण्ड।
  (ii) गैर बैंकिग वित्तीय कंपनियों द्वारा ली जाने वाली सावधि जमायें।
  (iii) वाणिज्यिक पत्र (CP's)
  (iv) भू-संपत्तियां संबंधी कंपनी (रियल इस्टेट कंपनी)

मुद्रा बाजार पर बाबुल समिति की संस्तुतियां के आधार पर भारत में 27 मार्च 1989 से वाणिज्यिक पत्रों की व्यवस्था प्रारम्भ की गयी यह एक अल्पकालिक मौद्रिक यन्त्र है जो वचनबद्धता के आधार पर एक निश्चित परिपक्वता अवधि के लिये (7 दिन से (माह) तक होती है। अपने अंकित मूल्य पर कटौती के आधार पर जारी की जाती है। वाणिज्यिक पत्र जारी करनें वाले और स्वीकार करने वाले बैंक दोनों के लिये एक वचनबद्धता है ये पत्र उच्च कंपनियों द्वारा अपनी व्यवसायिक गति विधियों के पूरा करने हेतु कोष जुटाने के उद्देश्य से सीधे निवेशकों को जारी किये जाते हैं। भारत में वाणिज्यिक पत्रो को जारी किये जाने कर न्यूनतम आकार 1 करोड़ रू. तक है जो कि इसके पश्चात 25 लाख रू. या इसके गुणकों में जारी किया जा सकता है। इसका अधिकतम आकार जारी करने वाले की क्रियाशील पूंजी का 75% हो सकता है।

निदृष्ट पत्र : (Promissory Notes) : एक प्रपत्र जो उल्लिखित करता है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को एक निदृष्ट भुगतान एक निदृष्ट तिथि को किया जायेगा। अनेक देशों में यह प्रपत्र व्यवस्था के क्षेत्र में सामान्य रूप से प्रयोग किये जाते हैं।

साख निर्धारण अभिकरण (Credit rating) : एक फर्म जो कि व्यक्तियों, कंपनियों अथवा देशों की साखगत हैसियत का आंकलन करती है तथा उसके आधार पर प्राप्त परिणामों को इच्छुक व्यक्तियों को बेचती है साख निर्धारण अभिकरण कहलाती है।

यह एक ऐसी संस्था होती है जो सूचनाओं को एकत्र करने व उन्हें विश्लेषित करने में दक्ष होती है तथा यह अन्य लोगों को इन विश्लेषणों के आधार पर किये गये साख निर्धारण को उपलब्ध कराती है ऐसे अभिकरण है क्रासिल (Crisil) - Credit rating service of India ltd.

CRISIL : यह भारत की पहली क्रेडिट रेटिंग कंपनी है जो 1987 में शुरू हुई। इसे UTI तथा ICICI ने मिलकर स्थापित किया है।

2. ICRA- (Investment infaemation & credit rating agency)
3. CARE- (Credit analysis and researeh ltd)
4. ONICRA-(Onida individual credit rating agency)
5. UTI Credit rating ltd.
6. Duff and phelps India ltd (1998)

NOTE : भारत में घरेलू और विदेशी दोनों मुद्राओं का निर्धारण लघु और दीर्घ काल दोनों के लिये किया जाता है।

मूडीज इन्वेस्टर सर्विस USA तथा स्टैन्डर्ड एण्ड पूअर क्रेडिट रेटिंग सर्विसेज USA ने भारत में परमाणु विस्फोट के बाद देश की साख कम कर दी थी।

डफ एवं फेल्फ तथा Fupich Investor sesvices, USA हे क्रेडिट रेटिंग कंपनियां है।

जापान बाण्ड रेटिंग इन्सटीट्यूट जापान की क्रेडिट रेटिंग कंपनी है। ICBA UK की तथा कनाडियन बाण्ड रेटिंग सर्विस कनाडा की रेटिंग कंपनी है।

साख निर्धारण संकेतक:

संकेतक	**अर्थ**
AAA	सर्वोच्च सुरक्षा वाली कंपनी
AA	उच्च सुरक्षा
A	पर्याप्त सुरक्षा
BBB	सामान्य सुरक्षा
BB	अपर्याप्त सुरक्षा
B	उच्च जोखिम
C	अत्यधिक जोखिम
D	अतिशय जोखिम

बैंक रेंटिग व्यवस्था : एस पद्मनाभन समिति की अनुशंसा पर भारत में बैंको की रेंटिग के लिये CAMELS मॉडल की अनुशंसा की गयी है। समिति की यह अनुशंसा है कि RBI द्वारा बैंको की निगरानी का कार्य बैंकों की वित्तीय मजबूती के आधार पर होना चाहिये अत: बैंको की रेटिंग भी जरूरी है इसके लिये उन्होंने जुलाई 1997 में Camels मांडल प्रस्तावित किया जिसके लिये उन्होंने 6 मानक तैयार किये और इन्हीं मानकों के आधार पर बैंको की क्रेडिट रेटिंग की जाती हैं।

जहां C = Capital Adequecy.

A = Asset Quality.

M = Management.

E = Earning.

L = Liquidity.

S = System and control.

इस रिपोर्ट के अनुसार इन 6 मानको में से प्रत्येक का आकलन 1-5 के पैमाने पर किया जायेगा इस प्रकार प्राप्त योग औसत से संबधित बैंकों को A से E तक की रेटिंग दी जायेगी।

NOTE : जिन बैंको की रेटिंग A होगी उन पर न्यूनतम पर्यवेक्षण की आवश्यकता होगी।

जैसे-जैसे रेटिंग में कमी आयोगी पर्यवेक्षण की आवश्यकता बढ़ती जायेगी।

A से E तक के साख निर्धारकों का अधोलिखित अर्थ है।

(i) प्रत्येक दृष्टि तथा आधारभूत रूप से सुदृढ़।

(ii) आधारभूत रूप से सुद्धढ़ किन्तु अल्प दुर्बलताओं के साथ।

(iii) वित्तीय क्रियात्मक अथवा प्रबन्धकीय दुर्बलतायें जो पर्यवक्षण के लिये कारण उत्पन्न करती है।

(iv) गंभीर वित्तीय कियात्मक तथा प्रबन्धकीय दुर्बलतायें जो इसकी भावी व्यवहारिकता को क्षति पहुंचा सकती है।

(vi) अत्यधिक चिंताजनक आर्थिक दुर्बलतायें जो कि निकट भविष्य में इनके असफल होने की उच्च संभावना उत्पन्न करती है।

गैर बैंकिग वित्तीय संस्थाएं (NBFC's) : ऐसी कंपनियां जो बैंक का कार्य न करके सिर्फ वित्तीयन का कार्य करती हैं ये साधारण उधार यानि सीधे जनता को नहीं देती हैं। जैसे :

1. वह बैंक जो सामान्य प्रणाली के अन्तर्गत चैक से जमा स्वीकार करता हो।
2. जो सामान्य व्यवस्था के अन्तर्गत उधार न देता हो।
3. डाकघर। (ये बचत बैंक तो है लेकिन सरकार को ही उधार देते हैं)

RBI एक्ट 1997 द्वारा गैर बैंकिग कंपनियों पर गठित शाह समिति एवं वासुदेव समिति की संस्तुतियां के आधार पर RBI को गैर बैंकिग वित्तीय संस्थाओं पर नियंत्रण हेतु व्यापक अधिकार दिये गये हैं इस संशोधन कानून के अनुसार एक गैर बैंकिग वित्तीय कंपनी एक ऐसी वित्तीय संस्था है अथवा एक गैर बैंकिग संस्था है जिसका प्रमुख व्यवसाय किसी प्रबन्धन, स्कीम अथवा अन्य प्रकार से जमाऐं स्वीकार करना है। इस संशोधन के अनुसार

(i) कोई भी गैर बैंकिग वित्तीय कंपनी RBI से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना अपना व्यवसाय शुरू नही कर सकती।

(ii) कोई भी गैर बैंकिग वित्तीय संस्था तब तक अपना कार्य प्रारंभ नहीं रख सकती या जारी रख सकती जब तक कि उसके (NOR) शुद्ध व्यक्तिगत कोष कम से कम 25 लाख रू. न हों। NOF का अर्थ चुकता पूंजी अथवा स्वतंत्र मुक्त आरक्षित कोष के योग से है जो कि संचित हानियों तथा अन्य लंबित व्ययों को घटाने के बाद प्राप्त होता है।

बैंकिग लोकपाल योजना (Banking Ombudsman Scheme)

1998 से शुरू यह संस्था बैंकिग प्रणाली के प्रति जन शिकायतों के जांच का कार्य करती है।

भारत में वित्त व्यवस्था (Finance management in India)

किसी भी देश की मजबूत वित्तीय प्रणाली व प्रबन्धन अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। भारत जैसे विकासशील देश में तो यह विशिष्ट महत्व रखती है हमारा संविधान भी इस संदर्भ में अपनी अनुसूची व उपबधों आदि के धरातल पर सजग प्रहरी की भूमिका में है। स्वतन्त्रता के उपरांत भारतीय अर्थव्यवस्था के उन्नयन के लिये नियोजन की रीति अपनायी गयी। एतद्अर्थ दो प्रकार के वित्त की संकल्पना की गयी: लोक वित्त निजी वित्त।

भारतीय पूंजी बाजार को भी दो भागों में बांटा जा सकता है।

1. **प्राथमिक बाजार या गिल्ट एज्ड मार्केट (Primary Market or Guilt Edged Matket) :** गिल्ट एज्ड मार्केट में सरकारी और अर्द्धसरकारी प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से किया जाता है। इसे उत्कृष्ट बाजार भी कहा जाता है। क्योंकि इसमें प्रतिभूतियों का मूल्य स्थिर रहता है।
2. **औद्योगिक प्रतिभूमि बाजार (Industrial Securities Matket) :** इसके अन्तर्गत पहले से स्थापित औद्योगिक इकाइयों या नयी स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयों के शेयरों, डिबेंचरों का क्रय-विक्रय किया जाता है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI)

रिवर्ज बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना अप्रैल 1935 में की गयी। 1949 में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक देश का केन्द्रीय बैंक है। रिजर्व बैंक देश का केन्द्रीय बैंक है। रिजर्व बैंक की स्थापना के पूर्व केन्द्रीय बैंक की भूमिका इम्पीरियल बैक निभा रहा था। जिसकी स्थापना 1921 में की गयी थी। रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुम्बई में है।

रिजर्व बैंक के कार्य

1. **नोट प्रचालन बैंक (Bank of Issue) :** रिजर्व बैंक को विभिन्न मूल्य वर्गो के नोट जारी करने का एकाधिकार प्राप्त है। रिवर्ज बैंक सरकार के प्रतिनिधि के रूप में एक रुपये के नोटों और सिक्कों के देश भर में वितरण का कार्य करता है। 1959 तक नोटों को निगर्मन अनुपातिक कोष प्रणाली के आधार पर किया जाता था, जिसके अन्तर्गत नोट निगर्मन के

पीछे स्वर्ण एवं विदेशी प्रतिभूतियों का 40 प्रतिशत आनुपातिक कोष रखना अनिवार्य था। लेकिन 1956 में अनुपातिक कोष प्रणाली के स्थान पर न्यूततम कोष प्रणाली को लागू किया गया, जिसके अन्तर्गत जब 115 करोड़ रूपये का स्वर्ण तथा 85 करोड़ रुपये की प्रतिभूति रखना आवश्यक है।

बैंक दर : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार बैंक दर वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक बिल ऑफ एक्सचेंज या अन्य व्यापारिक प्रपत्रों को जिन्हें एक्ट के अन्तर्गत क्रय योग्य ठहराया गया है। क्रय करने या पुनर्बट्टा करने के लिए तैयार रहता है।

खुले बाजार की प्रक्रिया : खुल बाजार की क्रिया के अन्तर्गत रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रण करने के लिए प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय करता है।

नकट आरक्षी अनुपात (CRR) : रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंको को उनके जमा का 3 से 15 प्रतिशत तक रिजर्व बैंक के पास रखने को कह सकता है। सीआरआर की दर जितनी ऊंची होगी व्यापारिक बैंकों की साख सृजन की क्षमता उतनी ही कम होगी और विलोमत: भी।

वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) : व्यापारिक बैंकों को अपने पास अपनी सम्पति का एक निश्चित अनुपात में तरल रूप में रखना आवश्यक होता हे। यह सीमा 25 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक हो सकती है। इन अनुपात में वृद्धि या कमी का वही प्रभाव होगा जो सीआरआर की वृद्धि या कमी का होगा।

रेपो दर : रेपों दर रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को बेच जाने वाले सरकारी बाण्डों व प्रतिभूतियों (पुनर्खरीद समझौते के तहत) पर अदा की जाने वाली ब्याज दर को कहा जाता है।

2. **सरकार का बैंकर :** रिजर्व बैंक सरकार का बैंकर एजेण्ट एवं परामर्शदाता का कार्य करता हैं। रिजर्व बैंक केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों को प्रतिनिधि है। वह भारत सरकार के लिए रूपया स्वीकार करता हैं, उसके रूपयों की अदायगी करता है तथा प्रेषण एवं अन्य बैंकिंग क्रियाएं करता है।
3. **बैंकों का बैंक तथा अन्तिम ऋणदाता :** रिजर्व बैंक को बैंको के बैंकर का कार्य करना पड़ता है। 1949 के बैंकिग विनियम अधिनियम के अनुसार प्रत्येक अनुसूचित बैंक को अपनी मांग देयता का 5 प्रतिशत और अपनी सावधि जमा का 2 प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास नकद अधिशेष के रूप में रखना पड़ता था। 1962 में एक संशोधन मांग और सावधि त देयता में अंतर को समाप्त कर दिया गया और बैंको को अपनी समग्र जमा देयता का 3 प्रतिशत नकद-प्रारक्षण में रखने का आदेश दिया गया।

- रिजर्व बैंक किसी बैंक को उस समय सहायता कर सकता है जबकि अन्य सभी बैंक इस कार्य में असमर्थ हो, इसलिये रिजर्व बैंक को न केवल बैंकों का बैंक बल्कि अन्तिम ऋणदाता भी कहा जाता है।

4. **साख का नियंत्रक :** रिजर्व बैंक साख के नियंत्रक का कार्य करता है अर्थात् इसे भारत में अन्य बैंकों द्वारा निर्मित साख की मात्रा पर नियंत्रण करने का अधिकार प्राप्त है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाना है।

- रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण के मुख्यत: दो तरीके है।

1. परिणात्मक उपाय, तथा
2. चयनात्मक या गुणात्मक उपाय।

- परिणात्मक साख नियंत्रण के अन्तर्गत-बैंक दर, खुली बाजार की क्रियाऐं नकद आरक्षण अनुपात तथा वैधानिक तरलता अनुपात आते है।
- चयनात्मक साख नियंत्रण नीति के अन्तर्गत-न्यूनतम सीमा या मार्जिन, नैतिक दबाव, साख मापदण्ड का निर्धारण तथा साख स्वीकृतिकरण योजना आते है।

5. **देश के विदेशी मुद्रा कोषों को संरक्षक :** रिजर्व बैंक अन्तर्राष्ट्रीय कोष के संरक्षक के रूप में भी कार्य करता है। देश की मुद्रा इकाई को बाहरी मूल्य में स्थिर रखना रिजर्व बैंक का महत्वपूर्ण कार्य है। इसको सफलतापूर्वक सम्मपन्न करने के लिए रिजर्व बैंक विदेशी मुद्राओं के कोष संचित रखता है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड
(Securities and Exchange Board of India : SEBI)

- देश के विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों तथा अन्य प्रतिभूतियों के बाजारों को उचित उपायों के माध्यम से विकसित तथा उनका नियमन करने के उद्देश्य से 12 अप्रैल, 1998 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की स्थापना की गयी। सेबी को नरसिंहमन समिति की सिफारिशों के आधार पर 30 जनवरी, 1992 को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
- सेबी का प्रबंध छ: सदस्यों द्वारा किया जाता है जिनमें एक चेयरमैन, दो सदस्य, जिन्हें वित्त एवं कानून की जानकारी होती है, एक सदस्य रिजर्व बैंक से तथा दो अन्य सदस्यों का नामांकन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष होता है।

सेबी के कार्य

1. प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा करना तथा

प्रतिभूति बाजार को उचित माध्यम से विकसित एवं नियमित करना।

2. म्यूचुअल फण्ड की सामूहिक भागेदारी।

स्वाभिमान योजना

स्वाभिमान योजना एक बैंकिंग योजना है जिसकी शुरुआत देश के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने के लिए 10 फरवरी, 2011 को की गई है। मार्च 2012 तक स्वाभिमान अभियान के तहत शामिल की जाने वाली 73,000 चिह्नित बस्तियों में से लगभग 70,000 को कवर किया जा चुका है। 31 मार्च, 2012 तक शेष को कवर किए जाने की संभावना है।

स्वाभिमान योजना का विस्तार

स्वाभिमान वित्तीय समावेशन अभियान के तहत्, 2,000 से अधिक की जनसंख्या वाले 74,000 से अधिक वामस्थलों को विभिन्न मॉडलों तथा प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए बैंकिग सुविधाए प्रदान की गई है जिनमें व्यवसाय संवाददाताओं (बीसी) के जरिए शाखारहित बैंकिंग शामिल है। वित्त मंत्री ने वर्ष 2012-13 के अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि स्वाभिमान का विस्तार वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार पूर्वोत्तर तथा पहाड़ी राज्यों में 1,000 से अधिक की जनसंख्या वाले वासस्थलों में तथा मैदानी क्षेत्रों में, 1600 से अधिक की जनसंख्या वाले वासथलों को सम्मिलन हेतु अभिज्ञान किया गया है। राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसलबीसी) के संयोजकों के माध्यम में हुई प्रगति के अनुसार, अभिज्ञात वासस्थलों में से 10,450 वासस्थलों को दिसम्बर 2012 के अंत तक बैंकिग सुविधाएं प्रदान कर दी गई है, इसमें सभी वासस्थलों में बैंकों की पहुंच आबादी की आरम्भिक सीमा के ऊपर पहुंच जाएगी।

बेसल मानदंड

बैंक पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (Basel Committee on Bank Supervision-BCBS) द्वारा समझौतों का एक सेट जो पूंजीगत जोखिम, बाजार जोखित तथा संचालकीय जोखिम के संदर्भ में बैंकिंग विनियामकों पर सिफारिशें देती है। मानदंडों के मुख्य उद्देश्य के तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि वित्तीय संस्थान अपनी देयताओं व अप्रत्याशित घाटों की पूर्ति के लिए पर्याप्त पूंजी अपने पास सुरक्षित रखें।

बेसल-I : बैंक पर्यवेक्षण पर बेसल कमेटी द्वारा वित्तीय संस्थानों द्वारा साख जोखिम को कम करने हेतु अपने पास रखे जाने वाली न्यूनतम पूंजी अनिवार्यता है बेसन-I मानदंड। ये मानदंड पहली बार वर्ष 1988 में रखे गये थे। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारोबार है बेसल-I मानदंड। ये मानदंड पहली बार वर्ष 1988 में रखे गये थे। इसके तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कारोबार करने वाले वित्तीय संस्थानों को अपनी जोखिम भारांश संपदा (Risk Weighted Assets) के बराबर या न्यूनतम 8 प्रतिशत टीयर-1 व टीयर-2 पूंजी अपने पास रखना अनिवार्य किया गया है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी बैंक की जोखिम भारांश संपदा 100 मिलियन डॉलर का है तो उसे न्यूनतम 8 मिलियन डॉलर की पूंजी अपने पास रखनी होगी। इसका उद्देश्य मुख्यत: वित्तीय संस्थानों में जमाकर्ताओं के धन को सुरक्षित रखना रहा है।

बेसल-II बेसल II बेसल मानदंड का दूसरा चरण है। यह 26 जून, 2004 को जारी किया गया और वर्ष 2006 से लागू करने का प्रावधान किया गया। जहां बेसल एक साख जोखिम पर केंद्रित था वहीं बेसल दो का उद्देश्य वित्तीय संस्थानों द्वारा अलग रखे जानी वाली पूंजी के लिए मानक तैयार करना व उसका विनियम करना था। बैंकों को निवेश व कर्ज देने की अपनी गतिविधियों के साथ जुड़े जोखिमों के मद्देनजर अलग से पूंजी रखना जरूरी होता है। बेसल II मानदंड मुख्यत: तीन कारकों पर प्रभाव डालता है। ये है; पूंजी पर्याप्तता, पर्यवेक्षीय मूल्यांकन व बाजार अनुशासन। बेसल कमेटी इन तीनों कारकों को जोखिम प्रबंधन के तीन स्तंभ मानती है। बेसल 2 मानदंड की पूंजी पर्याप्तता स्तंभ के तहत बैंकों के लिए 8 प्रतिशत की पूंजी पर्याप्तता अनुपात (Capital Adequacy Ratio-CAr) या जोखिम भारांश संपदा अनुपात (Capital Risk Weighted Assets Ratio-CRAR) बनाए रखना अनिवार्य है। सामान्यत: बैंक तीन प्रकार की जोखिमों का सामना करते है; ऋण संबंधी जोखिम, संचालकीय जोखिम व बाजार जोखिम। पर्यवेक्षीय मूल्यांकन के तहत बेसल 2 मानदंड या सुनिश्चित करना चाहता है कि बैंक न केवल अपने जोखिमों की भारपाई के लिए अपने पास पर्याप्त पूंजी रखें वरन् अपने जोखिमों की निगरानी व प्रबंध न के क्रम में बेहतर जोखिम प्रबंधन तकनीक का उपयोग व विकास भी करें। बाजार अनुशासन बैंकों पर अपनी बैंकिंग व्यवसाय को सुरक्षित, सुदृढ़ व प्रभावी तरीके से संचालन करने का निर्देश देता है। बैंकों के लिए अपनी पूंजी, जोखिम विवरण या एक्सपोजर देना अनिवार्य है ताकि बाजार के भागीदार उस बैंक की पूंजी पर्याप्तता का अनुमान लगा सकें।

बेसल-III : वर्ष 2008 की अमेरिकी सब प्राइम संकट व वैश्विक संकट के परिप्रेक्ष्य में बेसल 3 मानक तैयार किया गया। बेसल 2 में किसी खास बैंक के जोखिमों व विनियमनों को केंद्र में रखा गया था पर आर्थिक संकट को देखते हुये पूरी आर्थिक व्यवस्था की वित्तीय स्थिरता पर बेसल-3 मानक को केंद्र में रखा गया।

जोखिम प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 मई, 2012 को नई वैश्विक पूंजी पर्याप्तता मानदंडों को कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। इस मानदंड को

'बेसल-3' के नाम से जाना जाता है। जिसे पूरी तरह से राष्ट्रीय स्तर पर 31 मार्च, 2018 तक लागू किया जाएगा। बेसल 3 दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए पूंजी की आवश्यकता प्रारंभिक अवधि के दौरान कम होगी जबकि बाद के वर्षों में सापेक्षत: अधिक होगी।

बेसल 3 पूंजीगत नियमों पर आधारित पूंजी पर्याप्तता दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन 1 जनवरी, 2013 से शुरू हो जाएगा। रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों में बैंकों से 9% के न्यूनतम कुल पंजी (Minimum Total Capital-MTC) को बनाए रखने की प्रत्याश जताई गई है। हालांकि बेसल समिति ने कुल जोखिम भारित परिसंपत्तियों (Risk Weighted Assets-RWAs) को 8% तक के ही स्तर को निर्धारित किया है।

- कॉमन इक्विटी टीयर 1 (CET 1) पूंजी, जोखिम भारित परिसंपत्तियों का कम से कम 5.5% होना चाहिए।

5. माँग, पूर्ति, कीमत और वितरण

वस्तुः वस्तु का आशय बाजार में बिक्री के लिए उत्पादित की जाने वाली चीज से है इस परिभाषा के अनुसार परिवार में उपभोग के लिए बनायी गयी सब्जी वस्तु नहीं है लेकिन होटल पर पहुँचने पर यही सब्जी वस्तु है,

बाजारः अर्थशास्त्र में बाजार से आशय सिर्फ भौगोलिक क्षेत्र या मंडी से नहीं है जहाँ पर वस्तुएं खरीदी या बेची जाती हैं, बाजार का आशय उस सारे क्षेत्र से है जिसमें वस्तु की खरीद बिक्री हेतु क्रेत व विक्रेता निरंतर सम्पर्क में लगे रहते हैं। इस प्रकार किसी एक वस्तु का स्थानीय बाजार (Local market), क्षेत्रीय बाजार (regional market) राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो सकता हैं।

माँगः किसी भी बाजार में एक वस्तु के बहुत से खरीददार हो सकते हैं चूंकि उपभोग की मूल ईकाई परिवार होती है अतः वस्तु की मॉग को हम अधोलिखित रूप में परिभाषित कर सकते हैं: "समय एवं कीमत विशेष पर उपभोक्ता बाजार से जो वस्तु खरीदने के लिए तैयार है उसी को वस्तु की माँग कहतें हैं।"

वस्तु की माँग या परिवार की माँग 4 कारकों पर निर्भर करती है-

- परिवार की मांग
- रूचि एवं अधिमान
- अन्य वस्तुओं की कीमतें।
- वस्तु की कीमत और उसकी माँग।

परिवार की आय और माँग एक दिशा में चलते हैं अर्थात् आय बढ़ने के साथ-साथ माँग बढ़ती जाती हैं किन्तु कुछ मामलें में आय वृद्धि की माँग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता जैसे-नमक। किन्तु कभी-कभी आय बढ़ने के साथ-साथ वस्तुओं की माँग घट भी जाती है जैसे- टोन्ड दूध।(इसी को घटिया वस्तुयें भी कहतें हैं।)

परिवार की रूचि और अधिमान भी वस्तु की माँग को प्रभावित करते हैं अगर रूचि व अधिमान किसी वस्तु के सापेक्ष है तो वस्तु की माँग बढ़ती जायेगी एक तथ्य यह भी है कि विज्ञापन और फैशन की दुनिया भी वस्तु की माँग को प्रभावित करती है।

अन्य वस्तुओं की कीमतों के सोपक्ष भी वस्तु की माँग प्रभावित होती है शर्त है ऐसी वस्तुएँ प्रतिस्थायी होनी चाहिए जैसे चाय व कॉफी प्रतिस्थायी वस्तुएं हैं। यहाँ पर जिसकी कीमत कम होगी उसकी माँग बढ़ जायेगी।

यदि कारक अपरिवर्तित रहें तो वस्तु की माँग की मात्रा उसकी कीमत के प्रतिलोमनुसार होती है।

बाजार की माँगः बाजार की माँग दो तथ्यों पर आधारित होती है-

- बाजार में परिवारों की संख्या।
- आय का वर्गीकरण।

1. **बाजार में परिवारों की संख्या** - अधिक जनसंख्या का अभिप्राय है अधिक परिवारों की संख्या व अधिक वस्तुओं की माँग। इसी प्रकार जनसंख्या का समायोजन (आयु वितरण) भी बाजार की माँग को प्रभावित करती है। आयु का समायोजन इस प्रकार हो सकता है- 0-5 वर्ष, 15-35 वर्ष, 35-50वर्ष तथा 50 वर्ष से अधिक।
2. **आय का वर्गीकरणः** बाजार की माँग केवल आय पर ही निर्भर नहीं करती बल्कि आय वितरण पर भी निर्भर करती है। एक तेल उत्पादक अमीर देश में प्रति व्यक्ति आय ऊंची हो सकती है लेकिन वहाँ पर आय का वितरण असमान है। इस कारण वहाँ पर बाजार की माँग उन देशों के सापेक्ष नीची होगी जहाँ आय का वितरण समान होगा।

- **माँग की लोचः** माँग की लोच कीमत में परिवर्तन होने पर माँग की प्रतिक्रिया की मात्रा है अथवा परिवर्तित कीमत पर माँग की अनुक्रिया माँग की लोच कहलाती है। कीमत और माँग की लोच की दिशा उल्टी होती है।

नियम : कीमत माँग की लोच

पूर्तिः किसी विक्रेता विशेष या फर्म द्वारा पूर्ति का अर्थ है किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे वह एक विशेष समय पर विशेष कीमत पर बाजार में बेचने के लिए तैयार है। किसी फर्म में अधोलिखित उद्देश्य हैं-

- अपने लाभ को अधिकतम बनाना।
- बिक्री को अधिकतम बनाना।
- बाजार के अधिकतम भाग को हथियाना।
- समाज को इच्छित वस्तुओं का उत्पादन और अधिकतम रोजगार का सृजन।

नोटः उत्पादक के उद्देश्य में परिवर्तन (अनुकूल या प्रतिकूल) का प्रभाव वस्तु की पूर्ति पर पड़ सकता है।

पूर्ति को अधोलिखित कारक प्रभावित कर सकते हैं:

- **सभी अन्य वस्तुओं की कीमतेंः** किसी वस्तु की पूर्ति अन्य सभी वस्तुओं की कीमतों पर निर्भर करती है क्योंकि यदि दूसरी वस्तुओं की कीमतें बढ़ जायें तो उसका उत्पादन बेहतर माना जायेगा और जिनकी कीमतें नहीं बढ़ी हैं वे कम आकर्षक होंगी और बाजार में उसकी पूर्ति कम हो जायेगी।
- **उत्पादन साधनों की कीमतेंः** किसी एक साधन का यदि अलग-अलग वस्तुओं के उत्पादन में प्रयोग होता हो, दोनों वस्तुयें एक ही अर्थ के लिये हों लेकिन एक में उस साधन

का कम प्रयोग होता हो और एक में ज्यादा उसी समय यदि उस साधन की कीमत बढ़ जाये तो जिसमें उस साधन की उपयोग कम हो रहा है उसकी लागत कम हो जायेगी अत: उसका उत्पादन सस्ता होने के कारण लाभ बढ़ जायेगा जबकि जिसमें वह साधन ज्यादा प्रयोग हो रहा हो उसकी उत्पादन लागत बढ़ जायेगी अत: लागत में वृद्धि के कारण लाभ कम हो जायेगा। स्वाभावत: ज्यादा लाभप्रद वस्तु की पूर्ति बढ़ जायेगी।

पूर्ति की क्रिया: किसी वस्तु की पूर्ति में मात्रा परिवर्तन उसके कीमत के अनुरूप होता है। अर्थात् दोनों चर एकसाथ चलते हैं।

पूर्ति की लोच: यह वस्तु की कीमत में परिवर्तन की दिशा में उसकी पूर्ति की अनुक्रिया का सम्बंध है अर्थात् परिवर्तित कीमत पर पूर्ति की अनुक्रिया पूर्ति की लोच कहलाती है, साधारण शब्दों में कहें तो बढ़ती कीमत पर पूर्ति बढ़ जाती है जबकि घटी हुई कीमत पर पूर्ति कम हो जाती है।

पूर्ति के संदर्भ में:

पूर्ति वक्र की ढाल = सकारात्मक

पूर्ति वृद्धि का अर्थ है = पूर्ति वक्र का नीचे की ओर उठना (बाँयी ओर)

पूर्ति में कमी = पूर्ति वक्र का ऊपर की ओर खिसकना (दाँयी ओर)

संतुलन कीमत वह कीमत है जिस पर कीमत निर्धारित करने वाली शक्तियाँ संतुलन में होती हैं। बाजार में किसी वस्तु की कीमत निर्धारित करने वाली माँग व पूर्ति नामक दो शक्तियाँ हैं। यदि माँग व पूर्ति के अन्य कारक अपरिवर्तित रहें तो माँग व पूर्ति दोनों ही कीमत के प्रतिफल हैं इसे यूँ भी कह सकते हैं कि माँग व पूर्ति की अनुक्रिया द्वारा ही कीमत का निर्धारण होता है।

माँग के संदर्भ में कम कीमत पर या कीमत घटने पर माँग बढ़ती है और अधिक कीमत या कीमत बढ़ने पर माँग घट जाती है। पूर्ति के संदर्भ में ऊँची कीमत पर पूर्ति बढ़ जाती है क्योंकि लाभ की प्रेरणा ज्यादा होती है जबकि कम कीमत पर पूर्ति कम हो जाती है सीधी सी बात व्यवसायी घाटे में रहते थे। सामान्तय: माँग वक्र की ढाल ऋणात्मक होगी जबकि पूर्ति वक्र की ढाल सकारात्मक होगी।

पूर्ति माँग से ज्यादा होने पर पूर्ति करने वालों की होड़ के कारण कीमत कम हो जायेगी जबकि कम कीमत पर पूर्ति कम जो जायेगी लेकिन इसी समय माँग बढ़ती रहेगी जब तक कि कीमत संतुलित न हो जाये यहीं पर संतुलित कीमत की अवधारणा सामने आती है।

प्रो. मार्शल माँग व पूर्ति की तुलना कैंची के दो फलकों से करते हैं उनकी दृष्टि में जैसे कैंची का एक फलक कपड़ा नहीं काट सकता उसी तरह माँग या पूर्ति अकेले कीमत पर निर्णय नहीं कर सकती। दोनों की पारस्परिक अनुक्रियाएं ही कीमत पर निर्णय कर सकेंगी।

माँग, पूर्ति तथा संतुलन कीमत में परिवर्तन: माँग में वृद्धि का अर्थ है माँग वक्र का ऊपर की ओर (दायीं ओर) उठना और मांग में कमी का अर्थ है माँग वक्र का नीचे की ओर खिसकना। बाँयी ओर)। जबकि पूर्ति में वृद्धि का अर्थ है पूर्ति वक्र का नीचे की ओर खिसकना (दायीं ओर) तथा पूर्ति में कमी का अर्थ है पूर्ति वक्र का ऊपर की ओर (बाँयी ओर) खिसकना।

माँग, पूर्ति और विश्लेषण के कुछ उपयोग: स्वतंत्र रूप से काम कर रहे बाजार में माँग व पूर्ति की क्रिया बेरोकटोक चलती रहती है। लेकिन युद्ध और शांति दोनों समयों में सरकार वस्तुएं एवं सेवाओं की अधिकतम कीमत की सीमा निर्धारित कर देती है। माना यह कीमत 5 रू/ किग्रा. है।

कल्याणकारी अवधारणा के पोषण में यदि सरकार चीनी की कीमत 4 रू/किग्रा. कर देती है तो इस माँग पर चीनी की कमी हो जायेगी कारण ऐसी स्थितियों में लाभ की प्रेरणा की कमी के कारण व्यापारी चीनी की आपूर्ति कम कर देते हैं जबकि जनता की माँग बढ़ती जाती है। इसी समय यदि कीमत नियंत्रित करने वाले अभिकरण तथा व्यापारी ईमानदारी से काम न करें तो वस्तुओं की कालाबाजारी शुरू हो जाती है और यहीं से काली अथवा समानान्तर अर्थव्यवस्था का जन्म होता हैं।

यदि सरकार कीमतें बढ़ा दे (6 रू/किग्रा.) तो आपूर्ति तो बढ़ेगी लेकिन माँग कम हो जायेगी।

इन स्थितियों से बचने के लिए ही सरकार दोहरी कीमत पद्धति अपनाती है एक तरफ प्रशासित मूल्य (कोटा लाइसेंसिग प्रणाली) के तहत आम जन के लिए चीनी उपलब्ध होती है दूसरी तरफ स्वतंत्र बाजार दर पर जन के लिए चीनी उपलब्ध होती है।

अधिक कीमत अथवा अति उत्पादन की स्थिति में सरकार के दायित्व और अधिक गहरे हो जाते हैं जो दो रूपों में दृष्टिगोचर होता हैं:

1. व्यापारियों के संबंध में यदि कीमतें बढ़ेंगी तो पूर्ति स्वाभावत: बढ़ जायेगी लेकिन माँग की कमी होने के कारण अंतत: कीमतें गिरने लगेंगी व्यापारी हानि में आयेंगे अत: सरकार अतिरिक्त उत्पाद खरीदने के लिए बाध्यकर रहती है क्योंकि गिरती कीमतें देश की साख के लिये उचित नहीं होती।

इसी प्रकार किसानों के संदर्भ में अति उत्पादन के समय सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिशेष को खरीद लेती है ताकि किसानों के हित सुरक्षित बने रहें ऐसे अधिशेष को सरकार बफर स्टाँक के रूप में सँजोकर रखती है। जिसके तिहरे उपयोग हो सकते हैं:

1. प्राकृतिक आपदा के समय स्वदेश या विदेश में उपयोग।
2. यदि अभी भी अधिशेष बचा हुआ हो तो कीमत न गिरने देने के लिए उसे सागर में फेंक दिया जाता है।

वितरण : सामान्यतया वस्तु एवं सेवाओं को बाँटने की क्रिया वितरण कहलाती है। अर्थशास्त्रीय भाषा में उत्पादन के विभिन्न साधनों (भूमि, श्रम, पूँजी, उद्यम) द्वारा उत्पादित धन का पुन: उन्हीं साधनों में बँटवारा वितरण कहलाती है।

जिस प्रकार वस्तु की कीमत माँग व पूर्ति से सुनिश्चित होती है उसी प्रकार साधनों की कीमत भी पूर्ति की अनुक्रिया द्वारा तय होती है। अत: साधनों की कीमत निर्धारणर की प्रक्रिया ठीक वैसी ही है जैसी वस्तुओं के कीमत निर्धारण की प्रक्रिया होती हैं

सारंशत : अर्थव्यवस्था में उत्पादन प्राथमिक प्रत्यय है किन्तु वितरण उससे भी महत्वपूर्ण है अत: अर्थव्यवस्था में वितरण एक मौलिक समस्या है। वस्तुत: यह समस्या उस उत्पाद से संबद्ध है जिसका विवरण किय जाना है। उत्पाद को अधोलिखित रीति से परिभाषित किया जा सकता है:

1. उत्पाद उन विभिन्न साधनों की आगत का फल है जिसे न्यूनतम लागत समायोजन और अधिकतम लाभ के सिद्धांतों के अनुसार विशेष अनुपात में संयोजित किया जाता हैं।
2. साधन सामान्यत: सुविधाजनक रूप में 4 शीर्षकों में बाँटा जा सकता हैं:

1. भूमि
2. श्रम
3. पूँजी
4. उद्यम

1. **भूमि:** देश की भूमि का कुल क्षेत्र उपजाऊ भूमि की पूर्ति तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों को हम भूमि के रूप में समझ सकते हैं।

भूमि चल है या अचल: प्रथम दृष्टया भूमि अचल है तथ्य है कि जब भूमि का अर्थ हम प्राकृतिक संसाधनों के रूप में लेते हैं तो भूमि अचल सिद्ध होती हैं। किन्तु जब भूमि का अर्थ उपजाऊ अर्थ में लिया जाता है तो इसे चल संपदा कहते हैं। बेहतर जल निकासी, सिंचाई उर्वरक, उन्नत बीज आदि का प्रयोग करके भूमि को चल बनाया जा सकता है किन्तु प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन चल संपत्ति की अवधारणा को नकारात्मक प्रत्यय में बदल सकता है। भारत समेत दुनिया के जंगलों की घटती संख्या, जंगली जानवरों, मछलियों की घटती प्रजातियाँ, मरूस्थलीकरण, जमीन का रंग बंजर होते जाना तथा प्रदूषण ऐसी ही प्रवृत्ति के उदाहरण हैं।

2. **श्रम:** अर्थव्यवस्था में कुल श्रम की पूर्ति का अर्थ है वह कुल श्रमक जिनकी पूर्ति करने को जनसंख्या तैयार है यह 4 तथ्यों पर निर्भर करती है:
   1. कुल जनंसख्या परिमाण।
   2. जनसंख्या का वह भाग जो कार्य हेतु उपलब्ध है।
   3. कार्य करने के घंटे।
   4. किया गया कुल वास्तविक कार्य।

श्रम शक्ति पर इसकी माँग की प्रतिक्रिया होती है। जिस श्रम की गुणवत्ता और उपयोगिता ज्यादा होगी ऐसे श्रम की माँग भी ज्यादा होगी। खास परिस्थिति में औरत, बूढ़े और बच्चे उस जलाश्य की तरह व्यवहार करते हैं जो कि खास समय पर काम आय।

लेकिन समय गुजरने के साथ-साथ प्रति व्यक्ति के काम करने के घंटे कम होते गये और उन घंटों में वास्तविक कार्य भी नहीं हुआ जिससे उत्पादन में कमी आयी।

इसी क्रम में मजदूरी और रोजगार कें संदर्भो को भी देखा जा सकता है तथ्य है कि मजदूरी और रोजगार में उल्टा संबंध होता है। मजदूरी बढ़ने पर रोजगार के अवसर क्षीण होते हैं। इसे निजीकरण की अर्थव्यवस्था तथा 5वें वेतन आयोग द्वारा बेहतर ढंग से समझाया जा सकता है।

3. **पूँजी (Capital):** पूँजी मानव निर्मित साधन है। यह मशीनों, कारखानों और अन्य सामग्रियों से सबंद्ध रखता हैं। मशानों आदि की घिसावट से पूंजी का क्षय भी हो होता है लेकिन इसे हम हर वर्ष नये स्टाँकक के रूप में जोड़ते हैं।

ब्याज: ब्याज को पूँजी साधन की कमाई समझा जा सकता है।

लाभ: बाजार अर्थव्यवस्था में स्वतंत्र उद्यम का अनिवार्य अंग हैं प्रेरण व संकेत दोनों। साधनों आवंटन एवं इसकी कुशलता जैसे मूल प्रश्नों का हल लाभ की कसौटी पर ही होता है। प्रतिस्पर्धा लाभ को कम करती है **जबकि एकाधिकार इसे बढ़ाता है या चिरस्थायी बनाने का प्रयत्न करता है**। बचत के रूप में लाभ सभी अर्थव्यवस्थाओं में मिलता है यह समाजवादी अर्थव्यवस्था में उतना ही सार्थक है जितना पूँजीवाद। मुख्य अंतर यह है कि मूलत: पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में यह लाभ सार्वजनिक प्रतिफल के रूप में निजी व्यक्तियों को मिलता है। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में यह लाभ निजी व्यक्तियों को न मिलकर राज्य को मिलता हैं।

वितरण के अधोलिखित सिद्धांत है:

1. वितरण का प्रतिष्ठित सिद्धांत: एडम स्मिथ तथा मार्शल तथा डेविड रिकार्डो द्वारा समर्तित।
   (i) सीमान्त उत्पादकता का सिद्धांत (Marginal productivity theory) क्लार्क, वालस द्वारा समर्थित।
   (ii) वितरण का आधुनिक सिद्धांत (Modern theory of distribution)

1. **वितरण का प्रतिष्ठित सिद्धांत:** वितरण का प्रतिष्ठित सिद्धांत अर्थव्यवस्था में वितरण का परंपरागत सिद्धांत है इसके प्रतिपादक एडम स्मिथ हैं इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी प्रतिफल या उत्पाद कुछ संसाधनों की समन्वित अतंक्रिया का परिणाम होता हैं। इस प्रकार से बने उत्पाद का मौद्रिक मूल्य निकालकर शर्तो योग्यताओं तथा माँग के अनुसार उन्हीं साधनों पर बाँट दिया जाता है। यहाँ पर भूमि के लिए भूमिपति के लगान, श्रमिक को मजदूरी, पूंजीपति को ब्याज तथा उद्यमी को लाभ मिल जाता है।

2. सीमान्त उत्पादकता का सिद्धांत: 19वीं सदी के अंत में प्रतिपादित यह सिद्धांत जे.बी. क्लार्क, विक्सटीड और वालरस ने दिया। इस सिद्धांत के तीन प्रमुख प्रत्यय है:

1. सीमान्त उत्पादकता,
2. सीमान्त आगम
3. सीमान्त भौतिक अत्पादकता

1. सीमान्त उत्पादकता: उत्पादन में सहायक सभी साधनों पर अंतिम उत्पादन का शुद्ध मौद्रिक मूल्य सीमान्त उत्पादकत कहलाता है।

2. सीमान्त आगम: अन्य कारक अपरिवर्तित रख कर किसी एक कारक के प्रभाव में बढ़ी आय सीमान्त आगम कहलाती है।

3. सीमान्त भौतिक उत्पादकता: अन्य कारक अपरिवर्तित रखकर किसी एक कारम में वृद्धि से उत्पन्न हुए सम्पूर्ण क प्रतिफल को सीमान्त भौतिक उत्पादकता कहते हैं। किन्तु इस प्रकार के उत्पादन के कुछ सीमाएँ हैं।

तथ्य है कि उत्पत्ति इस नियम के अनुसरण में यदि हम एक कारक ही बनते हैं तो एक सीमा तक तो उत्पादन बढ़ता है लेकिन इसके बाद उत्पादन कम होने लगता है इस तरह से उल्टे यू ( )के आकार का वक्र बनता है जिसे M.P.P. वक्र कहते हैं।

Note: वस्तुत: उपरोक्त दोनों सिद्धांतों में परंपरा व आधुनिकता तथा स्थूल एवं सूक्ष्म विश्लेषण क अंतर मात्र है जहाँ पर साध नों की माँग व गुणवत्ता विशेष ध्यान क्षेत्र में होगी।

3. वितरण का आधुनिक सिद्धांत:

(i) उत्पत्ति की सभी इकाईयाँ अनुरूप होती हैं साथ ही साथ विभाजनीय के अतिरिक्त पूर्णत: प्रतिस्थापन योग्य होती है।

(ii) वितरण का प्रतिष्ठित सिद्धांत को मात्रात्मक एवं गुणात्मक रूप में और बेहतर करने की सोचता है ताकि संसाधनों को और ऊँची कीमत मिल सके।

EduBull.com

6. भारत में उद्योग

लोहा एवं इस्पात उद्योग

1874 में सर्वप्रथम आधनिक पद्धति पर लोहे और इस्पात का सबसे पहला कारखाना झरिया के निकट बाराकर नदी पर कुलटी नामक स्थान पर स्थापित किया गया। 1907 में बिहार में जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा ने सिंहभूम जिले में सांकची नामक स्थान पर 'टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी' (ज्पेब्व)ए 1918 में बंगालमें आसनसोल के पास हीरापुर नामक स्थान पर 'इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी' तथा 1923 में मैसूर राज्य के भ्रदावती नामक स्थान पर 'मैसूर आयरन एण्ड स्टील बर्क्स' कारखाने खोले गए। 1955 में तीन बड़े इस्पात कारखाने स्थापित करने के समझौते किए गए-(1) भिलाई-रूस के सहयोग से। (2) राउकेला- जर्मनी के सहयोग से। (3) दुर्गापुर-इंग्लैण्ड के सहयोग से। 1966 में रूस के समझौते से 'बोकारो इस्पात कारखाना' स्थापित किया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना में सलेम (तलिनाडु) तथा विजयनगर (कर्नाटक) में नये इस्पात कारखाने स्थापित करके, देश की इस्पात उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने का प्रयास किया गया। छठी पंचवर्षीय योजना में रूस के सहयोग से एक तीसरा इस्पात कारखाना 'विशखापट्टनम्' (आन्ध्र प्रदेश) में स्थापित किया गया। इस समय देश में 8 एकीकृत इस्पात प्लान्ट हैं जिनमें से 7 सार्वजनिक क्षेत्र में व एक टाटा आइरन एण्ड स्टील निजी क्षेत्र में है। सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने है- भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, इण्डियन आइरन, विशाखपट्टनम एवं सलेम। सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात कारखानों के औद्योगिक प्रबन्ध की दृष्टि से 1974 में सरकार ने 'स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया' (ैपस) की स्थापना की।

ताजा उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2011 में भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश हो गया है इस मामले में पहला, दूसरा तथा तीसरा स्थान क्रमश: चीन, जापान व अमरीका का है इस उद्योग में ` 90,000 करोड़ की पूंजी लगी हुई है और 5 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है भारत में लोहा और इस्पात उद्योग का आरम्भ 1870 में हुआ था, जब बंगाल आयरन वर्क्स कम्पनी ने झरिया के निकट कुलटी, पश्चिम बंगाल में अपने संयंत्र की स्थापना की थी यह कारखना केवल ढलवां लोहे का ही उत्पादन कर सका बड़े पैमाने पर उत्पादन का प्रयास 1907 में जमशेदपुर में टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (TISCO) की स्थापना के साथ आरम्भ हुआ। इसके वाद 1919 में बर्नपुर में इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (IISCO) की स्थापना हुई यह दोनों इकाइयां निजी क्षेत्र में स्थापित की गई थी। सन् 1923 में भद्रावती में विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील वर्क्स की स्थापना के साथ सार्वजनिक क्षेत्र की पहली इकाई ने कार्य प्रारम्भ किया भिलाई छत्तीसगढ़ में (सोवियत संघ के सहयोग से), दुर्गापुर पश्चिमी बंगाल में (ब्रिटेन के सहयोग से) और राउरकेला उड़ीसा (पं. जर्मनी के सहयोग से) में स्थापित की गई। निजी क्षेत्र के दो इस्पात कारखानों 'टिस्को' तथा 'इस्को' की उत्पादन क्षमता दोगुनी करके क्रमश: 20 लाख और 10 लाख टन कर दी गई। सार्वजनिक क्षेत्र के तीनों कारखानों में उत्पादन 1956 तथा 1962 के बीच प्रारम्भ हुआ।

लौह एवं इस्पात के प्रमुख उत्पादन

(a) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. (SAIL) के स्वामित्व में (सार्वजनिक क्षेत्र)

1. दुर्गापुर एकीकृत इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर (पं. बंगाल)
2. राउरकेला एकीकृत इस्पात संयंत्र, राउरकेला (ओडिशा)
3. भिलाई एकीकृत इस्पात संयंत्र, भिलाई (छत्तीसगढ़)
4. बोकारो एकीकृत इस्पात संयंत्र, बोकारो (झारखण्ड)
5. इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी बर्नपुर (पं. बंगाल)
6. विशेष और मिश्र इस्पात तथा लौह मिश्र कारखाना, दुर्गापुर (पं. बंगाल)
7. विशेष और मिश्र इस्पात तथा लौह मिश्र कारखाना, सेलम (तमिलनाडु)
8. महाराष्ट्र इलेक्ट्रों स्लेम लि. चन्द्रपुर (महाराष्ट्र)
9. विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, भद्रावती (कर्नाटक)

(b) टाटा आयरन एण्ड स्टील कं. (टिस्को), जमशेदपुर (निजी क्षेत्र)

(c) राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. (RINL) (सार्वजनिक क्षेत्र) विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र, विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश)

तीसरी पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के तीनों इस्पात कारखानों को विस्तार किया गया तथा सोवियन संघ के सहयोग से बोकारो (झारखण्ड) में एक और इस्पात कारखाने की स्थापना पर जोर दिया गया।

चौथी पंचवर्षीय योजना में इन कारखानों की वर्तमान क्षमता का अधिक उपयोग किया गया तथा सलेम (तमिलनाडु), विजयनगर (कर्नाटक) और विशाखापत्तनम् (आन्ध प्रदेश) में नए इस्पात कारखाने स्थापित करके इस्पात की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने का लक्ष्य निश्चित किया गया। सन् 1978 में बोकारों इस्पात

संयन्त्र के प्रथम चरण के पूरा हो जाने पर इस्पात उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो गई।

1974 में सरकार ने स्टील अर्थारिटी ऑफ इण्डिया (SAIL) की स्थापना की तथा इसे इस्पात उद्योग के विकास की जिम्मेदारी दी गई यह भिलाई दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारों व बर्नपुर स्थित एकीकृत इस्पात संयंत्रों के प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी है तथा साथ-ही-साथ दुर्गापुर के एलॉय स्टील प्लांट व सलेम इस्पात कारखाने के प्रबन्ध के लिए भी इस्पात संयंत्र 'इस्को' का स्वामित्व 14 जुलाई, 1976 को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था IISCO का विलय भारतीय इस्पात प्राधिकरण (SAIL) में हो गया है सन्दर्भित विलय 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी माना गया है इस विलय से 'सेल' के अधीन एकीकृत इस्पात संयंत्रों की संख्या अब पांच हो गई है।

वर्ष 1950-51 के सापेक्ष वर्ष 2011-12 में पिग आयरन के उत्पादन में 25 गुना, कच्चे इस्पात के उत्पादन में 49 गुना, अर्द्ध-तैयार इस्पात में 4 गुना, तैयार इस्पात में 73.4 गुना तथा स्टील कास्टिंग के उत्पादन में 25 गुना की वृद्धि हो गई है वर्ष 2011-12 में भारत में 42.5 मिलियन टन पिग आयरन, 73.8 मिलियन टन कच्चे इस्पात, 4.5 मिलियन टन अर्द्ध तैयार इस्पात, 73.4 मिलियन टन तैयार इस्पात तथा 770 हजार टन इस्पात कास्टिग का उत्पादन होने का अनंतिम अनुमान है

विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना (VSP)

यह भारत में तट निकट स्थित पहली एकीकृत इस्पात योजना है, जिसे दक्षिण क्षेत्र में आन्ध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम में बन्दरगाह के पास स्थापित किया गया है। इस संयन्त्र की वार्षिक क्षमता 30 लाख टन कच्चे इस्पात की है इस परियोजना द्वारा निर्मित पिग इस्पात और वायर रॉड की किस्म अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की है। इस परियोजना में लगभग 15000 कर्मचारी कार्य करते हैं तथा वर्ष 1996-97 में इसकी उत्पादकत्त 186 टन प्रति व्यक्ति वार्षिक के लगभग थी, जोकि भारत के किसी भी इस्पात संयन्त्र में प्राप्त अधिकतम उत्पादकता से काफी अधिक है।

इस्पात क्षेत्रक की दो बड़ी परियोजनाएं रद्द

दक्षिण कोरिया की बहुराष्ट्रीय कम्पनी ने 60 टन वार्षिक उत्पादन दक्षता की ` 32.300 करोड़ निवेश वाली हालीगुड़ी (जनपद गडग-कर्नाटक) इस्पात परियोजना के क्रियान्वयन में होने वाले विलम्ब के चलते निवेश प्रस्ताव को वापस ले लिया है इसके साथ ही भारत में पोस्कों की दो परियोजनाएं ही रह गई है 1.12 मिलियन टन की ओडिशा परियोजना तथा 3 मिलियन टन का भारतीय इस्पात प्राधिकरण के साथ संयुक्त उपक्रम प्लांट यू. के. की कम्पनी आर्सेलर मित्तल जो इस्पात उद्योग में विश्व की शीर्षस्थ कम्पनी है, ने ओडिशा में ` 40,000 करोड़ के निवेश वाली 12 मिलियन टन इस्पात परियोजना पर आगे न बढ़ने का निर्णय लिया है। ये दोनों निर्णय जुलाई 2013 में लिए गए।

विश्व के 10 बड़े इस्पात निर्माता

क्र.	इस्पात निर्माता	उत्पादन (मि.टन में)
1.	मित्तल स्टील	49.9
2.	आर्सेलर	46.7
3.	निप्पो स्टील	32.9
4.	पोस्को	31.4
5.	जेएफई स्टील	29.6
6.	शंघाई बायोस्टील	22.7
7.	यूएस स्टील	19.3
8.	नूकर	18.5
9.	कोरस	18.2
10.	रीवा	17.5

लौह तथा इस्पात उद्योग की समस्याएं

1. सरकारी क्षेत्र की इकाइयों की अकुशलता
2. प्रशासित कीमतों की समस्या
3. क्षमता का अल्प प्रयोग
4. मिनी स्टील प्लांटों की रुग्णता
5. कोकिंग कोल की कमी

सीमेण्ट उद्योग

1904 में सर्वप्रथम चेन्नई में भारत का पहला सीमेण्ट कारखाना खोला गया जो पूर्णत: असफल रहा। वर्तमान समय में भारत, चीन रूस जापान और अमेरिक के बाद विश्व का पांचवां बड़ा सीमेण्ट उत्पादक राष्ट्र है। वर्तमान में 151.69 मिलियन टन की संस्थापित क्षमता वाले 128 बड़े सीमेण्ट संयन्त्र तथा 11.1 मिलियन टन प्रति वर्ष की अनुमानित क्षमता वाले लगभग 300 अति लघु सीमेण्ट संयन्त्र भी कार्यरत हैं। वर्ष 2003-04 में देश में कुल सीमेंट उत्पादन 123.5 मिलियन टन हुआ। मार्च, 1989 से सीमेंट उद्योग को मूल्य एवं वितरण की दृष्टि से नियन्त्रण मुक्त कर दिया गया तथा साथ ही 1991 में घोषित नई उदारवादी औद्योगिकी नीति के अन्तर्गत सीमेण्ट उद्योग को लाइसेन्स मुक्त कर दिया गया है।

सीमेण्ट उद्योग का स्थान देश में सबसे उन्नत उद्योगों में है मार्च 1989 में मूल्य और नियन्त्रण सम्बन्धी प्रतिबन्धी को पूरी तरह हटा लिए जाने और नीति सम्बन्धी नए सुधारों को लागू करने के बाद सीमेण्ट उद्योग न क्षमता/उत्पादन एवं प्रसंस्करण टेक्नोलॉजी, दोनों ही में तेजी से कदम बढ़ाए है भारतीय सीमेण्ट उद्योग न केवल उत्पादन के स्तर पर विश्व में दूसरा स्थान रखता है बल्कि

विश्व स्तरीय गुणवत्ता का सीमेन्ट उत्पादित करता है मार्च 2011 के अन्त में देश में 166 बड़े सीमेण्ट संयंत्र थे, जिनकी संस्थापित क्षमता करीब 28.269 करोड़ टन थी इसके अलावा देश में 350 लघु सीमेण्ट संयंत्र भी है जिनकी अनुमानित क्षमता 111 लाख टन वार्षिक है वर्ष 2010-11 के दौरान 21 करोड़ टन सीमेण्ट का उत्पादन हुआ वर्ष 2011-12 में 22.35 करोड़ टन सीमेन्ट उत्पादित किया गया।

कपड़ा उद्योग

कपड़ा उद्योग देश के औद्योगिक उत्पादन में करीब 14 प्रतिशत का और सकल घरेलू उत्पाद में 4 प्रतिशत का योगदान कर रहा है। करीब 35 लाख लोगों को इससे रोजगार मिल रहा है। कृषि क्षेत्र के साथ यह क्षेत्र करीब 9 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध करता है। देश की सकल निर्यात आय में इसका योगदान 19 प्रतिशत और देश के कुल आयात खर्च में इसका हिसा केवल 2 से 3 प्रतिशत है। यही एकमात्र उद्योग है, जो कच्चे माल से लेकर सर्वोच्च मूल्य संवर्धित उत्पादन, जैसे सिलेसिलाए वस्त्र आदि तक पूरी तरह आत्मनिर्भर है।

सरकार ने कपड़ा आदेश (विकास एवं नियमन)1993 के माध्यम से कपड़ा उद्योग को लाइसेन्स मुक्त कर दिया है। वर्ष 2003-04 में 4.221 करोड़ मीटर कपड़ा उत्पादित किया गया है जिसमें मिलों का हिस्सा 3.3% पावरलूस का 82%, हथकरघा का 13.1% व शेष 1.6% अन्य का है।

कपड़ा उद्योग भारत का कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा, रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है, जो देश के औद्योगिक उत्पादन का 14 प्रतिशत, सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 4.0 प्रतिशत, कुल विनिर्मित औद्योगिक उत्पादन के 20 प्रतिशत व कुल निर्यातों के 24.6 प्रतिशत की आपूर्ति करता है, जबकि देश के कुल आयात खर्च में इसका हिस्सा केवल 3% है यह उद्योग देश के लगभग 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। देश की सकल निर्यात आय में इसका योगदान 17% से अधिक और देश के कुल आयात व्यय में इसका हिस्सा केवल 2-3% है यही एकमात्र उद्योग है जो कच्चे माल से लेकर सर्वोच्च मूल्य सम्वधि 'त उत्पाद जैसे-सिलेसिलाए वस्त्र आदि तक पूरी तरह आत्मनिर्भर है भारत इस क्षेत्र में चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ प्रतियोगिता रखता है

भारत में वस्त्र उत्पादन

क्षेत्र	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (अप्रैल-दिसम्बर)
मिल क्षेत्र	1781	1796	2016	2205	1656
विद्युत करघा	34725	33648	36997	37929	27841
होजरी	11804	12077	13702	14647	9464
हथकरघा	6947	6647	6806	6949	5178
अन्य	768	768	814	812	599
योग	56025	54966	60333	62542	44738

कुटीर, लघु एवं ग्रामोद्योगों में अन्तर

प्राय : मोटेतौर पर लघु एवं कुटीर उद्योग-धन्धों को एक ही समझा जाता है जबकि इन दोनों में आधारभूत अन्तर है कुटीर उद्योग तो किसी एक परिवार के सदस्यों द्वारा पूर्ण या अंशकालिक तौर पर चलाया जाता है, इसमें पूंजी निवेश नाममात्र का होता है, उत्पादन भी प्राय: हाथ द्वारा किया जाता है, परम्परागत ढंग से चलने वाली उत्पादन प्रक्रिया में वेतन भोगी श्रमिक नहीं होते, लघु उद्योगों में आधुनिक ढंग से उत्पादन कार्य होता है सवेत श्रमिकों की प्रधानता रहती है तथा पूंजी निवेश भी होता है कतिपय कुटीर उद्योग ऐसे भी है, जो उत्कृष्ट कलात्मकता के कारण निर्यात भी करते है अत: उन्हें अति लघु क्षेत्र में रखा गया था ताकि उन्हें भी सभी सुविधाएं प्राप्त होती रहे।

10 हजार से कम जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित तथा भूमि, भवन मशीनरी आदि में प्रति कारीगर या कार्यकर्ता ` 15 हजार से कम स्थिर पूंजी निवेश वाले उद्योग ग्रामोद्योग के अन्तर्गत आते है राज्य ग्रामोद्योग बोर्ड तथा खादी और ग्रामोद्योग आयोग इन इकाइयों की स्थापना, संचालन आदि में आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान करते है

देश में पहला वस्त्र पार्क

सिलेसिलाए वस्त्रों के निर्यात संवर्द्धन के लिए एक वस्त्र पार्क (Apparel Park) की स्थापना तमिलनाडु में तिरूपुर में एट्टीवरम्पलायम गांव में की गई है ` 300 करोड़ की अनुमानित लागत वाले देश के इस पहले वस्त्र पार्क का शिलान्यास केन्द्रीय कपड़ा मंत्री ने 4 जुलाई, 2003 को किया था इसके साथ ही इस गांव का नामकरण न्यू तिरूपुर किया गया है।

भारत में प्रति व्यक्ति कपड़े की खतप 2009-10 में 43.1 वर्ग मीटर वार्षिक थी उन्नत देशों में कपड़े की वार्षिक खपत 50 से 60 मीटर प्रति व्यक्ति है, अर्थात् विकसित देशों में खपत भारत की तुलना में बहुत अधिक है

नई कपड़ा नीति-2000

नई कपड़ा नीति 2000 केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल द्वारा 2 नवम्बर, 2000 को अनुमोदित।

- परिधान क्षेत्र (Garment Sector) आरक्षण से मुक्त तथा मध्यम, बड़ी तथा विदेशी इकाइयों को भी इस क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति।
- परिधान क्षेत्र विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा से मुक्त।
- कपड़ा उद्योग को लघु क्षेत्र की परिधि से हटाना।
- टैक्सटाइल निर्यात से सन् 2010 तक 50 अरब डॉलर वार्षिक प्राप्त करने का लक्ष्य।
- कापस के उत्पादन में 50% वृद्धि करने का लक्ष्य।
- टैक्सटाइल्स उद्योग में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने पर बल।
- रुग्ण इकाइयों के लिए EXIT POLICY की स्वीकृति (इस नीति में सार्वजनिक तथा निजी दोनों ही क्षेत्रों की अव्यहारिक इकाइयां बन्द करने की घोषणा)
- श्रमिकों की सुरक्षा पर बल।

वस्त्र उद्योग विकास की तीन सूत्रीय रणनीति

सरकार ने देश के वस्त्र उद्योग के तकनीकी उन्नयन, उत्पादकता तथा गुणवत्ता में सुधार एवं निर्यात वृद्धि के उद्देश्यों वाली तीन सूत्रीय रणनीति तैयार की है। इस रणनीति में 2010 तक 25 अरब डॉलर के वस्त्र निर्यात करने की लक्ष्य है (पूर्व में यह लक्ष्य 50 अरब डालर था)।

वर्ष 1985 में सरकार द्वारा नियुक्त आदि हुसैन समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस उद्योग में पुनर्संरचना के सम्बन्ध में Area Based Approach अपनाने का सुझाव दिया था। कपड़ा उद्योग में आधुनिकीकरण प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए। अगस्त, 1986 को 750 करोड़ रुपये की लागत से 'कपड़ा मिल आधुनिकीकरण कोष' स्थापित किया गया है। वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए 1 अप्रैल, 1999 से 25,000 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष (Technology upgradation Fund-TUF) स्थापित किया गया है। इस राशि को उपलब्ध कराने में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) की अग्रणी भूमिका है। इस कोष के अन्तर्गत अर्हं कम्पनियों (Eligible Companiè) को सहायता प्रदान करने की सीमा 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये कर दी गई है।

कोयला उद्योग

कोयला उत्पादन में चीन और अमरीका के बाद विश्व में भारत का तीसरा स्थान है। औद्योगिक क्रान्ति में कोयले के महत्व को देखते हुए कोयले को काला सोना (Black Gold) का नाम दिया जाता है। यद्यपि 1774 में संभर एवं हेटली नामक दो अंग्रेजों ने भारत में कोयले की खोज का कार्य आरम्भ किया था किन्तु कोयला उद्योग का भारत में विधिवत् प्रादुर्भाव 1814 में हुआ जबकि रानीगंज क्षेत्र में कोयले की खुदाई आरम्भ की गई। 1853 के बाद भारत में रेल यातायात के विकास के साथ-साथ कोयला उद्योग भी विस्तृत हुआ। भारत में मुख्यत: तीन प्रकार का कायेला पाया जाता है- (i) एन्थ्रेसाइट- यह कोयले की सर्वोत्तम किस्म है जिसमें 80 से 90% तक कार्बन माना होती है। चमकीले काले रंग के इस कोयले में अत्यधिक ताप तथा सबसे कम धुआं होता है। (ii) बिटूमिनस-एन्थ्रेसाइट से कुछ कम ताप वाला यह कोयला 75 से 80% तक कार्बन मात्रा वाला होता है। (iii) लिग्नाइट-कुल भूरे रंग वाला तीसरी श्रेणी का यह कोयला कम ताप किन्तु अधिक धुएं वाला होता है जिसमें 45 से 55% तक कार्बन मात्रा होती है।

भारत में कोयला उत्पादन क्षेत्र

भारत के कोयला उत्पादन क्षेत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है-

(i) **गोण्डवाना क्षेत्र:** इस क्षेत्र में झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश सम्मिलित किए जाते हैं। देश में प्राप्त होने वाले कुल कोयले का 95 प्रतिशत से अधिक भाग गोण्डवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र से एन्थ्रेसाइट तथा बिटूमिनस श्रेणी का कोयला प्राप्त होता है।

(ii) **टरशीयरी क्षेत्र:** इस क्षेत्र में असम, तमिलनाडु, कच्छ, राजस्थान, मेघालय, आदि राज्य सम्मिलित है जहां लिग्नाइट किस्म का भूरा कोयला पाया जाता है। वह क्षेत्र कुल कोयले में 5% से भी कम की आपूर्ति करना है।

वर्ष 1950-51 में जहां केवल 323 लाख टन कोयले का उत्पादन हुआ था वहीं कोयले का उत्पादन उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ वर्ष 2003-04 में 3,891 लाख टन हो गया हैं इसी प्रकार कच्चे लोहे का उत्पादन भी जो 1950-51 में 30 लाख टन था वर्ष 2003-04 में बढ़कर 376 लाख टन हो गया है। देश में कोयले के उत्पादन का 65% उत्पादन पश्चिम बंगाल और झारखण्ड क्षेत्र में होता है। वर्तमान में भारत के पास 23,411 करोड़ टन के कोयले के भण्डार हैं। जिसमें सबसे अधिक भण्डार झारखण्ड,

उड़ीसा, छत्तीसगढ़ व पश्चिम बंगाल में हैं।

कोयले की बढ़ती मांग को देखते हुए 16 अक्टूबर, 1971 को कोकिंग कोयले की खानों तथा 31 जनवरी, 1973 को गैर-कोकिंग कोयले की खानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। वर्तमान में यह उद्योग एक राष्ट्रीयकृत उद्योग है। वर्तमान में 98% कोयला सरकारी क्षेत्र में तथा शेष 2% कोयला निजी क्षेत्र में निकाला जाता है। 1 मार्च, 1996 से केन्द्र सरकार ने कोकिंग कोयले तथा A, B तथा C श्रेणी के गैर-कोकिंग कोयले पर से मूल्य नियन्त्रण हटा लिया है।

कोयला खनन में अधिक निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने कोयला और लिग्नाइट को लाइसेंस मुक्त कर दिया है और साथ ही इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची में भी निकाल दिया है।

कोयला उत्पादक क्षेत्र

हमारे देश में कोयला उत्पादक क्षेत्रों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है

1. **गोंडवाना कोयला क्षेत्र :** इस क्षेत्र का अधिकांश कोयला सोन, दामोदर गोदावरी, वर्धा आदि नदियों की घाटियों में स्थित है हमारे देश में प्राप्त होने वाले कुल कोयले का 98 प्रतिशत भाग गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है इस क्षेत्र से प्राप्त होने वाला कोयला एन्थ्रेसाइट और बिटूमिनस किस्म का होता है गोंडवाना क्षेत्र का अधिकांश कोयला पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में मिलता है
2. **टर्शियरी कोयला क्षेत्र :** इस क्षेत्र से देश में प्राप्त होने वाले कुल कोयले का केवल 2 प्रतिशत कोयला ही प्राप्त होता है टर्शियरी क्षेत्र का कोयला जम्मू-कश्मीर राजस्थान, तमिलनाडु, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में मिलता है इस क्षेत्र से प्राप्त होने वाला कोयला लिग्नाइट किस्म का होता है, जिसे 'भूरा कोयला' भी कहा जाता है।

भारत 'कोल बैड मीथेन' उत्पादक राष्ट्रों में शामिल

देश में सर्वप्रथम कोल बैड मीथेन (CBM-Coal Bed Methane) का वाणिज्यिक उत्पाद करने वाली कम्पनी वाई.के. मोदी ग्रुप की ग्रेट ईस्टर्न एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड है जिसने वाणिज्यिक स्तर पर सीबीएम की बिक्री 14 जुलाई 2007 से प्रारम्भ की है इसके साथ ही कोल बैंड मीथेन का उत्पादन करने वाला भारत विश्व का आठवां देश हो गया है।

ज्ञातव्य है कि भारत में विश्व में कोयले के चौथे सर्वाधिक ज्ञात भण्डार है इसके चलते कोल बैड मीथेन के बड़े पैमाने पर उत्पादन की प्रबल सम्भावनाएं यहां विद्यमान है कोल बैड मीथेन के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई अन्वेषण एवं लाइसेंसिक नीति (New Exploration and Licensing Policy-NELP) के तहत अब तक कुल 26 कोल बैड मीथेन ब्लॉक्स का आवंटन निजी क्षेत्र की कम्पनियों को नीलामी के तीन विभिन्न दौरों में किया जा चुका है इनमें रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड व ओएनजीसी द्वारा भी कोल बैड मीथेन का उत्खनन शुरू किया गया है। किन्तु इनकी वाणिज्यिक आपूर्ति अगले वर्ष तक ही हो सकेगी तेल एव गैस के अन्वेषण एवं लाइसेंसिंग की नई नीति (NELP) के तहत निजी कम्पनियों की उत्खनिज तेल एवं गैस की बाजार मूल्य पर बिक्री की अनुमति सरकार प्रदान करती है इसके लिए रॉयल्टी का भुगतान ही इन कम्पनियों द्वारा सरकार को किया जाता है।

कोयला उद्योग की वर्तमान स्थिति

अद्यतन स्थिति के अनुसार, कोयला उत्पादन में आज भारत का विश्व में चौथा स्थान है और देश के कोयला उद्योग में लगभग 800 करोड़ की पूंजी विनियोजित है तथा 7 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में 1 अप्रैल, 2011 तक (1200 मीटर की गहराई तक) सुरक्षित कोयले का भण्डार 285870 मिलियन टन (285.87 अरब टन) था इसमें कोकिंग कोल 33.47 अरब टन तथा नॉन कोकिंग कोल 252.40 अरब टन है भारत में कोयले (लिग्नाइट सहित) का उत्पादन 2010-11 में 570.8 मिलियन टन था, जो वर्ष्ज्ञ 2011-12 में बढ़कर 583.1 मिलि टन हो जाने का अनुमान है विभिन्न राज्यों में कोयले के भण्डार का वितरण तालिका द्वारा दर्शाया है।

कोयले की किस्में

	कोयला	कार्बन-मात्रा	लक्षण
1.	एन्थ्रेसाइट	80 से 90 प्रतिशत	सर्वोत्तम किस्म, चमकीला काला रंग, अत्यधिक ताप व सबसे कम धुआं, जल का अंश 2 से 5 प्रतिश
2.	बिटुमिनस	75 से 80 प्रतिशत	द्वितीय श्रेणी का कोयला, रंग काला, अधिक ताप व कम धुआं, जल का अंश 25 से 30 प्रतिशत
3.	लिग्नाइट	45 से 55 प्रतिशत	रंग भूरा, ताप व शक्ति कम, अधिक धुओं, जल का अंश 30 से 45 प्रतिशत

भारत में कोयले (लिग्नाइट सहित) का उत्पादन

वर्ष	**मात्रा (लाख टन में)**
2009-10	5661
2010-11	5708
2011-12	5831

देश के प्रमुख कोयला क्षेत्रों में रानीगंज, झरिया, पूर्वी व पश्चिमी बोकारो, पेन्च कन्हान, तवाघाटी, जलचर, चन्दा-वर्धा व गोदावरी घाटी है

1. मार्च, 1996 से केन्द्र सरकार ने कोकिंग कोयले तथा ए, बी व सी श्रेणी के गैर-कोकिंग कोयले पर से मूल्य नियंत्रण हटा लिया है, वर्तमान समय में भारतीय कोयला उद्योग का संचालन एवं नियंत्रण सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित दो प्रमुख संस्थानों-कोल इण्डिया लि. (CIL) तथा सिंगरेनी कोलरीज द्वारा किया जा रहा है कोल इण्डिया लि. का देश में कोयले के कुल उत्पादन के लगभग 86 प्रतिशत भाग पर नियंत्रण है। यह एक धारक कम्पनी (Holding Co) है तथा इसके अधीन 7 कम्पनियां कार्यरत् है। सिगरेनी कोलरीज आन्ध्र प्रदेश सरकार तथा केन्द्र सरकार का संयुक्त उपक्रम है। कोयले के कुल उत्पादन का लगभग 10 प्रतिशत भाग इस कम्पनी से प्राप्त होता है।

कागज उद्योग

भारत में आधुनिक ढंग का पहला कारखाना 1870 में कोलकाता के निकट हुगली नदी पर वाली नामक स्थान पर लगाया गया। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में अनके कारखाने स्थापित किए हैं जिनमें प्रमुख हैं- नेशनल न्यूज प्रिण्ट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड (नेपानगर मध्य प्रदेश) तथा सिक्योरिटी पेपर मिल्स (होशंगाबाद मध्य प्रदेश)। इस समय देश में लगभग 515 कागज और गत्ते की मिलें उत्पादन क्षमता लगभग 62 लाख टन है। वर्तमान में इस उद्योग की स्थापित क्षमता का लगभग 62% ही उपभोग किया जा रहा है। वर्ष 2003-04 के दौरान देश में 36. 89 लाख टन कागज एवं गत्ते का उत्पादन हुआ कागज उद्योग को जीवन देने के लिए सरकार ने 17 जुलाई, 1997 से कागज उद्योग की पूरी तरह लाइसेंस मुक्त कर दिया है। भारत की अनुमानित प्रति व्यक्ति कागज खपत 5.5 किग्रा है जो विश्व में न्यूनतम है।

अखबारी कागज उद्योग

नेपा लिमिटेड के नाम से जानी वाली नेशनल न्यूजप्रिंट एंड पेपर मिल्स, सन् 1981 तक देश में अखबारी कागज बनाने वाली एकमात्र मिल थी। इस मिल ने 1955 में उत्पादन आरम्भ किया था। इस समय देश में 70 अखबारी कागज मिलें हैं, जिनकी संस्थापित क्षमता करीब 12.79 लाख टन है। वर्ष 2003-04 के दौरान अखबारी कागज का उत्पादन 6.88 लाख टन रहा। अखबारी कागज की उपलब्धता और उत्पादन बढ़ाने के लिए इस पर से उत्पादन शुल्क हटा लिया गया है। मई 1995 से अखबारी कागज के आयात को नियन्त्रण मुक्त कर दिया गया है और वर्तमान समय में इस नियन्त्रण की समाप्ति के बाद कागज का आयात अब खुले सामान्य लाइसेन्स (व्ळळण्स्) के अन्तर्गत किया जा रहा है।

पेट्रोलियम उद्योग

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय भारत में तेल का उत्पादन देश की कुल आवश्यकता का लगभग 6.5% था। स्वतन्त्रता से पहले भारत में केवल एक तेलशोधक कारखाना डिगबोई में कार्य कर रहा था। देश में इस समय कुल 17 लेतशोधक कारखाने (15 सार्वजनिक क्षेत्र के, एक संयुक्त क्षेत्र का तथा एक निजी क्षेत्र) हैं जिसमें रिलायंस रिफायनरी की शोधन क्षमता सबसे अधिक हैं मथुरा रिफायनरी की क्षमता की दृष्टि से दूसरा स्थान है। सार्वजनिक क्षेत्र के 15 तेल शोधक कारखाने है- प्ब्ब् डिगबोई, भ्च्ब्स् मुम्बई, ठच्ब्स् मुम्बई, भ्च्ब्स् विशाखापट्टनम्, प्ब्ब् गुवाहाटी, प्ब्ब् बरौनी, प्ब्ब् कोयली (गुजरात), ब्त्स् कोचीन, डत्स् चेन्नई, प्ब्ब् हल्दिया, ठत्च्स् बोंगईगांव (असम), प्ब्ब् मुथरा, छत्स् नूनमी, डत्च्स् मंगलौर तथा भ्च्ब्स् भटिंडा। एक संयुक्त क्षेत्र की मंगलौर रिफायनरी में भी 1998 से उत्पादन आरम्भ हो गया है। निजी क्षेत्र में एक मात्र तेल शोधक कारखाना रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड है। देश की सार्वजनिक क्षेत्र की 17 तेल रिफायनरियों की कुल वार्षिक तेल शोधन क्षमता 116.97 मिलियन मीट्रिक टन है। रिलायंस पेट्रोलियम कम्पनी की रिफायनरी विश्व में सबसे बड़ी तेल रिफायनरी है।

वर्ष 2003-04 के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन 333.8 लाख टन रहा है। भारत घरेलू साधनों से 30% आवश्यकताओं को पूरा कर पाता है शेष 70% के लिए खनिज तेलों का आयात किया जाता है। देश में तेल शोधन क्षमता में तेज वृद्धि के लिए पेट्रोलियम क्षेत्र को जून 1998 से लाइसेन्स मुक्त कर दिया गया है।

पेट्रोलियन के सम्बन्ध में भारत की स्थिति अभी सन्तोषजनक नहीं कही जा सकती द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आरम्भ तक देश में केवल डिगबोई (असम) के आसपास के क्षेत्र में तेल निकाला जाता था तब से कई और भागों में तेल निकाला जाने लगा है भारत के तेल क्षेत्र असम, त्रिपुरा, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, मुम्बई, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, हिमालच प्रदेश, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, केवल के तटीय प्रदेशों तथा अण्डमान एवं निकाबार द्वीपसमूह में स्थित है देश में कच्चे तेल का कुल भण्डार 75.6 करोड़ टन अनुमानित किया गया है, किन्तु इतना कुछ होने के बाद भी वर्तमान में तेल का घरेलू उत्पादन देश की आवश्यकता के हिसाब से काफी कम बैठता है

नाम	स्थान	परिशोध क्षमता क्षमता (MMTPA)	चालू होने का
1. इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. (IOCL)	पारादीप (ओडिशा)	15.00	सितम्बर 2013
2. नागार्जुन ऑयल कॉर्पोरेशन लि.	कुड्डालोर (तमिलनाडु)	6.00	2013-14 के अंतिम त्रैमास में
3. महाराष्ट्र रिफायनरी	रत्नागिरी (महाराष्ट्र)	6.00	2016-17 के अंतिम त्रैमास में

देश में खनिज तेल की कुछ आवश्यकता के लगभग 20 प्रतिशत भाग की आपूर्ति ही स्वदेशी उत्पादन द्वारा की जाती है देश की दो राष्ट्रीय तेल कम्पनियां ONGC तथा OIL एवं निजी और संयुक्त उपक्रम कम्पनियां देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज में लगी हुई है विगत पांच वर्षों (2006-07 से 2010-11) के दौरान कच्चे तेल की घरेलू आपूर्ति लगभग 35 मिलियन मी. टन (MMT) रही 2011-12 के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन 38.1 मिलियन टन था, जो वर्ष 2010-11 के 37.7 MMT के कच्चे तेल के वास्तविक उत्पादन से अधिक था।

रिफायनरियों की कुल संस्थापित क्षमता 1 अप्रैल, 2009 की स्थिति के अनुसार बढ़कर 177.97 MMT PA हो गई थी और 2011 तक बढ़कर 185.40 MMT होने की आशा थी। 2010-11 के दौरान आयात किए जाने वाला पेट्रोलियम तेल और स्नेहक का मूल्य 105.964 बिलियन डॉलर (` 482282 करोड़) था अप्रैल सितम्बर 2011-12 के दौरान आयात मूल्य 73.734 बिलियन डॉल (` 332594 करोड़) रहा था। देश में 22 तेलशोधनशालाओं (17 सरकारी क्षेत्र में, 3 निजी क्षेत्र में तथा 2 BPCL और ओमान तेल कम्पनी का संयुक्त उपक्रम है तथा भटिण्डा में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम तथा मित्तल एनर्जी) की घरेलू तेलशोधन क्षमता मार्च 2012 के अन्त में 214.07 मिलियन टन हो गई है। 12वीं योजना के दौरान परिशोधनशालाओं की तेल परिशोधन क्षमता में 50.6 MMT प्रतिवर्ष की वृद्धि किए जाने का लक्ष्य है इस दिशा में विद्यमान तेल परिशोधनशालाओं की क्षमता विस्तार के साथ-साथ निम्नलिखित 3 नई तेल परिशोधनशालाओं की स्थापना भी की जाएगी वर्ष 2010-11 के दौरान रिफाइनरी उत्पादन 206.15 मिलियन टन हो गया था (इसमें RIL द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत जामनगर रिफाइनरी शामिल है) जो वर्ष 2009-10 में 192.77 मिलियन टन की तुलना में 6.9% वृद्धि दर्शाता है वर्तमान में सर्वाधिक क्षमता निजी क्षेत्र की रिलांयस पेट्रोलियम कम्पनी की रिफायनरी की है।

तेल की खोज एवं उत्पादन

भारत में सबसे पहले खनिज तल असम में 1825 ई. में ब्रह्मपुत्र की घाटी में प्राप्त किया गया था, जो शैलों की दरारों में बहता पाया गया था। 1837 में सेना के एक अधिकारी ने असम में तेल की खोज की थी, किन्तु तेल एकत्रित करने में सर्वप्रथम सफलता 1867 ई. में मिली. जब उस वर्ष असम के माकूम नामक स्थान से 26 मार्च को 300 गैलन तेल निकाला गया 1890 में डिगबोई के जिस तेल कुएं से तेल निकालना गया था, वहां से आज भी तेल निकाला जा रहा है भारत में तेल की खोज और इसके उत्पादन का काम व्यापक और व्यवस्थित रूप से 1956 में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (Oil and Natural Gas Commission-ONGC) की स्थापना के बाद प्रारम्भ हुआ (1 फरवरी, 1994 से इसका नाम बदलकर 'तेल और प्राकृतिक गैस निगम8 किया जा चुका है

भारत का तेल आयात

भारत को खनिज तेल के दूसरे बड़े आपूर्तिकर्ता रहे ईरान से यह आयात अब क्रमशः घटता जा रहा है, जिससे बीते वित्तीय वर्ष 2011-12 में वह भारत के लिए तेल का तीसरा बड़ा आपूर्तिकर्ता देश रहा है इस मामले में दूसरा स्थान अब इराक का हो गया है भारत को खनिज तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश सऊदी अरब है तथा उसका यह स्थान विगत वर्षों में यथावत बना रहा है ताजा उपलब्ध ऑकड़ों के अनुसार 2008-09 में ईरान से भारत का तेल आयात 21.81 मिलयन टन था, जो घटकर 2009-10 में 21.20 मिलियन टन, 2010-11 में 18.50 मिलियन टन तथा 2011-12 में 17.44 मिलियन टन रहा है इसके विपरीत इराक से यह आयात 2008-09 में 14.4 मिलियन टन, 2009-10 में 14.96 मिलियन टन, 2010-11 में 17.16 मिलियन टन व 2011-12 में 24.51 मिलियन टन रहा है. भारत को तेल के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता सऊदी अरब से भारत का तेल आयात 2008-09 में 25.95 मिलियन टन था, जो बाद के वर्षों 2009-10, 2010-11 व 2011-12 में क्रमशः 27.19 मिलियन टन, 27.36 मिलियन टन व 32.63 मिलियन टन रहा है। उपलब्ध अनंतिम ऑकड़ों के अनुसार 2011-12 के दौरान सऊदी अरब, इराक व ईरान के बाद भारत को तेल की आपूर्ति करने वाले तीन प्रमुख राष्ट्र क्रमशः कुवैत नाइजीरिया व वेनेजुएला रहे है।

ज्ञातव्य है कि कृष्णा-गोदावरी बेसिन में रिलायंस द्वारा तथा

राजस्थान में बाड़मेर में केयर्न एनर्जी द्वारा तेल की खोज पहले ही की जा चुकी है तथा इन क्षेत्रों से अब वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन भी किया जा रहा है, जिससे इस वर्ष देश में तेल एवं गैस के घरेलू उत्पादन में काफी वृद्धि की सम्भावना है राजस्थान तेल क्षेत्रों में निकलने वाले तेल की बदौलत 2010-11 में कच्चे तेल का उत्पादन 33.7 मिलियन टन से बढ़कर 37.96 मिलियन टन (12. 67 प्रतिशत की वृद्धि) तथा केजी बेसिन से निकलने वाली गैस की बदौलता देश में प्राकृतिक गैस का उत्पादन 32.874 अरब घन मीटर से बढ़कर 50.211 अरब धन मीटर (52.8 प्रतिशत की वृद्धि) सम्भावित है।

सार्वजनिक क्षेत्र की रिफायनरी का स्वामित्व के आधार पर विवरण निम्नलिखित प्रकार है।

क्र	**स्वामित्व के आधार पर तेलशोधनशालाएं**	**रिफायनरियों की संख्या**
1.	IOC लि. (गुवाहाटी, बरौनी, कोयाली, हल्दिया, मथुरा, दिगबोई, पानीपत, बोनगाईगांव)	08
2.	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (CPCL जोकि IOC की सहायक कम्पनी है। (मनाली, नागापत्तीनम)	02
3.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (HPCL) (मुम्बई, विशाखापत्तनम)	02
4.	ONGC लिमिटेड (मगलौर)	01
5.	BPCL (मुम्बई, कोच्चि)	02
6.	कोच्चि रिफायनरीज लि. (BPCL) की सहायक कम्पनी)	01
7.	नुमालीगढ़ रिफायनरीज लि. (BPCL की सहायक कम्पनी)	01
	योग	**17**
	संयुक्त उपक्रम :	
18.	भारत ओमान रिफायनरी लि. बीना	01
19.	एच.पी.सी.एल मित्तल एनर्जी लि. भटिण्डा	01
	निजी क्षेत्र :	
20.	रिलायंस इण्ड्रस्टीज लि. जामनगर	01
21.	विशेष आर्थिक क्षेत्र आर. आई. एल. जामनगर	01
22.	एस्सार ऑयल लि. वादीनार	01
	स्थापना की प्रक्रिया में	
23.	इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन, पारादीप	01
24.	नागार्जुन ऑयल कॉर्पोरेशन, कुड्डालोर	01
25.	महाराष्ट्र रिफायनरी, रत्नागिरी	01

घरेलू तेल एवं गैस की खोज

भारत में नई खोज लाइसेंसिंग नीति-1999 में अपनाई गई भारत में अवसादी क्षेत्र (Sedimentary A) 3.14 मिलियन वर्ग किमी अनुमानित है, जिसमें कुल 26 अवसादी थाले हैं एन.एल. ई.पी. 1999 से पूर्व केवल 11 अवसादी थाले ही अन्वेषण के अध ीन थे नई नीति के तहत् सरकार ने 47.3 प्रतिशत अवसादी थालों को तेल एवं प्राकृतिक गैस की खोज करने हेतु आवंटित किया है अभी तक 39 एन.ई.एल.पी. ब्लाकों में 117 तेल और गैस की खोजें की गई है। अप्रैल 2012 की स्थिति के अनुसार तेल समतुल्य हाइड्रोकार्बन भण्डारों का लगभग 737 मिलियन मीट्रिक टन जोड़ा गया है। अप्रैल 2012 तक घरेलू एवं विदेशी कम्पनियों द्वारा इस क्षेत्र में 20.2 बिलियन डॉलर का निवेश किया है जिसमें से 12.1 बिलियन डॉलर हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण पर तथा 8.1 बिलियन डॉलर खोजों के विकास पर था।

भारत के पेट्रोलियम सेक्टर की उपलब्धियां

मद	इकाई	2010-11 वास्तविक	2011-12 वास्तविक	2012-13 अनंतिम (अप्रैल-नवम्बर)
कच्चा तेल	मिलि. टन	37.7	38.1	25.39
प्राकृतिक गैस	एम.एम.एस.सी.एम	23.094	130	28.05 (बिलि. धन मीटर)
कच्चते तेल के कुए	संख्या	256		
तेल परिशोधनशालाएं	संख्या	22	22	25

खनिज तेल की आत्मनिर्भरता हेतु
कृष्ण क्रान्ति (Black Revolution)

खाद्यान्नों व दूध के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के पश्चात् अब पेट्रोलियम/खनिज तेल की दिश मं आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के लिए कृष्ण क्रान्ति (Black Revolution) का सरकार का इरादा है इसके लिए एथानॉल का उत्पादन बढ़ाकर पेट्रोल में एथनॉल का मिश्रण 10 प्रतिशत तक बढ़ाने तथा बायो-डीजल का उत्पादन करने की सरकार की योजना है केन्द्र सरकार ने 5 प्रतिशत एथेनॉलयुक्त पेट्रोल की देशभर में बिक्री 1 नवम्बर, 2006 से सुनिश्चित करने को तेल विपणन कम्पनियों (OMCs) का कहा है, पूर्वोत्तर के राज्यों के अतिरिक्त जम्मू कश्मीर लक्षद्वीप तथ अण्डमान-निकोबार इस योजना से बाहर रखे गए है।

पौधों से बायो-डीजल तैयार करने के लिए आईओसी ने भारतीय रेलवे से भी एक समझौता किया है जिसके अन्तर्गत रेल लाइनों के साथ खाली पड़ी 500 हेक्टेयर भूमि रेलवे IOC को इन पौधों के लिए देगा। इसमें 80 हेक्टेयर भूमि IOC को प्राप्त भी हो गई है जिस पर बायो-डीजल उत्पादन के लिए पौधे लगाए जाएंगे बायो-डीजल के उत्पादन का काम ग्रामीण विकास मंत्रालय को दिया गया है।

इस क्षेत्र की कतिपय उपलब्धियां निम्न लिखित प्रकार है

- कैर्न इण्डिया को बाडमेर (राजस्थान) जिले में तेल भण्डरों का पता चला है जिससे 1.75 लाख बैरल तेल का उत्पाद किया जा रहा है, जो देश की कुल खपत में से 20% की पूर्ति करने में सक्षम है
- फोक्स एनर्जी को जैसलमेर (राज) जिले में उच्च गुणवत्ता वाले प्राकृतिक गैस के भण्डार मिले है जिससे 1000-1500 मेगावाट क्षमता वाली विद्युत परियोजना स्थापित की जा सकती है।
- ऑयल इण्डिया को राजस्थान में नचना क्षेत्र में प्रयागसिंह की धानी में 1229‘1242 मीटर की गहराई में तेल के भण्डार मिले है।
- ऑयल इण्डिया को ही जैसलमेर जिले में वाघेवाला क्षेत्र में भारी तेल के भण्डार मिले है।

चीनी उद्योग
(Sugar Industry)

चीन उद्योग देश के प्रमुख कृषि पर आधारित उद्योगों में से एक है। कुटीर उद्योग के रूप में इसका विकास 3000 वर्ष ईसा पूर्व से माना जाता है, किन्तु बड़े उद्योग के रूप में इसका विकास 20वीं सदी से प्रारम्भ हुआ कृषि उत्पादों पर आधारित उद्योगों में सूती वस्त्र उद्योग के बाद चीनी उद्योग द्वितीय वृहत्तम उद्योग है, यह उद्योग न केवल लाखों लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है, बल्कि उपउत्पादों तथा सहउत्पादों से सम्बन्धित उद्योगों को विकसित करने की क्षमता भी रखता है 31 मार्च 2009 को देश में कार्यरत् चीनी मिलों की संख्या 624 थी, जबकि 1950-51 में इनकी संख्या 138 थी, जिसमें 317 मिलें सहकारी क्षेत्र में 62 मिलें सरकारी क्षेत्र में और 245 मिलें निजी क्षेत्र में है

भारत सरकार ने 2 मई, 2013 को चीनी उद्योग को आशिंक रूप से नियन्त्रण से युक्त कर दिया है नयी व्यवस्था में निम्न लिखित प्रावधान है

- चीनी मिलों को अपने कुछ उत्पादन का एक निश्चित प्रतिशत (10%) उत्पादन रियायती दर पर लेवी के रूप में बेचने की व्यवस्था समाप्त
- राज्य सरकारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आपूर्ति की जाने वाली चीनी खुले बाजार से खरीदनी होगी इस पर भारत सरकार वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2014-15 तक ` 18.50 प्रति किग्रा की दर से सब्सिडी प्रदान करेगी
- खुले बाजार में यदि चीनी की कीमत ` 32.00 प्रति किग्रा से अधिक बढ़ती है, तो बढ़ी हुई लागत राज्य सरकार को वहन करनी होगी।
- मासिक आधार पर चीनी निर्गत करने की कोटा प्रणाली भी समाप्त कर दी गई

भारत विश्व में ब्राजील के बाद चीनी उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है, जबकि चीनी खपत में विश्व में पहला

स्थान है सूती वस्त्र के बाद चीनी ही दूसरा सबसे बड़ा देश का कृषि आधारित उद्योग है वर्ष 2007-08 में देश में चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान था, जबकि 90.65 लाख टन चीनी की उत्पादन हुआ था, जो देश के कुल चीनी उत्पादन का लगभग 30% था।

देश में चीनी मिलों की संख्या भी महाराष्ट्र (134) में सबसे अधिक है भारत में गन्ने की प्रति एकड़ उपज अन्य चीनी उत्पादक राष्ट्रों (जावा, हवाई द्वीप आदि) से बहुत कम (15 टन) है गन्ने में चीनी का प्रतिशत भी 9% से 10% के मध्य ही होता है, जबकि अन्य राष्ट्रों में यह 13% से 14% तक है।

चीनी उद्योग की समस्याएं

1. चीनी मिलों द्वारा कुल गन्ना उत्पादन का एक छोटा-सा भाग ही प्रयुक्त कर पाना
2. प्रति हेक्टेयर गन्ने की निम्न उत्पादकता
3. उत्तम किस्म के गन्ने की कमी
4. उत्पादन लागतों में वृद्धि
5. मिलों के आधुनिकीकरण की समस्या
6. मौसमी उद्योग
7. अनुसंधान की कमी
8. चीनी मिलों द्वारा कृषकों को गन्ने के मूल्य का पूरा-पूरा भुगतान न कर पाना।

उन उद्योगों की सूची जिनके लिए औद्योगिक लाइसेंस लेना अनिवार्य है

1. एल्कोहॉल युक्त पेयों का आसवन एवं इनसे शराब बनाना (Distillation and Brewing of Alcoholic Drinks)
2. तम्बाकू के सिगार एवं सिगरेटें तथा विनिर्मित तम्बाकू के अन्य विकल्प
3. इलेक्ट्रॉनिक, एयरोस्पेस तथा रक्षा उपकरण, सभी प्रकार के।
4. डिटोनटिंग फ्यूज, सेफ्टी, गन पाडर, नाइट्रोसेल्यूलोज तथा माचिसों सहित औद्योगिक विस्फोटक सामग्री।
5. खतरनाक रसायन

वर्तमान में निगम कर की दर 30% केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की उच्चतम दर (CENVET)–12%, सेवाकर 12%, सीमा शुल्क 10% है। जहां तक विदेशी कम्पनियों पर करारोपण का प्रश्न है, तो गैर-संधि वाली विदेशी कम्पनियों द्वारा घोषित लाभांश पर 20%, उनके द्वारा अर्जित ब्याज दर 20%, रॉयल्टी पर 30%, ब्याज लाभों पर 20%, तकनीकी सेवाओं पर 30% तथा अन्य आयों पर 55% तक कर देना होता है, जबकि सं. रा. के साथ सम्पन्न संधि के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों को ये दरें क्रमशः 15%, 15%, 20%, 15%, 20% तथा 55% हैं।

नई विनिर्माण नीति-2011

केन्द्र की बहुप्रतीक्षित विनिर्माणी नीति (New Manufacturing Policy–NMP)– 2011 को मंत्रिमण्डल की 25 अक्टूबर, 2011 की बैठक में मंजूर कर लिया गया श्रम एवं पर्यावरण मंत्रालयों की कुछेक आपत्तियों के चलते केंद्रीय मंत्रिमण्डल की 15 सितम्बर, 2011 की बैठक में इसे स्वीकार नहीं किया जा सका था, इन आपत्तियों के निवारण के लिए इसे कृषि मंत्री शहद पवार की अध्यक्षता वाले मत्रिमण्डलीय दल (Group of Ministers) को सन्दर्भित किया गया था।

नई मैन्यूफैक्चरिंग पॉलिसी में अगले 10 वर्षों में (2020 तक) देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी को 16 प्रतिशत के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का लक्ष्य है (अन्य प्रमुख राष्ट्रों में व चीन में यह वर्तमान में ही 34 प्रतिशत है, जबकि थाईलैंड के जीडीपी में मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर का भाग 30 प्रतिशत तथा दक्षिण कोरिया व मलेशिया में यह 25-25 प्रतिशत है) वर्ष 2020 तक इस क्षेत्र में रोजगार के 10 करोड़ नए अवसर सृजित करने का लक्ष्य भी नई विनिर्माणी नीति में तय किया गया है। सात नए औद्योगिक शहरों National Investment and Manufacturing Zones (NIMZs) की स्थापना का प्रस्ताव नई नीति में किया गया है, इनमें से चार की स्थापना जापान के सहयोग से की जाएगी।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का विकास

(Development of Micro, Small & Medium Industries)

सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्यमों (MSMEs–Micro, Small and Medium Enterprises) क्षेत्रों का देश के विनिर्माण आमद (Manufacturing output), रोजगार एवं निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान है वर्ष, 2006-07 से 2010-11 के बीच सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की औसत वार्षिक संवृद्धि दर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आधारित औसत वार्षिक संवृद्धि दर तथा सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर से अच्छी रही है इस अवधि में इस क्षेत्रक की चक्रवृद्धि औसत वार्षिक संवृद्धि दर 11.5% रही है, वर्ष 2010-11 में इस क्षेत्रक का कुल उत्पादन Rs. 10,957.6 अरब (2001-02 की कीमतों के आधार पर) रहा है वर्ष 2011-12 में इनके उत्पादन में 11.48% की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान इन उद्यमों में स्थायी निवेश में 11.45 प्रतिशत की दर से चक्रवृद्धि औसत वार्षिक दर से वृद्धि हुई है तथा रोजगार 5% की दर से बढ़ा है ऐसा अनुमान है कि मूल्य के सन्दर्भ में, इस क्षेत्र का योगदान (2006-07 में) विनिर्माण (Manufacturing) आमद का लगभग 45% तथा देश के कुल निर्यात का 40% है, जिसमें अनुमानित समूचे देश की 26 मिलियन उद्यम इकाइयों (Enterprise Units) से अधिक में लगभग

Add. 41-42A, Ashok Park Main, New Rohtak Road, New Delhi-110035
+91-9350679141

59 मिलियन मानव को रोजगार प्राप्त होता है, जबकि MSMEs के अन्तर्गत 6000 उत्पादों से अधिक का निर्माण होता है, जिसमें 22% खाद्य उत्पाद; 12% रसायन एवं रासायनिक उत्पाद; 16% आधारीय धातु (Metal) उद्योग, 8% धातु उत्पाद, 6% रबर एवं प्लास्टिक उत्पाद, 6% इलेक्ट्रीक्स एवं मशीनरी पार्टस् तथा 36% अन्य, आदि आते हैं। इसके अलावा देश की 'जीडीपी' (GDP-Gross Domestic Products) में MSMEs क्षेत्र का योगदान वर्ष 1999-2000 में 5.86% था से बढ़कर 2007-08 में 8.0% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कुल औद्योगिक उत्पादक (MSMes के अन्तर्गत) (2007-08) में पहुंचा था इसके साथ-साथ रोजगारों की संख्या 2004-05 में 282.57 लाख संख्या में थी, जो बढ़कर 732.19 लाख संख्या मानव रोजगार की 2010-11 में पहुंच गई और उद्यम इकाइयों (Enterprises) की संख्या वर्ष 2010-11 में 311.52 लाख हो गई, जो वर्ष 2009-10 की तुलना में 4.51 प्रतिशत अधिक है।

सुक्ष्म एवं लघु तथा मध्यम उद्योगों में से 94.94% उद्यम सूक्ष्म आकार के 4.89% उद्यम लघु आकार के तथा 0.17% मध्यम आकर के है। 45% उद्यम ग्रामीण क्षेत्र में तथा 55% उद्यम शहरी क्षेत्र में हैं। 67.17% उद्योग विनिर्माण क्षेत्र में, 16.78% सेवा क्षेत्रक में तथा 16.13%, रिपेयरिंग एवं अनुरक्षण के क्षेत्र में हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग की परिभाषा

1. **निर्माण उद्योग**
   - (i) एक सूक्ष्म उद्यम (Micro Enterprise), जहां प्लॉट एवं मशीनरी में निवेश 25 लाख से अधिक नही होता है
   - (ii) एक लघु उद्यम (Small Enterprise), जहां प्लॉट एवं मशीनरी में निवेश 25 लाख से अधिक लेकिन 5 करोड़ से कम होता हो, एवं
   - (iii) एक मध्यम उद्यम (Medium Enterprise), जहां प्लाट एवं मशीनरी में निवेश 5 करोड़ से अधिक लेकिन 10 करोड़ से कम होता है।
2. **सेवा उद्योग**
   - (i) एक सूक्ष्म उद्यम (Micro Enterprise), जहां उपकरणों में निवेश 10 लाख से आगे नहीं बढ़ता है।
   - (ii) एक लघु उद्यम (Small Enterprise), जहां उपकरणों में निवेश 10 लाख से अधिक लेकिन 2 करोड़ से अधिक नहीं है
   - (iii) एक मध्यम उद्यम (Medium Enterprise), जहां उपकरणों में निवेश 2 करोड़ से अधिक, लेकिन 5 करोड़ से कम हो,

पांचवी आर्थिक गणना-2005 : प्रमुख आंकड़े एक दृष्टि में

देश में कुल उद्यमों की संख्या	4.212 करोड़
ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यम	2.581 करोड़ (61.3 प्रतिशत)
शहरी क्षेत्रों में उद्यम	1.631 करोड़ (38.7 प्रतिशत)
कृषि से सम्बन्धित कार्य में संलग्न उद्यमों का प्रतिशत	15 प्रतिशत
गैर-कृषि सम्बन्धी कार्यों में संलग्न उद्यमों का प्रतिशत	85 प्रतिशत
10 या अधिक कामगारों वाले उद्यमों की संख्या	5.53 प्रतिशत
1998-2005 के दौरान उद्यमों की संख्या में औसत वार्षिक वृद्धि	4.80 प्रतिशत
ग्रामीण क्षेत्रों में	5.53 प्रतिशत
शहरी क्षेत्रों में	3.71 प्रतिशत
उद्यमों की संख्या में 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक वृद्धि प्राप्त करने वाले राज्य	केरल, तमिलनाडु, मिजोरम व त्रिपुरा
1998-2005 की अवधि में रोजगार में औसत वार्षिक वृद्धि	2.49 प्रतिशत
ग्रामीण क्षेत्र में	3.33 प्रतिशत
शहरी क्षेत्रों में	1.68 प्रतिशत

* कृषिगत उत्पादन में संलग्न उपक्रम इसमें शामिल नहीं है

सर्वाधिक उद्यम संख्या वाले पांच राज्य

क्र	राज्य	उद्यमों की संख्या
1.	तमिलनाडु	4446999 (10.56%);
2.	महाराष्ट्र	4374764 (10.39%)
3.	प. बंगाल	4285688 (10.17%)
4.	आन्ध्र प्रदेश	4023411 (9.55%)
5.	उत्तर प्रदेश	4015926 (9.53%)

सर्वाधिक उद्यम संख्या वाले तीन केन्द्रशासित क्षेत्र

क्र	राज्य	उद्यमों की संख्या
1.	दिल्ली	753795 (1.79%)
2.	चण्डीगढ़	65906 (0.16%)
3.	पुदुचेरी	49915 (0.12%)

सर्वाधिक रोजगार वाले पांच राज्य

क्र	राज्य	रोजगार
1.	महाराष्ट्र	11826566 (11.95%)
2.	तमिलनाडु	9866633 (9.97%)
3.	प. बंगाल	9318026 (9.42%)
5.	उत्तर प्रदेश	8540038 (8.63%)

सर्वाधिक रोजगार वाले तीन केन्द्रशासित क्षेत्र

क्र	राज्य	उद्यमों की संख्या
1.	दिल्ली	4080033 (4.12%)
2.	चण्डीगढ़	251521 (0.25%)
3.	पुदुचेरी	193286 (0.20%)

औद्योगिक उत्पादन की वर्तमान स्थिति

नियोजन काल के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में औद्योगिक क्षेत्र के हिस्से में पर्याप्त वृद्धि हुई है औद्योगिक क्षेत्र (द्वितीयक क्षे.I का GDP में हिस्सा जो 1950-51 में 1993-94 की कीमतों पर 13.3 प्रतिशत था, जो 2004-05 की कीमतों पर 2010-11 में बढ़कर 27.8 प्रतिशत हो गया है। वर्ष 2012-13 में सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्रक का हिस्सा घट कर 26.7 प्रतिशत रह गया है। वर्ष 2012-13 में उद्योग क्षेत्रक के विभिन्न उपक्षेत्रकों का सकल घरेलू उत्पाद निम्नलिखित प्रकार है

	क्षेत्रक/उपक्षेत्रक	सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा (2012-13)
	उद्योग	26.7%
(i)	खनन एवं उत्खनन	2.0%
(ii)	विनिर्माण	15.1%,
(iii)	विद्युत् गैस जलापूर्ति	1.9%
(iv)	निर्माण	7.8%

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (Index of Industrial Production-IIP) के आधार पर वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान भारत में औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर 15.5 प्रतिशत ही रही थी वर्ष 2009-10 में यह दर 5.3% अनुमानित की गई है जबकि 2010-11 में 8.2% अनुमानित की गई है वर्ष 2011-12 के दौरान यह 2.89% अनुमानित की गई है केन्द्रीय साख्यिकीय संगठन (CSO) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार औद्योगिक उत्पादन के तीनों क्षेत्रों विनिर्माणी (Manufacturing), विद्युत् (Electricity) व खनन (Mining) में वृद्धि की दर में वर्ष 2011-12 के लिए क्रमश: 1.9%, 4.9% तथा 0.4% अनुमानित की गई है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) आधारित उद्योग क्षेत्रक की संवृद्धि दरें वर्ष 2012-13 के लिए निम्न-तालिका में दी गई है

औद्योगिक उत्पाद सूचकां

		2011-12	2012-13	संवृद्धि दर
(a)	खनन एवं उत्खनन	128.5	125.5	(-) 2.56%
(b)	विनिनिर्माण	181.0	183.5	1.38%
(c)	विद्युत्	149.3	155.2	3.95%
	सकल उद्योग	170.3	172.2	1.12%

उद्योगों के उपयोग आधारित वर्गीकरण (Use Based Classification) के तहत् (2010-11 में) पूंजीगत उत्पादों में-2.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी इसी प्रकार आधारभूत वस्तुओं (Basic Goods) के उत्पादन में वृद्धि की दर 6.1 प्रतिशत मध्यवर्ती उत्पादों के लिए यह-08 प्रतिशत तथा उपभोक्ता टिकाऊ (Consumer durables) के मामले में वृद्धि की दर 5.3 प्रतिशत रही थी

कपड़ा उद्योग

(Textile Industry)

कपड़ा उद्योग भारत का कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा,

रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है, जो देश के औद्योगिक उत्पादन का 14 प्रतिश, सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 4.0 प्रतिशत, कुल विनिर्मित औद्योगिक उत्पादन के 20 प्रतिशत व कुल निर्यातों के 24.6 प्रतिशत की आपूर्ति करता है, जबकि देश के कुल आयात खर्च में इसका हिस्सा केवल 3% है यह उद्योग देश के लगभग 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। देश की सकल निर्यात आय में इसका योगदान 17% से अधिक और देश के कुल आयात व्यय में इसका हिस्सा केवल 2-3% है यही एकमात्र उद्योग है जो कच्चे माल से लेकर सर्वोच्च मूल्य सम्वधित उत्पाद जैसे-सिलेसिलाए वस्त्र आदि तक पूरी तरह आत्मनिर्भर है भारत इस क्षेत्र में चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ प्रतियोगिता रखता है

भारत में वस्त्र उत्पादन

क्षेत्र	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (अप्रैल-दिसम्बर)
मिल क्षेत्र	1781	1796	2016	2205	1656
विद्युत करघा	34725	33648	36997	37929	27841
होजरी	11804	12077	13702	14647	9464
हथकरघा	6947	6647	6806	6949	5178
अन्य	768	768	814	812	599
योग	56025	54966	60333	62542	44738

कुटीर, लघु एवं ग्रामोद्योगों में अन्तर

प्राय : मोटेतौर पर लघु एवं कुटीर उद्योग-धन्धों को एक ही समझा जाता है जबकि इन दोनों में आधारभूत अन्तर है कुटीर उद्योग तो किसी एक परिवार के सदस्यों द्वारा पूर्ण या अंशकालिक तौर पर चलाया जाता है, इसमें पूंजी निवेश नाममात्र का होता है, उत्पादन भी प्राय: हाथ द्वारा किया जाता है, परम्परागत ढंग से चलने वाली उत्पादन प्रक्रिया में वेतन भोगी श्रमिक नहीं होते, लघु उद्योगों में आधुनिक ढंग से उत्पादन कार्य होता है सवेत श्रमिकों की प्रधानता रहती है तथा पूंजी निवेश भी होता है कतिपय कुटीर उद्योग ऐसे भी है, जो उत्कृष्ट कलात्मकता के कारण निर्यात भी करते है अत: उन्हें अति लघु क्षेत्र में रखा गया था ताकि उन्हें भी सभी सुविधाएं प्राप्त होती रहे।

10 हजार से कम जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित तथा भूमि, भवन मशीनरी आदि में प्रति कारीगर या कार्यकर्ता ` 15 हजार से कम स्थिर पूंजी निवेश वाले उद्योग ग्रामोद्योग के अन्तर्गत आते है राज्य ग्रामोद्योग बोर्ड तथा खादी और ग्रामोद्योग आयोग इन इकाइयों की स्थापना, संचालन आदि में आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान करते है।

नवीन गैसीय ईंधन का घरेलू अन्वेषण

कोल बेड मीथेन (CBM) : कोयले के स्थापित भण्डारों में भारत का विश्व में चौथ स्थान है जिसमें सीबीएम अन्वेषण एवं दोहन के लिए महत्वपूर्ण सम्भावनाएं है सीबीएम नीति के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ गुजरात, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थाान, तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल में 33 अन्वेषण ब्लॉक आवंटित किए गए है देश में सीबीएम अन्वेषण हेतु 26,000 वर्ग किमी के कुल उपलब्ध कोयला क्षेत्र में से लगभग 17,000 वर्ग किसी क्षेत्रफल में अन्वेषण प्रारम्भ किया गया है। भारत में पूर्व अनुमानित सीबीएम संसाधन लगभग 92 ट्रिलियन घन फुट है जिसमें से कभी तक केवल 8.92 ट्रिलियन घन फुट ही स्थापित किए गए है सीबीएम का वास्तविक व्यावसायिक उत्पादन 0.23 मिलियन मीट्रिक स्टैण्डर्ड घन मीटर हैं

शैल गैस (Shale Gas) : शैल गैस भारत में ऊर्जा के एक महत्वपूर्ण नवीन स्रोत के रूप में उभर सकती है कैम्बे, गोण्डवाना, कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी के तलछट थालों में शैल गैस के लगभग 290 ट्रिलियन घन फुट भण्डार पाए जाने की सम्भावना है सरकार ने विद्यमान आंकड़ों के विश्लेषण हेतु तथा शैल गैस विकास के लिए विधि तंत्र सुझाने के लिए हाइड्रोकार्बन महानिदेशक, ओएनजीसी ऑयल इण्डिया लि. तथा गेल (GAIL) की एक बहुसंगठनात्मक टीम बनाई हैं

नवगठित प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI) द्वारा कार्य प्रारम्भ

एकाधिकारी शक्तियों पर अंकुश लगाकर प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने तथा कम्पनियों के विलयों व अधिग्रहणों पर निगरानी रखने के उद्देश्य से गठित भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (Competition Commission of India- CCI) मई 2009 से अस्तित्व में आ गया है धनेन्द्र सिंह की अध्यक्षता वाले प्रतिस्पर्द्धा आयोग ने 20 मई, 2009 से कार्य करना शुरू कर दिया है प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम 2002 जिसमें संशोधन सितम्बर 2007 में किया गया था, के तहत् गठित प्रतिस्पर्द्धा आयोग को प्रभावी बनाने के लिए सन्दर्भित अधि नियम के अनुच्छेद 3 व 4 को केन्द्र सरकार ने मई 2009 में अधि

सूचित कर दिया है इनमें अनुच्छेद 3 का सम्बन्ध प्रतिस्पर्द्धारोधी (Anti Competitive) समझौतो से है, अनुच्छेद 4 प्रभावी स्थिति (Dominant Position) के दुष्प्रभाव के निपटने से सम्बन्तिध है विलयों व अधिग्रहणों (Mergers and Acquisitions) से सम्बन्धित अनुच्छेद 5 व 6 अभी अधिसूचित नहीं किए गए है

एकाधिकारी एवं प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार आयोग (Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission-MRTPC) के स्थान पर नवगठित भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (Competition Commission of India-CCI) अब कार्यशील हो गया है कम्पनियों के विलयों व अधिग्रहणों (Megers & Acquisition-M&As) में एकाधिकारी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाकर उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार ने अब एसे बड़े सौदों के लिए प्रतिस्पर्द्धा आयोग की मंजूरी सरकार ने अनिवार्य कर दी है इनके लिए नियमों को प्रतिस्पर्द्धा आयोग ने मई 2011 में अधिसूचित कर दिया है। 1 जून, 2011 से प्रभावी हुए इन नियमों के तहत् विलय/अधिग्रहण करने वाली कम्पनी का टर्नओवर ` 1500 करोड़ से अधिक होने पर अथवा परिसम्पति (Combined Assets) ` 1000 करोड़ से अधिक अथवा संयुक्त टर्नओवर ` 3000 करोड़ से अधिक होने पर प्रस्तावित विलय के लिए सीसीआई की मंजूरी आवश्यक होगी अधिगृहीत की जाने वाली कम्पनी की परिसम्पत्ति ` 200 करोड़ या अधिक होने पर अथवा टर्नओवर ` 600 करोड़ से अधिक होने पर भी सीसीआई से मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक होगा।

नया प्रतिस्पर्द्धा (संशोधन) विधेयक-2007

केन्द्र सरकार ने 2006 में संसद में प्रस्तुत प्रतिस्पर्द्धा विधेयक को वापस लेकर एक नया प्रतिस्पर्द्धा (संशोधन) विधेयक 2007 लोक सभा में 29 अगस्त, 2007 को प्रस्तुत किया इस विधेयक के जरिए भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (Competition Commission of India-CCI) को वैधानिक अधिकार प्रदान करने का प्रावधान किया गया है इस आयोग की स्थापना 2003 में की गई थी। प्रतिस्पर्द्धा निरोधी व्यापार व्यवहार (Anti Competitive Practices) पर निगरानी रखने व इनकी रोकथाम करने के मामलों में नियामक का कार्य यह आयोग करेगा।

आयोग के फैसलों के विरुद्ध अपील के लिए तीन सदस्यीय कॉम्पिटीशन एपीलेट ट्रिब्यूनज' के गठन का प्रावधान भी विधेयक में किया गया है।

महारत्न कम्पनियां

महारत्न कम्पनियां वे सरकारी कम्पनियां है जो निम्नलिखित कसौटियां को पूरा करते हुए अपनी निवल वर्थ (Net worth) का 15 प्रतिशत तक किसी नई परियोजना में सरकार की अनुमति के बिना निवेश कर सकती है।

कसौटियां :

1. कम्पनी को नवरत्न कम्पनी का दर्जा प्राप्त हो
2. सेबी विनिमयों के तहत् न्यूनतम लोक शेयरधारिता के साथ भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो।
3. विगत 3 वर्षों में औसत वार्षिक कारोबार का परिमाण 20,000 करोड़ रुपए से अधिक हो, पहले यह सीमा 25,000 करोड़ रुपए थी
4. विगत 3 वर्षों में औसत वार्षिक निवल सम्पतित्त 10,000 करोड़ रुपए से अधिक हो, पहले यह सीमा 15,000 करोड़ रूपए थी।
5. विगत 3 वर्षों में कर पश्च निवल औसत वार्षिक लाभ 25,00 करोड़ रुपए से अधिक हो, पहले यह सीमा 5,000 करोड़ रूपए थी
6. वैश्विक उपस्थिति/अन्तर्राष्ट्रीय परिचालनों में महत्वपूर्ण भूमिका हो।

नवरत्न कम्पनियां

नवरत्न कम्पनियां वे सरकारी कम्पनियां है जिन्हे सरकार की पूर्वानुमति के बिना 100 करोड़ रूपए तक का नया निवेश करने की स्वायत्तता प्राप्त है।

कसौटियां :

1. कम्पनी अनुसूची 'A' में दर्ज हो तथा उसे मिनीरत्न संवर्ग-I का दर्जा प्राप्त हो
2. विगत 3 वर्षों में 'उत्कृष्ट' या 'अति उत्तम' समझौता ज्ञापन (MOU) की कम-से-कम तीन रेटिंग प्राप्त हो।
3. विगत 3 वर्षों में उपलब्धियों के लिए निर्धारित 100 अंकों में से कम-से-कम 60 अंक प्राप्त किए हों निवल सम्पत्ति से निवल लाभ (25), उत्पादन या सेवाओं की लागत से मानव शक्ति लागत का अनुपात (15)नियोजित पूंजी से सकल मार्जिन (15), सकल लाभ के रूप में करोबार (15), प्रति शेयर आय (10), निवल सम्पत्ति से निवल पर आधारित अन्तर-क्षेत्रक तुलना (20)

भारत की 7 महारत्न कम्पनियां
(अप्रैल 2013 के अन्त तक की स्थिति)

1. भारतीय इस्पात प्राधिकरण (SAIL)
2. तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ONGC)
3. भारतीय तेल निगम (IOC)
4. राष्ट्रीय ताप विद्युत् निगम (NTPC)
5. कोल इंडिया लि. (CIL)
6. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. (BHEL)

7. गैस अर्थारिटी ऑफ इण्डिया लि. (GAIL)

14 नवरत्न कम्पनियां

- भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. (BEL)
- भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (BPCL)
- हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (HPCL)
- महानगर टेलीफोन निगम लि. (MTNL)
- हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि. (HAL)
- पांवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि. (PGOIL)
- राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (NMDC)
- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि. (REC)
- नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी (NALCO)
- राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. (RINL)
- पॉवर फाइनेन्स कॉर्पोरेशन (PFC)
- भारतीय नौवहन निगम (SCI)
- ऑइल इण्डिया लि. (OIL)
- निवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन (NLC)

निजी क्षेत्र की लगभग एक दर्जन कम्पनियों को रक्षा उद्योग रत्न का दर्जा प्रदान करने की प्रवीर सेना गुप्ता समिति की संस्तुति

आने वाले वर्षो में निजी क्षेत्र की स्वदेशी कम्पनियों से बड़े पैमाने पर रक्षा खरीददारी की सम्भावना को देखते हुए निजी क्षेत्र की कुछ कम्पनियों को रक्षा उद्योग रत्न (RUR) कम्पनियों का दर्जा प्रदान करने की संस्तुति प्रबीर सेना गुप्ता की रिपोर्ट में की गई है। समिति की यह रिपोर्अ रक्षा मंत्री को 6 जून, 2007 को सौपी गई थी संस्तुत कम्पनियों में निजी क्षेत्र की लगभग एक दर्जन कम्पनियों के नाम है इनमें टाटा, लार्सन एण्ड टुबों और महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा जैस कम्पनियां शामिल है।

मिनी रत्न कम्पनी संवर्ग-I का दर्जा प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रम को निम्नलिखित कसौटियों पर खरा उतरना चाहिए।

1. विगत 3 वर्षो से लगातार लाभ अर्जित कर रही हो।
2. इन 3 वर्षों में कम-से-कम एक वर्ष कर पूर्व लाभ कम-से-कम ` 30 करोड़ को
3. निवल सम्पत्ति धनात्मक हो यह दर्जा प्राप्त कम्पनियों की संख्या 52 है

मिनी रत्न कम्पनी संवर्ग-II का दर्जा प्राप्त करने के लिए केवल दो कसौटियों पर खरा उतरना चाहिए।

1. विगत 3 वर्षो से लगातार लाभार्जन की स्थिति हो
2. निवल सम्पत्ति धनात्मक हो यह दर्जा प्राप्त कम्पनियों की संख्या 16 है

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कार्य निष्पादन (Performance of Central Public Sector Entrerprises CPSE)

31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियन्त्रण में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 260 उपक्रम थे इनमें से 225 प्रचालन में और 35 निर्माणाधीन थे 31-3-2011 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों में संचयी निवेश (अभिदत्ता पूंजी और दीर्घावधिक ऋण) 666848 करोड़ का था जो 2009-10 से 14.8% अधिक की वृद्धि दर्शा रहा है संचयी निवेश में विनिर्माण का हिस्सा 2010-11 में 27.8% था, जो सर्वाधिक था कुल निवेश में खनन , बिजली और सेवाओं का भाग क्रमश: 23.0%, 25.2% तथा 23.2% था CPSEs में निवेशों को बाहर से निवेश करने की अपेक्षा आन्तरिक संसाधनों के माध्यम से निवेश को बढ़ाया गया है।

विनिर्माणी क्षेत्रक के सार्वजनिक क्षेत्रक के केन्द्रीय उपक्रमों ने कुल निवेश में 28.31% की हिस्सेदारी के साथ वर्ष 2011 में ` 12,10,087 करोड़ के करोबार से ` 23720.5 करोड़ का निवल लाभ कमाया खनन क्षेत्र के केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों ने कुल निवेश में 23.53 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ वर्ष 2011-12 में ` 188011.1 करोड़ के कारोबार से ` 61610.6 करोड़ का लाभ अर्जित किया, जबकि विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों ने 25.62 प्रतिशत हिस्सेदारी पर ` 97623 करोड़ के कारोबार से ` 21239.8 करोड़ का लाभ अर्जित किया।

कुल मिलाकर 44 CPSE भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है सभी सूचीबद्ध केन्द्रीय सार्वजनकि क्षेत्र के उपक्रमों का बाजार पूंजीकरण BSE के बाजार पूंजीकरण के प्रतिशत के रूप में 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार 18.35 प्रतिशत था।

बीमार तथा घाटे में चल रहे CPSE के पुनरुद्धार/पुनर्सरचना पर परामर्श देने हेतु सरकार ने दिसम्बर 2004 में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पुनर्निर्माण हेतु बोर्ड (BRPSE) की स्थापना की 31 अक्टूबर, 2011 तक BRPSE हने 62 CPSE के सम्बन्ध में सिफारिशें दी हैं इसके बाद सरकार ने 43 CPSE के पुनरुद्धार तथा 2 को बन्द करने के प्रस्तावों को मंजूरी दी 31 अक्टूबर, 2011 तक सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अनुमोदित कुल सहायता ` 25104 करोड़ है, जिसमें ` 21230 करोड़ गैर-नकद सहायता तथा ` 3874 करोड़ नकद सहायता के रूप में है।

राष्ट्रीय निवेश कोष का गठन

सार्वजनिक उपक्रमों के अनिवेश से प्राप्त होने वाले राजस्व

के सुनिश्चित इस्तेमाल के लिए केन्द्रीय सड़क निधि (Central Road Fund-CRF) की तर्ज पर राष्ट्रीय निवेश निधि (National Investment Fund-NIF) स्थापना की गई है सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश से प्राप्त होने वाली राशि इस कोष में जमा की जाऐगी तथा यह राशि भारत के संचित कोष (Consolidated Fund of India) से बाहर रहेगी इस राशि के 75% भाग का इस्तेमाल शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे सामाजिक क्षेत्र (Social Sector) के विकास के साथ-साथ 25% राशि का उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में निवेश के लिए किया जाएगा राष्ट्रीय विशेष कोष 'के गठन को केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल ने मंजूरी वर्ष 2005 में प्रदान की थी इसकी औपचारिक शुरूआत 6 अक्टूबर 2007 से उस समय हुई जब पॉवरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (PGCIL) के विनिवेश से प्राप्त ` 994.82 करोड़ की राशि इस कोष में जमा की गई इस राशि का प्रबन्धन तीन एसेट मैनजमेंट कम्पनियों (AMCs) को सौपा गया है इनमें यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कम्पनी प्रा. लि. एसबीआई फण्ड्स मैनजमेंट प्रा. लि. व एलआईसी म्यूचुअल फण्ड एसेट मैनेजमेंट कम्पनी लि. शामिल है।

निजीकृत की गई सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियां

सार्वजनिक कम्पनी	निजी क्षेत्र की जिस कम्पनी को बेचा गया
मॉडर्न फूड इण्डस्ट्रीज	हिन्दुस्तान लिवर लिमिटेड
बाल्को	स्टरलाइट इण्डस्ट्रीज
सीएमसी टाटा संस	
हिन्द टेलीप्रिंटर्स	एचएफसीएल
विदेश संचाल निगम लिमिटेड	टाटा समूह की पैनाटोन फिनवैस्ट
आईबीपी लिमिटेड	भारतीय तेल निगम
पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड	जुआरी मारोक फॉस्फेटस् प्राइवेट लिमिटेड

आधारित संरचना परियोजनाओं के वित्तीयन हेतु विशेष कोष

आधारिक संरचना परियोजनाओं के वित्तीयन हेतु देश में पहली बार एक इन्फ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फण्ड (IDF) की स्थापना की जाएगी 2 अरब डॉलर के इस प्रस्तावित कोष का गठन एक नॉन बैंकिग फाइनेंस कम्पनी (NBFC) के रूप में आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सिटी बैंक व भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) द्वारा संयुक्त रूपसे किया जाएगा। इसका ईक्विटी आधार 300 करोड़ का होगा, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक की हिस्सेदारी 31 प्रतिशत बैंक ऑफ बड़ौदा की 30 प्रतिशत, सिटी बैंक की 29 प्रतिशत तथा एलआईसी की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत होगी आईसीआईसीआई बैंक की इस हिस्सेदारी में उसकी एक अनुषंगी इकाई का भी योगदान होगा कोष के गठन के लिए उपर्युक्त चारों साझीदारों के प्रमुखों ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिह आहलूवालिया वित्त त्तित मंत्री प्रणब मुखर्जी की उपस्थिति में एक सहमति-पत्र (MOU) पर हस्ताक्षर 5 मार्च, 2012 को नई दिल्ली में किए है।

भारत में असंगठित क्षेत्र

राष्ट्रीय सैम्पल सर्वे संगठन (NSSO) 2004-05 में कराए गए सर्वोक्षण के अनुसार, देश में संगठित और असंगठित, दोनों ही क्षेत्रों में श्रमिकों की कुल संख्या 45.9 करोड़ थी इनमें से 2.6 करोड़ संगठित क्षेत्र में थे और बाकी 43.3 करोड़ यानी कुल रोजगार का 93% असगठित क्षेत्र में थें

महासचिवः इला भट्ट

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की देखरेख के लिए सरकार ने विधायी उपायों तथा कल्याण योजनाओं और कार्यक्रमों की द्विपक्षीय नीति अपनाई है विधायी उपायों में न्यूनतम मजदूरी कानून, 1948 कर्मकार मुआवजा अधिनियम, 1923 मातृत्व अभिलाभ अधिनियम, 1961 बधुआ मजदूर प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 ठेका मजदूर (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970 अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 भवन और अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम, 1996 आदि शामिल है।

भारत सरकार ने बीड़ी श्रमिकों, कोयले को छोड़कर अन्य खानों के श्रमिकों और सिनेकर्मियों के कल्याण के लिए कल्याण कोष का गठन किया है इन कल्याण कोषों का उपयोग श्रमिकों को उनके बच्चों की शिक्षा, मनोरंजन, सामूहिक बीमा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं, मकानों के निर्माण आदि पर किया जाता है कुछ राज्यों जैसे केरल ने भी असंगठित क्षेत्र के इन श्रमिकों के लिए कल्याण कोष की स्थापना की है।

सरकार ने हाल ही में असंगठित क्षेत्रें के उद्यमों की समस्याओं के समाधान ने लिए डॉ. अर्जुन सेन गुप्ता की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की है।

भारत के प्रमुख श्रम संघ

क्र.	श्रम संघ	स्थापना वर्ष	मुख्यालय	राजनीतिक प्रतिबद्धता	सदस्यता
1.	अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) **अध्यक्ष**-रामेन्द्र कुमार	1920	नई दिल्ली	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया	142.00 लाख

2.	भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रे (INTUC) **अध्यक्ष**-जी संजीव रेड्डी	3 मई, 1947	नई दिल्ली	कांग्रेस	333.00 लाख
3.	भारतीय मजदूर संघ (BMS) **अध्यक्ष** : सी के साजी नारायनन्द	27 जुलाई, 1955	नई दिल्ली	भारतीय जनता पार्टी	171.00 लाख
4.	सेन्टर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियन्स (CITU) **अध्यक्ष** : एम.के. पांधी	1970	नई दिल्ली	सी.पी.एम.	57.00 लाख
5.	हिन्द मजदूर सभा (HMS) **अध्यक्ष** : मनोहर कोतावाल **महासचिव** : उमरावमल पुरोहित	24 दिसम्बर,1948	नई दिल्ली	समाजवादी	91.00 लाख
6.	आल इण्डिया यूनाइटे ट्रेड यूनियन सेन्टर (AIUTUC) **अध्यक्ष** : कृष्णा चौधरी **महासचिव** : शंकर साहा	26-27 अप्रैल,1958	कोलकता	सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (साम्यवादी)	47.00 लाख
7.	सेल्फ-एम्पलोयड वूमेन्स एसोसियेशन ऑफ इण्डिया	1972	अहमदाबाद	-	13.00 लाख

पंचवर्षीय योजनाओं में उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर (%)

योजना	**औद्योगिक वृद्धि दर**
पहली योजना	5.54
दूसरा योजना	5.59
तीसरी योजना	6.28
तीन वार्षिक योजना	1.42
चौथी योजना	4.91
पांचवी योजना	6.55
छठवीं योजना	5.32
सातवीं योजना	6.77
दो वार्षिक योजना	0.10
आठवीं योजना	7.58
नौवीं योजना	4.29
दसवीं योजना	9.17
11 वीं योजना	10.5 (लक्ष्य)
12वीं योजना	9.6 (लक्ष्य)

भारत में सर्वप्रथम उद्योगों की स्थापना

उद्योग	**स्थापना वर्ष**	**स्थान**
सूती वस्त्र	1818	फोर्ट ग्लोस्टर (कोलकाता)
कागज	1832	सिरामपुर (पं बंगाल)
चीनी उद्योग	1840	बेतिया (बिहार)
सीमेन्ट	1904	चेन्नई
ऊनी वस्त्र	1876	कानपुर
जूट	1859	रिसरा (पं. बंगाल)
लौह इस्पात	1870	कुलटी (पं. बंगाल)
कृत्रिम रेशा	1920	त्रावनकोर (केरल)
एल्युमिनियम	1937	जे.के नगर (झारखंड)
भारी इंजीनियरिंग	1958	(झारखंड)

7. भारत की जनसंख्या

भारत में विश्व की कुल जनसंख्या की 17.5 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है जबकि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.4 प्रतिशत ही हैं इस प्रकार विश्व में जनंसख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (न्छथ्च्।) द्वारा जारी विश्व जनसंख्या रिपोर्ट, 2004 के अनुसार वर्ष 2050 तक भारत की जनसंख्या 1.53 अरब हो जाएगी और तब भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश होगा। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में विश्व की जनसंख्या 7 अरब से अधिक है जो वर्ष 2050 तक बढ़कर 8.9 अरब हो जाएगी। भारत की 2011 की जनगणना वर्ष 1872 के वाद हुई 15वीं जनगणना है।

जनगणना 2011 जनसंख्या, लिंगानुपात एंव शिशु लिंगानुपात (अन्तिम)

क्र. सं.	राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश	जनसंख्या 2011			लिंगानुपात		शिशु लिंगानुपात (0-6 आयु समूह की जनसंख्या)	
		जनसंख्या	पुरुष	स्त्रियाँ/महिलाएँ	2001	2011	2001	2011
1.	जम्मू एवं कश्मीर	1,25,41,302	66,40,662	15,67,057	892	889	941	859
2.	हिमाचल प्रदेश	68,64,602	34,81,873	3,17,024	968	972	896	906
3.	पंजाब	2,77,43,338	1,46,39,465	48,53,157	876	895	798	846
4.	चण्डीगढ़	10,55,450,	5,80,663	4,62,946	777	818	845	867
5.	उत्तराखण्ड	1,00,86,292	51,37,773	14,30,607	962	963	908	886
6.	हरियाणा	2,53,51,462	1,34,94,734	41,21,375	861	879	819	830
7.	दिल्ली	1,67,87,941	89,87,326	76,07,894	821	868	868	866
8.	राजस्थान	6,85,48,437	3,55,50,997	81,38,835	921	928	909	883
9.	उत्तर प्रदेश	19,98,12,341	10,44,80,510	2,10,07,548	898	912	916	899
10.	बिहार	10,40,99,452	5,42,78,157	55,53,709	919	918	942	933
11.	सिक्किम	6,10,577	3,23,070	73,305	875	890	963	944
12.	अरुणाचल प्रदेश	13,83,727	7,13,912	1,49,468	893	938	964	960
13.	नागालैण्ड	19,78,502	10,24,649	2,71,789	900	931	964	944
14.	मणिपुर	25,70,390	12,90,171	4,2,452	974	992	957	934
15.	मिजोरम	10,97,206	5,55,339	2,85,567	935	976	964	971
16.	त्रिपुरा	36,73,917	18,74,376	4,74,250	948	960	966	953
17.	मेघालय	29,66,889	14,91,832	2,97,878	972	989	973	970
18.	असोम	3,12,05,576	1,59,39,443	21,38,088	935	958	965	957
19.	पश्चिम बंगाल	9,12,76,115	4,68,09,027	1,41,28,920	934	950	960	950
20.	झारखण्ड	3,29,88,134	1,69,30,315	37,79,232	341	948	965	943
21.	ओडिशा	4,19,74,218	2,12,12,136	33,77,723	972	979	953	934
22.	छत्तीसगढ़	2,55,45,198	1,28,32,895	29,01,768	989	991	975	964

23. मध्य प्रदेश	7,26,26,809	3,76,13,306	96,06,487	972	931	953	934
24. गुजरात	6,04,39,692	3,14,91,260	1,20,52,982	920	919	883	886
25. दमन एवं दीव	2,43,247	1,50,301	64,945	710	618	926	909
26. दादर एवं नागर हवेली	3,43,709	1,93,760	65,140	812	774	979	924
27. महाराष्ट्र	11,23,74,333	5,82,43,056	2,41,14,237	922	929	913	883
28. आन्ध्र प्रदेश	8,45,80,777	4,24,42,146	1,40,20,170	978	993	961	943
29. कर्नाटक	6,10,95,297	3,09,66,657	1,15,88,659	978	973	961	943
30. गोवा	14,58,545	7,39,140	4,43,110	961	973	938	920
31. लक्षद्वीप	64,473	33,123	24,452	948	946	959	908
32. केरल	3,34,06,061	1,60,27,412	83,15,568	1,058	1,084	960	959
33. तमिलनाडु	7,21,47,030	3,61,37,975	1,74,58,530	987	996	942	946
34. पुदुचेरी	12,47,953	6,12,511	4,35,149	1,001	1,037	967	965
35. अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	3,80,581	2,02,871	66,904	846	876	957	966
भारत	**1,21,05,69,573**	**62,31,21,843**	**58,16,16,925**	**933**	**943**	**927**	**919**

लिंगानुपात के अनुसार जनगणना 2001 तथा 2011 में राज्य/केन्द्रशासित प्रदेशों की तुलनात्मक स्थिति

राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश	2001	राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश	2011
केरल	1,058	केरल	1,084
पुदुचेरी	1,001	पुदुचेरी	1,038
छत्तीसगढ़	989	तमिलनाडु	995
तमिलनाडु	987	आन्ध्र प्रदेश	992
आन्ध्र प्रदेश	978	छत्तीसगढ़	991
मणिपुर	974	मणिपुर	987
मेघालय	972	मेघालय	986
ओडिशा	972	ओडिशा	978
हिमाचल प्रदेश	968	मिजोरम	975
कर्नाटक	965	हिमाचल प्रदेश	974
उत्तराखण्ड	962	कर्नाटक	968
गोवा	961	गोव	968
त्रिपुरा	948	उत्तराखण्ड	963
लक्षद्वीप	948	त्रिपुरा	961
झारखण्ड	941	असोम	954
मिजोरम	935	झारखण्ड	947
असोम	935	पश्चिम बंग	947
पश्चिम बंगाल	934	लक्षद्वीप	946
महाराष्ट्र	922	नागालैण्ड	931

Add. 41-42A, Ashok Park Main, New Rohtak Road, New Delhi-110035
+91-9350679141

राजस्थान	921	मध्य प्रदेश	930
गुजरात	920	राजस्थान	926
बिहार	919	महाराष्ट्र	925
मध्य प्रदेश	919	अरुणाचल प्रदेश	920
नागालैण्ड	900	गुजरात	918
उत्तर प्रदेश	898	बिहार	916
अरुणाचल प्रदेश	893	उत्तर प्रदेश	908
जम्मू एवं कश्मीर	892	पंजाब	893
पंजाब	876	सिक्किम	889
सिक्किम	875	जम्मू एवं कश्मीर	883
हरियाणा	861	अण्डमान व नि. द्वीपसू.	878
अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	846	हरियाणा	877
दिल्ली	821	दिल्ली	866
दादर एवं नागर हवेली	812	चण्डीगढ़	818
चण्डीगढ़	777	दादर एवं नागर हेवली	775
दमन एवं दीव	710	दमन एवं दीव	618
भारत	**933**	**भारत**	**943**

शिशु लिंगानुपात

शिशु लिंगानुपात के अनुसार राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों की रैंकिंग घटते क्रम में

रैंक	राज्य/	शिशु	रैंक	राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश	शिशु लिंगानुपात
1	मिजोरम	971	2	मेघालय	970
3	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	966	4	पुदुचेरी	965
5	छत्तीसगढ़	964	6	अरुणाचल प्रदेश	960
7	केरल	959	8	असोम	957
9	त्रिपुरा	953	10	पश्चिम बंग	950
11	तमिलनाडु	946	12	सिक्किम	944
13	नागालैण्ड	944	14	झारखण्ड	943
15	आन्ध्र प्रदेश	943	16	कर्नाटक	943
17	मणिपुर	934	18	ओडिशा	934
19	बिहार	933	20	दादर एवं नागर हेवली	924
21	गोवा	920	22	मध्य प्रदेश	912
23	दमन एवं दीव	909	24	लक्षद्वीप	908
25	हिमाचल प्रदेश	906	26	उत्तर प्रदेश	899
27	उत्तराखण्ड	886	28	गुजरात	886
29	राजस्थान	883	30	महाराष्ट्र	883
31	चण्डीगढ़	867	32	दिल्ली	866

EduBull.com

33	जम्मू. एवं कश्मीर	859	34	पंजाब	846
35	हरियाणा	830		**भारत**	914

साक्षरता दर

भारत में किसी व्यक्ति को साक्षर तब माना जाता है जब उसकी उम्र 7 वर्ष से अधिक हो तथा वह किसी भी भाषा को समझकर लिखना और पढ़ना दोनों कर सके। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, देश की साक्षरता दर, 74. 04 प्रतिशत थी, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 82.14 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 65.46 प्रतिशत थी। साक्षरता में हुए सुधारों के अन्तर्गत राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों की क्रमानुसार स्थिति अग्र सारणी में देखी जा सकती है।

जनगणना 2011 पुरुष साक्षरता के आधार पर राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों की रैंकिंग (घटते क्रम में)

रैंक	राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश	साक्षरता दर	रैंक	राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश	साक्षरता दर
1	लक्षद्वीप	96.11	2	केरल	96.02
3	मिजोरम	93.72	4	गोवा	92.81
5	त्रिपुरा	92.18	6	पुदुचेरी	92.12
7	दमन एवं दीव	91.48	8	रा.र.क्षे. दिल्ली	91.03
9	हिमाचल प्रदेश	90.83	10	चण्डीगढ़	9054
11	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह.	90.11	12	महाराष्ट्र	89.82
13	उत्तराखण्ड	88.33	14	सिक्किम	87.29
15	गुजरात	87.23	16	तमिलनाडु	86.81
17	मणिपुर	86.49	18	दादर एवं नागर हवेली	86.46
19	हरियाणा	85.38	20	नागालैण्ड	83.29
21	कर्नाटक	82.85	22	पश्चिम बंग	82.67
23	ओडिशा	82.40	24	पंजाब	81.48
25	छत्तीसगढ़	81.45	26	मध्य प्रदेश	80.53
27	राजस्थान	80.51	28	उत्तर प्रदेश	79.24
29	असोम	78.81	30	झारखण्ड	78.45
31	जम्मू एवं कश्मीर	78.26	32	मेघालय	77.17
33	आन्ध्र प्रदेश	75.56	34	अरुणाचल प्रदेश	73.69
35	बिहार	73.39		**भारत**	**82.14**

जनगणना 2011 महिला साक्षरता के आधार पर राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों की रैंकिंग (घटते क्रम में)

रैंक	राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश	साक्षरता दर	रैंक	राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश	साक्षरता दर
1	केरल	91.98	2	मिजोरम	89.40
3	लक्षद्वीप	88.25	4	त्रिपुरा	83.15
5	गोवा	81.84	6	अण्डमान और निकोबार द्वीप समू.	81.84
7	चण्डीगढ़	81.38	8	पुदुचेरी	81.22
9	रा.र.क्षे. दिल्ली	80.93	10	दमन एवं द्वीप	79.59
11	नागालैण्ड	76.69	12	हिमाचल प्रदेश	76.60
13	सिक्किम	76.43	14	महाराष्ट्र	75.48
15	तमिलनाडु	73.86	16	मेघालय	73.78

17	मणिपुर	73.17	18	पंजाब	71.34
19	पश्चिम बंगाल	71.16	20	गुजरात	70.73
21	उत्तराखण्ड	70.70	22	कर्नाटक	68.13
23	असोम	67.27	24	हरियाणा	66.77
25	दादर एवं नागर हवेली	65.93	26	ओडिशा	64.36
27	छत्तीसगढ़	60.59	28	मध्य प्रदेश	60.62
29	आन्ध्र प्रदेश	59.54	30	अरुणाचल प्रदेश	59.57
31	उत्तर प्रदेश	59.26	32	जम्मू एवं कश्मीर	58.01
33	झारखण्ड	56.21	34	बिहार	53.33
35	राजस्थान	52.66		**भारत**	**65.46**

जनगणना 2011 राज्यों में केन्द्रशासित प्रदेशों में व्यक्तियों की साक्षरता दर (घटते क्रम में)

राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश	सा. दर	राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश	सा. दर
केरल	93.91	गुजरात	79.31
लक्षद्वीप	92.28	दादर एवं नागर हवेली	77.65
मिजोरम	91.58	पश्चिम बंगाल	77.08
त्रिपुरा	87.75	पंजाब	76.68
गोवा	87.40	हरियाणा	76.64
दमन और दीव	87.04	कर्नाटक	75.60
पुदुचेरी	86.55	मेघालय	75.48
चण्डीगढ़	86.43	ओडिशा	73.45
दिल्ली	86.34	असोम	73.18
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	86.27	छत्तीसगढ़	71.04
		मध्य प्रदेश	70.63
हिमाचल प्रदेश	83.78	उत्तर प्रदेश	69.72
महाराष्ट्र	82.91	जम्मू एवं कश्मीर	68.74
सिक्किम	82.20	आन्ध्र प्रदेश	67.66
तमिलनाडु	80.33	झारखण्ड	67.63
नागालैण्ड	80.11	राजस्थान	67.06
मणिपुर	79.85	अरुणाचल प्रदेश	66.95
उत्तराखण्ड	79.63	बिहार	63.82

भारत की प्रभावी साक्षरता दर (2001-11)

	2001	**2011**	**अन्तर**
व्यक्ति	64.83	74.04	9.2
पुरुष	75.26	82.14	6.9
महिलाएँ	53.67	65.46	11.8

- वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में साक्षर जनसंख्या में 38.82 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- 2011 की जनगणना में पुरुष तथा महिला से महिलाओं की साक्षर जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि अधिक रही।
- सर्वाधिक पुरुष-स्त्री साक्षरता दर में अन्तर वाला राज्य राजस्थान है, जबकि न्यूनतम अन्तर मिजोरम में है।
- योजना आयोग ने वर्ष 2011-12 तक 10 राज्यों में 85 प्रतिशत से ऊपर तक लक्ष्य रखा जिसे प्राप्त कर लिया गया है।

कुल प्रजनन दर

इस दर से तात्पर्य किसी महिला द्वारा अपने सम्पूर्ण प्रजनन काल में जन्म दिए जाने वाले शिशुओं की औसत संख्या से है। देश में जनसंख्या स्थिरता के लिए इस दर को 2.1 तक लाना है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में, 2010 तक कुल प्रजनन दर को रिप्लेसमेण्ट लेवल (2.1) तक लाने का लक्ष्य राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में निर्धारित किया गया है।

सर्वोच्च प्रजनन दर वाले राज्य (2010 की स्थिति)

राज्य	कुल प्रजनन दर
बिहार	3.7
उत्तर प्रदेश	3.5
मध्य प्रदेश	3.2
राजस्थान	3.1
झारखण्ड	3.0

न्यूनतम प्रजनन दर वाले राज्य (2010 की स्थिति)

राज्य	कुल प्रजनन दर
तमिलनाडु	1.7
पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल	1.8
महाराष्ट्र	1.9
दिल्ली	1.9

जनगणना 2011 ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या

जनसंख्या

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	कुल जनसंख्या	ग्रामीण ग्रामीण जनसंख्या	शहरी जनसंख्या	कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या की प्रतिशत
1.	जम्मू एवं कश्मीर	12,548,926	9,134,820	3,414,106	27.21
2.	हिमाचल प्रदेश	6,856,509	6,167,805	688,704	10.04
3.	पंजाब	27,704,236	17,316,800	10,387436	37.49
4.	चण्डीगढ़	1,054,686	29,004	1,025,682	97.25
5.	उत्तराखण्ड	10,116,752	7,025,583	3,091,169	30.55
6.	हरियाणा	25,353,081	16,531,493	8,821,588	34,79
7.	दिल्ली	16,753,235	419,319	16,333,916	97.50
8.	राजस्थान	68,621,012	51,540236	17,080,766	24.89
9.	उत्तर प्रदेश	199,581,477	155,111,022	44,470,455	22.28
10.	बिहार	103,804,637	92,075,028	11,729,609	11.30
11.	सिक्किम	607,688	455,962	151,726	24.97
12.	अरुणाचलप्रदेश	1,382,611	1,069,165	313,446	22.67
13.	नागालैण्ड	1,980,602	1,406,861	573,741	28.97
14.	मणिपुर	2,721,756	1,899,624	822,132	30.21
15.	मिजोरम	1,091,014	529,037	561,977	51.51

16. त्रिपुरा	3,671,032	2,710,051	960,981	26.19
17. मेघालय	2,964,007	2,368,971	595,036	20.08
18. असोम	31,347,736	26,780,516	4,388,756,	14.08
19. पश्चिम बंग	91,347,736	62,213,676	29,134,060	31.89
20. झारखण्ड	32,966,238	25,036,946	7,929,292	24.05
21. ओडिशा	41,947,358	24,951,234	6,996,124	16.68
22. छत्तीगसढ़	25,540,196	19,603,658	5,936,538	23.24
23. मध्य प्रदेश	72,597,565	52,537,899	20,059,666	27.63
24. गुजरात	60,383,628	34,670,817	25,712,811	42.58
25. दमन और दीव	242,911	60,331	182,580	75.16
26. दादर एवं नागर हवेली	342,853	183,024	159,829	46.62
27. महाराष्ट्र	112,372,972	61,545,441	50,827,531	45.23
28. आन्ध्र प्रदेश	84,665,533	56,311,788	28,353,745	33.49
29. कर्नाटक	61,130,704	37,552,529	23,578,175	38.57
30. गोवा	1,457,723	551,414	906,309	63.17
31. लक्षद्वीप	64,429	14,121	50,308	78.08
32. तमिलनाडु	33,387,677	17,455,506	15,923,171	47.72
33. तमिलनाडुं	72,138,958	37,189,229	34,949,729	48.45
34. पुदुचेरी	1,224,464	394,341	850,123	68.31
35. अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	379,944	244,411	135,533	35.67

सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले
- माहे (पुदुचेरी) 1,176
- अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड) 1,142

सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य (0-6 वर्ष)
- मिजोरम 971
- मेघालय 970

सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले (0-6 वर्ष)
- लाहौल व स्पीति (हिमाचल प्रदेश) 1013
- तवांग (अरुणाचल प्रदेश) 1003

सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य/प्रदेश
- केरल 93.917:
- लक्षद्वीप 92.28:

सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले
- सरविप (मिजोरम) 98.76:
- आइजोल (मिजोरम) 93.50:

न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले
- दमन (दमन एवं दीव) 533
- लेह (जम्मू एवं कश्मीर) 583

न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य (0-6 वर्ष)
- हरियाणा 830
- पंजाब 846

न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले (0-6 वर्ष)
- झज्जर (हरियाणा) 774
- महेन्द्रगढ़ (हरियाणा) 774

न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य/प्रदेश
- बिहार 63.82:
- अरुणाचल प्रदेश 66.95:

न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले
- अलीराजपुर (मध्य प्रदेश) 37.22:
- बीजापुर (छत्तीसगढ़) 41.58:

सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य/प्रदेश

- दिल्ली 11,297 प्रति वर्ग किमी
- चण्डीगढ़ 9,252 प्रति वर्ग किमी

सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले

- उत्तरी-पूर्व, दिल्ली 37,346 प्रति वर्ग किमी
- चेन्नई, तमिलनाडु, 26,903 प्रति वर्ग किमी

नोट : प्रदेश से सम्बध केन्दशति प्रदेश है।

न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य/प्रदेश

- अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी
- अण्डमान एवं निकोबार 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी

न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले

- दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी
- सम्बा, जम्मू एवं कश्मीर 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी

लिंगानुपात 2011

लिंगानुपात शब्द में आशय है कि प्रति हजार पुरुषों के अनुपात में स्त्रियों की संख्या कितनी है। इससे एक निश्चित समय पर देश में स्त्री-पुरुष के बीच संख्यात्मक समानता का आकलन किया जाता है। देश में लिगानुपात 20वीं शताब्दी के आरम्भ से ही प्रतिकूल रहा है। जहाँ वर्ष 1901 में यह आँकड़ा 972 था, वहीं वर्ष 1991 में यह 926 और वर्ष 2001 में 933 तथा वर्ष 2011 में बढ़कर 940 हो गया, जो यह दर्शाता है कि आने वाले वर्षों में और सुधार होगा।

- वर्ष 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले देश हैं क्रमश: बांग्लादेश (978), रूस (1055), ब्राजील (1042), अमेरिका (1025), इण्डोनेशिया (988)
- वर्ष 2011 के जनगणना में 0-6 वर्ष के आयु वर्ग लिंगानुपात में वर्ष 2001 की तुलना में कमी आयी है। सर्वाधिक कमी जम्मू एवं कश्मीर राज्य में दर्ज की गई (-82)।
- 2011 के जनगणना में 0-6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात राष्ट्रीय स्तर पर 914 है।
- सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले राज्य मिजोरम (971) है, जबकि न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा है।

लिंगानुपात के अनुसार जनगणना 2001 तथा 2011 में राज्य/केन्द्रशासित प्रदेशों की तुलनात्मक स्थिति

राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश	2001	राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश	2011
केरल	1,058	केरल	1,084
पुदुचेरी	1,001	पुदुचेरी	1,038
छत्तीसगढ़	989	तमिलनाडु	995
तमिलनाडु	987	आन्ध्र प्रदेश	992
आन्ध्र प्रदेश	978	छत्तीसगढ़	991
मणिपुर	974	मणिपुर	987
मेघालय	972	मेघालय	986
ओडिशा	972	ओडिशा	978
हिमाचल प्रदेश	968	मिजोरम	975
कर्नाटक	965	हिमाचल प्रदेश	974
उत्तराखण्ड	962	कर्नाटक	968
गोवा	961	गोव	968
त्रिपुरा	948	उत्तराखण्ड	963
लक्षद्वीप	948	त्रिपुरा	961
झारखण्ड	941	असोम	954
मिजोरम	935	झारखण्ड	947
असोम	935	पश्चिम बंग	947

पश्चिम बंगाल	934	लक्षद्वीप	946
महाराष्ट्र	922	नागालैण्ड	931
राजस्थान	921	मध्य प्रदेश	930
गुजरात	920	राजस्थान	926
बिहार	919	महाराष्ट्र	925
मध्य प्रदेश	919	अरुणाचल प्रदेश	920
नागालैण्ड	900	गुजरात	918
उत्तर प्रदेश	898	बिहार	916
अरुणाचल प्रदेश	893	उत्तर प्रदेश	908
जम्मू एवं कश्मीर	892	पंजाब	893
पंजाब	876	सिक्किम	889
सिक्किम	875	जम्मू एवं कश्मीर	883
हरियाणा	861	अण्डमान व नि. द्वीपसू.	878
अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	846	हरियाणा	877
दिल्ली	821	दिल्ली	866
दादर एवं नागर हवेली	812	चण्डीगढ़	818
चण्डीगढ़	777	दादर एवं नागर हेवली	775
दमन एवं दीव	710	दमन एवं दीव	618
भारत	**933**	**भारत**	**943**

राष्टीय जनसंख्या परिषद्

राष्ट्रीय जनसंख्या परिषद् की स्थापना वर्ष 1969 में की गई। जनसंख्या नीति को निर्धारित करने के लिए वर्ष 1969 में एक राष्ट्रीय सम्मेलन आहूत किया गया था। उक्त सम्मेलन में एक राष्ट्रीय जनसंख्या परिषद् की स्थापन का प्रस्ताव पारित किया गया था। राष्ट्रीय जनसंख्या परिषद् की स्थापना के सम्बन्ध में पारित प्रस्ताव में जनसंख्य नीति के अन्तर्गत सम्मिलित किए जाने वाले तत्वों की रूपरेखा इस प्रकार निश्चित की गई थी।

- अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्रक्रिया को अपनाना
- देश की मानवीय संसाधनों की उत्पादन क्षमता तथा उसके गुणों का पता लगाना।
- जनता के जनसंख्या नीति के कार्यक्रमों में सम्मिलित करने के लिए जनस्वास्थ्य एवं संचार की व्यापक व्यवस्था करना।
- क्षेत्रों तथा उपक्षेत्रो के लिए उपयुक्त जन्म-दर तथा मृत्यु-दर का निर्धारण करना।
- परिवार नियोजन कार्यक्रमों में ऐच्छिक संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- कॉलेज स्तर पर जनसंख्या शिक्षा को प्रारम्भ करना।
- परिवार नियोजन के कार्यक्रमों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए संचार माध्यमों का सहारा लेना।
- परिवार कल्याण कार्यक्रम को चिकित्सालय के स्थान पर सामाजिक कल्याण का आधार प्रदान करना।
- पौष्टिक आहार कार्यक्रम तथा शिशु पालन को प्राथमिकता प्रदान करना।

भारत-चुनिंदा स्वास्थ्य संकेतक

क्र.	मानदंड	1981	1991	वर्तमान स्तर
1.	अशोधित जन्म दर (सीबीआर) (प्रति 1000 आबादी)	33.9	29.5	21.8 (2011')
2.	अशोधित मृत्यु दर (सीडीआर) (प्रति 1000 आबादी)	12.5	9.8	7.1 (2011')
3.	कुल प्रजनन दर (टीएफआर) (प्रति महिला)	4.5	3.6	2.5 (2010')

Add. 41-42A, Ashok Park Main, New Rohtak Road, New Delhi-110035
+91-9350679141

4. मातृत्व मृत्यु दर (एमएमआर) (प्रति 1000 जीवित जन्म)	–	–	212 (2010')
5. शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) (प्रति 100 जीवित जन्म)	110	80	44 (2011')
			ग्रामीण 48
			शहरी 29
6. बाल (0-4 वर्ष) मृत्यु दर (प्रति 1000 बच्चे)	41.2	26.5	13.3 (2010)''
7. जन्म पर जीवन प्रत्याशा	(1981.85)	(1989.93)	(2006.10)'',
कुल	55.4	59.4	66.1
पुरूष	55.4	59.0	64.6
महिला	55.7	59.7	67

सामाजिक-आर्थिक व जाति जनगणना का शुभारम्भ

स्वाधीनता के बाद भारत में पहली बार सामाजिक-आर्थिक और जाति आधारित जनगणना 2011 की शुरूआत 20 जून, 2011 को त्रिपुरा राज्य के पश्चिमी त्रिपुरा जिले में हेजमारा खण्ड के संखोला गांव में हुई।

इससे देश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों (ठमसवू च्वअमतजल स्पदम.ठच्स्) की पहचान की जा सकेगी।

किसी भी लक्ष्यगत पहुंच के लिए, वास्तविक लाभार्थियों की पहचान सबसे महत्वपूर्ण है। इस पहुंच के अनुरूप, ग्रमीण क्षेत्रों में वीपीएल गणना विधितंत्र देन हेतु डा. एन.सी. सक्सेना समिति गठित की गई थी। जून 2011 में, पहली बार ग्रामीण तथा शहरी भारत में व्यापक घर-घर जाकर आकलन करने के जरिए, सामाजिक आर्थिक तथा जाति गणना (एसईसीसी) के माध्यम से विभिन्न जातियों और वर्गों की सामाजिक आर्थिक स्थिति तथा शैक्षणिक स्थिति पर प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध करायी जा रही है। यह प्रक्रिया सही लाभार्थियों हेतु लक्ष्यगत सरकारी योजनाओं की अच्छी तरह से मदद करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि सभी पात्र लाभार्थी कवर किए गए हैं जबकि सभी अपात्र लाभार्थियों को छोड़ दिया गया है। सबसे अधिक वंचित पाए गए परिवारों को सरकारी कल्याण योजनाओं के अंतर्गत सबसे अधिक समावेशी प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। विभिन्न लाभदायिक सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों में आधार संख्या का प्रयोग द्वैधता को रोकेगा।

एसईसीसी 2011 भारत सरकार की तकनीकी तथा वित्तीय सहायता के साथ संबंधित राज्यों द्वारा ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में एक साथ आयोजित की जा रही है। मूल्यांकन 6 लाख मूल्यांककों द्वारा किया जाएगा जिनकी सहायता इतने ही तकनीकी रूप से योग्य तथा कंप्यूटर साक्षर डाटा प्रविष्ट प्रचालकों (डीईओ) द्वारा की जाएगी, और इनका चयन देश की प्रमुख आईटी कंपनियों द्वारा किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत के पंजीयक के कार्यालय (आरजीआई) तथा राज्यों के साथ मूल्यांककों, पर्यवेक्षकों, सत्यापनकर्ताओं तथा गणना प्रक्रिया में रत राज्यों कर्मचारियों को अंतिम रूप देने से पहले, परिवार के आंकड़े, जाति संबंधी आंकड़ों के अलावा, छानबीन के लिए लोगों के बीच रखे जाएंगे तथा 'दावों और आपत्तियों' की अवस्था में दो स्तरीय अपील पद्धतियों से गुजरेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्राम सभा भी विशेष रूप से आयोजित बैठक में अनिवार्य रूप से आंकड़ों की छानबीन करेगी। एसईसीसी 2011 के अंतर्गत मूल्यांकन 2,339,926 मूल्य के खंडों में पूरा कर लिया गया है जिसमें 31 दिसम्बर, 2012 तक की स्थिति के अनुसार सभी राज्यों के कुल मूल्यांकन खंडों का 94.26 प्रतिशत शामिल है। सरकार ने प्रो. अभिजीत सेन, खाद्य योजना आयोग की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की है ताकि एसईसीसी संकेतकों तथा आंकड़ों से विश्लेषण की जांच की जा सके तथा विभिन्न प्रामीण क्रियाकलापों के लिए लाभार्थियों के वर्ग निर्धारित करने हेतु उपर्युक्त विधि तंत्रों की सिफारिश भी की है। सरकार इन विधि तंत्रों को अपनाते समय राज्यों, विशेषज्ञों तथा नागरिक समिति संगठनों के विचार-विमर्श करेगी।

भारत में जनसंख्या को नियंत्रित करने तथा कमी लाने के उपाय : जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी लाना तथा उसका नियंत्रण जनसंख्या नीति के विभिन्न उद्देश्यों में से एक है जनसंख्या नीति की व्याख्या अलग से आगे की गयी है जिसमें इस दिशा में भारत में किये गये प्रयासों की चर्चा की गयी है पर यहां हम संक्षिप्त रूप में उन उपायों का उल्लेख कर रहे है जिनके द्वारा किसी देश में जनसंख्या नियंत्रित की जा सकती है, ये वे उपाय है जिनको विभिन्न जनंसख्या आधिक्य वाले देशों जैसे चीन, श्रीलंका, मलेशिया आदि में प्रयोग में लाया गया है। ये हैं

(i) **शिक्षा का विस्तार :** सभी यह मानते हैं कि शिक्षा का विस्तार, विवाह, परिवार नियोजन के प्रति जागरुकता

पैदा करने वाला अकेला कारक है। शिक्षा का विस्तार जहां एक ओर लोगों में व्याप्त सामाजिक तथा धार्मिक अवरोध को दूर करेगा वहीं लड़कियों में रोजगार के अवसर प्राप्त करने में मदद करेगा। शिक्षा लोगों की सोच को विस्तृत करत है उनमें वह शक्ति देती है जिससे वे परिवार नियोजन की अच्छाइयों तथा जटिलताओं को समझ सकें। इसलिए यह आवश्यक है शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों में शिक्षा का विस्तार किया जाए।

(ii) **विवाह की न्यूनतम आयु में प्रभावी वृद्धि :** वैसे 1978 में चाइल्ड मैरेज रिस्ट्रेन्ट ऐक्ट के अन्तर्गत कानूनी पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा स्त्रियों के सम्बन्ध में 18 वर्ष कर दी गयी है पर यह प्रयोग में नहीं लाया जा सका है। पर कानूनी व्यवस्था की अनभिज्ञता, लड़कियों की असुरक्षा काभय, जन्म के रजिस्ट्रेशन की पर्याप्त व्यवस्था के अभाव के कारण न्यूनतम वैधानिक उम्र की व्यवस्था अप्रभावी है। पर इसका क्रियान्वयन आवश्यक है। लंका, मलेशिया, चीन आदि देशों में जनसंख्या के नियंत्रण में विवाह की न्यूनतम आयु के प्रभावीरूप से लागू होने ने महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

(iii) समाज में लड़कियों तथा स्त्रियों के स्थान तथा उनके सम्मान के प्रति लोगों में चेतना पैदा करके लिंगिक भेद को कम या समाप्त किया जा सकता है। यद्यपि भारतीय संविधान स्त्री सशक्तीकरण के सम्बन्ध में सरकार ने अनेक व्यवस्थायें की हैं पर अब भी दोनों लिगों के बीच भेदभाव, लड़कियों की तुलना में लड़कों को परिवार में वरीयता समाज में, विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्र में विद्यमान है जो बड़े परिवार का कारण बनता है।

SITA : सप्रेशन फार इम्मारल ट्रैफिक ऐक्ट फार गर्ल्स एण्ड वीमेन, अनैतिक देह व्यापार से सम्बन्धित यह अधिनियम 1978 में आया।

(iv) **औद्योगीकरण को बढ़ावा तथा कृषिक्षेत्र का यंत्रीकरण :** ऐसा पाया गया है कि उत्पादन प्रक्रिया जितनी ही श्रम गहन होगी, जैसा सामान्यतया कृषि क्षेत्र में पाया जाता है तो सस्ते श्रम की प्राप्ति के लिए लोग जनसंख्या में वृद्धि के लिए प्रेरित होते हैं। कृषि क्षेत्र का यंत्रीकरण तथा देश में औद्योगीकरण परिवार के आकार के सम्बन्ध लोगों के विचार में परिवर्तन लाता है। इसके साथ लोग यह महसूस करने लगते हैं कि रोजगार पाना अत्यन्त ही कठिन होता है तथा परिवार जितना ही बड़ा होगा परिवार की दिक्कतें बढ़ेगी।

(v) **रोजगार तथा आय में वृद्धि तथा गरीबी में कमी लाना :** अनेक अध्ययनों ने इस बात की पुष्टि की है गरीबी तथा आय में कमी की स्थिति में परिवार के आकार में वृद्धि होती है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि रोजगार के अवसर, सामान्यरूप से तथा स्त्रियों के लिए विशेषरूप से, सृजित किये जायें।

(vi) **नगरीकरण का विस्तार :** ऐसा देखा गया है कि नगरीकरण जितना बढ़ता है आवास की व्यवस्था, बच्चों की शिक्षा तथा स्वास्थ्य की व्यवस्था आदि बहुत मंहगी होती जाती है। इसलिए लोग छोटा परिवार रखने के लिए बाध्य हो जाते है।

(vii) **परिवार नियोजन :** किसी पूर्व निश्चित या निर्धारित लक्ष्य के अन्तर्गत परिवार के आकार को नियोजितरूप से कम रखने के कार्यक्रमों तथा उपायों को हम परिवार नियोजन कहते है। परिवार नियोजन केवल गर्भ निरोधकों (Contraceptives) तक सीमित नहीं है, यद्यपि गर्भ निरोधक इसके महत्त्वपूर्ण तथा अभिन्न अंग है। परिवार नियोजन अधिक व्यापक धारणा है जिसमें गर्भ निरोधकों तथा परिवार के आकार को नियमित करने वाले उपायों के अतिरिक्त स्वास्थ्य, सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले सभी उपाय सम्मिलित है जो परिवार कल्याण से सम्बन्धित है। सभी यह स्वीकार करते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण का यह सबसे प्रभावी तरीका है जो उन सभी देशों में सफलतापूर्वक लागू किया गया जिन्होंने जनसंख्या को नियंत्रित किया है। चीन, लंका आदि देशों में जहां परिवार नियोजन सफल हुआ है। वहां गर्भ निरोधकों के प्रयोग की दर बहुत ऊंची रही है। 1990-98 की अवधि में जहां गर्भ निरोधकों के प्रयोग की दर चीन में 85% रही, जबकि इसी अवधि में भारत में यह दर केवल 41% रही, जबकि लंका में यह दर 62% रही। इसका परिणाम यह हुआ कि चीन में जन्मदर घटकर प्रति हजार 12 लंका में घटकर 19 तथा भारत में अब भी 24 है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम की सफलता लोगों में परिवार के छोटे आकार के लाभ, गर्भ निरोधकों तथा सन्तति निग्रह के उपायों के सम्बन्ध में लोगों में चेतना पैदा करती है। इसकी सफलता बहुत

अधिक इससे सम्बन्धित सूचनाओं के विस्तार, गर्भ निरोधकों की बिना कीमत या अत्यन्त ही कम मूल्य पर उपलब्धता सरकार द्वारा परिवार नियोजन को अपनाने वालों को प्रत्यक्षत पर परोक्ष प्रेरणा या रियायतों, परिवार नियोजन से सम्बन्धित सुविधाओं तथा सावध ानियों को मुहैया कराने पर निर्भर करेगी।

राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग

11 मई, 2000 को राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया। जनसंख्या आयोग के गठन का प्रस्ताव राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में किया गया था। आयोग के गठन का उद्देश्य राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री, वित्तमंत्री, गृहमंत्री, संसद के दोनों सदन के नेता विपक्ष को सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया है।

सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केन्द्रशासित प्रदेश के उपराज्यपाल भी जनसंख्या आयोग के पदेन सदस्य है। इसके अतिरिक्त प्रमुख समाजशास्त्री, जनांकिकी विशेषज्ञ तथा अर्थशास्त्री भी इसके सदस्य बनाए गए हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की पहली बैठक 22 जुलाई, 2000 को हुई थी जिसमें जनसंख्या स्थिरीकरण कोष का प्रस्ताव किया गया था।

जनसंख्या स्थिरीकरण कोष

22 जुलाई, 2000 को जनसंख्या स्थिरीकरण कोष के गठन की घोषणा की गई। जनसंख्या स्थिरीकरण कोष के गठन का उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रमों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना है।

प्रधानंत्री ने योजना आयोग के माध्यम से इसके लिए ` 100 करोड़ प्रारम्भिक पूंजी के रूप में उपलब्ध कराया है। सामान्य जनों एवं निगमों को इस कोष में धन जमा कराने के लिए प्रेरित करने हेतु विशेष प्रयास किए गए हैं।

विशिष्ट पहचान संख्या (UID) का आवंटन शुरू

देश के सभी नागरिकों को विशिष्ट पहचान संख्या (UID : Unique Identification Number) आवंटित करने की केन्द्र सरकार की महत्त्वाकांक्षी आधार परियोजना का शुभारम्भ सितम्बर, 2010 में हो गया है। इस परियोजना के तहत पहला विशिष्ट पहचान नम्बर महाराष्ट्र के नन्दूरबार जिले के तेभली (Tembhili) गांव की एक आदिवासी महिला रंजना सोनावने का 29 सितम्बर, 2010 को जारी किया गया।

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह व यूपीए अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने स्वयं तेभली गांव में रंजना सोनावने व नौ अन्य लोगों को 12-12 अंकों के यह नम्बर आवंटित किए। भारतीय विशिष्ट पहचान संख्या प्राधिकरण (न्काए) के अध्यक्ष नन्दन निलेकणि भी इस अवसर पर तेंभली में उपस्थित थे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह व यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा यह यूआईडी आवंटित करने के बाद लोगों को उनके पहचान नम्बर आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

आधार परियोजना के तहत 12 अंकों की पहचान संख्या के साथ-साथ बायोमेट्रिक डाटा का इस्तेमाल किया गया है। इसके लिए अंगुलियों के निशानों के साथ-साथ आंखों की पुतलियों का भी स्कैन किया जाएगा। देश की एक अरब से भी अधिक जनसंख्या के लिए इतने बड़े स्तर पर प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के लिए राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण के अध्यक्ष नन्दन निलेकणि की प्रशंसा भी सोनिया गांधी व प्रधानमंत्री ने की।

उल्लेखनीय है कि 'राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण' की एक वैधानिक इकाई के रूप में रूपान्तरित करने का सरकार का इरादा है। इसके लिए आवश्यक विधेयक आगामी शीतकालीन सत्र में संसद में लाए जाने की सम्भावना है। विधेयक के मसौदे को केन्द्रीय मत्रिमण्डल की 24 सितम्बर, 2010 की बैठक में अनुमोदित किया जा चुका है।

- विशिष्ट पहचान संख्या का नाम आधार कर दिया गया है।
- अक्टूबर, 2012 तक 21 करोड़ लोगों को विशिष्ट पहचान संख्या (आधार) दिया जा चुका है।
- 21 करोड़वां आधार कार्ड राजस्थान के उदयपुर जिले के पुरवाडा गांव के 'वाली देवी' को प्रदान किया गया।
- भारत में 6ठी आर्थिक जनगणना की शुरूआत भी वर्ष 2011 में हुई।

अनुसूचित जाति/जनजाति जनगणना 2001

शीर्ष जनुसूचित जाति जनसंख्या वाले तीन राज्य

1. उत्तर प्रदेश
2. पश्चिम बंगाल
3. बिहार

प्रतिशत की दृष्टि से

1. पंजाब
2. हिमाचल प्रदेश
3. पं. बंगाल

शीर्ष अनुसूचितजन जाति वाले तीन राज्य

1. मध्य प्रदेश
2. महाराष्ट्र

Add. 41-42A, Ashok Park Main, New Rohtak Road, New Delhi-110035
+91-9350679141

3. ओडिशा

शहरी-ग्रामीण जनसंख्या (जनगणना 2011)

- सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य (अवरोही क्रम में)
- उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र
- न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य/सिक्किम
- सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला केन्द्रशासित प्रदेश-दिल्ली
- न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला केन्द्रशासित प्रदेश-लक्षद्वीप

सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले राज्य (अवरोही क्रम)

महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल

सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले केन्द्रशासित राज्य (अवरोही क्रम)

दिल्ली - चण्डीगढ़ - पुदुचेरी

- न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला राज्य - सिक्किम
- नयूनतम शहरी जनसंख्या वाला केन्द्रशासित प्रदेश - लक्षद्वीप
- ग्रामीण जनसंख्या में (2001 से 2011) के मध्य सर्वाधिक दशकीय वृद्धि - मेघालय
- शहरी जनसंख्या में (2001 से 2011) के मध्य सर्वाधिक दशकीय वृद्धि - सिक्किम
- कुल जनसंख्या के अनुपात में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत - हिमाचल प्रदेश
- कुल जनसंख्या के अनुपात में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत - गोवा
- 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगरों की संख्या - 46

साक्षरता (महिला एवं पुरुष)

अनुसूचित जाति की कुल साक्षरता	54.72:
अनुसूचित जाति की पुरुष साक्षरता	66.60:
अनुसूचित जाति की महिला साक्षरता	41.90:
अनुसूचित जनजाति की कुल साक्षरता	47.1:
अनुसूचित जनजाति की पुरुष साक्षरता	59.1:
अनुसूचित जनजाति की महिला साक्षरता	34.8:

भारत के बड़े महानगरों की सूची

1.	मुम्बई (महाराष्ट्र)	12,478,447
2.	दिल्ली	11,007,835
3.	बंगलुरु (कर्नाटक)	8425970
4.	हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)	6809970
5.	अहमदाबाद (गुजरात)	5570585
6.	चेन्नई (तमिलनाडु)	4681087
7.	कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	4,462002
8.	सुरत (गुजरात)	4462002
9.	पुणे (महाराष्ट्र)	3115431
10.	जयपुर	3073350

भारत की भाषायी जनसंख्या

हिन्दी	41.03:
बंगाली	8.11:
तेलुगू	7.19:
मराठी	6.99:
तमिल	5.91:
उर्दू	5.01:
गुजराती	4.48:
कन्नड़	3.69:
मलयालम	3.21:
ओडिया	3.21:
पंजाबी	2.83:
असमिया	1.28:
मैथिली	1.18:

8. अन्तर्राष्ट्रीय संगठन

एक परिचय

अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के अलावा क्षेत्रीय स्तर पर आसियान-सार्क शंघाई सहयोग संगठन, यूरोपीय यूनियन जैसे संगठन भी विशेष महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय संगठनों द्वारा आपसी व्यापार बढ़ाने के लिए कई मुक्त व्यापार समझौते भी किए गए है। इसी प्रकार विकसित

एवं विकासशील देशों द्वारा G-24, G-22, G-15, G-8, जैसे गूटों का निर्माण विशेष उद्देश्य से किया गया है। विश्व की आर्थिक महाशक्तियों के बीच अपना स्थान बनाने के उद्देश्य से भारत ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका ने इब्सा (IBSA) का गठन किया है। आर्थिक दृष्टिकोण से ये सभी संगठन काफी महत्त्वपूर्ण है। जुलाई, 1994 में ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, (यूएसए) में आयोजित 44 राष्ट्रों के सम्मेलन में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Found IMF) और अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विश्व विकास बैंक की स्थापना की गई थी। अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तर और बढ़ावा देने, भुगतान की बहुपक्षीय प्रशाली की स्थापना में सहायता देने, पर्याप्त सुरक्षा के तहत सदस्यों के भुगतान सन्तुलन की कठिनाइयों को दूर करने, अन्तर्राष्ट्रीय सन्तुलन को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

आईएमएफ के समझौते का प्रलेख 27 दिसम्बर, 1945 को लागू हुआ। किन्तु, इसने वास्तविक रूप से 1 मार्च, 1947 से कार्य करना प्रारम्भ किया। इसमें अभी 188 सदस्य है। 188 सदस्यों में से दक्षिण सूडान को अप्रैल, 2012 में सदस्यता दी गई। क्रिस्टीन लोगाडे इसकी प्रबन्ध निदेशक है। सहयोग तथा स्थायी वैश्विक मौद्रिक ढांचे को बढ़ावा देने के लिए स्थापित आईएमएफ एक प्रधान अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्था है। भारत आईएमएफ का संस्थापक सदस्य है। जब से आईएमएफ की स्थापना हुई है, इसके उद्देश्यों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, किन्तु इसके संचालन, जिसमें निगरानी, वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता शामिल है, में विश्व की बदलती अर्थव्यवस्था में इसके सदस्य देशों की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए बदलाव हुए है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निम्नलिखित उद्देश्य है।

1. विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के बीच एक स्थायी संस्था के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहित करना।
2. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रयास एवं सन्तुलित विकास के लिए सुविधा प्रदान करना और इसके माध्यम से सभी सदस्य राष्ट्रों में रोजगार के उच्च स्तर को प्रोत्साहित करने एवं उसे बनाएं रखने में योगदान देना।
3. विनिमय स्थायित्व को प्रोत्साहित करना, सदस्य राष्ट्रों के बीच नियमित विनिमय व्यवस्था को कायम रखना तथा प्रतिस्पर्द्धात्मक विनिमय अवमूल्यन को रोकना।
4. सदस्य राष्ट्रों के बीच चालू व्यवसायों से सम्बन्धित बहुपक्षीय भुगतानों की व्यवस्था की स्थापना में तथा विदेशी प्रतिबन्धों की समाप्ति में मदद करना।
5. समुचित संरक्षणों के अन्तर्गत सदस्य राष्ट्रों के लिए कोष साधनों को उपलब्ध कराकर उनमें विश्वास उत्पन्न करना तथा उन्हें राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय समृद्धि को नष्ट करने वाले उपायों को अपनाए बिना भुगतान सन्तुलन के असन्तुलन को सुधारने का अवसर प्रदान करना।
6. उत्तरोत्तर उद्देश्यों के अनुसार सदस्य राष्ट्रों के अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान सन्तुलन के असन्तुलन की अविध एवं इसकी मात्रा को सन्तुलित करना।

संगठन एवं सरंचना

- अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रधान कार्यालय वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसका नियन्त्रण एवं प्रबन्धन एक बोर्ड ऑफ गवनर्स में निहित है। प्रत्येक सदस्य एक गवर्नर को नियुक्त करना है, जिन्हें, मिलाकर बोर्ड ऑफ गवर्नस का गठन होता है। भरत की ओर से पी. चिदम्बरम वर्तमान (2013) में गर्वनर नियुक्त किए गए है।
- बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की वार्षिक बैठक होती है जिसमें मुद्रा कोष के कार्यों की समीक्षा होती है तथा भविष्य के लिए नीतियों का निर्धारण किया जाता है।
- कार्यकारी बोर्ड मुद्रा कोष का सबसे शक्तिशाली अंग है। वर्तमान में इसके 21 सदस्य है।

गवर्नर कोटा

प्रत्येक गवर्नर को कितने मताधिकार प्राप्त हो, यह उस देश को प्राप्त कोटे के आधार पर निर्भर करता है। प्रत्येक गवर्नर को 250 मत सदस्यता के तथा उस देश को प्राप्त कोटे में प्रत्येक 1 लाख SDR पर एक अतिरिक्त मत देने का अधिकर है। इन दोनों का योग ही सदस्य राष्ट्रों के मताधिकार को व्यक्त करता है।

देश	कोटा (प्रतिशत में)	देश	कोटा (प्रतिशत में)
संयुक्त राज्य अमेरिका	17.09	चीन इटली	3.72
जापान	6.13	सऊदी अरब	3.21
जर्मनी	5.99	कनाडा	2.93
यूके	4.94	रूस	2.74
फ्रांस	4.94	भारत	2.44

भारत और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष :

- भारत IMF का संस्थापक सदस्य है।
- भारत का वित्त मन्त्री IMF के बोर्ड ऑफ गवर्नस का पदेन गवर्नर होता है।
- IMF में भारत का प्रतिनिधित्व एक कार्यकारी निदेशक करता है, जो एक साथ बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान का भी प्रतिनिधि होता है।
- IMF की 13वीं समीक्षा बैठक में भारत का कोटा बढ़कर 1.91 से 2.44% हो गया और भारत IMF का 11वां बड़ा कोटाधारी राष्ट्र हो गया है।
- अपनी आवश्यकता के लिए IMF से कर्ज लेने वाले देश के बदले भारत अब IIMF का वित्त पोषक राष्ट्र बन चुका है।
- ये भारत के भुगतान सन्तुलन के सुदृढ़ होने तथा विदेशी मुद्राकोष में वृद्धि के कारण हुआ है।

भारत अब IMF के वित्त पोषक राष्ट्रों में शामिल

भारत, जो अभी तक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से समय-समय पर अपनी आवश्यकतानुसार ऋण लेता रहा है, अब इसके वित्त पोषक राष्ट्रों में शामिल हो गया है। दूसरे शब्दों में, अब भारत इस बहुपक्षीय संस्था को ऋण उपलब्ध कराने लगा है। मई व जून, 2003 में दो अलग-अलग किश्तों में कुल मिलाकर 205 मिलियन SDR (291.70 मिलियन डॉलर) की राशि भारत ने मुद्रा कोष को फाइनेन्शियल ट्रांजेक्शन प्लान (FTP) के लिए उपलब्ध कराई थी।

विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)

विशेष आहरण अधिकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कोष द्वारा जनित अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय परिसम्पत्तियां है अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एसडीआर को अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या के समाधान के लिए शुरू किया था।

दिसम्बर, 1971 तक कोष की हिसाबी मुद्रा अमेरिकी डांलर थी किन्तु दिसम्बर, 1971 में एमडीआर मुद्रा कोष की नई मुद्रा बन गई और कोष के सभी लेन-देन एसडीआर में व्यक्त किए जाने लगे। अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक क्षेत्र में एमडीआर स्वर्ण मुद्रा की भूमिका निभाता है।

अमेरिकी डॉलर	40%
जर्मन ड्शूश मार्क	21%
जापानी येन	17%
ब्रिटिश पाउण्ड	11%
फ्रांसीसी फ्रैंक	11%
कुल	**100%**

इसी कारण इसे कागजी स्वर्ण (Paper Gold) भी कहा जाता है 1997 में एक एसडीआर का मूल्य एक डॉलर के बराबर माना गया था, किन्तु डॉलर का मूल्य गिरने के कारण अप्रैल, 1995 में एक एसडीआर का मूल्य 1.585 डॉलर हो गया है।

1 जनवरी, 1981 से अपनाई गई पद्धति में एसडीआर का मूल्य 5 बड़े निर्यातक देशों की मुद्राओं की पिटारी (Basket of Currencies) के आधार पर निर्धारित किया जाता है। वर्ष 1991 में एसडीआर के मूल्य निर्धारण में इन पांच मुद्राओं का भार उल्लेखित था, यह प्रकार था अमेरिकी डालर 40% , जर्मन मार्क 21% जापानी येन 17% ब्रिटिश पाउण्ड 11% फ्रांसीसी फ्रेंक 11%

10 प्रमुख देशों के स्वर्ण भण्डार

क्र.सं.	देश	स्वर्ण भण्डार (टन में)
1.	अमेरिका	8133.5
2.	जर्मनी	3408.5
3.	इटली	2451.8
4.	फ्रांस	2445.1
5.	चीन	1054.0
6.	स्विट्जरलैण्ड	1041.5
7.	जापान	765.2
8.	नीदरलैण्ड	612.5
9.	रूस	568.4
10.	भारत	557.7

विश्व बैंक

अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक या विश्व बैंक

(WB) की स्थापना वर्ष 1944 के ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत वर्ष 1945 में इस उद्देश्य से हुई थी कि युद्धकालीन अर्थव्यवस्था को शान्तिकालीन अर्थव्यवस्था में शान्तिमय ढंग से लाने में सहायता दी जाए। यह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सह-संस्था है। विश्व बैंक की अधिकांश विकास सहायता इसकी सहयोगी एजेन्सी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी (IDA) द्वारा प्रदान की जाती है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में है। विश्व बैंक प्रारम्भ में दो संस्थाओं के से सहयोग बना था।

- इण्टरनेशनल बैंक ऑफ रिकन्सट्रक्शन एण्ड डेवलपमेण्ट (IBRD)
- इण्टरनेशनल डेवलपमेण्ट एसोशिएसन (IDA)

किन्तु बाद में तीन और संस्थाएं बनाई गई

- इण्टरनेशनल फिनान्स कॉ-ऑपरेशन (IFC)
- मल्टी इन्वेस्टमेण्ट गारण्टी एजेन्सी (MICA)
- इण्टरनेशनल सेण्टर फॉर सेटेलमेण्ट एण्ड इन्वेस्टमेण्ट डिस्प्यूट्स (ICSID)

विश्व बैंक के उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। विश्व बैंक समूह पांच अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का ऐसा समूह है, जो देशों को वित्त और वित्तीय सलाह प्रदान करता है।

विश्व बैंक के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है।

1. उत्पादन रचनात्मक उद्देश्य के लिए पूंजी के निवेश की सुविधा प्रदान करने अपने सदस्यों के क्षेत्रों के पुनर्निर्माण तथा विकास में सहायता देना, और अपेक्षाकृत कम विकसित देशों में उत्पादन सुविधाओं और संसाधनों के विकास को प्रोत्साहन देना।
2. प्रतिभूतियां देकर निजी निवेशकों द्वारा ऋणों तथा अन्य निवेश में भागीदारी को बढ़ावा देना और जब उचित शर्तो पर पूंजी उपलब्ध न हो तो अपने संसाधनों से या उधार लिए गए संसाधनों से उत्पादन उद्देश्य के लिए वित्त की व्यवस्था करके निजी निवेश को सहयोग देना।
3. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की दीर्घ स्थायी वृद्धि को बढ़ावा देना और सदस्य देशों के उत्पादक संसाधनों के विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निवेश को प्रोत्साहन देना, सदस्य देशों के भुगतान-शेष में सन्तुलन बनाए रखना और उनके क्षेत्रों में वर्करों की उत्पादकता और उनका जीवन-स्तर एवं परिस्थितियों को बेहतर बनाने में सहायता देना।
4. अन्य माध्यमों से अन्तर्राष्ट्रीय ऋणों के अनुपात में इसके द्वारा दिए गए अथवा गारण्टी शुद्ध ऋणों की व्यवस्था करना ताकि अधिक उपयोगी और जरूरी छोटी-बड़ी परियोजनाओं पर पहले ध्यान दिया जा सके।

सदस्यता

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य ही विश्व बैंक के भी सदस्य हैं जैसे ही कोई देश अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता कात्याग करता है, उसकी विश्व बैंक की सदस्यता भी समाप्त हो जाती है। 75% सदस्यों की सहमति से कोई भी सदस्य राष्ट्र (IMF) की सदस्यता त्यागने पर भी विश्व बैंक का सदस्य बना रहेगा।

वर्तमान में इसके 188 सदस्य है। यदि कोई देश इसकी सदस्यता छोड़ता है, तो उसे देय तिथियों पर ब्याज सहित सारे ऋण लौटने पड़ते है। जिस वर्ष कोई सदस्य त्याग-पत्र देता है, यदि उस वर्ष बैंक को कोई हानि होती है तो बैंक मांग पर उसे हानि के अपने हिस्से का भी भुगतान करना पड़ता है।

भारत और विश्व बैंक

- भारत विश्व बैंक के संस्थापक सदस्यों में से एक है।
- विश्व बैंक से भारत को आर्थिक सहायता देने के लिए 1958 में एड इण्डिया क्लब कन्सोर्टियम की स्थापना की गई।
- जून, 1994 में इसका नाम बदलकर भारत विकास मंच कर दिया गया।
- विश्व बैंक भारत को ऋण, सलाह, अध्ययन दल आदि द्वारा सहायता पहुंचाता है।
- भारत-पाकिस्तान के बीच नदी जल विवाद सुलझाने में भी विश्व बैंक सहायक रहा है।
- विकसित देशों में स्थापित भारत सहायता संघ विश्व बैंक के सुझाव पर भारत की विकास योजनाओं में सहायता करता है।

विश्व बैंक की संरचना

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भांति विश्व बैंक का ढांचा भी त्रि-स्तरीय है। इसका एक अध्यक्ष होता है, दूसरे स्तर पर अधिशासी निदेशक होते हैं और तीसरे स्तर पर शासक मण्डल होता है। प्रशासनिक निदेशक बोर्ड की मीटिंग नियमित रूप से वर्ष में एक बार होती है जिसकी अध्यक्षता शासक मण्डल का अध्यक्ष करता है। प्रशासनिक निदेशक समझौते के नियमों के ढांचे में नीति के बारे में निर्णय लेते है। वे अध्यक्ष द्वारा दिए ऋण तथा साख सम्बन्धी सुझावों पर विचार करते हैं और निर्णय लेते हैं वे शासक मण्डल की वार्षिक मीटिंगों में ऑडिट शुद्ध हिसाब-किताब, प्रशासकीय बजट, और बैंक के प्रचालनों एवं नीतियों की वार्षिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करते हैं अध्यक्ष के स्टाफ के रूप में 6,000 से अधिक व्यक्ति होते है, जो विश्व बैंक का कार्य चलाते हैं कई वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा विविध विभागों एवं क्षेत्रों के निदेशक उनके काम में सहायता करते है। प्रत्येक सदस्य देश 5 वर्ष की अवधि

के लिए एक गवर्नर और एक वैकल्पिक गवर्नर की नियुक्ति करता है। प्रत्येक गवर्नर के मतदान की शक्ति उसके देश की सरकार के वित्तीय योगदान से सम्बन्ध रखती है। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष जिम योंग किम है, जो दक्षिण कोरिया के रहने वाले हैं।

पूंजी संरचना

विश्व बैंक की अधिकृत पूंजी 10 बिलियन डॉलर है, जो एक-एक लाख डॉलर के एक लाख हिस्सों में विभक्त है। इसमें से 9400 मिलियन डॉलर वास्तव में अभिदत्त (Subscribed) थे। 30 जून, 1985 को IBRD के पास एक-एक लाख SDR सममूल्य के 7,16,500 अधिकृत हिस्सों का अधिकृत पूंजी स्टॉक था। जुलाई, 1992 में बैंक की कुल अधिकृत पूंजी 184.1 बिलियन डॉलर थी।

विश्व बैंक की वित्तीय रणनीति

इसके निम्नलिखित चार आधारभूत उद्देश्य हैं

1. यह सुनिश्चित करना कि बैंक को कोष उपलब्ध होते रहे। इस उद्देश्य के लिए बैंक यह प्रयत्न करता है कि जिन बाजारों से वह उधार लेता है उनके कोषों तक अपनी पहुंच बनाए रखे।
2. बैंक अपने उधार लेने वालों के लिए कोषों की प्रभावी लागत को न्यूनतम बनाए रखता है जिसे बैंक अपने कर्जों के करेन्सी मिश्रण के माध्यम से पूरा करता है। बैंक उन करेन्सियों में अधिकतर उधार लेता है जिसकी ब्याज दरें कम हों। बैंक ऐसा करेन्सी मिश्रण के लिए करता हैं कर्ज लेने के समय निर्धारण दो तरह से किया जाता हैं
   (i) जब यह आशा हो कि ब्याज दरें गिरेंगी, तो यह अपने कर्जों को स्थगित करने का प्रयत्न करता है।
   (ii) जब यह आशा हो कि ब्याज दरें बढ़ेंगी, तो बैंक अधि क उधार लेने का प्रयत्न करता है।
3. इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध आय तथा कुल ऋण प्रभारों की परिवर्तनशीलता को नियन्त्रित करना है। जिसके लिए बैंक ने जुलाई, 1982 में एक पूल-आधारित परिवर्ती ऋण दर प्रणाली शुरू की जो इस प्रणाली के अन्तर्गत दिए गए सब ऋणों की बकाया राशि पर लागू होने वाले ब्याज सम्बन्धी खर्चों को अपने आप समायोजित कर देती है। पहले के ऋणों पर इस ऋण प्रणाली का काई प्रभाव नहीं पड़ा, परन्तु जब अधिकांश कर्जे और उधार भविष्य में नई प्रणाली में शामिल कर दिए जाऐंगे तो ब्याज दरों की परिवर्तनशीलता बहुत घट जाएगी।
4. इसका मुख्य कार्य उधार लेने तथा उधार देने के बीच परिपक्वता रूपान्तरण की समुचित श्रेणी प्रदान करना है। परिपक्वता रूपान्तरण से तात्पर्य है कि बैंक जितनी अवधि के लिए उधार लेता है। उससे अधिक लम्बी अवधि के लिए उधार देने की क्षमता रखता है, और साथ ही यह उधार लेने वालों को परिपक्वता रूपान्तरण की सामान्य कोटि प्रदान करता है।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास परिषद्
(आईडीए)

अन्तर्राष्ट्रीय विकास परिषद् अथवा संघ की स्थापना वर्ष 1960 में हुए थी। कानूनी और वित्तीय तौर से यह संस्था विश्व बैंक से अलग है, परन्तु वास्तव में यह विश्व बैंक की सहयोगी संस्था है। विश्व बैंक का अध्यक्ष ही इसका अध्यक्ष होता है। इसे विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है या उदार ऋण खिड़की है।

उद्देश्य

आर्थिक विकास के लिए ऐसे देशों को रियायती सहायता देना जिससे लोगों का जीवन-स्तर ऊंचा हो। इनका सम्बन्ध जनसंख्या नियन्त्रण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, पोषण आहार आदि से है। विश्व दरिद्रतम देशों की गरीबी हटाने के लिए सहायता प्रदान करना भी इसके उद्देशों में शामिल है।

सदस्यता

आईडीए की सदस्य विश्व बैंक के सभी सदस्यों के लिए खुली है। केवल विश्व बैंक के सदस्य ही इसके सदस्य बन सकते है। यदि कोई देश विश्व बैंक की सदस्यता से हट जाता है तो उसकी परिषद् की सदस्यता भी अपने आप समाप्त हो जाती है। विकास संघ के समझौते की धाराओं के अनुसार सदस्यों को दो Hkkxkeacka\kx; k g\SHkkx-I में विकसित देश और भाग-II में विकासशील देश है। वर्तमान में अन्तर्राष्ट्रीय विकास परिषद् के 172 सदस्य हैं।

संरचना

इसका संगठन विश्व बैंक की तरह है। कुछ एक विभागों को छोड़कर इसका बाकी स्टाफ विश्व बैंक का ही होता है। विश्व बैंक के सभी उच्च अधिकारी इसके भी अधिकारी होते हैं और विश्व बैंक का अध्ययक्ष इस परिषद् का भी अध्यक्ष होता है। इसकी वार्षिक रिपोर्ट विश्व बैंक की रिपोर्ट का ही अंग होती है और दोनों को एक साथ ही पेश किया जाता है।

पूंजी संसाधन

वर्तमान में आईडीए के 32 अंश दाता देश हैं। विकास परिषद् को पूंजी-संसाधन इसके सदस्य देशों द्वारा दिए गए अंशदान, विकसित सदस्य देशों के द्वारा की गई सामान्य आपूर्तियों (Re-

plenishments) और विश्व बैंक शुद्ध अर्जनों के हस्तान्तरणों से प्राप्त होते है।

कार्यपद्धति

यह संगठन ऐसे सदस्य देशों जिनकी इस समय प्रतिव्यक्ति आय 865 डॉलर प्रति वर्ष से कम है, को 'नरम कर्जे' प्रदान करता है, और इसलिए आईडीए विश्व बैंक की 'नरम ऋण खिड़की' कहलाती है। इस प्रकार के कर्जे केवल उन्हीं परियोजनाओं के लिए दिए जाते हैं जिन्हे विश्व बैंक प्रदान नहीं करता। ये केवल सहायता प्राप्तकर्ता देश की सरकार को दिए जाते है। नरम कर्जे प्रदान करने के पूर्व परिषद् की विशेषज्ञ समिति तीन कसौटियों की ओर ध्यान देती है।

1. गरीबी का मूल्यांकन (Poverty Test) परिषद् की सहायता केवल दरिद्रतम देशों को ही मिलती है, जिनकी वर्तमान में प्रतिव्यक्ति आय 865 डॉलर से कम है।
2. परियोजना का मूल्यांकन (Project Test) इस मूल्यांकन के अनुसार प्रस्तावित परियोजनाएं इतने वित्तीय और आर्थिक प्रतिफल प्रदान करती है। कि उनसे दुर्लभ पूंजी का उपयोग उचित सिद्ध हो सके।
3. निष्पादन का मूल्यांकन (Performance Test) इस मूल्यांकन के तहत यह देखा जाता है। कि पूर्व की परियोजना कार्यान्वित करने में देश किस हद तक सफल रहा है तथा सन्तोषजनक आर्थिक नीतियां अपनाई गई है या नहीं। उपरोक्त तीन मूल्यांकनों के आधार पर परिषद् अल्पविकसित देशों का कृषि, ग्रामीण विकास, परिवहन, शक्ति, शिक्षा, शहरीकरण, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य, विकास वित्त कम्पनी आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह सहायता 'नरम ऋण' कहलाती है, जो निम्न शर्तों पर होते है।
   - (i) ऋणों की अदायगी में प्रथम 10 वर्ष की छूट होती है।
   - (ii) इन ऋणों की भुगतान अवधि 35-40 वर्ष होती है।
   - (iii) आवंटित राशि पर 0.75% प्रतिवर्ष की प्रशासकीय फीस (Administrative Fee) ली जाती है।
   - (iv) इन ऋणों पर 0 से 0.5% तक ब्याज दर ली जाती है जिसे वचनबद्धता फीस भी कहते हैं व्यवहार में पिछले कुछ वर्षो से ऋणों पर कोई वचनबद्धता फीस (Commitment Fee) नहीं ली गई है।
   - (v) गैर-परियोजना और परियोजना दोनों प्रकार के ऋण प्रदान किए जाते है।

आईडीए और भारत

- अन्तर्राष्ट्रीय विकास परिषद् के संस्थापक सदस्यों में से एक भारत है जो इससे बहुत विस्तुत आर्थिक सहायता प्राप्त कर रहा है। भारत ने वर्तमान में विभिन्न क्षेत्रो जैसे-ऊर्जा, उद्योग आधारित ढांचा, शिक्षा, सिंचाई, कृषि एवं ग्रामीण विकास, शहरी विकास, सामाजिक सेवाओं, सरंचनात्मक समायोजनों आदि के लिए आईडीए से ऋण ले रहा है।
- प्रारम्भ से लेकर जून, 1998 तक भारत ने 224 ऋण जिनकी कुल राशि 225.5 बिलियन डॉलर थी, आईडीए से प्राप्त किए थे। वर्ष 1998-99 के दौरान उसने 4 परियोजनाओं के लिए भारत को 645 मिलियन डॉलर के कर्जे स्वीकृत किए, जिनमें सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (Social Satety Programme) के अन्तर्गत सबसे अधिक राशि 595 मिलियन डॉलर थी।
- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य की देख-रेख, छूट की बीमारियों की रोकथाम, पोषहार और खाद्य सुरक्षा आते है। यह कार्यक्रम देश में प्रारम्भ किएगए सरंचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों को सम्भावित बुरे प्रभावों से दूर करने के लिए रखा गया है। 2003-04 में आईडीए ने सबसे ज्यादा ऋण चीन को प्रदान किया। दूसरा नम्बर भारत का है। भारत को 735.6 मिलियन डॉलर ऋण प्रदान किया था। साथ ही 1 बिलियन डॉलर का अनुदान भी।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC)

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम विश्व बैंक से सम्बन्धित एक अन्य संस्था है, जो जुलाई, 1956 में प्रारम्भ की गई थी। इसकी स्थापना के मुख्य कारण थे

1. विश्व बैंक केवल एक सदस्य देश की सरकार को अथवा उसकी गारण्टी पर ऋण देता है। अर्थात् यह निजी क्षेत्र को बिना उस देश की सरकार की गारण्टी के ऋण प्रदान नहीं करता है।
2. विश्व बैंक इक्विटी अथवा उद्यम (जोखिम) पूंजी निजी क्षेत्र को प्रदान नहीं करता है। यह केवल परोक्ष रूप में विकास वित्त कम्पनियों के माध्यम से निजी क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकताएं पूरी करता है। अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम इन दोनों कमियों को दूर करने हेतु विश्व बैंक की सम्बन्धित संस्था के रूप में स्थापित किया गया।

सदस्यता

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के वर्तमान में 184 सदस्य है। अन्तर्राष्ट्रीय वित निगम की धाराएं विश्व बैंक करार के ढांचे के अनुरूप है। इस निगम की सदस्यता होने के लिए एक देश को विश्व बैंक का सदस्य होना अनिवार्य है।

आईएफसी विश्व बैंक सम्बन्धित है परन्तु इससे भिन्न है। इसके अपने कर्मचारी हैं परन्तु यह प्रशासकीय सेवाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता लेता है। इसका अपना एक संगठनात्मक

ढांचा है जिसमें एक अध्यक्ष, एक सभापति, शासक मण्डल और अधिशासी निदेशक, विश्व बैंक के ढांचे के अनुसार हैं। विश्व बैंक अध्यक्ष इस निगम का अध्यक्ष होता है परन्तु निगम की सभी प्रशासकीय शक्तियों उपाध्यक्ष में केन्द्रित होती है। इसके आठ विभाग है, जिनमें से चार निवेश से सम्बन्धित है, जो भौगोलिक आधार पर कार्य करते हैं। बाकी के चार विभाग पूंजी मार्केटों, वित्त और प्रबन्धन, कानूनी विषयों और इंजीनियरिंग से सम्बन्धित है, जो कार्यात्मक आधार पर परिचालन करते हैं।

पूंजी संसाधन

प्रारम्भ में आईएफसी की अधिकृत पूंजी 100 मिलियन डॉलर थी, जो 1000 डॉलर के प्रत्येक शेयर में 1,00,000 शेयरों में विभाजित थी। इस समय यह 1,300 विमिलयन डॉलर है निगम विश्व बैंक से अपनी अभिदत्त पूंजी और अतिरेकों का चार गुना उधार ले सकता है। यह विश्व मुद्रा बाजार से भी उधार ले सकता है।

उद्देश्य

आईएफसी के मुख्य उद्देश्यों का वर्णन समझौते के अनुच्छेदों में धारा 2 में किया गया है, जोकि निम्नलिखित हैं

1. निगम का उद्देश्य, विशेषकर कम विकसित क्षेत्रों में उत्पादकीय निजी उपक्रम की वृद्धि को प्रोत्साहित करके आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना है। इस प्रकार, विश्व बैंक के कार्यों को पूरक बनाना है।
2. घरेलू और विदेशी निजी पूंजी के निवेश सुअवसरों तथा अनुभवी प्रबन्धन को इकट्ठा करना है।
3. निगम का निजी निवेशकों के साथ मिलकर उत्पादकीय निजी उपक्रम की स्थापना, सुधार और प्रसार के वित्त-प्रबन्ध न में सहायता करना है। इसके लिए इसका उद्देश्य सदस्य देश की सरकार की पुनर्भुगतान की गारण्टी के बिना उस देश में निवेश करना है।
4. सदस्य देशों में घरेलू और विदेशी पूंजी उत्पादकीय निवेश में प्रवाहित करने के लिए प्रोत्साहन देना और उसके लिए स्थितियां निर्मित करने में प्रेरक होना है।

कार्यपद्धति

1. **विदेशी और स्थानीय पूंजी प्राप्त करना (Secure Foreign and Local Capital) :** आईएफसी विकासशील देशों में इक्विटी अथवा ऋण निवेश द्वारा उत्पादकीय निजी निवेश प्रोत्साहित करने में भाग लेता है। यह इक्विटी पूंजी का जिम्मा लेता है और निवेशकों को इकट्ठा करता है। इस प्रकार यह स्थानीय और विदेशी उपक्रमों का सहयोग प्राप्त करता है। यह प्रस्तावित परियोजनाओं के सम्भाव्य अध्ययनों को तैयार करने में उसकी सहायता करता है।
2. **तकनीकी सहायता (Technical Assistance) :** यह निगम परियोजना समर्थन करने वालों को आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करता है ताकि उनके उपक्रम सम्भावित तौर से उत्पादक और वित्तीय तौर से सही हों। इस कार्य के लिए, यह वित्तीय अध्ययन और विश्लेषण का भार अपने ऊपर लेता है। यह सदस्य सरकारों को नीति विषयक सहायता भी प्रदान करता है ताकि वे स्थानीय और विदेशी निजी उपक्रम आकर्षित करने के लिए आवश्यक निवेश वातावरण विकसित कर सकें।
3. **निवेश (Investment) :** आईएफसी तीन प्रकार से विकासशील देशों में उत्पादकीय निजी निवेश को प्रोत्साहन देता है।
   (i) प्रत्यक्ष निवेश द्वारा,
   (ii) स्थानीय और विदेशी पूंजी प्राप्त करके,
   (iii) मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता प्रदान करके। यह पूंजी निर्यात देश अथवा जिस देश में उपक्रम स्थित है, से निजी निवेश के साथ साझेदारी में निवेश करता है। परन्तु इसके निवेश उपक्रम की पूंजी आवश्यकताओं से आधे (50%) से अधिक नहीं होती। एक उपक्रम में निगम का न्यूनतम निवेश 10 लाख डॉलर से कम नहीं होता, लेकिन उच्चतर सीमा कोई नहीं है। निगम से कर्ज मांगने वाला उपक्रम औद्योगिक होना चाहिए और एक विकासशील देश में स्थित हो। उसे आर्थिक विकास और पर्याप्त व्यावसायिक प्रतिफल की कसौटियों को पूरा करना चाहिए। निगम द्वारा निवेश-मशीनें और अन्य सामान खरीदने पर स्थानीय लागतों, कार्यकारी पूंजी, विदेशी विनिमय और कोई अन्य तर्कसंगत व्यावसायिक खर्चे पर प्रयोग होता है। यह निवेश करने और ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए किसी भी प्रकार की गारण्टी न तो स्वीकार करता है और न ही मांगता है, सिवाय जब एक देश के कानून द्वारा आवश्यक हो।
4. **पूंजी मार्केट विकास (Capital Markets Development) :** निगम का एक पूंजी मार्केट विभाग है, जो विकासशील देशों को वित्तीय मार्केटों की समस्याओं और आवश्यकताओं के अध्ययन करने के लिए विशिष्ट साधन प्रदान करता है। यह वित्तीय संस्थाओं के विकास के लिए परामर्श और वित्तीय सहायता प्रदान करता है, और कानून एवं वित्तीय ढांचा विकसित करने में सहायता करता है, जो विकासशील देशों में स्थानीय और विदेशी पूंजी प्रोत्साहित कर सकें। निगम विकासशील देशों को तकनीकी सहायता देकर वित्तीय

संस्थाओं के विकास के लिए परामर्श और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।, जो विकासशील देशों में स्थानीय और विदेशी पूंजी प्रोत्साहित कर सकें। निगम विकासशील देशों को तनकीकी सहायता देकर वित्तीय संस्थाओं, विकास वित्त कम्पनियों, पट्टा (Leasing) और उद्यमी (Venture) पूंजी कम्पनियों, पारस्परिक (Mutual) फण्ड आदि को प्रोत्साहित करने में सहायक होता है।

यह 7 से 12 वर्षों में परिपक्व होने वाले दीर्घकालीन ऋण और जोखिम पूंजी, व्यापारिक दर पर विकासशील देशों में निजी उपक्रम को उत्पादक निवेश के लिए देता है। निगम केवल विनिर्माण उद्योगों को ऋण देता है, लेकिन सामाजिक सेवाओं के लिए ऋण नहीं दे सकता। वर्ष 1998 में, वित्त निगम ने विकासशील देशों में निजी क्षेत्र की 265 परियोजनाओं को 3.2 बिलियन डॉलर के ऋण स्वीकृत किए।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम और भारत

भारत वित्त निगम की स्थापना से ही इसका सदस्य है। वर्ष 1959 से अब तक निगम ने भारत के लिए लगभग एक बिलियन डॉलर के निवेश स्वीकृत किए है, जो अधिकतर दीर्घकालीन कर्जों के रूप में हैं। भारत में इसके निवेश मुख्य तौर से शक्ति, लोहा और इस्पात, मोटर, उद्योग, रसायन और पेट्रो-रसायन तथा सामान्य निर्माण जैसे उद्योगों में हुए हैं।

बहुपक्षीय निवेश गारण्टी एजेन्सी (MIGA)

बहुपक्षीय निवेश गारण्टी एजेन्सी (मिगा) विश्व बैंक ग्रुप की नवीनतम सम्बन्धित संस्था है, जो अप्रैल, 1998 में स्थापित हुई। यह अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के साथ संयुक्त उपक्रम है। इसकी अधिकृत पूंजी 1.08 बिलियन डॉलर है।

उद्देश्य

- अपने गारण्टी प्रोग्राम के द्वारा यह राजनीतिक जोखिम दूर करने के लिए निवेश बीमा प्रदान करती है।
- इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य विकासशील देशों में प्रत्यक्ष निवेश के प्रवाह को प्रोत्साहित करना है।
- मिगा का गारण्टी प्रोग्राम निवेशकों को चार प्रकार की गैर-व्यावसायिक जोखिमों से उत्पन्न होने वाली हानियों के विरुद्ध बीमा सुरक्षा प्रदान करना है। ये जोखिम-करेन्सी हस्तान्तरण, स्वामित्व हरण युद्ध और नागरिक गड़बड़ी और सरकारों द्वारा ठेका-भंग से सम्बन्धित है।
- मिगा केवल नए निवेशों का बीमा कर सकता है जिसमें वर्तमान निवेशों का प्रसार, निजीकरण और वित्तीय पुनर्सरचना करना शामिल है।
- यह विकासशील देशों की सरकारों को प्रोत्साहन और परामर्श देने वाली सेवाएं भी प्रदान करती है ताकि उनके निवेश वातावरण का आकर्षण बढ़ाया जा सके।

निवेश करने से पहले परियोजनाओं का मिगा के पास रजिस्टर्ड होना जरूरी है। निवेश राशि का 90% तक मिगा बीमा कर सकती है जिसकी प्रत्येक परियोजना की सीमा 50 मिलियन डॉलर है। इसमें वांछनीय निवेशों में इक्विटी, इक्विटी धारकों द्वारा दिए गए कर्ज या गारण्टी और कुछ अन्य प्रकार के प्रत्यक्ष निवेश शामिल होते हैं। एक वित्तीय संस्था द्वारा दिए गए कर्जे का भी मिगा बिमा कर सकती है। बशर्ते यह एजेन्सी परियोजना में शेयर धारक के निवेश का भी बीमा कर रही हो।

कार्यपद्धति

मिगा से सहायता प्राप्त करने के लिए एक देश को उसका सदस्य बनना अनिवार्य है जिसके लिए मिगा के समझौते पर उसे हस्ताक्षर करने होते है। वर्तमान में मिगा के 177 सदस्य है। इसका पूर्ण सदस्य बनने के लिए एक देश को अपना पूंजी-अंशदान भी मिगा को देना होता है। अन्य देशों की तरह भारत ने भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सुरक्षा के लिए मिगा के समझौते पर 13 अप्रैल, 1992 को हस्ताक्षर किए।

अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (IBRD)

इस बैंक ने 1946 से कार्य करना प्रारम्भ किया। यह बैंक मध्यम आय वाले देशों एवं साख योग्य गरीब देशों को ऋण एवं विकास सहायता प्रदान करता है। मतदान का अधिकार सदस्य देश के पूंजी शुल्क से सम्बद्ध है। वर्तमान में इसके 188 सदस्य है। दक्षिण सूडान ने वर्ष 2012 में इसकी सदस्यता ली है।

निवेश सम्बन्धी विवादों के निबटारे के लिए अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र (ICSID)

आइ सी एस आई डी (1966 में स्थापित) सरकारों एवं विदेशी निजी निवेशकों के मध्य निवेश सम्बन्धी विवादों के समझौते या पंचनिर्णय द्वारा निबटारे की सुविधाएं प्रदान करता है। समाधान के लिए इस केन्द्र का आलम्बन स्वैच्छिक है किन्तु जब एक बार पक्ष पंचनिर्णय के लिए सहमत हो जाते है। तो फिर उनमें से कोई अपनी सहमति को एक पक्षीय तौर पर वापस नहीं ले सकता।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष बनाम विश्व बैंक

समानता

दोनों ही ब्रेटनवुड समझौते के निर्णय की व्यवहारिक परिणति है। दोनों के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग की भावना को बल दिया जाता है।

अन्तर

विश्व बैंक द्वारा सदस्य राष्ट्रों में सन्तुलित आर्थिक विकास प्रोत्साहित करने हेतु दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जब कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सदस्य राष्ट्रों के भुगतान सन्तुलन के असाम्य को दूर करने के लिए अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

विश्व व्यापार संगठन (WTO)

उरुग्वे दौर के गैट विचार-विमर्श 15 अप्रैल, 1994 मराकेश (मोरक्को) में समाप्त हो गए। यूरोपीय संघ देशों के अतिरिक्त भारत तथा 123 देशों के मन्त्रियों ने अन्तिम एक्ट पर हस्ताक्षर किए जिसमें बहुपक्षीय व्यापार विमर्शों का आठवाँ दौर शामिल था। अन्तिम एक्ट में WTO समझौता, जिसमें इस संस्था का जन्म उसकी कार्य-प्रणाली के नियम और मन्त्रिस्तरीय निर्णय और घोषणाएँ- जिसमें महत्वपूर्ण समझौते, वस्तुओं, सेवाओं और बौद्धिक सम्पत्ति में व्यापार तथा बहुपार्श्विक (Plurilateral) व्यापार सम्मिलित हैं। उसमें झगड़ा निपटाने सम्बन्धी नियम और व्यापारिक नीति का पुनरावलोकन तन्त्र भी शामिल है। वास्तव में WTO समझौते का ही एक भाग बन गया है, जो 1 जनवरी, 1995 से लागू हुआ। विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान डायरेक्टर जनरल पास्कल लैमी हैं।

WTO गैट का ही उत्तराधिकारी है। गैट एक मंच था जहाँ सदस्य देश समय-समय पर एकत्रित होते थे और विश्व व्यापार की समस्याओं पर वार्तालाप करते थे और उसको सुलझाते थे, परन्तु WTO एक सुव्यवस्थित और स्थायी विश्व व्यापार की संस्था है। इसकी एक कानूनी स्थिति है और यह विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के समकक्ष ही स्थान रखता है। इसमें

- उरुग्वे दौर द्वारा संशोधित गैट (1986-94)
- गैट के अन्तर्गत स्वीकृत सब समझौते और व्यवस्थाएँ, तथा उरुग्वे दौर के सम्पूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं। 1 जनवरी, 1995 को WTO के सदस्य 77 देश थे। वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या 159 है। भारत इसके संस्थापक देशों में शामिल है।
- प्रशान्त महासागर पर स्थित छोटा द्वीप राष्ट्र वनुआतु इसका 157वाँ सदस्य 24 अगस्त, 2012 को बनाया गया।
- रूस को 22 अगस्त, 2012 को WTO की 156वीं सदस्यता प्रदान की गई थी।
- जाम्बिया 158वाँ सदस्य है।
- 10 और सदस्य डब्ल्यूटीओ में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं ये सदस्य हैं
- अफगानिस्तान, भूटान, कोमरोज, इक्स्वेटोरियल गिनी, इथियोपिया, लाईबेरिया, साउटोम एण्ड प्रिंसिप, सूडान तथा यमन
- ताजाकिस्तान विश्व बैंक का 159वाँ सदस्य हैं। वह 2 मार्च, 2013 को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना।

WTO की स्थापना के उद्देश्य

WTO के स्थापना समझौते की प्रस्तावना में निम्न उद्देश्य वर्णित हैं

1. विश्व के साधनों का इष्टतम उपयोग सततीय (sustainable) दृष्टि से करना इसका मुख्य उद्देश्य है जिससे
   (i) पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण हो,
   (ii) पर्यावरण रक्षा के साधनों का विस्तार आर्थिक विकास के विभिन्न स्तरों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप है।
2. व्यापार और वित्तीय प्रयासों के क्षेत्रों में इसके सम्बन्ध इस प्रकार चलाए जाएँ जिससे रोजगार सुनिश्चित होना और विस्तृत वास्तविक आय और प्रभावी माँग में लगातार वृद्धि, रहन-सहन के सतर में सुधार हो तथा वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और व्यापार का प्रसार हो।
3. निश्चयात्मक प्रयत्न करना जिससे विकासशील देश, विशेषत: निम्नतम विकसित देश अपने आर्थिक विकास की आवश्यकताओं के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की वृद्धि में अपना उचित भाग पा सकें।
4. गैट में सम्मिलित, भूतकालीन व्यापार उदारीकरण के परिणाम और उरुग्वे दौर की सभी बहुपक्षीय संगठित व्यापारप्रणाली को विकसित करना।
5. पारस्परिक और परस्पर लाभकारी व्यवस्थाएँ जिनके द्वारा टैरिफ और व्यापार की रुकावटें तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धों में पक्षपातकारी व्यवहार को हटाकर इन उद्देश्यों की प्राप्ति करना।
6. व्यापारिक नीतियों, पर्यावरण सम्बन्धी नीतियों और सततीय विकास से सम्बन्ध स्थापित करना।

WTO के कार्य

WTO के निम्न कार्य हैं

- यह समझौते और बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के कार्यान्वयन, प्रबन्धन और संचालन को सरल बनाता है।
- यह सदस्यों के लिए मन्त्रिस्तर कॉन्फ्रेन्स द्वारा स्वीकृत समझौतों सम्बन्धी, बहुपक्षीय व्यापार सम्बन्धी वार्ताओं तथा इनके द्वारा किए गए निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए

एक मंच प्रस्तुत करता है।

- यह नागर विमानन, सरकारी खरीददारी, दुग्धोत्पादन व्यापार और गोमांस सम्बन्धी बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के कार्यान्वयन, प्रशासन और परिचालन के लिए उचित ढाँचे का प्रबन्ध करता है।
- यह IMF, विश्व बैंक तथा इसकी सहयोगी शाखाओं के मध्य विश्व से व्यापार के लिए नीति-निर्धारण में अधिकतर संगति उत्पन्न करता है।
- यह समझौते के झगड़ा-निपटान नियमों तथा प्रक्रियाओं की व्याख्या का प्रबन्ध-संचालन करता है।

WTO के मन्त्रिस्तरीय सम्मेलन

WTO की सबसे बड़ी निर्णायक संस्था, सदस्य देशों के मन्त्रियों का सम्मेलन है जिसकी दो वर्ष में बैठक होनी जरूरी है। यह उन सभी सदस्य देशों को एकजुट करता है, जो सीमा शुल्क जैसे प्रावधानों के कारण अलग-अलग है।

यह सम्मेलन बहुपक्षीय व्यापार समझौते के अन्तर्गत किसी भी मामले पर फैसले कर सकता है। वर्ष 1995 में स्थापना के बाद में मन्त्रिस्तर के आठ सम्मेलन हो चुके हैं। नौवाँ सम्मेलन वाली में प्रस्तावित है।

WTO के मन्त्रिस्तरीय सम्मेलन

सम्मेलन	वर्ष	स्थान
पहला	9-13 दिसम्बर, 1996	सिंगापुर
दूसरा	18-20 मई, 1998	जेनेवा
तीसरा	30 नवम्बर-3 दिसम्बर, 1999	सिएटल
चौथा	9-14 नवम्बर, 2001	दोहा (कतर)
पाँचवाँ	10-14 सितम्बर, 2003	कानकुन (मैक्सिको)
छठा	13-18 दिसम्बर, 2005	हाँगकाँग (चीन)
सातवाँ	30 नवम्बर-2 दिसम्बर, 2009	जेनेवा
आठवाँ	15-17 दिसम्बर, 2011	जेनेवा
नौवाँ (प्रस्तावित)	15-17 दिसम्बर, 2013	बाली (इण्डोनेशिया)

एशियाई विकास बैंक (ADB)

एशियाई विकास बैंक (ADB) एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 22 अगस्त, 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए की गई थी। यह बैंक यू एन (UN) इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एण्ड फार ईस्ट और गैर-क्षेत्रीय विकसित देशों के सदस्यों को सम्मिलित करना है। इस बैंक की स्थापना 31 सदस्यों के साथ हुई थी, अब एडीबी के पास 67 सदस्य हैं- जिसमें से 48 एशिया और पैसिफिक से हैं और 19 सदस्य बाहरी हैं। एडीबी का प्रारूप काफी हद तक वर्ल्ड बैंक के आधार पर बनाया गया था और वर्ल्ड बैंक के समान यहाँ भी भारित वोट प्रणाली की व्यवस्था है जिसमें वोटों का वितरण सदस्यों के पूँजी अभिदान अनुपात के आधार पर किया जाता है। वर्तमान में, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान दोनों ही पास 552,210 शेयर हैं- इन दोनों के पास शेयरों का सबसे बड़ा हिस्सा है, जो कुल का 12.756% है।

एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला (मण्डालूयोंग सिटी) फिलीपीन्स में है और इसके प्रतिनिध कार्यालय पूरे विश्व में हैं। बैंक में लगभग 2400 कर्मचारी हैं, जो इसके 67 प्रतिनिधि देशों में से 55 देशों से हैं और आधे से भी अधिक कर्मचारी फिलीपन्स के रहने वाले हैं। वास्तव में एडीबी की योजना कुछ प्रभावशाली जापानियों द्वारा बनाई गई थी, जिन्होंने वर्ष 1962 में एक क्षेत्रीय बैंक के लिए 'निजी योजना' तैयार की थी, जिसे बाद में सरकार द्वारा समर्थन प्राप्त हो गया।

सहायता

बैंक की सर्वोच्च नीति-निर्धारक संस्था, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, जो प्रत्येक सदस्य देश के एक प्रतिनिधि के द्वारा बनी है। इसके बदले में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, अपने समूह में से 12 सदस्यों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उनके सहायक के रूप में चुनते हैं। इन 12 सदस्यों में से 8 सदस्य क्षेत्रीय सदस्यों (एशिया पैसिफिक) से लिए जाते हैं जबकि बोर्ड

ऑफ गवर्नर्स, बैंक के अध्यक्ष का भी चुनाव करते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी अध्यक्ष होता है और एडीबी का प्रबन्धन देखता है।

कार्यकाल

अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इसे पुन: निर्वाचित किया जा सकता है। परम्परागत रूप से अब तक अध्यक्ष सदैव जापान से ही रहे हैं और यह सम्भवत: इसलिए भी है क्योंकि जापान बैंक के सर्वाधिक बड़े शेयर धारकों में से है। **वर्तमान अध्यक्ष, हारूहिको कुरोदा हैं,** जिन्होंने वर्ष 2005 में तदाओ चिनो से पदभार लिया था।

एशियाई विकास बैंक के प्रमुख कार्य

ADB के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं

1. अपने विकासशील सदस्य देशों की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए ऋण इक्विटी निवेश उपलब्ध कराना।
2. विकास परियोजनाओं और कार्यक्रम तथा परामर्श सेवाएँ करने और उन्हे लागू करने के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।
3. विकासशील सदस्य देशों में समन्वयकारी विकास नीतियों और योजनाओं में सहायता के अनुरोधों पर कार्यवाही करना।
4. समन्वयकारी नीतियों और योजनाओं के विकासशील सदस्य देशों के सहायता अनुरोध पर कार्यवाही करना।

इस समय भारत में एशियाई विकास बैंक की सहायता वाली 27 परियोजनाएँ तथा 49 तकनीकी परियोजनाएँ चल रही हैं। ADB ने भारत में ग्रामीण साख व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु 1 अरब डॉलर का ऋण दिसम्बर, 2006 में प्रदान किया था।

31 दिसम्बर, 2004 तक बैंक के पूँजी स्टॉक में भारत का अंशदान सभी सदस्य देशों के भुगतान का 6.42 प्रतिशत था।

वर्ष 2009 में, एडीबी ने अपनी सार्वजनिक पूँजी में 200% की वृद्धि के पाँचवें सत्र के लिए सदस्यों से योगदान प्राप्त किया, यह जी-20 के नेताओं की उस सम्बोधन की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप किया गया था जिसमें उन्होंने बहुपक्षीय बैंकों के संसाधन में वृद्धि की बात की थी जिससे कि वैश्विक वित्त संकट के इस समय में विकासशील देशों के विकास को सहायता मिल सके।

एडीबी ऋण

एडीबी ऑर्डिनरी कैपिटल रिसोर्सेज (ओसीआर-सामान्य पूँजी संसाधन) से व्यापारी शर्तों पर 'हार्ड' लोन देता है और एडीबी से सम्बद्ध एशियन डेवलपमेण्ट फण्ड विशिष्ट कोष से रियायती दरों पर 'सॉफ्ट' लोन देता है। ओसीआर के लिए, सदस्यों द्वारा अभिदानित पूँजी, जिसमें भुगतान की हुई और प्रतिदेय पूँजी शामिल होती है। प्रारम्भिक अभिदान के लिए किए गए भुगतान के 50% के अनुपात में, वर्ष 1983 में हुई तीसरी सामान्य पूँजी वृद्धि का 5% और वर्ष 1994 में हुई चौथी सामान्य पूँजी वृद्धि का 2% है। एडीबी अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी बाजारों में अपनी पूँजी की गारण्टी पर ऋण लेता है।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय (यूरोपीय संघ)

यूरोपीय आर्थिक समुदाय अथवा यूरोपीय समुदाय की स्थापना वर्ष 1957 में रोम की सन्धि के अन्तर्गत फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, लक्जमबर्ग और नीदरलैण्ड्स आदि देशों द्वारा की गई। इस समुदाय के अब 27 सदस्य हैं। प्रारम्भिक 6 सदस्यों वाले इस समुदाय का 1 जनवरी, 1973 से विस्तार किया गया और इसमें आयरलैण्ड, डेनमार्क तथा ब्रिटेन को शामिल किया गया। वर्ष 1981 में ग्रीस को एवं तत्पश्चात् वर्ष 1984 में पुर्तगाल तथा स्पेन को भी शमिल कर लिया गया। वर्ष 1995 से यह यूरोपीय संघ कहलाता है।

यूरोपीय संघ के सदस्य

वर्तमान सदस्य (27)- ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैण्ड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, रिपब्लिक ऑफ आयरलैण्ड, इटली, लक्जमबर्ग, नीदरलैण्ड्स, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैण्ड, हंगरी, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, माल्टा, साइप्रस, बुल्गारिया तथा रूमानिया।

यूरोपी समुदाय की अगुआ यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय सन्धि थी, जिसका अनुमोदन वर्ष 1952 में जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, लक्जमबर्ग, और नीदरलैण्ड्स ने किया। इसने सभी आयात शुल्कों तथा कोयला, कच्चा लोहा, इस्पात और समुदाय के देशों के परस्पर व्यापार कोटा प्रतिबन्धों को समाप्त किया। इसका उद्देश्य इन उद्योगों में **पैमाने की मितव्ययिताओं** को प्राप्त करना था ताकि वे यू एस तथा अन्य विदेशी उत्पादकों के साथ प्रभावी तौर से प्रतियोगिता कर सकें। अत: यूरोपीय समुदाय का प्रमुख उद्देश्य सदस्य यूरोपीय देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, पूँजी और श्रम के खुले आवागमन में आने वाली बाधाओं को खत्म करना तथा कृषि और परिवहन के क्षेत्र में समान नीतियाँ बनाना तथा बाहरी व्यापारिक नीतियाँ बनाना है।

संरचना

यूरोपीय आर्थिक समुदाय का संगठनात्मक ढाँचा निम्नवत है

आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन

अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएँ/व्यापारिक संगठन

संगठन तथा समूह	स्थापना	मुख्यालय	सदस्य
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)	1945	वाशिंगटन	187
विश्व बैंक समूह	1945	वाशिंगटन	187
(i) आईबीआरडी (IBRD)	1945	वाशिंगटन	187
(ii) आईएफसी (IFC)	1956	वाशिंगटन	182
(iii) आईडीए (IDA)	1960	वाशिंगटन	170
(iv) एमआईजीए (MIGA)	1988	वाशिंगटन	175
(v) आईीएसआईडी (ICSID)	1966	वाशिंगटन	155
यूरोपियन संघ (EU)	1993	ब्रुसेल्स	27
विश्व व्यापार संगठन (WTO)	1995	जिनेवा	153
आसियान (ASEAN)	1967	जकार्ता	10
एशियाई विकास बैंक (ADB)	1966	मनीला	67
एशिया प्रशान्त आर्थिक सहयोग (APEC)	1989	सिंगापुर	21
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (SAARC)	1985	काठमाण्डू	8
आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD)	1948	पेरिस	34
दक्षिण साझा बाजार (MERCOSUR)	1991	मोंटेवीडियो	4
पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (OPEC)	1960	वियना	12
हिमतक्षेस (IORARC)	1997	वाकोस	18
मेकांग-गंगा सहयोग (MGC)	2000	विएनतिएन	6
शंघाई सहयोग संगठन (SCO)	1996	बीजिंग	6
बिमस्टेक (BIMSTEC)	1997	ढाका	7
जी-8 (G-8)	1997	–	8
जी-77 (G-77)	1964	न्यूयॉर्क	132
जी-15 (G-15)	1989	जिनेवा	17
जी-20 (G-20)	1999	जिनेवा	17
जी-10 (G-10)	1962	पेरिस	11
इब्सा (IBSA)	2003	–	3